(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 ] षष्ठम विधान सभा के द्वितीय सत्र का इक्कीसवां दिवस [ संख्या 15



सोमवार,

दिनांक 26 सितम्बर, 1977.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न । श्री जगदीशसिंह ।

**धौलपुर उपखंड में बांधों का कार्य**

395. श्री **जगदीशसिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धौलपुर उपखण्ड में कितने बांधों की गत 3 वर्षों में स्वीकृति सर्वेक्षण के पश्चात् की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) किन किन स्वीकृत बांधों पर कार्य चल रहा है और किन किन का कार्य पूरा हो चुका है तथा उनसे कितनी भूमि का सिंचन होगा ?

(3) स्वीकृत बांधों पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है तथा किया जाना सुनिश्चित है तो कब से ?

(4) रातियाखाण बांध का शिलान्यास कब हुआ और अब तक इसके न बनने का क्या कारण है जब कि बजट में धन का प्रावधान है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (1) धौलपुर उपखण्ड में गत तीन वर्षों में किसी बांध की स्वीकृति सर्वेक्षण के पश्चात् नहीं की गई ।

(2) पिछले पांच वर्षों में इस उपखण्ड में चार बांध स्वीकृत किए गए हैं । इनमें से बाजना विपेली व नेकरा पर कार्य पूर्ण हो चुका है व धारापुरा बांध का कार्य प्रगति पर है । यह कार्य भी चालू वर्ष 1977–78 में पूर्ण हो जावेगा । इन सभी बांधों से कुल लगभग 400 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ।

(3) धौलपुर उपखण्ड में उक्त योजनाओं के अतिरिक्त और कोई अन्य योजना स्वीकृत नहीं है । अतः कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(4) कुकपुर राता की खाल बांध का शिलान्यास 5 दिसम्बर, 1970 को किया गया था । इस योजना का प्राक्कलन विचारा-

(श्री सम्पतराम)
धीन है। बजट में इस योजना के लिए इस वर्ष प्रावधान नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके जो बजट एस्टीमेट बनते हैं उनके अन्दर यह रातियाखाण बांध दर्ज है लेकिन आपने कोई रुपया खर्च करने का प्रावधान नहीं किया है? रातियाखाण बांध की एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेंक्शन निकल गई होगी तभी तो इसको आपने बजट एस्टीमेट में रखा होगा, नहीं तो रखने का प्रश्न नहीं है।

इसी प्रकार शाहपुरा बांध की भी बात है। शाहपुरा बांध का तत्कालीन सिंचाई मंत्री महोदय ने शिलान्यास किया था। ये तीन चार बांधों के जो आपने नाम बताए हैं उनमें शाहपुरा का बांध भी शामिल था और इस बांध का शिलान्यास हो चुका था। बाजना, विपेली आदि बांधों का कार्य तो पूर्ण हो चुका है लेकिन रातियाखाण बांध का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है जब कि बजट के अन्दर इसके लिए प्रोविजन किया हुआ है। क्या यह आपके विभाग की अकर्मण्यता नहीं है? उन्होंने आपको प्रश्न का जवाब दे दिया और आपने यहां पर पढ़ दिया। क्या यह सही नहीं है कि रातियाखाण बांध की एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेंक्शन निकल चुकी है और शाहपुरा बांध की टेक्निकल सेंक्शन निकल चुकी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन निकलना बाकी है? दोनों बांध रातियाखाण बांध और शाहपुरा बांध के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। जो कुछ मैंने कहा है अगर वह सही है तो आप कब तक इन पर कार्य प्रारम्भ करेंगे?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतने लम्बे सवाल को, जो माननीय सदस्य ने किया है, समझ नहीं सका, फिर भी जितना समझ सका हूं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने निवेदन किया है कि इनका सर्वेक्षण हुआ है, पूरे एस्टीमेट्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं। जब भी फाइनल हो जायेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अपने विभाग से पूछ सकते हैं. सर्वेक्षण की बात नहीं है। बजट में प्रावधान तभी किया जाता है जब कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन निकल जाती है। आपके बजट प्रोविजन्स में रातियाखाण बांध के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। बजट के एस्टीमेट आते हैं उसके अन्दर तभी कोई चीज मेंशन की जाती है जब उसकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन निकल जाती है। अगर यह सही नहीं हो तो मैं चेलेंज तो नहीं करता लेकिन मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आपने जो सूचना दी है वह गलत सूचना दी है। रातियाखाण बांध के बारे में जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सही है, इसलिए आप बतायें कि उसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उत्तर को चेलेंज करता हूं, श्रीमान्। जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर वह सही है तो माननीय मंत्री महोदय

# Page No 3

3



(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को जो जानकारी दी गई है वह गलत दी गई है। सदन में गलत सूचना दे रहे हैं। मैं इनके उत्तर को चेलेंज करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह स्टेज नहीं है चेलेंज करने की। आप और तरीके से इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं इनके स्टेटमेंट को चेलेंज करता हूं, जानकारी करवा लें।

**श्री सम्पतराम** : मैं समझा नहीं हूं कि ये किस बात को चेलेंज कर रहे हैं, शिलान्यास को या बजट एस्टीमेट्स को, किसको चेलेंज कर रहे हैं? जब बजट में प्रावधान हो जाएगा और सर्वेक्षण कम्प्लीट हो जाएगा तभी तो काम शुरू होगा।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सर्वेक्षण वाली बात ही कह रहा हूं।

**श्री सम्पतराम** : माननीय सदस्य सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं, मैं उद्घाटन की बात कह रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप सिंचाई विभाग की गलत सूचना की पैरवी कर रहे हैं ...

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। नेक्स्ट।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : You don't Wont to understand this.

## होटलों को ऋण

396. **श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) होटल उद्योग को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण देने की राज्य सरकार की क्या नीति है?

(2) अब तक गत पांच वर्षों में राज्य सरकार ने तीन स्टार के ऊपर वाले होटलों तथा तीन स्टार से नीचे के साधारण होटलों को कितना कितना तथा किन किन होटलों को ऋण दिया है?

**राज्य मंत्री, पर्यटन** ( श्रीमती विद्या पाठक ) : (1) होटल उद्योग में पर्यटन विभाग उनको, जो लोग होटल लगाना चाहते हैं, ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान वित्त निगम को सिफारिश करता है। राजस्थान वित्त निगम कुल प्रोजेक्ट का 60 प्रतिशत तक ऋण देता है। राजस्थान वित्त निगम होटल उद्योग को ऋण अपने नियमों के अनुसार देता है जो कुल पूंजी का 60 प्रतिशत है।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले पाच वर्षों में राजस्थान में जिन होटलों को ऋण दिया गया है वे निम्न प्रकार हैं:—

1972-73

| | |
|---|---|
| राजदीप होटल, जयपुर | 2,80,000) |
| अम्बाजी होटल, आबूरोड, सिरोही | 70,000) |

(राज्य मंत्री पर्यटन)

1973-74

| | |
|---|---|
| कैलाश होटल, माउन्ट आबू | 98,000) |
| होटल अन्नपूर्णा, उदयपुर | 75,000) |
| रायल अम्बर रिसोर्ट्स, जयपुर | 3,48,000) |

1974-75

| | |
|---|---|
| एल.एम.बी. होटल, जयपुर | 5,00,000 |

1975-76

| | |
|---|---|
| जयपुर एन, जयपुर | 3,60,000) |

1976-77

| | |
|---|---|
| मैसर्स एस. बी. प्रोपर्टीज एण्ड होटर प्राइजेज, जयपुर | 12,82,000) |

**श्री कमलेन्द्र सिंह ( वल्लभ नगर )** : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हिल टोप होटल, उदयपुर को ऋण दिया गया है या नहीं ? हिल टोप होटल को ऋण दिया या नहीं ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : इस होटल को इस वर्ष कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

**श्री मूलचन्द डागा ( पाली )** : मंत्री महोदया, कृपा पूर्वक यह बतलायें कि यह होटलों को ऋण देने की व्यवस्था क्या है और वह किन नियमों के अन्दर की गई है, उसका आधार क्या है ? क्या पूंजीपतियों को और पैसा दिया जाय ताकि वे और अधिक मालदार बन सकें यह नीति है ? या जनता के गरीब आदमियों को ऋण देकर ऐसे होटल बनाने की नीति है ताकि गरीब आदमी वहां जाकर रह सकें ? आपकी वह पहले वाली नीति ही है या कोई रद्दोबदल किया है आपने ?

**श्री खेतसिंह राठौड ( शेरगढ़ )** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप मुझे कृपया यह बताने का कष्ट करें कि क्या खासा कोठी का कार्य आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को देने का विचार कर रहे हैं ? और दूसरा यह कि जनता होटल क्या जयपुर में ही बनेगा या डिवीजनल हैडक्वार्टर पर हर जगह बनेगा ? यदि बनेंगे तो उनका किस तरह से कार्य चलेगा, कब बनेंगे और उनका मैनेजमेंट किस के हाथ में रहेगा ? होटल कार्पोरेशन को उनका मैनेजमेंट दे रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : होटल कोर्पोरेशन और होटल से सम्बन्धित सारी योजना केबिनेट के विचाराधीन है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : हमारे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं आपने । मेरा पूछना था कि ऋण देने के अन्दर क्या नीति है ? क्या पूंजीपतियों को और पूंजी देकर उनको और ज्यादा पूंजीपति बनाने की नीति है या गरीब लोगों को सहायता देकर ऐसे जनता होटल बनाने की नीति है जहां जाकर गरीब आदमी ठहर सकें ? आज जयपुर की होटल में कोई पैसे वाला आदमी ही ठहर सकता है, गरीब आदमी नहीं । तीस चालीस रुपये से कम में कोई कमरा नहीं मिलता है मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आप लाखों रुपया दे रहे हैं इन पूंजीपतियों को . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी का क्या रुख है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आपकी सरकार के टाइम में दिया है...

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस होटल वाले मामले के अन्दर। क्या यह सही है कि जब श्री मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी साझेदारी में उदयपुर में होटल अजन्ता बनाया गया और उस होटल को चार लाख रुपये का ऋण दिया गया था सरकार की तरफ से ? पहले यह ऋण देने की परम्परा नहीं थी लेकिन सरकार ने इसको इण्डस्ट्री मान कर सबसे पहले इस होटल को ऋण दिया और उसके बाद में सारे होटलों को ऋण देने की परम्परा प्रारम्भ हुई। सुखाड़ियाजी के टाइम में यह अजन्ता होटल को चार लाख का ऋण दिया गया था, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न में पांच वर्ष की जानकारी पूछी गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह बता रहा हूं कि यह होटलों को ऋण देने की परम्परा कहां से शुरू हुई है। होटल मैनेजमेंट को इडस्ट्री मान कर अजन्ता होटल को सबसे पहले ऋण देकर ऋण देने की शुरूआत की गई और तभी से होटलों को ऋण देना प्रारम्भ हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : पुरानी परम्परा को तो अब बदलो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर होटल को एक इंडस्ट्री माना गया है, क्या यह सही है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह सही है कि होटल एक इंडस्ट्री है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि पिछली बार होटलों को जितना भी कर्जा दिया हुआ है वह हमारे पहले का दिया हुआ है। इसलिए माननीय डागाजी, जो बहुत ज्यादा उद्विग्न हो रहे हैं, अच्छा होता आप अपनी सरकार के वक्त ही इस प्रकार की उद्विग्नता प्रगट करते।

श्री मूलचन्द डागा : यही उत्तर है श्रीमान का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजन्ता होटल के लिए, या उदयपुर की किसी ऐसी होटल को पहले कर्जा दिया होगा। उसको पूछे गए वर्षों में, जिनके बारे में प्रश्न किया गया है, नहीं दिया गया। माननीय सदस्य अलग-से प्रश्न करेंगे तो जानकारी दे सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज में इसको माना है तो लोन देने में कोई एतराज की बात नहीं हो सकती है। आपने, मुख्य मंत्री जी, स्वयं इसको इन्डस्ट्री माना है। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है यदि इन्डस्ट्री मान कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
कर्जा दिया गया है तो कोई परम्परा गलत नहीं है। यह हिन्दुस्तान में परम्परा है। इसमें औचित्य का क्या प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री बंशीलाल सारस्वत।

**राजस्थान नहर के गोदामों से चोरी**

397. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के बाजार में सीमेन्ट, पैट्रोल और डीजल का भाव समीपवर्ती क्षेत्र और राजस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा बहुत कम है ?

(2) क्या यह सही है कि इन वस्तुओं की चोरी राजस्थान नहर के गोदामों में से होती है और वहां सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त वस्तुएं विक्रय करने से भावों में भारी कमी है ?

(3) क्या इस प्रकार की योजनाबद्ध चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट व्यवस्था या प्रबन्ध किया गया है ?

**मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना** (श्री केदार नाथ) : (1) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(2) ऐसा कोई भी प्रसंग इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : इसमें मेरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा, विभाग को कोई जानकारी नहीं है। क्या विभाग ने कभी ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है ? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से या पुलिस विभाग से या सरकार की कोई ऐसी एजेन्सी से इसके सम्बन्ध में जानने की कोशिश की है ?

**श्री केदारनाथ** : उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार एजेन्सियां हैं, चीफ टैक्निकल एग्जामिनर आफिसर, चीफ अकाउन्ट्स आफिसर, प्रिआडिट एण्ड पोस्ट आडिट। अगर कोई स्पेसिफिक केस आएगा तो उसकी जांच करायी जाएगी।

**श्री रावतराम** (सुजानगढ़) : क्या इस प्रकार की शिकायत आपको नहीं मिल रही है कि राजस्थान कैनाल की सीमेन्ट बाजार में चोरी से जा रही है ? क्या इस तरह की कोई शिकायत आपको मिली है ?

**श्री केदारनाथ** : कोई भी शिकायत नहीं मिली है। मिलने पर जांच करायी जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय कह रहे हैं विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री खंगारसिंह।

**ग्राम जीवन कला में अतिवृष्टि से क्षति**

398 **श्री खंगारसिंह** (खारची) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जीवन कला तहसील देसूरी, जिला पाली में बाढ़ व

(श्री खंगार सिंह)
प्रति वर्षा से बहुत मकानों की क्षति हुई है एवं मकान मालिकों को इस वजह से आबादी क्षेत्र के बाहर गैर आबादी भूमि में अपने मकान बनाने को विवश होना पड़ा है ?

(2) प्रति वर्षा व बाढ़ से उक्त गांव में आबादी भूमि के कितने क्षेत्र का कटाव हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नदी का बहाव बदलने से ग्रामवासियों को पेयजल भी वर्षा में गांवाई पिच्छ से लाना असंभव है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस मानवीय समस्या के समाधान हेतु आज तक क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त गांव की आबादी को बाढ़ व अतिवृष्टि से बचाने हेतु सर्वे कार्य कराया है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब तक उक्त विपदा से बचाने की कार्यवाही करेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री सम्पतराम): (1) ग्राम जीवन कला देसूरी में अतिवृष्टि से तीन कच्चे मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है । बाढ़ से कोई क्षति नहीं पहुंची है। कोई पक्का मकान अथवा कच्चा मकान पूरा नष्ट नहीं हुआ है । इस ग्राम के किसी व्यक्ति को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने पर आबादी क्षेत्र के बाहर गैर आबादी भूमि में मकान बनाने को विवश नहीं होना पड़ा है ।

(2) करीब एक बीघा भूमि नदी के बहाव से कटी है ।

(3) यह सही है कि गांवाई पिचका नदी के बीच में आया हुआ है । जब नदी का बहाव तेज होता है तो इस पिचके पर जाना असंभव हो जाता है । साधारणतया नदी कुछ घंटों में उतर जाती है व पेयजल की समस्या हल हो जाती है ।

(4) बाढ़ व अतिवृष्टि से केवल तीन मकानों को क्षति पहुंची है जो गंभीर समस्या नहीं है ।

श्री खंगारसिंह : इसका सर्वे कराया जाये कि आबादी की जमीन कितनी थी, पहले कितनी थी, सैटलमेन्ट में कितनी थी और आज कितनी है । यह रिपोर्ट आपकी गलत है ।

श्री मूलचन्द डागा : अब की बात कही है ....

श्री खंगार सिंह : उस समय कितनी आबादी थी और आज कितनी है ? यह जो रिपोर्ट दी गई है, वह गलत है ।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने तथ्यों को गलत बताया है, तो मैं इसकी दुबारा जांच करवा लूंगा ।

श्री खंगारसिंह : इसका सर्वे करवाया जाए । संवत् 2010 में गांव बह गया था । बाहर जो बस्ती बसी है, उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं है । रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जांच के बाद जो तथ्य आवें, उससे मुझे भी सूचित करें । जो उत्तर दिए जाएं वे सही तौर पर दिये जाएं । जांच के बाद जो नतीजा निकले वह कम से कम हमारी भी जानकारी में लाया जाए ।

# Page No 8

(8)



**श्री सम्पतराम** : माननीय सदस्यों को भी जानकारी दी जाएगी और जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

**श्री खंगारसिंह** : संवत् 2010 से आज तक वहां पर सौ घर बने हुए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जानकारी प्राप्त करेंगे।

**प्रश्न संख्या 399**

श्री ओम प्रकाश।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण।

**थानागाजी क्षेत्र में विद्युत् के कनेक्शन**

400. **श्री शिवनारायण (थानागाजी)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या इस वर्ष राज्य सरकार के विचाराधीन टहला एवं प्रतापगढ़ कस्बों में बिजली पहुंचाने की योजना है ?

(2) क्या थानागाजी क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्रामों में समस्त प्रार्थीगणों को अक्टूबर, 1977 तक कनेक्शन दिए जा सकेंगे, जिन्हें ट्रान्सफार्मर के ओवरलोड होने आदि के कारणों से वर्षों से कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ?

**विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम)** : (1) जी नहीं।

(2) मण्डल के पास उपलब्ध धनराशि के अनुसार ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता को बढ़ा कर इस वर्ष मंडल और कनेक्शन देने का प्रयत्न करेगा।

**श्री शिवनारायण** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 1972 में राज्य सरकार की यह स्कीम थी कि जो पांच हजार की आबादी वाले गांव हैं उनमें बिजली पहुंच जायेगी। टहला में पांच हजार की आबादी है और 1972 को पांच वर्ष हो गये हैं तो इस टहला ग्राम में बिजली क्यों नहीं पहुंचाई गई है ?

**श्री सम्पतराम** : उपाध्यक्ष महोदय, जो टहला का इलाका है, अभी तक जो बिजली की लाइन है वह वहां से 12–13 किलोमीटर दूर है। इस लाइन से बिजली पहुंचाई जाना संभव नहीं है। जब तक और कोई स्टेशन नहीं बने, बिजली देना सम्भव नहीं है।

**श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड का बजट सदन में प्रस्तुत किया जाय, ताकि इस पर भली प्रकार विचार विमर्श हो सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त होने के बाद आप इसको उठावें।

**श्री सुखलाल सेंणचा** : यह सबसे सम्बन्धित प्रश्न है।

**श्री सम्पतराम** : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता का स्वागत करता हूं। परन्तु इस वर्ष जो बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था रखी गई है वह ज्यादा है। 1976–77 में 14 हजार कनेक्शन दिये गये थे, जब कि इस 6 महीने के अर्से में 18 हजार कनेक्शन देने की व्यवस्था रखी गई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप तो चिन्ता को मिटाने का कष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने भावना व्यक्त कर दी है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं, वे आर. ई. सी. और नान आर. ई. सी. में भी दिये जा रहे हैं। क्या ये 18 हजार कनेक्शन जो दिये जा रहे हैं, वह इन दोनों को मिला कर दिये जा रहे हैं ? आर. ई. सी. के कितने कनेक्शन हैं और नान आर. ई. सी. के कितने हैं ?

**श्री सम्पतराम** : आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आर. ई. सी. की स्कीम अलग है और यह उससे अलग है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशनसिंह भाटी।

**राजस्थान नहर का निर्माण कार्य**

401. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर का निर्माण निर्धारित गति से पूर्ण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में खर्च किये जाने वाला धन मुख्य नहर पर खर्च कर उसके निर्माण की गति को नहीं बढ़ाया जा सकता है ? यदि हां, तो मुख्य नहर के कार्य को प्राथमिकता देकर इसे युद्ध स्तर पर पूरा क्यों नहीं किया जाता ?

**मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना** (श्री केदारनाथ) : (1) राजस्थान नहर का निर्माण आवंटित धनराशि के अनुसार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। लिफ्ट सिंचाई योजनाएं मुख्य नहर की शाखाएं हैं व इनका कार्य राजस्थान मुख्य नहर के निर्माण के साथ साथ इस कारण चलाया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान नहर के पानी का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। इसका लाभ सिंचित क्षेत्र को जल्दी से जल्दी दिया जा सके।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह गलत उत्तर दिया है आपने····

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।

(विराम)

यह सदस्य से बात कर रहे हैं, या जवाब दे रहे हैं प्रश्न का।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप रिकार्ड पर करेक्शन कर लीजिये।

**श्री सम्पतराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी मांगता हूं, यह जो कहा है आप भी जानते है, ··

**श्री किशनसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे थे, वह सुनाई नहीं दिया।

# Page No 10

(10)



**श्री उपाध्यक्ष** : रिपीट कर दीजिये।

**श्री केदारनाथ** : (1) राजस्थान नहर का निर्माण आवंटित धनराशि के अनुसार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में मुख्य नहर की शाखाएं हैं व इनका कार्य राजस्थान मुख्य नहर के निर्माण के साथ साथ इस कारण चलाया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान नहर के पानी का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। इसका लाभ सिंचित क्षेत्र को जल्दी से जल्दी दिया जा सके।

**श्री किशनसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने यह पूछा है कि जिस गति से जितने माइल ईयरली बननी चाहिये उस हिसाब से यह नहर बन रही है या नहीं? यह धन के हिसाब से या निर्धारित गति के हिसाब से बन रही है?

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो मूल रूप से समय निर्धारित किया गया था क्या उस समय में यह पूरी हो जायेगी?

**श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर)** : क्या राज्य सरकार लिफ्ट सिंचाई योजना को भी हाथ में लेगी?

**श्री केदारनाथ** : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1957 में प्रोजेक्ट एस्टीमेट था उसके मुताबिक इसका कम्पलीशन 1966–67 में होना चाहिये था। सन् 1963 के प्रोजेक्ट एस्टीमेट के अनुसार इसका कम्पलीशन 1977–78 में होना चाहिये था। वर्ष 1970 के प्रोजेक्ट एस्टीमेट के अनुसार इसका कम्पलीशन 1978–79 में हो जाना चाहिये और 1975 के प्रोजेक्ट एस्टीमेट के अनुसार इसका कम्पलीशन 1983 में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट का स्कोप अवेलेबिलिटी आफ फण्ड के ऊपर है।

**श्री किशनसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने यह दूसरा प्रश्न पूछा है कि धन की कमी से डिले हो रही है तो धन को मेन कैनाल में क्यों नहीं लगाया जाता है?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि यह सिंचाई की मांग के समय इस पर काफी विचार हुआ है।

**श्री किशन सिंह भाटी** : उस समय उत्तर ही नहीं आया था। राजस्थान नहर का बहुत इम्पार्टेण्ट सवाल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे पता है।

**श्री खेतसिंह राठौड** : एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। 1957 में वह प्रोजेक्ट बना था उस समय जो एस्टीमेट बनाया गया था उसके बाद उसमें कई नहरें निकाल दी है?

**श्री केदारनाथ** : यह 1975 के एस्टीमेट के मुताबिक है। 2,60,000,00 रु. लिफ्ट इरिगेशन पर खर्च करते हैं तो वह राजस्थान कैनाल पर खर्च होगा। लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बनाई है वह इकानामिक फिजीबिलिटी के आधार पर है। उसका सर्वे किया जाएगा।

**श्री खेतसिंह राठौड :** इसीलिए सर्वे कराया जायेगा।

**श्री किशनसिंह भाटी :** मेरा निवेदन है, 1966-67 से कम्पलीशन ईयर चेंज होती रही है। अब यह 1983 तक तो पूरी हो जाएगी ?

**श्री केदारनाथ :** इसलिए पाइण्ट आउट किया है।

प्रश्न संख्या 402

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री बजरंगलाल शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कमलेन्द्रसिंह।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति, कानोड द्वारा दिया गया ऋण**

403. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

कानोड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा डेयरी ऋण योजना के अन्तर्गत कितने आदमियों को ऋण दिया गया ? उनमें से श्री भैरूसिंह पुत्र श्री उंकारसिंह राठौड़, नि. कानोड़ को भी क्या ऋण दिया गया है ? यदि, हां, तो कितना और कब ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री त्रिलोकचन्द जैन): जी हां। इस समिति द्वारा 14 सदस्यों को डेयरी योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया है।

श्री भैरूसिंह पुत्र उंकार सिंह राठौड़ को भी दिनांक 1-1-75 को 1500 रु. ऋण दिया गया है।

**श्री खेतसिंह राठौड :** राठौड़ों से ऐसी क्या नाराजगी है।

**श्री कमलेन्द्र सिंह :** इनमें कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास न गाय है न भैंस है। न उनको सब्सिडी दी गई है। जो राठौड़ का बताया गया है उसका मेरे पास एफीडेविट है। उसमें लिखा गया है कि ऋण नहीं दिया गया है। उससे बाण्ड भराया गया है, तथा तरह तरह की खाना पूर्ति करवाई गई है।

**श्री उपाध्यक्ष :** जो उत्तर दिया गया है, वह मन्त्री महोदय ने कागजात के आधार पर दिया है।

**श्री खेतसिंह राठौड :** उपाध्यक्ष महोदय, यह राठौड़ों पर हमेशा चोट करते हैं।

**श्री कमलेन्द्र सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एफीडेविट मन्त्री महोदय के सामने रख दूं तो क्या वह कार्यवाही करेंगे ?

**श्री त्रिलोक चन्द जैन :** उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया तो जयपुर से रजिस्ट्रार वहां गये हैं। उन्होंने वहां जाकर कार्यवाही की तो उनको कहा गया कि हम को ऋण नहीं दिया गया तो रजिस्ट्रार ने वहां के व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया है। आगे जांच जारी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री नवलराय।

**श्री सुखलाल सैंणचा :** मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने कागजी कार्यवाही पूरी कर दी है। आपकी जांच के आधार पर क्या कार्यवाही होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे बहुत से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं ।

नैक्स्ट । श्री नवलराय ।

**राज्य बीमा योजना में आयुर्वेद चिकित्सा को स्थान**

404. **श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर, पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या "कर्मचारी बीमा योजना" में आयुर्वेद चिकित्सा को स्थान देने का विचार किया जा रहा है ।

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक) : केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट । श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर ।

**विद्युत् से हुई दुर्घटनाओं की जांच**

405. **श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर** (कपासन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 के सैक्शन 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने किन किन व्यक्तियों को विद्युत से हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त किया है ?

(2) ऐसे व्यक्तियों ने आज तक कितनी घातक और अघातक दुर्घटनाओं की जांच की है ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् दुर्घटनाओं से हुई दुर्घटनाओं की जांच करने का अधिकार केवल विद्युत् निरीक्षक को ही है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति द्वारा कितनी दुर्घटनाओं की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) ऐसी दुर्घटनाओं की जांच कर भविष्य में घटनाएं फिर घटित न हों इस विषय में राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय काम में लाये गये तथा जिन नियमों की अवहेलना स्वरूप घटनाएं हुईं उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने के लिये दण्ड प्रक्रिया कहां तक काम में ली गई ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में 1968 से अब तक 2000 के करीब दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें से एक के भी खिलाफ विद्युत् निरीक्षक द्वारा मुकदमा चलाया गया ? यदि चलाया गया हो, तो उनमें कितने सफल हुये और कितने असफल ?

(6) क्या यह भी सही है कि देश में दूसरी तमाम स्टेट्स में विद्युत् निरीक्षक द्वारा किसी भी कम्पनी, फैक्ट्री–कन्जूमर एवं विद्युत् बोर्ड के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाते हैं और ऐसे सफल और असफल मुकदमों की विवरणिका उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है ? राज्य में ऐसी कोई सूची हो तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की पूरी

(श्री सम्पतराम)
सूचना नहीं आई है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

प्रश्न संख्या 406

**श्री उपाध्यक्ष :** नैक्स्ट। श्री रंगजी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल चौरासी

**श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ मैंने प्रश्न में पूछा है इसका मन्त्री महोदय कुछ तो उत्तर दे सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्या के प्रश्न पर ध्यान दें।

**श्री सम्पतराम :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1968 से अब तक की सूचना चाही है। जो सूचना आनी चाहिए थी, वह नहीं आयी है। इसलिए मजबूरी में यह निवेदन किया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हीरालाल चौरासी।

**डूंगरपुर जिले के वन क्षेत्र में नाजायज कब्जे के मामले**

407. **श्री हीरालाल चौरासी** (डूंगरपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला डूंगरपुर में वन विभाग के अधीन कितना हैक्टेयर व कहां-कहां वन क्षेत्र है ?

(2) उक्त वन क्षेत्र पर कहां कहां तथा कितने काश्तकारों का कब से व कितनी हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त वन क्षेत्र पर नाजायज कब्जे नियमित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा कब कब जारी किये गये ? क्या आदेशानुसार नाजायज कब्जे नियमित किये गये अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने व कहां कहां ? काश्तकारों की नामावली सहित तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र पर नाजायज कब्जा करने वाले काश्तकारों का राज्यादेशानुसार नियमित करने के बजाये बेदखल किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त वन क्षेत्र में काश्तकार अब भी नाजायज कब्जा किये हुए हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से एवं नियमित नहीं किये जाने का क्या कारण है ? इन पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन :** उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की अभी पूरी सूचना नहीं आयी है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री अब्दुल अजीज।

**वक्फ प्रोपर्टी से आय**

408. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अब्दुल अजीज)

(1) राज्य में कहां कहां कब्रिस्तानों और दरगाहों की जमीन पर अनधिकृत कब्जे लोगों ने किये हुए हैं, तथा राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को बेदखल करने के लिये क्या उपाय किए हैं ?

(2) वक्फ प्रोपर्टी से सालाना कितनी आय होती है और इसका खर्चा कैसे किया जाता है ? क्या इसके कानून भी बनाए गए हैं ?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना नहीं आयी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या परम्परा पड़ गई है ? मुख्य मन्त्री जो भी बैठे हैं।

श्री खेतसिंह राठोड : पहले तो मुख्य सचेतक ने कहा, फिर मन्त्री महोदय ने कहा और अब राज्य मन्त्री जी भी वही कह रहे हैं। आप इनको ताड़ना दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : यह भी क्या उत्तर है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को डांट पिलाइये आप।

श्री रतनलाल वर्मा : मन्त्री महोदय ने··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आप महसूस कर चुके हैं। आपको कोई न कोई चर्चा इस विषय पर करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है। वह पढ़ेंगे तो उनको यह पता चलेगा कि यह सूचना कुछ दिन में नहीं अगर दो महीने लगा दिये जायें तो भी पूरी एकत्रित नहीं हो सकती हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जहां तक वक्फ प्रापर्टी के दुरुपयोग का सवाल है, दुरुपयोग हो रहा है, अथवा किसी ने कब्जा कर लिया है, यह वक्फ की ही प्रापर्टी का सवाल नहीं देवस्थान की प्रापर्टी का भी सवाल है। कहीं किसी ने खा लिया या पूरा हजम कर लिया इसके बारे में मैं अलग से जांच करा रहा हूं। आपको इसके बारे में बहुत जल्दी जानकारी मिलेगी कि क्या परिणाम निकला है। ऐसी व्यवस्था की जायगी कि वक्फ या देवस्थान की प्रापर्टी को कोई अपने काम में नहीं ले सके।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा निवेदन यह है कि कितना खर्चा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

नैक्स्ट। श्री हरिकिशन।

### भरतपुर जिले में सिचाई कर की वसूली

409. श्री हरिकिशन (नदबई) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में सिचाई कर कहां कहां कितने प्रकार के लिये जाते हैं ?

(श्री हरिकिशन)

(2) जिन स्थानों पर विशेष सुविधा पानी दिये जाने की नहीं है, वहां भी ऊंची रेट से सिंचाई कर लिये जाने का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) राजस्थान में, भरतपुर जिले सहित, सिंचाई की दरें तीन प्रकार की है। 1 जनवरी, 1952 से पूर्व निर्मित कार्य, 1 जनवरी, 1952 के पश्चात् निर्मित कार्य एवं बाढ़ के पानी से सिंचित कार्यों से सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित हैं। निर्धारित दरों की सूची संलग्न है।

(2) सिंचाई कर निर्धारण नियमानुसार ही लिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री हरिकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दरें रखी गई हैं, क्या उनको बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि जो सूची रखी गई है, वह देख लें। यहां वह पढ़ना सम्भव नहीं होगा।

श्री हरिकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जिला भरतपुर में नदबई, जहां से पदमपुर नहर निकली है, में 12।। रुपया और 13 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से सिंचाई कर वसूल किया जाता है। यह कमर तोड़ टैक्स है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसानों को बचाया जाये। कभी कभी नहर चलती है फिर भी 12-13 रुपया टैक्स लिया जाता है। कोई रास्ता मंत्री महोदय निकालें।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में जो पुराने बांध हैं और जो नदियां हैं, उनके द्वारा वहां पर एक पिलाई होती है और उसकी रेट ली जाती है। सन् 1952 के जो बांध हैं उनकी जानकारी नहीं है कितनी पिलाई होती थी। उनकी रेट्स बढ़ाई गई हैं। मेरा निवेदन है कि 15 सितम्बर तक एक ही बार पिलाई होती है और उसके बाद दुबारा पानी नहीं मिलता है इसलिए मन्त्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करें कि यह रेट्स क्यों बढ़ाई गई हैं ? दो-तीन प्रकार की रेट्स क्यों हैं ?

श्री सम्पतराम : इनन्डेशन के आधार पर आम तौर से सिंचाई होती है, बांध से जितना पानी दिया जाता है उसी के हिसाब से सिंचाई होती है और रेट्स लगाई जाती हैं।

श्री ताराचन्द : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि खामवा गांव की दरख्वास्त,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दरख्वास्त के बारे में आप जानकारी कर लें।

प्रश्न संख्या 410

नेक्स्ट। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

**भूमि विकास बैंक हिन्डौन के विरुद्ध जांच**

411. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन भूमि विकास बैंक के सचिव श्री भूपालसिंह के विरुद्ध हिन्डौन की जनता ने कई बार शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) जब से श्री भूपालसिंह ने हिन्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक में सचिव पद का कार्यभार संभाला है तब से आज तक कितनी फाइलें योजना एवं गैर योजना अन्तर्गत कितनी स्वीकृत करके ऋण वितरित कराया गया तथा कितनी फाइलें किस स्टेज पर ऋण वितरण के लिए बकाया हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री भूपालसिंह को विगत विधान सभा 1977 के चुनावों में केलादेवी में जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो दिनांक 8-6-77 से दिनांक 10-6-77 तक बैंक का कार्य कैसे कैसे किया गया है तथा हिन्डौन में रह करबैंक के कागजों पर हस्ताक्षर कैसे किये गये हैं ? यदि हां, तो वे केलादेवी से हिन्डौन किस की इजाजत से आए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि श्री भूपालसिंह लघु सिंचाई योजना, करौली में परियोजना अधिकारी के पद पर थे ? यदि हां, तो उनके कार्यकाल में उनके द्वारा कितनी फाइलें योजना में ऋण वितरण के लिए जमा की गई तथा जिन फाइलों को ऋण वितरण करने के लिए सिफारिश की गई है उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा उनमें से किन किन फाइलों में कितनी कितनी दूरी अंकित की गई है ?

(5) श्री भूपालसिंह सचिव ने हिन्डौन भूमि विकास बैंक में कितने कर्मचारियों को बिना प्रशासक की पूर्व अनुमति के बैंक में डेली वेजेज पर नियुक्त किया है ? क्या उनको यह नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त था ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की अभी सूचना एकत्र नहीं हो पायी है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित समझा जाय।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जो सेशन चल रहा है, इसी में इसका जवाब आ जायेगा ? मैंने यह सुना है कि यह सूचना प्राप्त करने में एक सप्ताह लगेगा, तो क्या इसी सेशन में इसका जवाब आ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ही अनुमान लगा लीजिये।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इसकी जानकारी आ चुकी है, इसकी इन्क्वायरी भी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट आ गई है तो फिर क्या जानकारी प्राप्त करनी शेष रह गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी का सूत्र अलग होगा।

नेक्स्ट। श्री सूरजपालसिंह !

**ग्राम धुम्बडिया को बाढ़ से बचाने के लिए किये गये कार्य**

412. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के ग्राम धुम्बडिया को बाढ़ की चपेट से बचाने हेतु सिंचाई विभाग ने मिट्टी के स्पर्श बनाये, मगर प्रावधान होते हुए भी पिचिंग कार्य नहीं करवाया गया जिसके फलस्वरूप स्पर्श बह गये ?

(2) इस कार्य पर विभाग द्वारा कुल कितना खर्च हुआ ?

(3) क्या राज्य सरकार आये साल ग्रामवासियों को बाढ़ से हर साल होने वाले नुकसान से बचाने हेतु पुनः कोई योजना तैयार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। सन् 1974-75 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत यह कार्य कराया गया था। पिचिंग कराने का कार्य भी योजना में सम्मिलित था, परन्तु इस कार्य की टेन्डर दर अधिक प्राप्त होने के कारण पिचिंग का कार्य समय पर नहीं कराया जा सकता। स्पर्श के बहने का कारण पिचिंग न बनना नहीं था, अपितु अप्रत्याशित वर्षा एवं तीव्र जल प्रवाह था।

(2) इस कार्य पर रु. 1 11 लाख व्यय किया गया।

(3) जी हां। सम्बन्धित ग्रामों को बचाने हेतु रु. 5.00 लाख रुपये लागत की एक योजना तैयार की गई है जो कि जिला विकास अधिकरण जालोर के समक्ष विचाराधीन है। स्वीकृति होने व धनराशि उपलब्ध होने पर योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा।

श्री सूरजपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य 1974-75 में शुरू किया गया था। आपने कहा कि प्रावीजन था और नहीं किया। कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस माह में कार्य शुरू किया गया था ? हमारे क्षेत्र में जितने भी बांध हैं, उनका काम सिंचाई विभाग द्वारा ऐसे समय शुरू कराया जाता है कि उनके पूरे होने के लिए समय नहीं बचता है। कितनों ही पर अर्थ वर्क हुआ और उसके बाद कितना ही समय हो गया लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ वर्क तो हो गया था।

श्री सूरजपालसिंह : किस माह में कार्य शुरू हुआ था ?

श्री सम्पतराम : सन् 1974-75 में यह प्रारम्भ किया गया था, उसमें पिचिंग कराने का कार्य भी सम्मिलित था तो उसको करने की कोशिश की गई लेकिन उसका टेन्डर ऊंचा आ गया था। दुबारा जब टेन्डर आया तो वर्षा शुरू हो गई। आयन्दा इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वर्षा से पहले ही काम पूरा हो जाय।

श्री सूरजपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे गांव बाढ़ की चपेट में आये हुए हैं और इस साल भी बह जायेंगे। मैं कृषि और

(श्री सूरजपालसिंह)
सिंचाई विभाग की मांगों के समय भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय।

प्रश्न संख्या 413

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 414

श्री शोपतसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्रीमती नारंगी देवी !

**राज्य के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना**

415. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ? ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए इस वर्ष कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

(2) शाहबाद--किशनगंज तहसील में कितने ग्रामों को विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के अन्त तक लिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष किशनगंज–शाहबाद क्षेत्र के 94 ग्रामों के लिए विद्युतीकरण की योजना बनी थी और केवल एक ग्राम किशनगंज को ही इस योजना के अन्तर्गत लिया गया ?

विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम): (1) इस वर्ष राज्य के 1500 गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रोग्राम है। विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए इस वर्ष करीब 17.25 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है ।

(2) शाहबाद व किशनगंज तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण इस वर्ष के प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना अभी स्वीकृत नहीं है।

(3) जी हां। गत वर्ष में किशनगंज-शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के 94 ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारूप तैयार किया गया था परन्तु तकनीकी जांच के पश्चात् केवल 86 ग्राम ही इस योजना में सम्मिलित होने की संभावना है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के नोर्म्स पर बनाई गई थी जो अभी स्वीकृत नहीं हुई है। इस योजना में किशनगंज तहसील के 51 ग्राम सम्मिलित हैं। किशनगंज कस्बा तो पहले से ही विद्युतीकृत है।

श्रीमती नारंगी देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगी कि आदिवासी क्षेत्रों में इस वर्ष पांच गांवों में बिजली नहीं दी गई है, शाहबाद और किशनगंज तहसील में, इसका क्या कारण है ?

श्री ईश्वरचन्द् (पिड़ावा) : जो गांव बताये गये हैं क्या उनमें झालावाड़ क्षेत्र के गांव भी हैं और पिड़ावा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी है ? यदि है, तो कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा और पिड़ावा झालावाड़ क्षेत्र के नाम भी उनमें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने सूची नहीं मांगी है, केवल संख्या मांगी है ।

श्रीमती नारंगी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में एक भी गांव में बिजली नहीं दी गई है । क्या इस वर्ष सरकार उनमें बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सम्पतराम : मैंने प्रश्न का उत्तर बिलकुल साफ दिया है । सारी सूची पहले ही दे चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री मूलचन्द डागा !

**राज्य परिवहन निगम की गाडियां**

416. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवहन निगम की कुल कितनी गाडियां हैं और उनमें से कितनी बेकार पड़ी हैं और कब से ?

(2) सन् 1975-76 व 1976-77 में कितनी गाड़ियों की मरम्मत पर क्रमशः कितना कितना खर्चा आया है ?

यातायात मंत्री ( श्री केदारनाथ ) : (1) 1 अगस्त, 1977 को निगम के पास 1765 यात्री वाहन थे, इनमें से 371 वाहन मरम्मत / नियमित मेन्टीनेन्स हेतु आफ रोड थे । इन वाहनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सन् 1975-76 व 1976-77 में गाड़ियों की मरम्मत हेतु क्रमशः 27.2.64 लाख व 30 3.03 लाख रुपया खर्च किया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, भारी समस्या है कि 1976 से गाड़ियां बेकार पड़ी हैं और दो साल बीत गये हैं लेकिन गाड़ियों की मरम्मत नहीं हो रही हैं । उन गाड़ियों की संख्या कितनी है जो 1976 से लगाकर अब तक बेकार पड़ी हैं ?

श्री केदारनाथ : 1976 से बेकार पड़ी गाड़ियां केवल 30 हैं, कारण यह है कि जो मौजूदा सेंट्रल वर्कशाप हैं, उसकी केपिसिटी बहुत कम है । केवल एक हजार बसों की मरम्मत करनी है, उसको एन्फोर्स करने के लिए, एक्सपेन्शन के लिए मंजूरी दे दी गई है और शीघ्र ही सैकिंड स्टेज शुरू हो जाएगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो वर्षों से बेकार पड़ी हैं और रिकॉर्ड पर मरम्मत के अन्दर चल रही हैं । आप उनको डिस्पोज आफ कर दें । स्वाहमख्वाह आपका रिकार्ड बताता है कि मरम्मत के अन्दर है । झगड़ा खत्म हो जाएगा ।

श्री ईश्वरचन्द्र : उन गाड़ियों को ठीक क्यों नहीं कराते हैं ? झालावाड़ डिपो में 1967 से 47 गाड़ियां आउट आफ आर्डर

(श्री ईश्वरचन्द्र)
हैं, वह किस तरह से ठीक होंगी ? राष्ट्रीयकरण को क्यों बदनाम किया जा रहा है ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): ये जो एक्सप्रेस और डीलक्स गाड़ियां हैं क्या यह सही है कि इनकी रफ्तार से उनकी फड़फड़ाहट की आवाज की रफ्तार ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय कदम उठायेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : महीना भर पहले कम्पनी ने नई गाड़ियां कोटा भेजी थीं वे 15 दिन बाद ही वापस मंगा लीं, क्या यह सही है ?

श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसीन्द) : क्या यह सही है कि जब से मारुति गाड़ियां आने लगीं तब से फड़फड़ाहट होने लगी है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरे गांव में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें ज्यादा सीटें नहीं हैं। झालावाड़ बस स्टैंड पर 6 पंखे लगे हुए थे वे भी गायब हो गये, क्या यह सही है ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो मारुति गाडियां आई हैं उनकी सीटें इतनी भिची हुई हैं कि एक दूसरे के पांव अड़ जाते हैं ?

श्री केदारनाथ : मौजूदा वर्कशाप्स में कहीं प्लांट की कमी है, कहीं मशीन की कमी है, कहीं टेक्निकल स्टाफ की कमी है। मगर निगम ने फैसला किया है कि आइन्दा एक महीने के अन्दर इन कमियों की पूर्ति करके रीएन्फोर्स करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): बसों की कमी की जो बात कही गई है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि बसों की कमी है, अच्छी हालत में नहीं हैं लेकिन अभी जमवा-रामगढ़ में सड़क का राष्ट्रीयकरण करके जितनी संख्या में बसें लगाने की घोषणा की गई उतनी नहीं लगाई गई हैं और इस कारण यात्रियों को....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परसों जब मैं वहां गई थी, लोग बसों में आ रहे थे, उन्होंने अधिकारियों का गला पकड़ लिया..

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : यह जो रोडवेज की बसों की मरम्मत करवाई जाती है वह किस आधार पर करवाई जाती है ? बसों की कन्डीशन्स या माडल के आधार पर या रूट के आधार पर ?

श्री केदारनाथ : मरम्मत तो मरम्मत की दृष्टि से होती है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जो मरम्मत का सवाल है वह किस आधार पर कराई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें बहुत सी बात होती हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

Page No 21

(21)



**श्री उपाध्यक्ष** : आप यह देखिये कि आपके ऊपर नोइज कन्ट्रोल एक्ट लागू हो सकता है क्या ?

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया।**

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में राज्य सरकार की पूंजी**

417. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (धनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत पूंजी लगी हुई है (शेयर्स) ?

(2) आपातकालीन स्थिति में उक्त फैक्ट्री कितने दिनों तक बंद रही और क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस फैक्ट्री को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उद्योग मंत्री** (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) 20 प्रतिशत हिस्सा पूंजी 75 लाख रुपये के प्रिफरेंस शेयर्स के रूप में लगी हुई है।

(2) गत वित्तीय वर्षों में खराब प्रबंधादि परिणामों के फलस्वरूप बैंकर्स द्वारा कार्यशील पूंजी नहीं देने व धनाभाव के कारण 9 सितम्बर, 1975 से 27 अप्रेल, 1976 तक बंद रही।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है। फैक्ट्री अब सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : मैं 1963 से लेकर आज तक सरकार से निवेदन करता आ रहा हूँ राज्य सरकार की पूंजी को बचाने के लिए। राजस्थान सरकार का काफी पैसा इसमें लगा हुआ है और यह एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री है। क्यों नहीं राज्य सरकार पैसा ज्यादा लगाकर अपने हाथ में ले लेती है ?

इस कारखाने को शांति प्रसाद जैन ने आलोक को दे रखा है। इतने पैसे वह कांग्रेस के लिये पालिटिक्स पर खर्च करते हैं जिसकी सीमा नहीं। 1970 में सत्तर-अस्सी लाख रुपये सुखाड़िया जी को इसी कारखाने ने दिया है।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इनको तो सुखाड़िया जी ही नजर आते हैं हर बात में।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : जो काम आपने और सुखाड़ियाजी ने मिल कर किये उनको सामने लाकर ही रहूंगा।

मैं सदन के नेता महोदय से बहुत ही नम्रता से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पैसा बचाने के लिये यह फैक्ट्री इसके मालिक से लेकर अपने हाथ में ले।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह नहीं लेंगे।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : क्यों नहीं लेंगे ?

**श्री मूलचन्द डागा** : हार जीत ले लो।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : यह फैक्ट्री वापस चालू हो गई है।

श्री हरिकिशन : हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंत्री महोदय से

(श्री हरिकिशन)
यह निवेदन करूंगा कि इस फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है वह कितना होता है और कहां जाता है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अब फैक्ट्री वापिस चालू कर दी गई है। उसके मैनेजमेंट में काफी परिवर्तन कर दिया गया है। उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें दो प्रतिनिधि भारत सरकार के हैं, दो प्रतिनिधि राज्य सरकार के हैं, दो प्रतिनिधि स्टेट बैंक आफ इन्डिया के हैं, एक भारतीय जीवन बीमा निगम का है। रोजमर्रा का काम देखने के लिये एक उपसमिति बनाई गई है, जिसमें श्री ए. के. राय, श्री बी. के. घोष, स्टेट बैंक आफ इन्डिया के वित्त संचालक श्री ओ. पी. कावड़ा, होल टाइम एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर हैं। यह कम्पनी के उत्पादन के काम को भी देखते हैं। इस तरह से सारे मैनेजमेंट में परिवर्तन किया गया है।

इसके अलावा अगर किसी फैक्ट्री को लेने की कोई बात होती है, तो उसके लिये कानूनी कार्यवाही करनी होती है जो भारत सरकार कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत करती है। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में वार्ता चल रही है। और यह काम भारत सरकार का है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो डाइरेक्टर्स की लिस्ट दी है वह कुल कितने हैं और उनमें से राजस्थान के डाइरेक्टर्स कितने हैं, और भारत सरकार के डाइरेक्टर्स कितने हैं और जीवन बीमा निगम के डाइरेक्टर्स कितने हैं ?

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह नुमाइन्दे जो वहां रखे गये हैं वह सभी नुमाइशी नुमाइन्दे हैं। वैसे भारत सरकार और राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे जनता सरकार के ही हैं। अब दोनों एक ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अलग अलग हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वहां भी जनता पार्टी की सरकार ही है। दो स्टेट बैंक के हैं और दो राजस्थान के हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी लेना चाहता हूं। यह दूसरे माननीय सदस्य बीच-बीच में बोल कर गड़बड़ी पैदा करते हैं। इस तरह यह उस फैक्ट्री के मालिक को बचाने की कोशिश करते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले तो मुझे मंत्री महोदय से यह सूचना दिलाई जाय कि उस फैक्ट्री में कितने डाइरेक्टर टोटल हैं ? इसकी मुझे सूची दी जाय। दूसरी सूचना जो मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि आपातकालीन समय के अन्दर यह फैक्ट्री बहुत अर्से तक बन्द रही जिससे इसके श्रमिकों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरा इसमें आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उस पीरियड का श्रमिकों को पूरा पैसा दिलाया जाय। क्या उनको पैसा दिया गया उस आपात्कालीन समय का या नहीं दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आपात्कालीन समय के पेमेन्ट का जहां तक प्रश्न है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि भारत सरकार से बातचीत

(श्री मूलचन्द डागा)

चल रही है। क्या राजस्थान सरकार ने उसको लिखा है कि इस फैक्ट्री को लिया जाय या नहीं लिखा है ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि उस फैक्ट्री के कल-पुर्जे एक-एक सभी जीवन बीमा निगम के पास गिरवी हैं ?

**श्री विजयेन्द्रपालसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, इस फैक्ट्री में इक्विटी पार्टिसिपेशन का क्या रेश्यो है ? इसमें गवर्नमेंट का कितना है, भारत सरकार का कितना है और स्टेट बैंक का कितना है ? क्या यह जोइन्ट सेक्टर में है या स्टेट सेक्टर में है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि पूरा फैक्ट्री एक्ट ही इसमें आ गया है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसमें भारत सरकार का कितना इन्वेस्टमेन्ट है ? अच्छा होगा, मन्त्री महोदय एक स्टेटमेन्ट सदन में दे दें ताकि जो लोगों को भ्रांतियां हैं वह दूर हो जायं। जब ऐसी स्थिति है कि लोगों को पता तो कुछ है नहीं और तरह तरह के सवाल करते हैं, इस हालत में अच्छा हो कि लोगों को सही स्थिति का पता लग जाय। इसलिए फैक्ट्री के बारे में पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाय।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : हमको आपसे ज्यादा पता है लेकिन बात यह है कि हालांकि मैं सन् 63 से सदन में मांग कर रहा हूं कि इस फैक्ट्री को राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले लेकिन आज तक नहीं ली गई है। उस समय आपके दोस्त गद्दी पर थे और यह सारा घपला बताना नहीं चाहते थे। अब मैं यह मांग करता हूं कि इस फैक्ट्री को सेठों के हाथ से लेकर सरकार खुद चलाये ताकि सेठ लोग अनड्यू फायदा नहीं उठा सकें।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मेरी शुभ कामनायें हैं, ढाबरिया जी, आपके साथ। आप उस फैक्ट्री को अपने हाथ में ले लें।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जवाब दें कि अभी तक क्या कदम इस फैक्ट्री को लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये हैं ? इसके साथ ही जितने पीरियड फैक्ट्री बन्द रही उस समय का पैसा मजदूरों को दिलाया जाय। जो फैसला किया है वह आपने किस आधार पर किया है तथा आप इस फैक्ट्री को कब अपने हाथ में ले रहे हैं ? यह भी बतावें।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के एक माननीय सदस्य कैसे यहां पर घोषणा कर सकते हैं कि राज्य सरकार इस फैक्ट्री को हाथ में ले ?

**श्री मूलचन्द डागा** : कर सकते हैं, यह जनता पार्टी का राज्य हैं, इसमें सब कुछ हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो एक माननीय सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। राय तो कोई भी माननीय सदस्य अपनी सदन में दे सकते हैं।

# Page No 24

(24)



**श्री त्रिलोक चन्द जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री उमराव सिंह ढाबरिया जी ने अभी सदन में प्रश्न उठाया है, जहां तक मजदूरों को फैक्ट्री बन्द रहने के समय का पैसा देने का सवाल है तो जो समझौता हुआ है उसके अनुसार उनका पैसा उन्हें धीरे-धीरे चुकाया जा रहा है। इसी तरह बैंकों को भी पैसा वापस दिया जा रहा है। श्रमिकों को उनका पचास प्रतिशत तो पेमेंट हो चुका है और आगे के लिये जो अनुबन्ध किया हुआ है उसके अनुसार चुकारा किया जायेगा। जहां तक फैक्ट्री को लेने का सवाल है वह ऐसा मामला है जिसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार में बातचीत चल रही है। उसे वापस चलाना है चूंकि उसमें पांच हजार मजदूर हैं। राजस्थान सरकार चाहती है कि इस फैक्ट्री को चलाया जाय। राजस्थान सरकार इसीलिये भारत सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत कर रही है कि इस फैक्ट्री को राजस्थान सरकार टेक ओवर करे, पर यह निर्णय होने का जो प्रश्न है वह भारत सरकार के अधीन है।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि कौन कौन से बैंक के कितने पैसे बकाया हैं ? और यह भी बता दें कि फैक्ट्री की जो लागत है क्या वह बैंक के बकाया पैसों से कम है ? कहीं फैक्ट्री की लागत बैंक जो पैसे मांगती है उससे कम तो नहीं है ? हमारा कितना पैसा है उसमें ?

**श्री त्रिलोक चन्द जैन** : हमारा उसमें 20 प्रतिशत पैसा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब जो स्थगित प्रश्न हैं 12 सितम्बर के वे पूछे जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह।

**आपातकाल में मीसा एवं डी. आई. आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार राजनैतिक बन्दी**

102. **श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपातकाल के दौरान कितने राजनैतिक बन्दी, जो मीसा व डी. आई. आर. के तहत गिरफ्तार हुए थे, माफी मांग कर छूटे ? उनके नाम की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने ऐसे राजनैतिक बन्दी थे जिन्होंने माफी मांगी लेकिन सरकार ने उनकी माफी मन्जूर नहीं की ? उनके नामों की सूची मय उनके पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितने राजनैतिक बन्दी, जो मीसा व डी. आई. आर. में गिरफ्तार किये गये थे, पैरोल पर छोड़े गये तथा वह कितने समय तक पैरोल पर रहे ? उनके नाम की सूची मय पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**गृह मंत्री (श्री केदारनाथ)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इससे सम्बन्धित फाइल श्री कानसिंह जी, जज के पास कई मामलों में हेल्प करने के लिए गयी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर इसको स्थगित किया जाना उचित नहीं है कि फाइल श्री कानसिंह जी के पास गयी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह सूचना सदन को दे दें कि रिकार्ड कब तक आ जायेगा ? जवाब कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्यों को मैंने निवेदन किया है कि संबंधित फाइलें श्री कानसिंह जी, जज के पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस संबंध में कोई ऐसी कार्यवाही करें, जिससे पूरी जानकारी शीघ्रातिशीघ्र मंगवा कर यहां पर प्रस्तुत कर सकें। चाहे आप स्पेशल मेसेन्जर भेज कर जानकारी प्राप्त कर के उत्तर दें।

श्री नवलराय बच्चाणी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसके लिये पहले कोई सूची बनी थी कि मीसा में इन व्यक्तियों को अन्दर रखा जाय और क्या वह सूची केन्द्रीय सरकार के पास से आई थी ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न । श्री गुरुशरण छाबडा ।

### निदेशक, नियोजन सेवा की जन्म तिथि का मामला

110. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मैट्रिक प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री आर. एन. भण्डारी, निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय का जन्म वर्ष 1919 है परन्तु राज्य सरकार ने उनकी प्रार्थना पर मैट्रिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को न मान कर जन्म पत्री के आधार पर उनका जन्म वर्ष सन् 1923 मान लिया ? यदि हां, तो क्या इस मामले के अतिरिक्त राज्य सरकार के ध्यान में और भी कोई ऐसा मामला है जिसमें कर्मचारी की प्रार्थना पर मैट्रिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को अमान्य मानकर जन्म पत्री के आधार पर उसको लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो वे कौन से विशेष कारण थे, जिनकी वजह से इस मामले में ऐसा किया गया ?

नियोजन मंत्री (श्री केदारनाथ) : जी हां, यह सही है कि मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री आर. एन. भण्डारी, निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय का जन्म वर्ष 1919 है। यह गलत है कि राज्य ने उनका जन्म वर्ष 1923 इनकी जन्म पत्री के आधार पर माना है वरन राज्य सरकार ने इनका जन्म वर्ष 1923 इसलिये माना है कि तत्कालीन जोधपुर रियासत के समय में बनाई इनकी सेवा पुस्तिका में जन्म वर्ष 1923 अंकित है। राज्य सरकार के समक्ष ऐसे मामले आते रहते हैं जिनमें कि जन्म तिथि के वर्ष के सम्बन्ध में कोई विवाद हो। किन्तु नियोजन विभाग में ऐसा कोई अन्य मामला इस प्रकार का विचाराधीन नहीं है। किन्तु यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रत्येक मामले में निर्णय राज्य सरकार के नियमों के अधीन ही लिया जाता है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो दिन पहले इस सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक एडीशनल सूचना मिली है, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मिली है उसकी फाइंडिंग्स आयी हैं उनको देखते हुए उनके बेसिस पर उन्हें शो कॉज नोटिस देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है।

(व्यवधान)

# Page No 26

(26)



श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मूल प्रश्नकर्ताप्रश्न करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि जब एन्टी. करप्शन डिपार्टमेन्ट ने उनके घर पर छापा मारा तब क्या वहां पर कुछ ऐसे कागजात या सूचना मिली कि जिसमें श्री आर. एन. भन्डारी के पिताजी ने जब श्री आर. एन. भन्डारी को कक्षा पांचवीं में भर्ती कराया था तब उनकी डेट आफ बर्थ सन् 1919 बतायी ? यदि हां, तो पहले जन्म पत्री के आधार पर उनके सर्विस रिकार्ड में डेट आफ बर्थ कैसे बदलकर 1923 की गयी ? उसके अनुसार अगर यह डेट आफ बर्थ चेन्ज नहीं की जाती तो इनका रिटायरमेन्ट 31–10–74 को होता। लेकिन बाद में कैसे चार वर्ष बढ़ा दिये गये हैं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जोधपुर में सन् 1942 में जब उनकी सर्विस बुक बनी उसमें डेट आफ बर्थ जो है वह सन् 1923 है और मेट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखी है वह सन् 1919 है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैट्रिक के सर्टिफिकेट में सन् 1919 लिखा है, वह सही है।

श्री केदारनाथ : इसीलिये तो शो कॉज नोटिस दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर रियासत के जमाने के सर्विस रिकार्ड में सन् 1923 लिखी हुई है। सन् 1969 में श्री आर. एन. भन्डारी ने इस बारे में रिप्रेजेन्टेशन दिया था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा की सन् 1973 की 28 फरवरी की प्रोसिडिंग्ज में पेज 55 पर है कि श्री आर. एन. भन्डारी की डेट आफ बर्थ जो है वह 13–10–1919 है और उनके रिटायरमेन्ट की एज सन् 13–10–74 को पूरी हो जायेगी। वह 13–10–74 को सेवा निवृत्त हो जायेंगे, जब सन् 1973 में ही यह तय हो गया था तो फिर उसको चेन्ज करने की कार्यवाही कैसे की गयी ? इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 5–6–72 को जब श्री आर. एन भन्डारी ने स्कूटर लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया उसके फार्म के कोलम नम्बर 17 में लिखा है, सेवा निवृत्त कब होंगे ? उसमें अक्टूबर, 1974 दिया है। यह फोटो स्टेट कापी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है। डा. लक्ष्मीमल सिंघवी ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसको मैं पेश कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप चैम्बर में दे दीजियेगा।

(फोटो स्टेट कापी सदन पटल पर रखी गई)।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : प्रार्थना-पत्र में डेट आफ वर्थ 1919 ही लिखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उसको एग्जामिन करेंगे।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दीजिये बोलने के लिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आपको समय दूंगा मैं।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सरदारपुरा मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल से श्री आर. एन. भण्डारी के हाथ से लिखा एक मूल प्रवेश-पत्र तथा स्कोलर रजिस्टर की नकल प्राप्त की थी जिसके अनुसार श्री आर. एन. भण्डारी को सन् 1928 में पांचवीं कक्षा में भर्ती किया था। उसमें जन्म वर्ष 1919 लिखा है। उसके लघु भ्राता शंभूनाथ भंडारी सन् 1929 में भर्ती हुए और जन्म वर्ष 1921 लिखा है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच के अनुसार यह मूल प्रार्थना-पत्र और स्कोलर रजिस्टर की सर्टिफाइड कापी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अब भी उपलब्ध है।

क्या यह बात भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच के अनुसार श्री आर. एन. भण्डारी सन् 1942 से सर्विस में आये और सर्विस के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र में जन्म तिथि 1919 बतायी है ? जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच की थी तब ये कागज सर्विस बुक में थे तो क्या ये कागज अब भी सर्विस बुक में हैं। और, श्रीमान् ...

श्री खेतसिंह राठौड : यह हो गया, शो काज नोटिस दे दिया है।

मेजर श्री फतहसिंह : इस प्रश्न के उत्तर में भूतपूर्व कांग्रेस सरकार का पक्षपात और भाई भतीजावाद निहित है और, श्रीमन्, इस प्रश्न में सरकार की न्यायप्रियता और सरकार की निष्पक्षता भी समाहित है इसलिये सरकार के उत्तर की आवश्यकता है। जब राज्य सरकार के दिनांक 17-1-74 के आदेश के अनुसार श्री आर. एन. भंडारी को 13-10-74 से सेवा निवृत्त करने का आदेश निकलना चाहिये था, उनको 13–10–74 से सेवा से निवृत्त होना चाहिये था उसी दिन पहले के आदेश को क्यों निरस्त किया गया ? यह मामला ऐसा है कि साफ तौर से पक्षपात किया गया है। मैं उत्तर चाहूंगा सरकार से, क्या यह सही है कि श्री डी. एन. भंडारी आई. ए. एस. वर्तमान कलेक्टर कोटा श्री आर. एन. भंडारी के पुत्र हैं ? डा. एल. एम. सिंघवी तत्कालीन एडवोकेट जनरल इनके भाणेज हैं तथा डी. आर. मेहता, जो 1974 में तत्कालीन मुख्य मंत्री के सचिव थे, उस समय मुख्य मंत्री के सचिव थे जब इनका सेवा कार्यकाल बढ़ाया गया था, क्या यह बात भी सही है कि श्री डी. आर. मेहता श्री आर. एन. भंडारी की साली के पुत्र हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने इतने प्रश्न पूछ लिये।

**मेजर श्री फतहसिंह** : और सम्बन्धित प्रश्न हैं, श्रीमन्...

**एक माननीय सदस्य** : हरिदेव जोशी ने यह कार्यकाल बढ़ाया उसको क्यों बचाया गया ?

**मेजर श्री फतहसिंह** : मैं क्षमा चाहता हूं, श्रीमन् । क्या सरकार सारे मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप कर के इसको रिइन्वेस्टीगेट करवायेगी और अधिकारी के खिलाफ चीटिंग और फोर्जरी का मुकदमा दायर करेगी ? यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी, आप पूछिये ।

**श्री विजेन्द्रपाल सिंह** : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जो छोटा भाई है वह क्या बड़ा हो गया ? क्या यह बात सही है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये । इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या यह बात सही है कि श्री आर. एन. भंडारी ने 7-10-1942 के दिन राजकीय सेवा में प्रवेश किया ? क्या उसी दिन सर्टिफिकेट लेकर आये और बताया कि सर्टिफिकेट में आयु गलत लिखी गयी ? और यह आयु दर्ज की गयी ?

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य** : बिलकुल गलत ।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या यह बात सही है कि according to Appointments Deptts. Order No. FA 33 dated 28-4-1958, the correct procedure is that so far as the date of birth is concerned, the entry given in the service book of the Govt. servant should be adhere to और इस पर कई हाई कोर्ट के रूलिंग्स बार बार हो चुकी हैं ? आपकी सरकार ने यह आर्डर दिया है कि सर्विस बुक में जो जन्म तिथि है वह वैधानिक है और कानूनी तरीके से सही है ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिये । मुझे सुनिये ।

इतने सप्लीमेन्ट्री पूछे गये हैं और विस्तृत रूप से चर्चा उठायी गयी है कि माननीय मंत्री महोदय का उत्तर विस्तृत हो सकता है जो कि इस प्रश्न काल में होना संभव नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा अथवा जो भी नियमानुसार इस पर वे चर्चा चाहें उठा सकते हैं, उस पर मैं गौर करूंगा ।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : इसी सत्र में करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आश्वासन तो नहीं देना चाहता ।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिये इसी सत्र में होना चाहिये ।

# Page No 29

(29)



**श्री रतनलाल वर्मा** : यह मामला सदन में बार बार आ चुका है। इसका कुछ न कुछ निपटारा हो जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नियम देख लीजिये। जैसा हो उसको उठा लीजिये।

**श्री रतनलाल वर्मा** : इस पर बार बार चर्चा न हो इसलिये एक दफा चर्चा होकर इसका निपटारा हो जाना चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : इस क्वेश्चन का जवाब पोस्टपोन किया है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : पोस्टपोन नहीं किया है। यदि माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे तो मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन समय को देखते हुए इस पर चर्चा संभव नहीं है।

**श्री रतन लाल वर्मा** : इसकी पुनः जांच करवा ली जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ? अगर आप यह समझते हैं कि इस पर चर्चा में काफी समय लगेगा तो मैंने सुझाव दिया उसका ध्यान रखें।

**श्री केदारनाथ** : आधा घन्टे की चर्चा के लिए तैयार, अब जवाब मांगें तो उसके लिए तैयार और माननीय सदस्य जांच करवाना चाहें तो उसके लिए तैयार, मैं तो सब बातों के लिए तैयार हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि प्रश्न-काल की अवधि को देखते हुए इस पर चर्चा अभी सम्भव नहीं है। नियमानुसार जब मेरे सामने प्रश्न उठाया जायेगा तो मैं जरूर इस पर आधा घन्टे की चर्चा के लिए स्वीकृति दे सकता हूं। लेकिन नियमों के अन्तर्गत ही आप इसकी मांग करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वकीलों को दी गई राशि**

402. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड ने लोक-सभा के मार्च, 1977 के चुनावों के पश्चात् विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में किन किन वकीलों को कितनी कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

**उत्तर**

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड ने मार्च 1977 में श्री महावीर चन्द जी भण्डारी एडवोकेट उच्च न्यायालय, जोधपुर को विभिन्न मण्डी समितियों के 190 निर्णित फैसलों के सम्बन्ध में 12000-00 रुपये तथा श्री शशि-कान्त गुप्ता एडवोकेट, जयपुर को विपणन बोर्ड के कर्मचारियों के वाद के सम्बन्ध में 550-00 रुपये का भुगतान किया है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 8-8-77 को श्री हीरासिंह चौहान एडवोकेट जैतारण को बोर्ड की ब्यावर व बर के बीच में क्षतिग्रस्त

(कृषि मंत्री)
जीप को पुलिस हिरासत से छुड़ाने हेतु मजिस्ट्रेट जैतारण से आदेश प्राप्त करने व ड्राइवर की ओर से पैरवी करने हेतु 375-00 रुपये का भुगतान किया गया।

**सपोटरा पुलिस स्टेशन पर दर्ज मामले**

406. श्री रंगजी (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सपोटरा पुलिस स्टेशन पर केसों के चालान समय पर नहीं होते हैं? 1 जनवरी, 76 से 30 अगस्त, 77 तक कितने केस रजिस्टर हुए तथा कितनों का चालान कितने कितने दिन बाद किया गया?

**उत्तर**

जी नहीं। जनवरी, 1976 से 30 अगस्त, 1977 तक कुल 135 अपराध पंजीबद्ध हुए थे जिनमें से 68 अपराधों का चालान अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है। चालान पेश करने की अवधि संलग्न तालिका में प्रदर्शित है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**झुन्झुनूं के तत्कालीन एस.एच.ओ. के विरुद्ध कार्यवाही**

410. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं के तत्कालीन एस.एच.ओ. श्री रामकुमारसिंह के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्ड नायक, झुन्झुनूं द्वारा डी. आई. आर. के अन्तर्गत सरकार बनाम प्रमोदकुमार आदि अभियोग के निर्णय में (सत्याग्रही) कथित अभियुक्तों श्री बालचन्द ढंढारिया, प्रमोद कुमार तुलस्यान, सुभाषचन्द्र श्यामसरिया, विनोदकुमार राणासरिया को पुलिस हिरासत में बेरहमी से पीटने के सम्बन्ध में कोई स्ट्रक्चर दिये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त माननीय दण्डनायक महोदय ने श्री रामकुमार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये अपने निर्णय में लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या अमल किया गया? यदि अब तक अमल नहीं हुआ तो किस कारण से अमल नहीं किया गया?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त माननीय दण्डनायक के निर्णय के अनुसार कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या कर रही है? क्या अब भी श्री रामकुमार थानेदार ड्यूटी पर हैं? उसको निलम्बित क्यों नहीं किया गया? क्या उसके विरुद्ध अन्य कोई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं? इतना सब होते हुए भी सरकार ने ऐसे कर्मचारी को इतनी छूट क्यों दी?

(4) क्या श्री रामकुमार थानेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और निर्णय कब तक होने की आशा है?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि माननीय मुख्य न्यायिक दण्डनायक झुन्झुनूं ने अपने

(गृह मंत्री)
निर्णय में श्री रामकुमार सिंह भूतपूर्व एस. एच. ओ. झुन्झुनू को उनके विरुद्ध धारा 166 आई.पी.सी. में मुकदमा चलाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया गया था तथा श्री रामकुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषजनक मानते हुए माननीय मुख्य न्यायिक दण्डनायक ने अपने निर्णय में प्रस्तावित कार्यवाही करना उचित नहीं माना व कार्यवाही ड्रा कर दी।

(3) आइटम नं: 2 में उत्तर आ चुका है। यह सही है कि श्री रामकुमार सिंह इस समय ड्यूटी पर है। मुख्य न्यायिक दण्डनायक ने अपना नोटिस वेकट कर दिया इसलिए निलम्बित नहीं किया गया। श्री रामकुमारसिंह के विरुद्ध इस समय एक प्राइवेट इस्तगासा जुडिशियल मजिस्ट्रेट झुन्झुनू के न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। रामकुमार सिंह थानेदार के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मेहता एडवोकेट की धारा 324।323 आई.पी.सी. के अधीन अभियोग चलाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति बाबत प्राप्त हुआ था, जिस पर उचित अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान को भेजा जाकर प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

**ओपियम एक्ट के अन्तर्गत छीपाबडौद थाने में दर्ज मामला**

413. प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सोहन लाल सुनार निवासी सेतकोलू थाना छीपाबड़ौद के खिलाफ 419 ओपियम एक्ट के अनुसार मुकदमा थाना छीपावड़ौद में दर्ज हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमा झूठा बनाया गया था और मुकदमा झूठा दर्ज होने की वजह से यह मुकदमा खारिज हुआ था जिसके कारण अफीम फरियादी को या किसी अन्य व्यक्ति को वापस दिलाई गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि श्री कन्हैया लाल सुनार ने इस बारे में मुख्य मंत्री, कलेक्टर कोटा आदि को दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो वह दरख्वास्तें किसको कब मिलीं तथा इसकी दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री कन्हैया लाल सुनार पर गुना थाना मध्य प्रदेश में भी 419 अफीम एक्ट का मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री कन्हैया लाल सुनार ग्राम सेतकोलू थाना छीपाबड़ौद जिला कोटा ने यह प्रार्थना की थी कि श्री किशोरीलाल दूदानी पी.सी.सी. मेम्बर छीपावडौद ने प्रार्थी से 8,000) रु. रिश्वत के मांगे थे और 8,000) रु. नहीं देने पर ही उक्त केसेज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्ट कर्मचारियों से पुलिस में दर्ज करवाये थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

# Page No 32

(32)



(गृह मंत्री)

(2) तफतीश से मुकदमा मुलजिम के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ। अतः एफ. आर. अदम वकुआ की गई। एम जे.एम. के आदेश से जब्तशुदा अफीम को राम प्रताप, मालिक अफीम को दी गई।

(3) अवधि न दर्शाने की वजह से दरख्वास्तें मिल नहीं सकी हैं।

(4) जी हां। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

**गंगानगर जिले की ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव**

414. श्री **श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल के दौरान गंगानगर जिले में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हुये हैं? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन चुनावों में भी बहुत अनियमितताएं हुईं व इमर्जेंसी का दुरुपयोग हुआ?

(3) क्या राज्य सरकार नगर–पालिकाओं की तरह सहकारी समितियों का भी दुबारा चुनाव कराने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) आपातकाल के दौरान गंगानगर जिले में कुल 19 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग के पास पक्का साला ग्राम सेवा सहकारी समिति, बड बिरान ग्राम सेवा सहकारी समिति के आर्बीट्रेशन के लिये प्रस्तुत हुए हैं।

(3) सहकारी समितियों के निर्वाचन उनके उप-नियमों में निर्धारित अवधि के लिए होते हैं अतः अवधि की समाप्ति से पूर्व दुबारा निर्वाचन कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**सिरोही एवं शिवगंज तहसील के गांवों में विद्युतीकरण**

1. श्री **रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही एवं शिवगंज तहसील (जिला) सिरोही के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है?

(2) जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है वहां के कितने लोगों के आवेदन-पत्र मोटर (घरेलू) व काश्त के पेन्डिंग हैं?

(3) क्या बाकी के गांवों के लिये, जिनकी कृषि में उपयोगिता है; के लिये विद्युतीकरण की योजना है? यदि हां, तो मेड़ा कृष्ण गंज, वेलागिरी, लास, झाड़ोली, मणादर आदि गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जावेगा?

उत्तर

(1) सिरोही व शिवगंज तहसील जिला सिरोही विद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'अ', 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन तहसीलों के विद्युतीकृत ग्रामों में विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या सूची 'सी' व 'डी' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। ग्राम लास, भाड़ोली, मणादर, शिवगंज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में सम्मिलित हैं जिनका विद्युतीकरण योजना के अनुसार इसी वर्ष में प्रस्तावित है। प्रश्न में वर्णित अन्य ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

**ग्राम देवरिया में अतिवृष्टि से क्षति**

2. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ और गांव के पास खींचानाड़ा के कारण ग्राम रास्ते व तालाब व बीच का खुर्रा धंस जाने से गांव को खतरा पैदा हो गया है?

(2) क्या राज्य सरकार खींचानाड़े के रास्ते को ऊंचा बनाने व नाली बनाने व तालाब, पिचका, सहकारी गोदाम व स्कूल के बचाव हेतु खुर्रा पक्का बनवाने का कार्य गांवों के बचाव हेतु आवश्यक समझती है?

(3) यदि हां, तो इन कार्यों हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और यह कार्य किस प्रकार कब तक सम्पन्न करवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) यह सही है कि गांव देवरिया तहसील जैतारण के पास खींचानाड़ा के कारण ग्राम रास्ता और तालाब के बीच का रास्ता अतिवृष्टि से खुर्रा धंस जाने के कारण खराब हो गया है।

(2) सड़क को ऊंची बनवाने पर लगभग 30 हजार रुपये तथा खुर्रा पक्का बनवाने पर 40 हजार रुपये की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में अभी जिलाधीश का विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधीश से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लालसोट में दिये गये कनेक्शन**

3. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जनवरी, 77 तक जिन लोगों ने एल. फार्म ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लालसोट में दे रखे थे उन्हें प्राथमिकता से कनेक्शन दिये हैं? यदि हां,

(श्री कुंजीलाल)

तो क्यों ? यदि नहीं, तो निम्न सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

(1) 1 जनवरी, 77 तक कार्यालय में प्राप्त एल. फार्मों की सूची

(2) प्राप्त होने की तारीख

(3) लाइन खेंचे जाने की तारीख

(4) कनेक्शन देने की तारीख

(5) अब तक जिनको कनेक्शन दिया उसके कारण

(6) शेष लोगों को कनेक्शन कब दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**आकालो ग्राम में पशु चिकित्सालय**

4. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर डिवीजन में इस वर्ष कौन कौन सी तहसीलों में पशु चिकित्सालय खोलने की राज्य सरकार की योजना है ?

(2) पशु चिकित्सालय खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार कपासन तहसील में आकालो नाम का जो बहुत पुराना और बड़ा गांव है वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन में सम्भावित खोले जाने वाले पशु औषधालयों की संख्या एवम् स्थानों का चयन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) नये पशु चिकित्सालय एवम् औषधालय खोलने सम्बन्धी शासन द्वारा अब निम्न नीति निर्धारित की है :—

(क) नये चयनित स्थान की करीब 13 किलोमीटर की परिधि में दूसरा पशु चिकित्सालय न हो।

(ख) चयनित गांव की आबादी करीब 2,000 या अधिक की हो।

(ग) चयनित गांव की जनता द्वारा निःशुल्क भवन व्यवस्था हो।

इनके अलावा सर्वोपरि बिन्दु यह होगा कि प्रति जिला पशुधन संख्या के आधार पर लगभग एक लाख पशुधन पर एक पशु चिकित्सालय हो।

(3) तहसील कपासन के ग्राम आकालो में पशु चिकित्सालय खोलना इस वर्ष सम्भव नहीं है। न ही ग्रामवासियों की तरफ से मांग ही प्राप्त हुई है।

**ग्राम फीला में बिजली के कनेक्शन**

5. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील के गांव फीला में बिजली है और कुओं

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

पर भी कनेक्शन हैं तथा सरपंच के घर के पास पास ही घरों में बिजली दे रखी है और पास में 200 घर भी हैं जिनमें 30-40 लोग अपने घरों में बिजली लेने को तैयार हैं फिर भी विद्युत् मण्डल बिजली के खम्भे सारे गांव में नहीं लगा रहा है और गरीब किसानों की सुनवाई नहीं करता ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामवासियों के घरों में बिजली देने हेतु सारे गांव में बिजली के खम्भे लगवाने का विचार रखती है ?

(2) उक्त गांव में कितने खम्भे लगाने से सारे गांव में बिजली मिल जावेगी तथा यह कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। गिरवा तहसील का ग्राम फीला विद्युतीकृत है और इसमें कुए व घरों के कनेक्शन भी हैं। वर्ष 1973 के पश्चात् कोई प्रार्थना-पत्र घरेलू बिजली कनेक्शन के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस समय घरेलू कनेक्शनों के लिये कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। ऐसे कनेक्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही और कनेक्शन देने पर विचार किया जा सकता है और इन कनेक्शनों की आर्थिक एवं तकनीकी साध्यता की जांच की जा सकती है।

(2) गांव में कितने खम्भे और लगाने पड़ेंगे यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के बाद ही मालूम किया जा सकता है।

## कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दैनिक भत्तों में बढ़ोत्तरी

6. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा चुनावों के पश्चात् विद्युत् विभाग के छोटे से लेकर उच्च अधिकारी तक के दैनिक भत्तों (डेली अलाउन्स) में भारी वढ़ोत्तरी की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि छोटे कर्मचारियों के मुकाबले उच्च अधिकारियों ने 1–20 व 1–25 के अनुपात से दैनिक भत्ता बढ़ाया है ? यदि हां, तो कितना ? कृपया पूर्ण सूची सभी कर्मचारियों के वर्गानुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा चुनाव के पश्चात् राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में अधिकारियों के दैनिक भत्तों (डेली अलाउन्सेज) में कोई वढ़ोत्तरी नहीं की गई।

(2) प्रश्न के भाग दो का उत्तर, प्रश्न के प्रथम भाग में आ चुका है।

## भाट कैनाल का कार्य

7. श्री भाव जी (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भाट कैनाल जो वाया थड़ा-मल्लाड़ा-बड़ा वली-इटाडी-पाल इटालीखेडा जाती है ? उसका पानी झरने द्वारा रास्ते में ही समाप्त हो जाता है और

(श्री माव जी)
काश्तकारों को सिंचाई के लिये नहीं मिल पाता है ?

(2) क्या सरकार इस कैनाल को पक्का करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या ग्राम टोडा होकर भाट कैनाल की उप शाखा अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र पूर्ण करवायेगी ?

(4) क्या ममरिया तालाब से वस्सी डाल से जो धोरा जलारा जाता है उसमें भी झरने द्वारा काफी पानी व्यर्थ जाता है ? क्या सरकार उसे पक्का बनाने की तरफ ध्यान देगी ? उसकी उपशाखायें लपाका भेई जाती हैं ? क्या सरकार उसे ऊपर की तरफ निकाल कर पक्का बनायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। काश्तकारों को पर्याप्त पानी मिल जाता है।

(2) नहरों को पक्का कराने का विभाग द्वारा एक क्रमबद्ध कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है इस नहर को पक्का इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कालान्तर में कर दिया जावेगा।

(3) टोडा माइनर स्वीकृति के अनुसार पूरी बनी हुई है।

(4) उपरोक्त (2) के अनुसार।

किशनगंज तहसील के ग्रामों में रहने वाले शरणार्थी

8. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):— क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाटाई कालोनी, घट्टी, पदानिया, नाहरगढ़ किशनगंज तहसील जिला कोटा में हजारों शरणार्थियों को अमानवीय स्थितियों में जीने को बाध्य किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि नाटाई कालोनी अकेली में इलाज के अभाव में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि शरणार्थियों के पुनर्वास, कृषि भूमि, आवास व चिकित्सा, शिक्षा, नौकरी आदि का आश्वासन पूरा नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रत्येक परिवार को 4 एकड़ भूमि कृषि योग्य और आवास योग्य पक्का मकान आवंटित कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि पटवारी लोग मनमानी कर उक्त विस्थापितों को तंग कर रहे हैं और इन्हें अनुपयोगी पठारी भूमि नहर से बहुत दूर पथरीली भूमि दे दी गई जिसके लिये मना करने पर इन लोगों को 36 परिवारों का ढोल (राशन) बन्द कर दिया और स्थानीय लोगों ने जमीनें स्वयं हथिया ली हैं और मारने-पीटने पर आमादा हैं ?

(6) क्या इन शरणार्थियों को नाटाई और नाहरगढ़ में मकान दे दिये गये हैं ?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(7) क्या यह सही है कि इनको मकान तो क्या मकानों के भू-खण्ड भी नहीं दिये गये हैं ? जिन तम्बुओं और टाटों में यह रह रहे हैं, वहां बाढ़ और अति वर्षा क्या रोकी गई है ?

(8) क्या यह सही है कि केवल नाटाई कालोनी के 250 परिवारों में से 29-10-76 से 8-8-77 तक 42 व्यक्तियों की बिना चिकित्सा और औषधि के अभाव में मृत्यु हुई है ?

(9) क्या यहां पर विद्यालय और पेय-जल की व्यवस्था की गई है ?

(10) क्या यह सही है कि वर्षा काल में इन्हें राशन भी नहीं दिया गया है ?

(11) क्या इन्हें 1976 में एक बार दिये जाने वाले वस्त्र दिये गये और 1977 में अभी कुछ नहीं मिला है ?

(12) क्या यह सही है कि कम्बल और चांवलों के बोरे इन्हें नहीं देकर ब्लैक में बेचे गये हैं ?

(13) क्या यह सही है कि समाज सेवियों के बार-बार आग्रह करने पर भी इन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये हैं ? इन कालोनी वालों को वोट देने का अधिकार कब से दिया जावेगा ?

(14) चालू वित्तीय वर्ष में इन लोगों के आवासीय सुख सुविधाओं के लिए कितना धन किन-किन मदों में खर्च होगा ?

(15) पुनर्वास विभाग द्वारा व्यवसाय योजना के तहत नवयुवकों के लिये कौन कौन से प्रोजेक्ट हाथ में लिये गये हैं ? इन लोगों के घरों में विद्युतीकरण की क्या व्यवस्था है और कब तक इन्हें बिजली मिल पायेगी ?

इन लोगों के कैम्पों में शौचालयों, स्नानगृह, खेल के मैदान और पूजा स्थल की भी क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो वह कब तक सम्भव हो सकेगी ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) इन विस्थापित परिवारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड से सुविधाएं दी जाती हैं । राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(4) जी नहीं । केवल कुछ ही परिवारों को 4 एकड़ भूमि आवंटित की जा सकी है तथा शेष प्लाट काटे जा रहे हैं । मकान अभी निर्माणाधीन हैं । निर्माण होने के पश्चात् ही मकानों का आवंटन किया जायेगा ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

(7) तम्बू दिये गये हैं ।

(8) जी नहीं ।

(9) जी हां ।

(10) जी नहीं ।

(पुनर्वास मंत्री)

(11) जी हां।

(12) जी नहीं।

(13) नागरिकता देने के लिये निर्धारित प्रपत्र भरवाये जा रहे हैं।

(14) चालू वित्तीय वर्ष में विस्थापितों को आवासीय सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 12,05,838/-की राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है।

(15) केवल नवयुवकों के लिये ही कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिये गये हैं। व्यवसायिक योजना में बसाये गये विस्थापितों के घरों में बिजली की फिटिंग आदि मौजूद है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मापदण्ड में इन सुविधाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

**सांचौर क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव**

9. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में काफी ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों के चुनाव काफी अर्से से ओवरड्यू हो चुके हैं? अगर हां, तो कौन कौन सी समिति के चुनाव कब-कब ड्यू हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ओवर ड्यू समितियों के चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे?

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी सहकारी समितियां गठित हैं? उनमें से कितनी कार्यशील एवं कितनी डिफंक्ट कब से हैं? उन समितियों को कार्यशील कब तक बनवा दिया जावेगा?

(4) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियों में 1/3 हिस्से तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों की सदस्यता कब तक पूरी कर ली जावेगी? क्या समितियों की प्रबन्ध समितियों में भी 1/3 हिस्से तक सदस्य रखने का सरकार का विचार है? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति क्षेत्र, सांचौर में 34 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव अब तक ड्यू हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सहकारी समितियों में निर्वाचन कराये जाने संबंधी मामला विचाराधीन है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 86 सहकारी समितियां हैं जिनमें से 47 सहकारी समितियां कार्यशील हैं, 22 सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं और 17 सहकारी समितियां अवसायन में हैं। कृषि ऋणदात्री समितियों को तो ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने बाबत प्रयत्न किये जा रहे हैं। शेष सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने बाबत विभागीय स्तर पर कोई रुकावटें नहीं हैं। समितियों के सदस्यों पर ही इनसे लाभान्वित होना निर्भर करता है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) सहकारी समितियां अधिनियमानुसार अनुसूचित व जन जातियों को 1/3 सदस्यता होने बावत कोई प्रावधान नहीं है। समितियों के निर्वाचन होने पर दुर्बल वर्ग के 1/3 सदस्यों का प्रबन्ध समितियों पर प्रावधान पूर्ण करा दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

### भूमि विकास बैंक, हिन्डौन

10. श्री उमरावसिंह (महुवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 में भूमि विकास बैंक हिन्डौन द्वारा डीलरों से साठ-गांठ करके ग्राम बुगडार, गढ़ी का गांव एवं मण्डरायल, तहसील करौली तथा ग्राम मुन्डापुरा, तहसील हिन्डौन में बिना पम्प सैट व अन्य सामान सप्लाई हुए ही कृषकों को ऋण का भुगतान किया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(2) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, हिन्डौन द्वारा ग्राम मसाबता व इनायती तहसील सपोटरा में बिना विद्युत् कनेक्शन हुए एवं समस्त सामान पहुंचे ही डीलरों से सांठ-गांठ करके ऋण का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, हिन्डौन द्वारा राजौर धान्धुपुरा, करौली महु में आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 में कृषकों को पुराने व कम हार्स-पावर के पम्प सैट सप्लाई हुए तथा डीलरों से सांठ-गांठ कर ऋण राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसमें सचिव का रिश्तेदार भी शामिल था? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(4) उक्त मामलों के सम्बन्ध में कृषकों के तथा उक्त बैंक के कार्य क्षेत्र तीन विधायकों के बार-बार शिकायत करने के बाद अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) इस विषय की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है।

(2) इस विषय की शिकायत प्राप्त हुई है जिनकी जांच कराई जा रही है।

(3) इस विषय की शिकायत प्राप्त हुई है जिनकी जांच कराई जा रही है।

(4) इस विषय की शिकायत प्राप्त हुई है जिनकी जांच कराई जा रही है।

### क्रय विक्रय सहकारी समिति, निम्बाहेड़ा की आडिट रिपोर्ट

11. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 70 से 73 में पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

निम्बाहेड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 70 से 73 तक 6 व्यक्तियों को 1,84,482-74 रुपये के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सूची संलग्न है। संलग्न सूची में अंकित मामलों में से 7 मामलों में जांच पूर्ण की जा चुकी है व एक मामले में श्री चुन्नीभाई पटेल भूतपूर्व अध्यक्ष एवं श्री किशनलाल भूतपूर्व व्यवस्थापक जिनके 86,690-32 रुपयों के लिए जिम्मेदार राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। दिनांक 2-6-77 को श्री किशनलाल भूतपूर्व व्यवस्थापक से 30,000 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सहकारी शुगर मिल्स, केशोराय पाटन

13. श्री गोपाल पचेरवाल (केशोराय पाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तमोलियान संयुक्त समिति, लाखेरी, जिला बून्दी, केवल पान के उद्योग के लिए बनाई गई थी? क्या वर्तमान में वह समिति पान का धन्धा करती है? यदि नहीं, तो कौनसा धन्धा करती है?

(2) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेंट बहुधन्धीय सहकारी समिति के संचालन मण्डल को अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से भंग कर दिया था? यदि हां, तो उनके आचरणों की जांच हुई या नहीं?

(3) क्या आपातकाल में सहकारी शुगर मिल्स केशोरायपाटन द्वारा परिवार नियोजन शिविर लगाया गया था? यदि हां, तो कितनी बार किस-किस तिथि को?

(4) क्या यह सही है कि उक्त शिविर का समस्त खर्चा मिल के कोष से किया गया? यदि हां, तो कितने केस पर कितनी राशि खर्च की गई?

(5) क्या यह सही है कि शिविर में खर्च की गई राशि की स्वीकृति प्रबन्धक मंडल से ली गई थी? यदि हां, तो शिविर से पूर्व अथवा बाद में? शिविर में खर्च की गई राशि क्या वैधानिक है?

(6) क्या यह सही है कि एस. सी. पगोरिया, मैनेजिंग डायरेक्टर सहकारी शुगर मिल्स, केशोराय पाटन जिला बून्दी के पुत्र के नाम से ग्राम बन्यली में शुगर मिल है? यदि हां, तो उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है?

उत्तर

(1) जी हां। बून्दी जिले में लाखेरी ग्राम में तमोलियान संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम से पंजीयन संख्या 5554 से दिनांक 28-2-68 को पान की खेती के उद्देश्य से गठित की गई थी किन्तु कुछ वर्षों तक पान का कार्य करने के पश्चात् धन के अभाव में इस समिति के पान उत्पादन का कार्य बन्द कर दिया है। वर्तमान में समिति के सदस्य अपनी-अपनी भूमि पर रबी व खरीफ की फसल का उत्पादन कर रहे हैं।

(2) लाखेरी सीमेंट वर्क्स बहुधन्धी सहकारी समिति के संचालन मंडल द्वारा की

(सहकारिता मंत्री)

गई अनियमितताओं के कारण राजस्थान सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1965 की धारा 36 (2) के अन्तर्गत संचालक मंडल भंग कर आदेश क्रमांक 921–27 दिनांक 17–2–77 से समिति में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, जिससे समिति के कार्य में सुधार लाया जाकर समिति की अनियमितताओं को दूर किया जा रहा है। संचालक मंडल के दोषी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं। आपातकाल के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 7 अक्टूम्बर, 1976 से 15 अक्टूम्बर, 1976 तक परिवार नियोजन शिविर केशोराय पाटन में लगाया गया था।

(4) जी नहीं। अलबत्ता जिलाधीश बूंदी के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि के अतिरिक्त मिल ने भी आंशिक खर्चा वहन किया प्रत्येक केस पर निम्न अंशदान रहा था :—

शिविर में कुल 754 पुरुष नसबंदी व 28 स्त्री नसबन्दी के केस हुए थे। जिस पर मिल द्वारा 31,354–12 रुपये व्यय किया गया।

व्यय की स्वीकृति शिविर की समाप्ति के पश्चात् संचालक मंडल से ली गई थी।

(5) शिविर में दी गई राशि राज्य सरकार की तत्कालीन नीति के अनुकूल है। किन्तु इसकी वैधानिकता की जांच की जा रही है।

(6) जी नहीं। श्री एस.सी. पंगोरिया प्रबन्ध संचालक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. के पुत्र के नाम से ग्राम बन्थली में कोई शुगर मिल नहीं है।

### सिरोही जिले की सहकारी समितियां

14. श्री अलदाराम मीणा (पिंडवाड़ा):– क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले में किस-किस गांव की सहकारी समितियों को इस वर्ष फसल के लिए कितने कर्जे दिये जा रहे हैं, या दिये जा चुके हैं जिसमें कितने लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ?

(2) सिरोही जिले में किस-किस गांव में बकाया (ओवर ड्यू) है ? इसके क्या कारण हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सिरोही जिले में भूमि विकास बैंक, पिंडवाड़ा का आफिस सिरोही में क्यों है ? पिन्डवाड़े में क्यों नहीं रहता जब कि एक काश्तकार को छः बार सिरोही जाना पड़ता है।

(4) सिरोही जिले में कितनी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी हैं, और किस-किस ग्राम की समितियों को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितना ऋण मिला है, बाकी का क्या हुआ इस बारे में इतनी धीमी प्रगति क्यों है ?

(5) क्रय विक्रय सहकारी समिति, सरूपगंज तथा आबूरोड की इस समय क्या स्थिति है ?

Page No 42

(42)



उत्तर

(1) चालू सहकारी वर्ष 77–78 में 46 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 12, 17,300–83 रु. के ऋण दिये जा चुके हैं। इस ऋण में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के 1799 लोगों को 5,99,976–60 रुपये के ऋण दिये गये हैं। समितियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम वार ओवर ड्यू की सूची नहीं रखी जाती। जिले के 61 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में 15–9–77 तक 44,09,387–83 लाख रुपये की अवधिपार ऋण बकाया है। दोषी समितियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अवधिपार ऋण फसलें कमजोर होने के कारण बकाया रहे हैं।

(3) सिरोही जिले में भूमि विकास बैंक की शाखा पिंडवाड़ा का कार्यालय सिरोही में ही है, लघु सिंचाई योजना, पिंडवाड़ा का कार्यालय भी सिरोही में ही है। दोनों कार्यालयों में समन्वय की दृष्टि से शाखा कार्यालय भी सिरोही में ही रखा गया है।

(4) सिरोही जिले में कुल 17 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। ऐसी समितियों की सूची जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया है एवं जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने-कितने लोगों को ऋण स्वीकृत हुआ है, संलग्न हैं।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर के पास धन अभाव के कारण इस समिति के संचालक मंडल ने दिनांक 14-9-75 के निर्णय से ऐसी समितियों, जिन्हें ऋण की कोई पूरी किश्त नहीं दी गई है, ऋणों के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसी समितियों को ऋण भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

मंडल के निर्णय दिनांक 18–2–77 द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में उपरोक्त शेष समितियों के कोई ऋण प्रार्थना-पत्र राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर के पास विचाराधीन नहीं हैं।

(5) सरूपगंज कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं आबूरोड कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जिला सिरोही सुचारु-रूप से कार्य कर रही हैं। जिन्हें वर्ष 76–77 में क्रमशः 2,665–15 रुपया एवं 12,762–93 रुपया का शुद्ध लाभ रहा है। उक्त दोनों समितियां खाद, कीट नाशक, औषधियां, बीज नियंत्रित एवं अन्य वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

### उदयपुर में बनने वाली दवाई

15. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आयुर्वेद की दवाएं राज्य में कहां-कहां बनती हैं और किस-किस सरकारी औषधालय या कारखाने में बनाई जाती हैं? वहां पर राज्य सरकार की सालाना कितनी

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)
रकम खर्च हो रही है और नई दवाइयों की देख-रेख कौन कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में दवाइयां बनाने का स्थान गुलाब बाग के पास औषखाने की बावड़ी नाम के स्थान पर है ? अगर हां, तो वहां पर क्या क्या बनाया जाता है ?

(3) आयुर्वेद की दवाई कितने समय में खराब हो जाती है ? खराब होने पर क्या उनको नष्ट करना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि उन्हीं पुरानी दवाइयों को नष्ट न करके हास्पीटल में काम में लाया जाता है ?

उत्तर

(1) केवल अजमेर, भरतपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में संचालित राजकीय रसायन शालाओं में औषधियों का निर्माण होता है। औषधियों के निर्माण हेतु वर्ष 76-77 के लिये 56.22 लाख रुपये तथा वर्ष 77-78 के लिये 66.29 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं। नवीन दवाओं के निर्माण की देख-रेख व्यवस्थापक एवं प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। रसायनशाला उदयपुर में निर्मित होने वाली औषधियों की सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(3) आयुर्वेद की दवाइयां इस रसायन, भस्में खराब नहीं होती हैं, काष्ठौषधियों में कतिपय औषधियां एक वर्ष बाद हीन वीर्य हो जाती हैं सब ही खराब नहीं होती हैं। खराब होने पर उनको नष्ट करना पड़ता है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

### बाड़मेर–बालोतरा–गुढ़ामालानी मार्ग पर निगम की बसें

16. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर एवं बालोतरा से गुढ़ामालानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कोई बस नहीं चल रही है तथा सिणधि-गुढ़ामालानी-राम जी का गोल रूट (मार्ग) का अभी राष्ट्रीयकरण भी नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि परिवहन निगम ने गुढ़ामालानी को निगम की बसों से जोड़ने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो अब क्या स्थिति है और गुढ़ामालानी को निगम की बसों से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा सिधरी से गांधव वाया गुढ़ा-राम जी का गोल मार्ग की ड्राफ्ट स्कीम दिनांक 30-11-76 को प्रकाशित कर दी गई है।

(2) इस योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति-पत्रों की सुनवाई जोइंट लीगल रिमेम्ब्रेंसर द्वारा की जा रही है। ड्राफ्ट स्कीम

[redacted]

५५



(यातायात मंत्री)
के अनुमोदित होने पर इस मार्ग पर निगम द्वारा वाहन संचालन संभव होगा।

**उदयपुर फतेहगढ़ वाया कोरकी चौकी थाना आकोला मार्ग पर निगम की बस**

18. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)**: क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उदयपुर से फतेहगढ़ वाया कोरकी चौकी थाना आकोला मार्ग का राज्य परिवहन को गाड़ी चलाने का परमिट मिला है? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक बस चलाई जावेगी?

(2) इस वर्ष में नयी बसें राज्य सरकार द्वारा उदयपुर डिवीजन में कहां कहां चलाई जावेंगी या चलाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) उदयपुर फतेहगढ़ नाम से कोई मार्ग नहीं है, परन्तु उदयपुर फतेहनगर वाया देवारी, डबोक भटेवर, वल्लभनगर, आकोल मार्ग है। इस मार्ग पर निगम को चार अस्थाई अनुज्ञा-पत्र दिनांक 17-5-77 को स्वीकृत किये गये थे परन्तु वर्षा ऋतु के कारण इस मार्ग पर, जो कई जगह कच्चा है व कई नदी नालों पर, पुल नहीं है, वाहन संचालन होना संभव नहीं हो पाया है। अब मार्ग के ठीक होने पर ही वाहन संचालन किया जा सकेगा।

(2) वर्ष 1977-78 में उदयपुर डिवीजन में जिन नये मार्गों पर बसें चलाने का प्रस्ताव है वे निम्न हैं:–

1. उदयपुर-कोटड़ा।

2. ब्यावर-भीलवाड़ा वाया बदनोर, आसींद, सरेडी मांडल।

3. भीलवाड़ा-देवली वाया शाहपुरा, जहाजपुर।

4. उदयपुर-बड़ी सादड़ी वाया डबोक भटेवर, भिण्डर।

चित्तौड़-बडी सादड़ी वाया मांगरोल निम्बाहेड़ा।

चित्तौड़-छोटी सादड़ी वाया मांगरोल निम्बाहेड़ा।

उदयपुर-फतेहनगर वाया देवारी, भटेवर, आकोला, भोपालनगर।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री मूलचन्द डागा**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वेक्सीनेटर्स का सवाल उठाया था। कैलाश और मोतीलाल नाम के व्यक्ति चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज बीस दिनों से उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। राजस्थान पत्रिका में निकला है, जब वह चिकित्सा मंत्री से मिलने गये तो उन्होंने जो व्यवहार किया उसका वर्णन अखबारों में निकला है, मैं नहीं चाहता कि सदन में मैं उसको लाऊं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे निवेदन करना है····

श्री मूलचन्द डागा : सदन की कार्यवाही कितने दिनों से चल रही है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। जो कार्यसूची है उसको भी आप देखिये, शोकाभिव्यक्ति का विषय है। मैं चाहूंगा कि आप स्थगन प्रस्तावों के बारे में चर्चा करें उसके पहले जो अजेन्डा में कार्यक्रम रखा है उसके अनुसार चलें।

श्री किशनसिंह बाटड़, सदस्य, द्वितीय एवं तृतीय विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा।

### शोकाभिव्यक्ति

### भूतपूर्व सदस्य श्री किशनसिंह बाटड़ के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री किशनसिंह बाटड़ द्वितीय एवं तृतीय विधान सभा के सदस्य सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस दल के टिकट पर चुने गये। श्री बाटड़ का जन्म सीकर जिले के बाटड़ानाऊ नामक ग्राम में हुआ एवं उन्होंने हिन्दी का साधारण ज्ञान भी प्राप्त किया।

श्री बाटड़ स्वतंत्रता संग्राम में प्रारम्भ से ही भाग लेते रहे। वे सीकर जिले के प्रजामण्डल में जिला वर्किंग कमेटी के सदस्य व मंत्री रहे। जब प्रजामण्डल का विलय कांग्रेस में हो गया तब जिला सीकर की कांग्रेस कमेटी में भी सदस्य रहे।

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के साथ साथ ही आपने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का भी भरसक प्रयास किया। बाल विवाह और मृत्यु भोज को बन्द करने का हमेशा भरसक प्रयत्न करते रहे।

श्री बाटड़ का निधन 17–9–77 को हुआ।

मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की)

### स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, वेक्सीनेटर 20 दिनों से बराबर हड़ताल पर हैं और क्रमिक हड़ताल पर हैं। 5 रोज से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सब मंत्री लोग उधर से गुजरते हैं। चिकित्सा मंत्रीजी ने जो व्यवहार किया वह पत्रों में निकला है। वह बहुत निन्दनीय है। जब कि सदन की बैठक चल रही है तब भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो और सत्र खतम हो जाये तो हम अपने कर्त्तव्यों को फिर कैसे यहां पर निभायेंगे ?

### स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह मैंने राज्य सरकार के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है। मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था देना चाहता हूँ कि राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)
वेस्मोनेटर्स कर्मचारी संघ द्वारा गत 17 दिनों से चलाये जा रहे आन्दोलन तथा क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में आपके स्थगन प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जायेगा।

### स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान चिकित्सा मंत्रीजी यहां बैठे हैं और मुख्य मंत्रीजी भी हैं। वह लोग आमरण अनशन पर हैं। मंत्री महोदय कल स्टेटमेंट दे दें और समझौता कर लें, हम तो यह चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चार अधिकारी हैं। मैंने भी अर्ज किया था और आपने भी कहा था कि मैं उनसे मिलूंगा। वह मिलने गये तो उसका क्या हुआ, इस सम्बन्ध में हम पूछना चाहते हैं। अगर मिल लिए तो उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अगर कोई वार्तालाप मंत्री महोदय से की है, वह इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं तो वह दे भी सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जानकारी देने के लिए फर्मा दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हमारे मंत्रीगण समस्याओं को सुलझाने के बजाय समस्याओं से भाग रहे हैं। हम जो भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखते हैं, अलवर के अन्दर विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही है पी. एम. टी. की सीटों को लेकर और अभी शिक्षकों की हड़ताल भी है, और विश्वविद्यालय वाले शिक्षा मंत्री महोदय के सामने बैठे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों पर वक्तव्य क्यों नहीं दिया जाता है ?

(व्यवधान)

श्री रतनाराम : इसलिए कई लोगों में असंतोष है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करते हैं अगर उनका जवाब नहीं देंगे और इस तरह समस्याओं से भागेंगे तो फिर इसका क्या मतलब रह जायेगा ? पांच छः रोज से आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रहे हैं। किसी का भी जवाब मंत्री महोदय देना नहीं चाहते और समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये गये हैं उनका जवाब दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब विधान सभा में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
आ रहा था तो गुलाबपुरा से दो आदमी आ रहे थे...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास आपका प्रस्ताव आया नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने कहा था कि हुरड़ा पंचायत समिति में···

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी मेरे चैम्बर में दे दीजिये। इस स्टेज पर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के बाहर एग्रीकल्चर कालेज, उदयपुर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 सितम्बर को छात्रों के एक समूह ने उनकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की। एग्रीकल्चर कालेज, उदयपुर में पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों के विद्यार्थी आते हैं, किसी जिले से 2 विद्यार्थी, किसी जिले से 4 और किसी जिले से 5 विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं। एक गुट विशेष बनाकर उदयपुर, यूनिवर्सिटी के कैम्पस के अन्दर उनके साथ मारपीट की है। वहां भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। आज पुलिस की भी डिमाण्ड है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी अपनी स्टडी को पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकते, भय और आतंक होने की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर सकते और भयभीत होकर इधर-उधर मारे हुए फिरते हैं। राज्य सरकार का यह फर्ज है, जिसके लिये अभी कहा जा रहा था कि यह बड़ी न्यायप्रिय और पक्षपात रहित कार्य करने वाली जनता सरकार है तो मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बिगड़ती हुई लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है, अलग अलग कालेजेज और यूनिवर्सिटी के कैम्पस के संबंध में पहले भी यहां चर्चा हुई है हम इसे किसी पार्टी विशेष का इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कालेज कैम्पस में शांति का वातावरण रहे और जो भी कानून हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का एक शिष्ट मण्डल कल गृह मंत्री जी से मिला है। मैं यह मानता हूं कि गृह मंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए थी। हो सकता है कि उनकी बात हुई हो और उन्होंने कोई न कोई कार्यवाही की हो। अगर कार्यवाही नहीं की है तो कोई स्ट्रिन्जेन्ट मेजर्स और कोई सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि उन लड़कों को विश्वास हो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने में कोई इन्टरफियरेन्स या मारपीट या आतंक नहीं होगा और वह निश्चित होकर अपना पठन पाठन कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसरामजी, आपसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में सदन के सामने कोई प्रस्ताव के रूप में बात नहीं रखी गई है फिर भी माननीय मंत्री महोदय महसूस करें कि प्रश्न महत्व का है, और जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) आज पुलिस की डिमाण्ड है। मैं इसका उत्तर दे दूंगा

**श्री परसराम मदेरणा** : आज उत्तर के लिए निश्चित रूप से नहीं कहता, अगर दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव रखा है। बाड़मेर नगर में 150 प्रशिक्षित अध्यापक, जो दो वर्ष से बेरोजगार हैं, क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। उनके अपाइन्टमेंट का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उन्होंने एजूकेशन डिपार्टमेंट से मांग की थी। इस पर स्टेटमेंट दीजियेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुबह चेम्बर में पधारे थे तब जानकारी नहीं मांगी। जानकारी प्राप्त करके आपको सन्तोष दे सकूंगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमान्, मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र है।

**श्री केदारनाथ (गृह मंत्री)** : समझौते पर विचार चल रहा है।

**श्री मूलचन्द डागा** : लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन मेन्टेन करें। उत्पादन कम हो रहा है उधर श्रमिक बेकार हो रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस संबंध में आप चर्चा नहीं करें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : गुलाबपुरा के दो आदमी आये हैं। हुरड़ा पंचायत समिति के दो कर्मचारियों ने 29 बोरी भेजी थीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप चेम्बर में आयें। जैसा निवेदन किया, प्रस्ताव के रूप में जानकारी दीजिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 29 बोरी में से दो बची हैं वह भी वे खा जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका कोई कटौती प्रस्ताव हो, तो उस पर बोल लेना।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : तुरन्त कार्यवाही की मांग करना चाहता हूं। हुरड़ा पंचायत समिति के।....

**श्री उपाध्यक्ष** : इस पर चर्चा उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बिराजिये।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : यह जहर की बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसीलिए ज्यादा अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री राम प्रसाद लड्ढा** : केवल एक जवाब दें, राज्य सरकार ने...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं विवश हूं, आपकी मजबूरी समझता हूं। अगर बहुत ही मामला गम्भीर है तो आप मंत्री महोदय को जानकारी दे सकते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमान्, मुख्य मंत्री ने कहा था सदन के अन्दर कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट के बारे में जानकारी करूंगा तो क्या वे चाहते हैं कि सदन में इन पर चर्चा हो जाये। समय

(श्री मूलचन्द डागा)
दीजिये क्योंकि बड़ी समस्यायें हैं बिजली की। सारा राजस्थान इससे प्रभावित है। यह बड़े महत्व का प्रश्न है। मैं समझता हूँ समय दिया जाय ताकि हम चर्चा कर सकें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले यह प्रश्न उठाया गया तो मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी की। जानकारी यह रही कि पिछले मार्च के महीने में इलेक्ट्रिसिटी का बजट राज्य सरकार के पास चला गया था। अच्छा तो यह था कि तत्कालीन सरकार उस समय सदन में रखती। अब कल या परसों बजट पेश कर दिया जायेगा। जहां तक उस पर बहस का प्रश्न है 1972-73 की रिपोर्ट पर आज तक चर्चा नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगा ...

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, आप पिछली बात करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो परम्परा है वह बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह परम्परा तोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सही बात सुनने के आदी नहीं हैं।

1972-73 की रिपोर्ट पर आज तक चर्चा नहीं हुई। 1973-74 की रिपोर्ट 2-4-73 को पेश की गई और 4-4-73 को डिस्कस की गई। 1974-75 की रिपोर्ट 10-4-74 को पेश की गई और 12-8-74 को डिस्कस की गई। 1975-76 की रिपोर्ट 31-3-75 को पेश की गई और इस रिपोर्ट पर आज तक चर्चा नहीं हुई। 1976-77 की 1-4-76 को पेश की गई थी, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। अब वाली रिपोर्ट कल या परसों सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब काम ठीक नहीं होता तो समय पर पेश करते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : काम ठीक हो या न हो, जनता जरूर ठीक कर देती है।

श्री सूरजपालसिंह : अमर सर्विस के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है। वह जानकारी आप प्राप्त कर लें।

श्री सूरजपालसिंह : 2।। लाख रुपये की ...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बताया गया है कि सचिवालय से आपको सूचना दे दी गई है।

श्री सूरजपालसिंह : सदन के अन्दर नहीं बताने देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सहानुभूति है।

श्री सूरजपालसिंह : जयपुर की जनता का बड़ा दुर्भाग्य रहा है ...

श्री उपाध्यक्ष : अगर आवश्यकता महसूस करूंगा तो आपको समय दे दूंगा। कृपया बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड : मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, शुरुआत में दो शब्द कह दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : मैं दूंगा, सारी बातें बताऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेडिकल कालेज के विद्यार्थी हैं उन्होंने जो चिकित्सा मंत्री ने सीटें बढ़ा दी हैं उसके लिये एतराज किया है कि मेडिकल कौंसिल की रिपोर्ट है कि सीटें न बढ़ाई जायें। इस प्रकार का काम नहीं किया जावे। इस बारे में स्पष्ट करें अन्यथा मेडिकल कालेज के लड़के हड़ताल पर जाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगें।

श्री खेतसिंह राठौड : अखबार में पढ़ा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भींत लांघ कर भाग गये। यह कहां तक सत्य है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं पढ़ा है।

अनुदान की मांगें

अब अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। जो इस प्रकार हैं :

मांग संख्या 16, पुलिस– श्री केदारनाथ

मांग संख्या 17, जेल –श्री विज्ञान मोदी

मांग संख्या 18, सूचना और प्रचार– श्री महबूब अली

अब माननीय मंत्री–श्री केदारनाथ।

मांग संख्या 16, पुलिस, मांग संख्या 17, जेल, व मांग संख्या 18 सूचना और प्रचार की प्रस्तुति

श्री केदार नाथ (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 27,57,27,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री विज्ञान मोदी।

श्री विज्ञान मोदी (राज्य मंत्री, कारागृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 जेल के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,50,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महबूब अली।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन सम्पर्क) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18, सूचना और प्रचार के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,50,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 16, 17 व 18 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (किशनपोल, जयपुर) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की वेतन शृंखला परिवर्तन करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में निरन्तर बढ़ती हुई चोरियां, हत्या, छुरेबाजी, डाकेबाजी, मारपीट और बलात्कार की बढ़ोत्तरी पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में आवश्यक सुधार और कार्य किये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की कच्ची सामग्री का विभागीय कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जेल विभाग में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में जिला स्तर पर प्रदर्शनी आदि के आयोजन करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (सूचना और प्रचार विभाग में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर, ग्रामीण)

8. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभियोजक कर्मचारी वर्ग के चयन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दण्डाधीशों के अभाव में केसों के निपटारे में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के चांदपोल बाजार व रामगंज बाजार में यातायात पुलिस की अकर्मण्यता से होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कान्सटेबलों को समय पर वर्दी आदि नहीं मिलने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कान्सटेबलों के वेतन

(श्रीमती उजला अरोडा)
मानों के रिवाइज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप सुधार किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों के साथ विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों के आधुनिकरण किये जाने हेतु चर्चा के लिए।)

16. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की शिथिलता से राज्य के समाचारों एवं राज्य के विकास कार्यों का उचित प्रसार नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय स्टोर का फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

19. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने हेतु चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों की हालत में सुधार कर अधिक सुविधायें प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये)।

22. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री अजीतसिंह (टौंक): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में ट्रेंड कुत्तों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

23. श्री मूलचन्द सामरिया : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे पुलिस कर्मचारियों की परेशानी समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिये)।

# Page No 53

(53)



(श्री मूलचन्द सामरिया)

25. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग को अधिक आधुनिक उपकरण देने के बारे में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान में अधिकाधिक खुली जेलों की स्थापना के बारे में चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेले के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कृषक कैदियों को फसल बोने व काटने के समय पैरोल पर छोड़ने पर चर्चा के लिये)।

28. श्री अजीतसिंह। मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में नये वैज्ञानिक तरीके से अपराध अनुसंधान कराने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में ट्रेन्ड कुत्तों की यूनिट रखने पर चर्चा के लिये)।

30. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर जिले के मुख्यालय, बाडमेर नगर, बालोतरा नगर एवं बायतू ग्राम में चोरियों एवं सेंध लगाने के मामलों के विभाग द्वारा खोले जाने में उदासीनता अपनाये जाने के कारण पीड़ित व्यक्तियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (15 अगस्त, 1977 को बाड़मेर हायर सेकन्डरी स्कूल के प्रांगण में सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर छात्रों और युवकों द्वारा छात्राओं और युवतियों के प्रति दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी, पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई कदम न उठाये जाने के कारण नगर की जनता में गंभीर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विशेष सेवा पदक प्रदान करने के आधारों के बारे में चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बालोतरा नगर में 6 माह के अर्से में अधिक चोरियां होने और उन मामलों को पुलिस द्वारा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

Page No 54

(54)



(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

36. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामसर चौहटन रोड पर संवत् 2023 के अकाल में उक्त सड़क के निर्माण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये घोटालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तफ्तीश पूरी करने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बायतू ग्राम में रात को सेंध लगाकर एक लाख रुपये से अधिक माल, जेवर आदि की चोरी किये जाने के मामले को खोलने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की सबजेल में पानी की माकूल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर को जयपुर से टेलीप्रिंटर से सीधा सम्पर्क कायम करने की आवश्यकता पर विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सूचना केन्द्र के खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना और प्रचार को अधिक अराजनैतिक बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें एवं पुलिस प्रशासन एवं प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों के पुनर्गठन एवं उनमें तैनात स्टाफ की चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पुलिस थानों में पैंडिंग एवं दण्डाधीशों की अदालत में पैंडिंग फौजदारी मुकदमों के बारे में चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में पुलिस प्रशासन की अकुशलता पर चर्चा के लिये)।

46. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में सिपाहियों की कमी से प्रशासन में ढील होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ)

47. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में यातायात पुलिस की अकुशलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

48. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा जनता पर की जा रही ज्यादतियों पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस द्वारा अभी भी थर्ड डिग्री मैथड्स काम में लेने और जनता से दुर्व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाही की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी. आई. जी., अजमेर रेन्ज द्वारा महिला कर्मचारियों को अनुचित रूप से परेशान करने एवं डराने धमकाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों को अपर्याप्त राशन मिलता है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों की हालत न सुधारने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा केवल जनता पार्टी के ही प्रचार के कारण दूसरी राजनैतिक पार्टियों में असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में चल चित्र नहीं दिखाये जाते हैं इस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग द्वारा दिखाई जाने वाली पुरानी फिल्मों से कोई लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक कारणों के आधार पर दिये जाने वाली विज्ञापन नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क सूचना केन्द्र भीलवाडा, बाडमेर एवं पाली में खोले जाने के हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द डागा)

58. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूरे राज्य में जन सम्पर्क अधिकारी के पद रिक्त हैं उनके स्थान पर नियुक्तियां करने के बाबत चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा जन सम्पर्क की गाडियों का निजी कामों में दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग द्वारा विरोधी दल के कामों व उपलब्धियों आदि का प्रचार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

61. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिले में मवेशी चोरी की घटनाओं में वृद्धि और पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) पत्रों को विज्ञापन दिये जाने में सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

64. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

65. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही पुलिस लाइन पर कान्सटेबलों की कमी मिटाने तथा सिरोही एवं जालोर में पुलिस स्टेशन भवन का अभाव है इसलिए नये भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की सी. आई. डी. ब्रांच में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार एवं रिक्त पदों पर की गई पदोन्नतियों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की परीक्षा एक मखौल है और पदोन्नति, ट्रांसफर सभी में भयंकर पक्षपात बरते जाने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन, वर्दी, महंगाई तथा हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

69. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को विधान सभा सत्र तथा चुनावों के समय पन्द्रह रुपया प्रतिदिन भत्ता दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में बन्दियों के लिए पुस्तकों का अभाव तथा अन्य कमियों के बारे में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में जन सम्पर्क अधिकारी के अभाव पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर तथा सिरोही में जन सम्पर्क कार्यालय की अव्यवस्था। पत्रकारों के नाम पर होने वाले खर्चे में भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि, सहकारिता, पशुपालन संबंधी सरकार की नीति के संबंध में जो भी प्रसारण विभाग द्वारा किये गये हैं या हो रहे हैं वे अपर्याप्त हैं उसकी चर्चा के लिए)।

75. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत के अन्य प्रदेशों के मुख्यालयों व राजधानियों पर सूचना केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

78. श्री भैरवलाल कालाबादल (आमपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनता में फैली असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के फिंगर प्रिंट ब्यूरो अनुभाग में जूनियर सब इन्सपेक्टर के स्थायीकरण में पक्षपात के संबंध में चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के फिंगर प्रिंट ब्यूरो अनुभाग में बिना फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की जाँच इम्तिहान बोर्ड का

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
परीक्षा उत्तीर्ण किये ही किये गये स्थायीकरण से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

81. श्री विट्ठल प्रसाद (मनोहरथाना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानून एवं व्यवस्था की दिन-प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिए)।

82. श्रीमती श्यामकुमारी (कपासन)
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव वेंदला में बिजली के करेन्ट से पति-पत्नी की हत्या पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

83. श्री गुलाबचन्द कटारिया: मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपात स्थिति में अगस्त, '75 में उदयपुर पुलिस द्वारा तानाशाही पूर्ण ढंग से निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार करने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जेल में कैदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री घटिया एवं तोल में कम मात्रा में दी जाती है इस बाबत चर्चा के लिए)।

85. श्री रावतराम (सुजानगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कमजोर वर्ग को पुलिस का संरक्षण न मिलने के संबंध में तथा ग्राम घातरी, तहसील सुजानगढ़ में नाथूराम पवोंवा के चोरी के (28-11-76 को) संबंध में चर्चा के लिए]।

86. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति पोस्टिंग आदि के बारे में पक्षपात के सम्बन्ध में तथा पुलिस विभाग के रवैये में परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

87. श्री समरथलाल (राजगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कान्सटेबल की तनख्वाह में वृद्धि की जाने तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये समिति के गठन पर चर्चा के लिये)।

89. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यदि पुलिस के जुल्मों को कम करना है तो इनको ट्रेनिंग देने वाले चरित्रवान् व्यक्ति हों और शराब पीने वालों को इसमें न रखा जावे इस पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर जगह असुरक्षा है

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
पुलिस विभाग में खूब रिश्वत तथा शराब चलती है इसको मिटाने हेतु चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में कोई भी ऐसा अधिकारी या कर्मचारी न रखा जाये जो शराब पीता हो और जो चोरियों को बरामद न कर सके या जुर्मों पर रोक न लगा सके और जो सेवारत हैं और यह कार्य नहीं कर सकें उन्हें डिग्रेड कराने बाबत चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिस जिले में ज्यादा जुर्म होते हों उसके लिये जिम्मेदार जिला के पुलिस प्रशासन को ठहराने तथा सब-इन्सपेक्टर्स को एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रखने हेतु चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल के अधिकारी ऊंचे से ऊंचे चरित्रवान लोग रखे जायें ताकि सच्चे मायनों में जेलें सुधार गृह बन सकें)।

94. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में आकर आदमी किस प्रकार सुधर सके और मानव बनकर निकले इसको चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में रिश्वतखोर तथा शराबी तथा चरित्रहीन व्यक्तियों को सेवा में न रखा जाये तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में काम करने का अवसर मिले इसकी चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों को सुधार गृह बनाया जाये ताकि बन्दीजन ईमानदार, सच्चे तथा चरित्रवान आदमी बनकर आयें इसकी चर्चा के लिये)।

97 श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुण्डागर्दी, चोरी, डकैती, कत्ल बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जेलों में व्याप्त अव्यवस्था एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

99. श्री ईश्वरचन्द्र (चिड़ावा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कान्सटेबल के वेतनमानों में वृद्धि व उनके कार्य सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना सूरजगढ़ में चोरी की वारदातों में लगातार वृद्धि होने व बरामदगी न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 60

(60)



(श्री ईश्वरचन्द्र)

कम कर दिया जाय (थाना पिड़ावा व सुनेल में पुलिस की निष्क्रियता व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुनेल थाने द्वारा 25-8-77 को बच्चे की चोरी की तफतीश में पक्षपात बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ व भवानी मन्डी कारागृहों में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मन्डी उप-कारागृह में असुविधा एवं अव्यवस्था की चर्चा के लिये)।

105. श्री निर्मल कुमार (झालरा पाटन): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उनकी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल सुधार गृह है परन्तु आज तक सुधार नहीं हुआ, नवीन योजनाएं बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अखबारों में विज्ञापन देने एवं सूचना केन्द्रों के प्रसारण में भेदभाव पूर्ण नीति अपनायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

108. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्वेस्टीगेशन, एक्जीक्यूशन तथा प्रोसीक्यूशन ब्रांचों के पृथक्करण एवं सिपाहियों की दशा सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने व वार्डरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

110. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिमलिया कांड में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में सूचना एवं प्रचार हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

112. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में पुलिस द्वारा ज्यादतियां करने एवं

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)
हत्याओं का पता नहीं लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब इन्सपेक्टर के खिलाफ सबूत देने तथा गृह मन्त्री जी के निलम्बन करने के आदेश के बावजूद आदेश की अवहेलना कर विभाग द्वारा संरक्षण दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुचित कार्य करने वाले अधिकारियों की अनियमित पदोन्नति किये जाने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन की अंग्रेजी प्रक्रिया के बदलाव हेतु चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1961 से वर्ष 1977 तक जो हत्याएं हुई उनकी जांच अभी तक नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेलों के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की विज्ञापन नीति पर चर्चा के लिए)।

119. श्री माधोसिंह (रेवदर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब-इन्सपेक्टरों द्वारा भ्रष्ट आचरण तथा अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

120. श्री सूरजपाल सिंह (मोनभाल): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधान सभा सत्र के कारण पुलिस कर्मचारियों पर अधिक भार पड़ने से उन्हें और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये)।

121. श्री चुन्नी लाल (खण्डार): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस का व्यवहार ठीक न होना तथा पुलिस द्वारा गरीबों की पिटाई करने के बारे में चर्चा के लिये)।

122. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की अव्यवस्था के कारण चोरी और डकैतियों की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

123. (1) श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर)
(2) श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)
(3) श्री कुन्जीलाल (वामनवास): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। गंगापुर क्षेत्र में दिनांक

# Page No 62

(62)



(श्री गोविन्द सहाय, श्री बत्तीलाल और श्री कुंजीलाल)

10-9-77 को डाकुओं द्वारा लूटपाट करने व पुलिस द्वारा चोरी को नहीं पकड़ने से व्याप्त भय के बाबत चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करौली की खानों में डाकुओं द्वारा आतंक फैलाने तथा पुलिस की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शामनवास जिला सवाई माधोपुर पुलिस स्टेशन में टेलीफोन लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में डाकू आतंक समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाकुओं द्वारा अपहरण किये गये साढे चार वर्ष के बालक का अभी तक पुलिस द्वारा पता न लगाने के विषय में चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर जेल में कैदी अधिक होने पर भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

130. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शेखावाटी में चोरियों की रोकथाम की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों, गरीब किसानों की पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

132 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (झुंझुनूं जिला प्रशासन का जनता के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [शेखावाटी में सट्टे (घड़िया) को बन्द करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिए]।

134. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नवरंग सिंह)
कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की जेलों में बन्दी डाक्टर कैदियों को सामान्य डिस्पेन्सरियों पर सेवा का मौका देने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऐसे बन्दियों को, जो छात्र हैं या जो अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों के साथ जेल में कर्मचारियों द्वारा सद्व्यवहार कराने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या, 17 मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में रहने वाले कैदियों के कल्याण के लिए योजना बनाने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैन्ट्रल जेल में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में समाचार-पत्र के अपना दायित्व नहीं निभाने पर विभाग द्वारा मान्यता प्रदान करने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पत्रकारिता के विकास के लिए छोटे समाचार-पत्रों को विशेष संरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

143. श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैफिक समस्याओं एवं यातायात नियंत्रण करने में पुलिस की असफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस फोर्स की मोबिलीटी पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पुलिस फोर्स में बढ़ती हुई अकर्मण्यता, (Initiative) की कमी, चुस्तता की कमी, पर चर्चा के लिये]।

146. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल सुधारों (प्रिजन रिफार्म्स) की दिशा निर्धारित करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर कारागृह नया बनाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

(श्री मथुरादास माथुर)

148. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जेल में टेलीवीजन सेट लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

149. श्री नाथूराम (बागीदौरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पुलिस विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

150. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारी वर्ग की संख्या कम की जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

152. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन पर सिपाहियों की खुराक, टेलीफोन व जीपों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सत्रकाल के कारण जिन पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी ज्यादा समय देनी पड़ती है उन सभी कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

154. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों के सुधार हेतु समिति का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल कर्मचारियों की दशा सुधारने पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में लगे कारखानों व फैक्ट्रीज में काम करने वाले बन्दियों को उचित मजदूरी देने पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों व राजनैतिक बन्दियों को दी जाने वाली खुराक के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम कर दिया जाय (भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने व उन्हें सहूलियतें देने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों पर होने वाले जुल्मों पर चर्चा के लिये)।

(श्री प्रयोपत सिंह मकासर)

161. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना केन्द्रों में कृषि सुधारों व कार्यों का प्रचार करने में प्राथमिकता दी जाने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विज्ञापन राजस्थान के दैनिक व साप्ताहिक-पत्रों को ही देने की नीति पर चर्चा के लिये)।

163. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में अमानुषिक वृत्ति छोड़ कर मानवता अपनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की सख्त ड्यूटी को दृष्टिगत रखते हुए उनकी तनख्वाह बढ़ाये जाने व आवास हेतु मकान दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल को जन-प्रतिनिधियों द्वारा पखवाड़े में एक दिन चैक कराने बाबत चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों की समस्याओं को हल करने हेतु विभाग द्वारा कोई आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

167. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत 3–4 माह से पुलिस अपने कर्तव्य पालन करने में असमर्थ रही है जिससे गुण्डागर्दी, तस्करी व डकैतियां बढ़ती जा रही हैं इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा सैन्ट्रल जेल में महिलाओं के निवास की कोई सुविधा नहीं है व पागल महिलाओं को भी उनके साथ रखा जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार पर काफी जोर देता है जब कि आयुर्वेद पर एक पाई भी खर्च नहीं करता इस पर चर्चा के लिये)।

170. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार पुरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा चोरी, मारपीट एवं गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन देकर कानून की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में चरित्र निर्माण सम्बन्धी शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य कमियों की चर्चा के लिये)।

(श्री माधोसिंह कछवाह)

172. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक महत्व की सूचनाओं का विभाग द्वारा प्रसार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये )।

173. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस चौकियों के पुनः निर्धारण पर चर्चा के लिये )।

174. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने पर चर्चा के लिये )।

175. श्री करतार सिंह (किशनगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर इसे अत्यधिक जनप्रिय बनाने पर चर्चा के लिए )।

176. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के भय व आतंक को जनता में कम करने पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के विस्तृत अधिकारों को सीमित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में पढ़े लिखे शिक्षित कैदियों को सुख सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

179. श्री गणेशलाल (हिन्डोली) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जावे, विशेषतः थाना दबलाना व हिन्डोली में, इस पर चर्चा के लिये)।

180. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन तथा प्रशासनिक सुधार पर चर्चा के लिये)।

181. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कांसटेबलों को चिकित्सा के लिये निश्चित राशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा तहसील के गांव चाण्डानिया में एस.एच.ओ., पुलिस, शाहपुरा द्वारा किये गये जुल्म पर चर्चा के के लिये)।

183. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर व थानों पर सी.आई.डी. के कार्य करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री उमराव सिंह ढावरिया)

184. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बनेड़ा के गांव राराला में पुलिस चौकी व सिपाहियों के निवास के लिये मकान की व्यवस्था विभाग द्वारा कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में खेजड़ी में चौकी कायम करने पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों के वेतन व भत्ते के बारे में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनेड़ा में लोक सभा के चुनाव के समय हुए झगड़े पर कार्यवाही प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों को उचित मेडिकल सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अफसरों द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी. आई. जी., अजमेर रेंज द्वारा महिला कर्मचारियों को तंग करने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में महिला पुलिस के लिये अलग से प्रशासनिक व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल प्रशासन के पुनर्गठन पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों के लिये छोटे उद्योग कायम करने हेतु चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया इस पर चर्चा के लिए)।

196. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर पब्लिसिटी आफिसर के कार्यों पर चर्चा के लिये)।

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

197. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की विज्ञापन नीति पर चर्चा के लिये)।

198. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : (आसीन्द) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिए)।

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए)।

200. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में पुलिस के संरक्षण में जुआ सट्टे को बढ़ावा देने एवं पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में कोटड़ा काण्ड में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा के लिए)।

202. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकालीन स्थिति में जेल में किये गये अत्याचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

203. श्री कौशलकिशोर (भीलवाड़ा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम घूमडास तहसील भीलवाड़ा में 5-11-76 को मेघा जाट के कत्ल में असली अपराधी पुलिस द्वारा न पकड़ने के विषय पर चर्चा के लिए)।

204. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग भीलवाड़ा में अप्रेल, 76 में कांसटेबल से हैड कांस्टेबल के जो प्रमोशन हुए उनमें की गई धांधली पर चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (28 अक्टूबर, 1974 को भीलवाड़ा नगर में हुए गोली काण्ड में पुलिस रवैये पर चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों की व्यवस्थाओं में सुधार हो, ताकि कैदियों की हालत में सुधार किया जा सके इसकी चर्चा के लिए)।

207. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिला उपकारागृह में आपातकाल में मीसा बन्दियों तथा डी. आई. आर. बन्दियों पर जेल अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों की चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री कौशल किशोर)
कम कर दिया जाय (आपातकाल में केन्द्रीय कारागार, उदयपुर में मीसा बन्दियों के साथ हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा, जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

210. श्री माणक लाल (नैनवा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की तानाशाही, भ्रष्टाचार एवं दमन के रवैये से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए)।

211. श्री बतीलाल मीणा: मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के जन-जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस सेवा के महत्व पर चर्चा के लिए)।

212. श्री नन्दलाल (पाटन):

श्री बतीलाल मीना: मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [(1) श्री बसन्तलाल पुत्र श्री हुकराजी मीणा निवासी रेल, (2) श्रीमती चुन्नी पत्नी श्री बसन्तलाल की हत्या, (3) सोमला हत्या काण्ड, (4) गत एक वर्ष से हुए आदिवासी क्षेत्रों में हत्याओं व दुर्घटनाओं की तफतीश के बारे में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिए]।

213. श्री बतीलाल मीणा: मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में पुलिस द्वारा जनता के साथ किये जाने वाले व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

214. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक—जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था के लिए जेलों की अनिवार्यताओं पर चर्चा के लिए।

215. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक—सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाचार पत्रों के प्रति विभाग के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

216. (1) श्री नन्दलाल:
(2) श्री बती लाल: मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण आंचल में सूचना एवं प्रचार की की गई व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

217. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

218. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को जन—कल्याणार्थ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती नारंगी देवी)

219. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा के शाहबाद, किशनगंज व मांगरोल क्षेत्र में पुलिस द्वारा जनता पर किये जा रहे जोर जुल्म पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को 8 घन्टे की ड्यूटी के बाद ओवर टाइम दिलवाने बाबत चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सुरक्षा के प्रहरियों द्वारा जनता का शोषण करने व उस पर लाठी प्रहार करने पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जेल में ज्यादा अवधि वाले बन्दियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रचार की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

224. श्री लालशंकर (सागवाड़ा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आरा, ओवरी रामसौरगंज पर पुलिस चौकी खुलवाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जेल को विस्तृत कराने व सागवाड़ा में सब जेल बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

226. श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अकर्मण्यता पैदा हो गई है जिससे राज्य में कानून व व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ रही है उस पर चर्चा के लिये)।

227. श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की निष्क्रियता से अजमेर क्षेत्र में चोरियों की बढ़ोतरी तथा इनके पता नहीं लगाये जाने पर व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (इमर्जेन्सी के दौरान जेलों में वस्तुओं तथा रद्दी वस्त्रों को ऊंची कीमतों पर खरीद कर देने की लूट पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जेल में मीसा कानून के अन्तर्गत जो 30) माहवार दिये जाने का प्रावधान है उसको दिसम्बर, 1975 से देना प्रारम्भ करने पर तथा इस सम्बन्ध के आदेश कुछ जेल अधिकारियों द्वारा महीनों तक दबा कर रखने पर चर्चा के लिये)।

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

230. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (अजमेर की जेल में सिपाहियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा जब कि इस निमित्त वहां 8 सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और उसके स्थान पर सिपाहियों से अफसरों द्वारा काम लेने पर चर्चा के लिये)।

231. श्री मेघराज (चूरू): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। [पुलिस थाना चूरू के अधीनस्थ गांवों को एक नया पुलिस थाना (रतननगर) बनाया जाकर उसके अधीन किये जाने से उत्पन्न असुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये]।

232. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कान्सटेबल्स को दिये जाने वाले मैस अलाउन्स में असमानता की नीति पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों के स्थानान्तरण में बरती जाने वाली नीति में सुधार किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों को दिये जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में बरती जाने वाली गैर इन्साफी और कठोरता के संबंध में चर्चा के लिये)।

235. श्री मगिराम (तारानगर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु सेवा परायणता ग्रहण कराने पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में पुलिस व्यवहार को शासक परायण की अपेक्षा सेवान्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

237. मेजर श्री फतहसिंह (भीम): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एडवर्ड मिल्स, ब्यावर से जून, 77 में जनरल मैनेजर के आदेश से 20 किलो रुई की कीमत रुपये 114.52 मिल्स खाते खर्च लिखी जाकर मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ब्यावर को भेजी गई उस शिकायत पर पुलिस द्वारा उदासीनता दिखाई गई उस पर चर्चा के लिए)।

238. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर शहर में हो रहे सट्टे एवं जूए को रोकने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

239. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामनारायण चौधरी)

240. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की अल्प वेतन के कारण दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों को सर्दी में गर्म वर्दी प्रति वर्ष दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जेलों के सुधार हेतु कोई निश्चित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की विज्ञापन नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा समाज को दिखाये जाने वाले चित्रों की पुरानी फिल्मों से जनता पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये)।

245. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना में नये पुलिस स्टेशन के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रावधान नहीं जुटाने पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे बनाकर जनता को परेशान करने बाबत चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शांति व व्यवस्था बनाये रखने में सतर्कता पुलिस के योगदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा शांति व व्यवस्था रखने में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चोरियों की तफतीश आदि कार्यों के लिये एक एक कुत्ता यूनिट रखने बाबत चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों को अपराध अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए)।

251. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विरोधी दल के समाचारों को प्रकाशित करने में विभाग की भेदभाव पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

(श्री राम नारायण चौधरी)

252. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की वर्तमान विज्ञापन नीति में आधुनिक समय के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना में सूचना केन्द्र खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

254. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन, अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सेवा परायणता की भावना लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की अव्यवस्था और अविवेकपूर्ण व्यवस्था की नई नीति निदेशन पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकर्मण्य और चाटुकार अधिकारियों की पदोन्नतियों और ईमानदार अधिकारियों के तिरस्कार और गरीब तथा पीड़ित व्यक्तियों की असुरक्षा पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को देश के नव निर्माण हेतु उद्योगों एवं नदी परियोजनाओं पर कार्य हेतु लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में सूचना व प्रचार की कमी व असंतुलन पर चर्चा के लिए)।

259. श्री आलम अली खान (फतेहपुर) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनः वर्गीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

260. श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

261. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजाजी का करेड़ा पंचायत समिति मांडल में हुई चोरी के संदेह में जिस व्यक्ति पर शंका थी उसे न पकड़ कर इधर उधर की गलत छानबीन करने पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
की लापरवाही के कारण बढ़ती जा रही अराजकता पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा चोरी जैसे मामलों को पकड़ने के लिए कुत्ता यूनिट स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार बाबत चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सी. आई. डी. वि. शा में पुर्गठन से 1974 में ए. एस आई. की 142 पोस्ट क्रियेट की गई थी जिनमें से 60 जगह पर प्रमोशन देकर पूरी की गई बाकी 82 जगह 1974 से खाली हैं, सीनियोरिटी से प्रमोशन नहीं दे रहे हैं इस बाबत चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल में 30,000 हजार से ऊपर की चोरी, जो अभी 15 दिन पहले हुई थी, की जांच जारी है पर पुलिस रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है इस पर चर्चा के लिए)।

267. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मुख्य हाई वे रोड पर मुलान (भीलवाड़ा) में पन्द्रह दिन पूर्व हुई 20–25 हजार की चोरी की उचित तफतीश के अभाव पर चर्चा के लिये]।

268. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1966-67 में विभागीय परीक्षायें हुई प्रमोशन के लिये। प्रथम इन्टरव्यू परीक्षा में पास हो जाने के बाद ट्रेनिंग होती है उसमें असफल हो जाने पर पुन: परीक्षा व इन्टरव्यू होता है इस बाबत चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल पंचायत समिति में गत तीन माह से चोरियों का लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है और विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही के अभाव मे जनता में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में चोरियों की बढ़ती हुई हरकतों की रोक-थाम हेतु पुलिस दल की और अधिक व्यवस्था एवं मांडल में अलग से पुलिस चौकी स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत 6–7 दिन पहले मांडल जिला भीलवाड़ा में हुई चोरी के मामले में दिखावटी जांच करने एवं फरियाद द्वारा जिस व्यक्ति के प्रति सदेह व्यक्त किया एस. एच. ओ. द्वारा उसे बुला कर छोड़ दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

# Page No 75

75



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

272. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा में डेढ़ माह पूर्व हुई चोरी की जांच की शुरुआत भी की पर पुनः दबा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत 5–6 वर्ष पूर्व मांडल जिला भीलवाड़ा में की गई हत्या की जांच को दबा देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लये)।

274. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशनों पर दर्ज रिपोर्ट पर अविलम्ब कार्यवाही न होकर धीरे धीरे होती है इस बाबत चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विशेष कारागृह भीलवाड़ा में डी. आई. आर. बन्दियों को चिकित्सा की पूर्ण सुविधा नहीं दी गई इस बाबत चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों को गैर मियाद में रखकर उनसे जेल में काम नहीं लिया जाता है व निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं अतः उन्हें काम दिलाकर रेमिशन चालू करने हेतु चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में डी. आई. आर. की लम्बी अवधि की सजा वालों के लिए कपड़ों की मांग की गई तो इन्कार कर दिया और ध्यान नहीं दिया गया इस बाबत चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय विज्ञापन देने में प्राथमिकता दिलाने बाबत चर्चा के लिये)।

279. श्री नूरा (मसूदा) मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की अपराध शाखा की अकुशलता और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषतः हरिजनों में असुरक्षा की भावना व्यापक रूप से पनपने और विभाग द्वारा उन पर हुये हमलों को रोक पाने व प्रभावशाली कार्यवाही करने में असमर्थ रहने पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर किये जाने वाले आघात पर चर्चा के लिये)।

282. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज विरोधियों द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाहर नगर क्षेत्र में थाना स्थापित करने व जयपुर के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण करने संबंधी चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जवाहर नगर (जयपुर) व अन्य कालोनियों में हुई चोरियों में वृद्धि पर चर्चा के लिये]।

285. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल अधिकारियों द्वारा घूस लेकर अवैध नियुक्तियां करने के बारे में चर्चा के लिये)।

286. श्री शिवचरणसिंह (बयाना) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में डकैतियों का जोर होने तथा पुलिस, लॉ एन्ड आर्डर व्यवस्था कायम रखने में नाकामयाब रही है इस पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल विभाग द्वारा कैदियों के खाने व ओपन जेलों की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

288. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सी. आर. नं. 82 सन् 71 थाना गंगापुर जिला सवाई माधोपुर पर कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना जायल जिला नागौर में भवन निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सी. आर. नं. 11 और 14 सन् 75 थाना लाडनूं जिला नागौर में गलत तरीके से दी गई एफ. आई. आर. पर चर्चा के लिए)।

291. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब इन्सपेक्टरों को गृह जिले में नहीं लगाने की नीति को समान रूप से लागू नहीं करने तथा कोटा व झालावाड़ में इस नीति का उल्लंघन हुआ है पर चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जेलों में रहने वाले कैदियों

(श्री हरजीराम बुरडक)
को खुले शिविरों में रखने हेतु चर्चा के लिये) ।

293. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल जयपुर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दी बैंक आफ राजस्थान की विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा में पड़ी डकैती और पुलिस के डकैत को पकड़ने में असफल रहने पर चर्चा के लिये) ।

294. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित बैंकों में जेब कटी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

295. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में आये दिन चोरियां होने तथा पुलिस के उन्हें रोकने में असफल रहने पर चर्चा के लिये) ।

296. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

297. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

298. श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतभाटा में अणुशक्ति विभाग में तैनात आर. ए. सी. की टुकड़ी रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

299. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में मिलने वाला भोजन, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

300. श्री रंगजी (सपोटरा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (पुलिस शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा डकैतियों की समस्या के समाधान में असफल रहने पर चर्चा के लिये) ।

301. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

302. श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस का जनता के प्रति दुर्व्यवहार होने पर चर्चा के लिये) ।

303. श्री हरिसिंह यादव (वानसूर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाही से पुलिस इन्सपेक्टर स्तर तक सुविधा बढ़ाने एवं पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्रम में चर्चा के लिये) ।

(श्री हरिसिंह यादव)

304. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीस साला कैदियों का एक साल का रेमीशन जेल रेमीशन में जोड़ने के कम में चर्चा के लिये)।

305. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त निष्क्रियता, भ्रष्टाचार व मनमानी पर चर्चा के लिये)।

306. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग में व्याप्त निष्क्रियता, भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

308. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दिनांक 18 अगस्त, 1977 की रात्रि को समदड़ी और बामसीण (बाड़मेर जिले) के बीच रेल के पुल पर उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेट की विशेष रेल गाड़ी से पचपदरा साल्ट के पांच नवयुवकों के कट कर मर जाने और उसकी किसी भी पुलिस स्टेशन पर रेलवे पुलिस कर्मचारियों द्वारा सूचना नहीं देने पर चर्चा के लिये]।

309. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस साल 13 जून से 31 जुलाई के बीच बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा एवं नगर बालोतरा में हुई चोरियों की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के विभिन्न कारागृहों में बंदियों की मनःस्थिति के असंतुलन को ठीक करने की उचित व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागृहों में बंदियों को आत्म निर्भर करने की पुख्ता योजना न होने पर चर्चा के लिये)।

312. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

314. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों से अर्दली का कार्य न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जेल की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

315. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपात काल में समाचार पत्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

316. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में तफतीश के नये व वैज्ञानिक साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस-कर्मचारियों को कम वेतन व सुविधाएं देने के बाबत चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों के साथ जेलों में अमानवीय व्यवहार होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

319. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में सुधार एवं बन्दियों के मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधार पर चर्चा के लिये)।

322. श्री कानसिंह (शिव) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंसों को रिन्यू कराने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

323. श्री शिवनारायण (थानागाजी) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [घाटा बांदरोल (थानागाजी) में पुनः पुलिस चौकी कायम कराने के बारे में चर्चा के लिये]।

324. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (टोंक जिले को पुलिस के कोटा रेंज में लगाने से जिले के लोगों को काफी असुविधा हो गई है इसलिए इसे पुनः अजमेर रेन्ज पुलिस में लगाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री दिग्विजय सिंह)

325. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अकर्मण्यता पैदा हो गई है जिससे राज्य में कानून व व्यवस्था धीरे-धीरे बिगड़ रही है उस पर चर्चा के लिये)।

326. मांग 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत मार्च, 1977 को लोक-सभा के चुनावों के दौरान दिनांक 9 व 10 मार्च को टोंक स्थित "जनता पार्टी" के कार्यालय को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जला दिया गया, पुलिस टोंक ने उस पर कार्यवाही शुरू की पर विशेष दबाव के कारण आगे कार्यवाही बन्द कर दी, आज दिन तक उस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

327. श्री नरेन्द्रपालसिंह (मांथली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 1?-9-77 को कातिलाना हमला करने वाले गिरोह का पुलिस द्वारा पता नहीं लगा पाने पर चर्चा के लिये)।

328. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बड़ीसादड़ी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया गया (चित्तौड़गढ़ जिले में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों एवं पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (चित्तौड़गढ़ जिले में जेलों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

330. श्री जुगलाल सैणवा (रायपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अधिकारियों की तबादला नीति पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की जैतारण जेल में बन्दियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

332. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जन सम्पर्क कार्यालय की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

333. श्री शीश राम ओला (पिलानी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर व झुन्झुनूं को वापस अजमेर डी. आई. जी. रेन्ज में मिलाने एवं पुलिस प्रशासन के बारे में चर्चा के लिये)।

334. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कानून और व्यवस्था

(श्री सूरजपाल सिंह)
को बनाये रखने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

336. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में कैदियों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने बाबत चर्चा के लिये)।

337. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

338. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अनुचित कार्यकलापों पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों की हालत सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

340. श्री रामेश्वर (चौमू): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस चौकी, थानों में अव्यवस्था होने एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र में पुलिस की अव्यवस्था होने एवं चोरियों की रोक थाम हेतु व नगर में चौकी की स्थापना हेतु चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें में अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था एवं व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

343. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के लघु समाचार पत्रों को दैनिक पत्रों के मुकाबले ज्यादा सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

344. श्री बिरधमल सिंघवी (जोधपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस महकमें की अव्यवस्था तथा वेतनों में अन्तर के कारण कर्मचारियों में व्याप्त निराशा पर चर्चा के लिये)।

345. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक–जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में राशन की कमी कर्मचारियों के काम के घन्टे तथा वर्दियों के बारे में चर्चा के लिये)।

346. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जन सम्पर्क विभाग के कार्य से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती, पत्रकारों और पत्रों के साथ किये जा रहे असहयोग पर चर्चा के लिये)।

347. श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के कर्तव्य, व्यवहार और कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु चर्चा के लिये)

348. श्री माधवसिंह (सोजत) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के आचरण में बदलाव तथा उनके खर्च में कमी करने बाबत चर्चा के लिये)।

349. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है इस कारण इनका चालान पेश करने से पहले चुने हुए प्रतिनिधि से विचार कर बाद में कोर्ट में पेश कराने हेतु चर्चा के लिये)।

350. श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में भ्रष्टाचार पनपने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

351. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

352. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

353. श्री लालचन्द (भादरा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में भ्रष्टाचारी अफसर द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

354. श्री जगतार सिंह (करणपुर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में बने लाक अप्स की दुर्दशा के विषय पर चर्चा के लिये)।

355. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टाफ हेतु सुविधा एवं पदोन्नति आदि पर चर्चा के लिये)।

356. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के स्टाफ की शिथिलता तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

357. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों की शादी ब्याह आदि के अवसर पर पैरोल पर छोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

358. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में सुधार किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

359. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री गोपाल पचेरवाल)
(गुप्तचर विभाग में सेवारत कर्मचारियों की ड्रेस पर चर्चा के लिये)।

360. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

361. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

362. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस व जनता में आपसी सहयोग की भावना पैदा करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविर लगाने पर चर्चा के लिये)।

363. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को सख्त ड्यूटी का अतिरिक्त भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

364. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के आवेदकों की भर्ती में विशेष अवसर व छूट देने पर चर्चा के लिये)।

365. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के सूचना और प्रचार कार्यक्रम को और कारगर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

366. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों की व्यवस्था की शोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

367. श्री जीतमल जैन (अलवर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में बन्दियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार व जेल में कार्य करने वाले कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये)।

368. श्री गंगा सहाय (कठूमर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बन्दियों की कठिनाइयों व जेलों में कमियों पर चर्चा के लिये)।

369. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर आदर्श कारागृह में लघु उद्योग खोलकर कैदियों को जूते और बूट आदि का काम सिखाने पर चर्चा के लिये)।

370. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूचना केन्द्रों से जन स्वास्थ्य और आयुर्वेद की प्राथमिक उपचार की बातों के प्रसारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

371. श्री हजारी मल (सरदारशहर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्त-

(श्री हजारी मल)
र्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में फैले भ्रष्टाचार पर तथा जेलों में 'ए' क्लास की सुविधा पुनः देने पर चर्चा के लिये)।

372. श्री मोहम्मद जहूर (कामां): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक-जेलें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

373. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक-सूचना और प्रचार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सम्पर्क विभाग की कार्य शिथिलता संबंधी चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 16, 17, व 18 पर विचार**

**श्री उपाध्यक्ष** : अब इन मांगों के सम्बन्ध में चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को सुझाव मैं बराबर देता आया हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि माननीय सदस्य उन का ध्यान रखेंगे। उन सुझावों को रिपीट नहीं करना चाहता।

अब श्री गिरधारीलाल जी भार्गव इनीशियेट करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मेरा आज का यह भाषण नीरस हो····

**श्री खेतसिंह राठौड़** सरस कब रहा है?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आपके टाइम में भी मैंने मांगें रखी थीं और कुछ मांगें पूरी हुई थीं। उस समय जो रुख रहा था वही आज भी है। राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों की जो कठिनाइयां हैं मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आपके मार्फत दिलाना चाहूंगा···

**श्री सुखलाल सेंगचा** (रायपुर) : पहले नहीं दिलाते थे क्या ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : पहले भी इन पर प्रकाश डालता रहा हूं।

अन्य स्टेटों के मुकाबले में राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेतन कम है। वह वेतन अन्य स्टेटों की तुलना में हमको भी बढ़ाना चाहिए। मेस अलाउन्स के बारे में जब मैं पिछले सदन का भी सदस्य था तब भी मैंने यह मांग की थी कि जो 10) रुपये जनरल मैस अलाउन्स और 17) रुपये लाइन में रहने वाले व्यक्ति को देते हैं यह अलाउन्स बढ़ाना चाहिए। आज मुख्य मंत्री बरकतुल्लाजी नहीं हैं, उन्होंने मेरी इस मांग को स्वीकार किया था और 10) रुपये के बजाय 17) रु. अलाउन्स कर दिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैस अलाउन्स राजस्थान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है। जो रोटी मैस में दी जाती है वह रोटी शायद एक कुत्ता भी खाना पसन्द नहीं करेगा। ऐसी रोटी हमारे राजस्थान के सिपाहियों को दी जाती है। ऐसी हालत में भूखे रह कर वह क्रोध किस पर निकालेंगे···

**श्री मूलचन्द डागा** : बड़े दुःख की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपकी सरकार के द्वारा ही की हुई हालत है। उसको दूर करने के लिए मैं मेरी सरकार से निवेदन कर रहा हूं। जो त्रुटियां इन्होंने की हैं उनको सुधारें।

श्री खेत सिंह राठोड़ : ऐसी रोटी तो अब मिल रही है जिसको कुत्ते भी नहीं खावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अफसोस की बात है कि 24 घण्टे उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। छुट्टी का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि असेम्बली के जो प्रहरी खड़े हैं, 11-11 बजे तक एक साधारण पुलिस का सिपाही ड्यूटी देता है, वह प्रातःकाल का नाश्ता भी करके आता है या नहीं, 9 बजे सुबह ही लाइन पर हाजिर होना पड़ता है, किस प्रकार की उसकी ड्यूटी है, यह देखने की बात है। इसलिए उनका मैस अलाउन्स बढ़ाना चाहिए। उनकी ड्यूटी के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए और हार्ड ड्यूटी अलाउन्स उनको देना चाहिए।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पिछली सरकार की भूल के कारण जो वर्दी का क्राइटेरिया और क्रम बना हुआ है वह देखने से बड़ा आश्चर्य होगा। 45) रु. थानेदार और इन्सपेक्टर को वर्ष भर का मिलता है। वर्दी वही बनायेगा, अप टू डेट रहेगा, जूतों पर पालिश करेगा और उसके लिए 45) रुपया एक वर्ष का मिलेगा। 300) रुपया डी.वाई.एस.पी. और एस. पी. को 480) रुपया यानि चालीस रुपया महीने का एस. पी. को मिलता है। इतना बड़ा भारी फर्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कभी कभी वर्दी पहनता है, राज्यपाल के आने पर या एरोड्रम पर जब कोई आवे तो कभी वर्ष भर में दो चार बार वर्दी पहनता है उसको तो 480) रुपया यानि चालीस रुपया महीना और जो गरीब इन्सपेक्टर और थानेदार बराबर वर्दी पहता है, स्वयं की वर्दी बनाता है उसको 45) रु. वर्ष भर का। इसमें बहुत बड़ा अन्तर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछली राज्य सरकार ने कायम किया था। मैं वर्तमान जनता पार्टी की सरकार से, मेरी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस अन्तर को कम से कम, कम करें।

रहने की व्यवस्था सिपाहियों की बिलकुल बेकार होती है। बैरक्स में खिड़की नहीं है, पंखा नहीं, सफाई नहीं है, चारपाई नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं है, बैरक्स में जाले हैं और कबूतर बींट करते हैं। मच्छरों का वहां पर प्रकोप है। फैमिली क्वार्टर वहां पर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सिपाही जो है वह यूनियन बना नहीं सकता, संगठन बना नहीं सकता। ऐसे गरीब सिपाही की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से अब तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। धौलपुर में आर.ए.सी. की बैरक ओपन है। उनके लिये छाया नहीं है, टैंट नहीं है। राजस्थान में केवल बीकानेर ऐसा स्थान है जहां पर कि आर. ए. सी. के बैरक्स हैं। जयपुर में बैरक्स बने हुए हैं लेकिन उनको भी खाली कराने के बारे में कह दिया गया है। उनके बैरक्स नहीं होंगे, फैमिली क्वार्टर्स नहीं होंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब सिपाही कहां पर कैसे रहेंगे। इसके लिए पंचवर्षीय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

योजना बनाई जानी चाहिए ताकि इन सिपाहियों को किसी प्रकार से बैरक में रहने की सुविधा दें और मकान दें। भारत सरकार जब पचास प्रतिशत अनुदान देना चाहती है तो राजस्थान सरकार इस ओर से उदासीन क्यों है? सरकार को उदासीनता छोड़नी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आखिरकार यह सिपाही कहां जायं? एस. पी. सुने नहीं, इन्सपेक्टर उनकी सुने नहीं, बड़े अधिकारी सुने नहीं। इसलिए यदि एक ग्रिवेंसेज कमेटी बना दी जाय, शिकायत निवारण करने के लिए कमेटी बना दी जाय ताकि वहां पर जाकर सिपाही अपनी व जिब मांगों को रख सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नया बना है उसके अनुसार दो महीने में किसी भी केस का निवारण हो जाना चाहिए। पर आज हालत क्या है? स्ट्रेन्थ कम है थानों को, थानों पर बिल्कुल साधन नहीं हैं, स्ट्रेन्थ नाम मात्र की है। जयपुर शहर में कुल 765 पुलिस के सिपाही हैं और आठ लाख की आबादी है। इतना बड़ा शहर है जयपुर इसलिए सिपाहियों की स्ट्रेन्थ बढ़ानी चाहिए। गांवों में और शहरों तक में थानों पर टेलीफोन नहीं हैं, उसकी ओर भी ध्यान दें। विधायक निवास का थाना है, जहां पर एम. एल. ए. की सुरक्षा करने वाले रहते हैं, उस थाने पर भी टेलीफोन नहीं हैं, यह कितने अफसोस की बात है। थानेदार को कोई सूचना देनी हो तो पहले गवर्नमेंट होस्टल जाकर टेलीफोन करें। टेलीफोन करने के लिये थानेदार इतनी दूर से आयेंगे तो कहां तक काम हो सकेगा किसी प्रकार की सूचना देना चाहें विधायक निवास वाले तो थाने में टेलीफोन नहीं है। जब यहां पर यह हालत है तो गांवों की दशा क्या होगी? मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति अच्छी नहीं है। असेम्बली के बाहर 11 बजे तक सिपाही खड़े रहते हैं और शहर में चोरियां बढ़ रही हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि असेम्बली के बाहर रात को 11 बजे तक सिपाही खड़े रहते हैं तो हम क्या करें। जयपुर शहर लुट रहा है, कोई धणीधोरी नहीं है। गश्त नहीं होती है। जयपुर शहर में अपराध बढ़ रहे हैं। चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। तो आखिर थानों की स्ट्रेन्थ नहीं बढ़ेगी तो वे क्या करेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी सरकार से, जनता पार्टी की सरकार से कि इनकी स्ट्रेन्थ बढ़ाये और इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे। गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बड़ी चिन्ता का विषय है, यह बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है इसलिए वह कम से कम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को ताड़ना दें। जिनके आज भी मुंह में खून लगा हुआ है और जो पिछली परम्पराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको जनता सरकार का सादा खाना नहीं सुहाता। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी, इन अधिकारियों पर नियंत्रण करें। अधिकारियों के मुंह में खून लगा हुआ है। जनता का सीधा सादा भोजन उनको पसन्द नहीं है, मैं समझता हूं कि उन अधिकारियों को ताड़ना देकर जनता पार्टी का सादा भोजन करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। नहीं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में यदि इस प्रकार से अपराध बढ़ते चले गये तो, न उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विरोधी दल के लोग, ये कांग्रेस के लोग जनता पार्टी को बदनाम करके रख देंगे। इसलिये माननीय गृह मंत्रीजी से आपकी मार्फत यह निवेदन कर रहा हूं।

आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों पर अत्याचार हुए हैं, एक नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेकों हुए हैं। मेरे पास इसकी लम्बी लिस्ट है। एक राजेन्द्र गहलोत पुत्र बालकिशन, मोती चौक, जोधपुर का केस है। यह जोधपुर का केस है। अन्य भी कई केसेज हैं। पुलिस के द्वारा आपातकालीन स्थिति में लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं वह चर्चा के विषय बने हुए हैं। 7 मार्च 1967 को जयपुर शहर में हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में·······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निश्चित रूप से सरकार ध्यान दे। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के क्या-क्या अधिकार क्षेत्र होने चाहिए, वह अधिकार क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है। उनके कर्तव्य निश्चित होने चाहिए। जो पुलिस के अधिकारी अच्छा काम करें उनको पुरस्कृत भी करें। यू. पी. का उदाहरण है, वहां के गृह मंत्री ने यह आदेश कर दिया था कि जिस थाने में जितनी ज्यादा रिपोर्टें लिखी जायेंगी और उनका जितना निपटारा होगा उसके आधार पर उनके काम का मूल्यांकन होगा। उसका परिणाम यह हुआ कि अगर किसी के चपत भी लगा दे तो थानेदार रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उसके पीछे घूमता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह जो सुनने में आता है कि पुलिस कुछ सुनने वाली नहीं है, कोई ध्यान देती नहीं है, यह पुलिस और जनता के बीच में जो दूरी व्याप्त है, इसको कम करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन में जो तालमेल नहीं है इस तालमेल को बिठाने के लिए भी हमको निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। तालमेल बिठाने के लिए पुलिस अधिकारियों और विधायकों की, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कमेटी बने जो यह देखे और जांच करे कि महीने भर में कितनी रिपोर्ट दर्ज हुईं और कितनों का निपटारा हुआ। मैं समझता हूं कि अब पुलिस प्रशासन को अपना बतीरा बदलना पड़ेगा। साथ ही जनता के अन्दर जो भ्रम फैला हुआ है, गलत भ्रांति है जनता में कि पुलिस केवल मारने के लिए है, मारने वाली है, परेशान करने वाली है अपमान करने वाली है, इस भ्रम को मैं समझता हूं कि दूर करना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में केवल 75 ट्रैफिक सिपाही हैं······

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर बोलें। दस मिनट हो चुके हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव**: तीन मांगें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय और दें।

जो ट्रैफिक के सिपाही हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। आज जयपुर शहर में सारे सिगनल ट्रैफिक के खराब पड़े हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो पांच रुपया गाणावत वेतन आयोग ने दिया था, वह भी इनका बंद हो गया है। जो सिपाही सफेद वर्दी पहिनते हैं, उनका वर्दी अलाउन्स आने बंद कर दिया है। पांच रुपया उनका बंद हो गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात विभाग पुलिस विभाग से अलग हो। उसका एस. पी. अलग हो जैसे की बम्बई में अलग से है। सिपाही का ट्रान्सफर यदि हो तो वह यातायात विभाग में ही हो, पुलिस विभाग में नहीं हो। गांव के आदमी को पांच बत्ती पर खड़ा कर देते हैं। वह आपरे ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है। इसलिए ट्रैफिक की समुचित व्यवस्था के लिए इसका अलग से विभाग कायम किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेल विभाग के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। जो बंदी महिलाएं हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो बंदी महिलाएं हैं उनकी भी हालत खराब हो रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। वहां पर कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, जूतों की व्यवस्था नहीं है। जूते चप्पल सप्लाई नहीं किए जाते हैं। नंगे पैर ही घूमती हैं। यह सीधा साधा दुर्दशा का उदाहरण है। इसलिए जो जेल में आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन जेल में ही कराया जाए ताकि लोगों को काम मिले।

बैरक की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। प्रत्येक जेल में शिक्षा का प्रबंध किया जाए। मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है। आज टेलिविजन चल चुका है। इसलिए छोटी छोटी जेलों और कारागृहों में टेलिविजन सेट उपलब्ध कराये जाएं ताकि लोगों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी उपलब्ध हो सके। लकड़ी की फैक्ट्री वहां पर बनी हुई है। हैन्डलूम के कारखाने वहां पर स्थापित किए जाएं। छोटे छोटे जेलों में करखाने हों। जेलों से होने वाली 18 लाख की आमद 75 लाख की आमद हो चुकी है। खातीगिरी का उद्योग, स्कूटर का उद्योग खोला जाय। इसी प्रकार से सिलाई का काम सिखाया जाय। उदयपुर जेल में स्कूटर रिपेयर का काम सिखाना प्रारम्भ किया गया है। ऐसे कामों को और चलाया जाए तो मेरी मान्यता है कि निश्चित रूप से इससे सुधार होगा।

अन्त में एक मिनट और सूचना विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पत्रकारों को अधिक अधिस्वीकृत किया जाए। समाचार पत्रों और पत्रकारों के लिए जो अधिस्वीकरण समितियां पहले बनी हुई थीं, उनको आपातकालीन स्थिति में भंग कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार ने उनको पुनः बहाल कर दिया है परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार से इस विभाग में जो जन सम्पर्क अधिकारी हैं, उनका काम आज सिर्फ मंत्रियों के पीछे दौड़ कर, उनके फोटो और भाषणों को सिर्फ अखबारों में प्रकाशित कराना रह गया है। यह जन सम्पर्क का काम नहीं है। पी. आर. ओ. की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह उस क्षेत्र की जन समस्याओं को अखबारों में फोकस करे और सरकार का उस बारे में क्या दृष्टि-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दृष्टिकोण है, वह प्रकाशित कराये। यह वास्तव में जन सम्पर्क का काम होगा। जनसंपर्क मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है? आशा है, वे उत्तर देते समय इसको स्पष्ट करेंगे। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आपातकालीन स्थिति के दौरान कई पत्र बंद कर दिए गए थे। कई पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया था। ऐसी कई घटनाएं हुई इस सम्बन्ध में माननीय जन सम्पर्क मंत्रीजी अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत पुलिस विभाग में सुधार करने के सम्बन्ध में, जेलों में सुधार के सम्बन्ध में और जन सम्पर्क विभाग में समुचित सुधार किए जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया है। आशा है, वे इन सब बातों की ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन मांगे हैं। बहुत सारे सदस्यों ने एक मांग पर कट मोशन दिए हैं और कुछ सदस्यों ने तीनों मांगों पर कटमोशन दिए हैं। आप व्यवस्था फर्मा जाते हैं पांच मिनट की ओर जब कोई सभापति महोदय आसीन हो जाते हैं तो वे इतनी जोर से घंटी बजाते हैं कि पांच मिनट के पहले ही सदस्य को बैठ जाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनकी तीनों मांगों पर कटमोशन हैं उनको अधिक समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता मगर कोई माननीय सभापति जोर से घंटी बजाते हैं तो उतनी ही जोर से आपको पालन करना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष जी, तीन मांगों के बारे में मेरे कटमोशन हैं। पहले मैं पुलिस के बारे में कहना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो पुलिस की व्यवस्था है, वह अंग्रेजों के काल से चली आ रही व्यवस्था है। उसी ढंग से वह चल रही है। आज के बदले हुए परिवेश में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस विभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में आश्वासन भी दिया था कि वे ऐसा करेंगे परन्तु ऐसा हुआ नहीं है।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस विभाग का नाम भी इसलिये बदला जाना चाहिए कि इस नाम से पिछले दिनों विशेषत: 30 वर्षों में कारनामे हुए हैं, उससे जनता के मन में पुलिस के प्रति एक थोड़ा सा अलगाव पैदा हुआ है। मेरा निवेदन है कि पुलिस और जनता के बीच में अच्छी भावना रहे, एक दूसरे से सहयोग और संरक्षण की भावना जाग्रत हो इसलिए इस विभाग का नाम बदला जाना चाहिए। पिछले दिनों जो परिवार नियोजन का कांड हुआ, सरकार ने उसको देखते हुए इस विभाग का नाम बदल दिया। उसी तरह सरकार इस विभाग का नाम बदले···

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बदलने के बारे में कोई कट मोशन नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** नागरिकों की सुरक्षा की भावना से पुलिस काम करे। आपातकाल में जिस तरह के कांड पुलिस के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने किए, जिनके लिए कोई आदेश नहीं थे, उन लोगों ने आदेश के बिना....

**श्री उपाध्यक्ष :** इसके बारे में भी आपका कोई कटमोशन नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** पुलिस के व्यवहार के बारे में और पुलिस के सुधार के बारे में, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि नन्द कुमार को, जो भैरोंसिंह जी के यहां सब्जी वगैरह लाया करता था, पुलिस ने अनावश्यक रूप से पकड़ा और पीटा। उसे जेल में रखा गया। इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय श्री त्रिलोक चन्द जी को राजनैतिक बन्दी बनाया....

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्या, इस बारे में भी आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** पुलिस के व्यवहार के बारे में मैं अपनी बात को जारी रखते हुए यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनके हथकड़ी लगाई गई और हथकड़ी लगा कर कलेक्टोरेट तक ले गये। पुलिस का यह व्यवहार गलत था। ऐसा व्यवहार पुलिस द्वारा भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए, इस ओर ध्यान दिया जाए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनका वेतन बहुत कम है। उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं दिया जाता है। उनको प्रशिक्षण ढंग से नहीं दिया जाता। इसलिए प्रशिक्षण में और उनके वेतनमान में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये। हार्ड ड्यूटी अलाउन्स भी दिया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही जाती है परन्तु उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो वे दूसरे सोर्सेज से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जब मैं जेल में थी, पुलिस वालों ने ट्रक वालों से जबर्दस्ती पैसा ले लिया था। ट्रक वाले ने बदले की भावना से पुलिस वाले को कुचल दिया। इसकी पुनरावृत्ति न हो, भ्रष्टाचार न फैले और हमारा पुलिस विभाग सतर्क रहे, इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सन् 1967 में गोलीकाण्ड हुआ था, उसके सम्बन्ध में बैरी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। उस रिपोर्ट को माना जाना चाहिये। उस रिपोर्ट के अनुसार जिन पुलिस अधिकारियों ने गलती की है, जिन्होंने सरे आम निहत्थों पर गोली मारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। बैरी कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखी जाए और उनको समुचित दण्ड दिया जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि तालाबंशाही के समग्र इलाके के लोगों ने अनशन की बात कही है। उनके लिए उचित सुरक्षा का वायदा जो पिछली सरकार ने किया था उससे इस सरकार को मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इसके लिए सरकार को अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। रेलवे थानों की जो चौकियां हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या मांग के सम्बन्ध में बोल लें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं जेल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी, जेल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। पिछले दिनों जब मैंने कहा तो यह कहा गया था कि 75 पैसा उनको दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह दैनिक रीति से उनको रुटीन में दिया जाता है। दैनिक काम ही ऐसा है कि पूरे दिन में मुश्किल से कर सकते हैं। फिर अधिक काम वह कैसे कर सकते हैं? एक आदमी आवेश में गलत काम करता है तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को दण्ड भोगना पड़ता है। गलती की एक को सजा मिलती है लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार भी सजा भोगता है। बहुत से नगीने साज हैं, स्वर्णकार हैं उनसे ऐसा काम कराया जाये तो वह अच्छा काम कर सकेंगे। इससे वह अधिक काम कर सकेंगे और कुछ रुपया अपने घर पर भी भेज सकेंगे।

जेल में जो महिला जेल है, उसकी हालत और भी भयंकर है। जयपुर जेल में एक महिला की तानाशाही से सब को परेशान किया जाता है। जो महिलाओं को खाना दिया जाता है, उसके लिए उनको तंग किया जाता है। उन सारी महिलाओं को मानसिक रूप से तंग किया जाता है। इससे उनका दिल टूट जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जेल मन्त्री महोदय महिलाओं के आदर की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह जेल में महिलाओं को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वह जेल से जब बाहर निकलें तो स्वावलम्बी जीवन बिता सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, बैठिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं कहना चाहूंगी कि यदि कोई कैदी काम करना चाहे तो उसको काम करने की दृष्टि से छूट मिलनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, बिराजिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरे आपके सामने थोड़े से सुझाव हैं। अभी तक यहां किसी ऐसी संस्था का निर्माण नहीं किया गया है। यह निर्माण क्यों नहीं किया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह इस पर अपने विचार प्रकट करें। मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से जो कदम उठाने वाले हैं, उससे अवगत करायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद। बिराजिए, आप।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : साथ ही मैं सूचना और प्रचार के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। पीली पत्रकारिता को समाप्त करना चाहिए। पत्रकारों को टाइप राइटर उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि वह ठीक प्रकार से जन सम्पर्क का कार्य कर सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ओंकारलाल चौहान!

**श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)** : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976 मौजूद है। इस पुलिस विभाग का जब से देश आजाद हुआ है, तब से पहले जैसा वातावरण है। मैं दो बातों को प्रस्तुत

# Page No 92

(९२)



(श्री ओंकारलाल चौहान)

करना चाहूंगा। पुलिस विभाग आज किस स्थिति में है। 31 साल के बाद यह चिन्तन होना चाहिए था कि पुलिस को किस प्रकार से आर्गेनाइज करें। शहर बढ़ते चले जाते हैं इसके साथ साथ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। रूरल क्षेत्र में भी यही स्थिति है। रूरल, अर्बन और रेवाइन एरिया के लिहाज से मैं चाहता हूं कि पुलिस की व्यवस्था ठीक तरीके से करनी चाहिए। आज जो चोरी होती है, लूट होती है पुलिस का काम केवल इनको रोकना ही नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर को इस आधार पर देखना चाहिए कि पीस को कैसे कायम रखा जा सकता है। पुलिस की सारी मशीनरी पुरानी है, इसका आर्गेनाइजेशन पुराना है। रूरल एरिया में डकैती, लूट और झगड़े होते हैं। जमीन के झगड़े होते हैं क्योंकि जमीनों पर उनका अधिकार नहीं हो पाता है। इस प्रकार की प्राब्लम्स हैं। गृह मंत्री जी हैं नहीं मेरा निवेदन है कि उनको इन बातों पर विचार करना होगा। कौनसी ऐसी मशीनरी है जो कि इण्डस्ट्रियल पीस को ठीक कर सकती है। उनका यह काम नहीं है कि वह डकैतों का सामना करें। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। कि इस आधुनिक युग में टेक्निकल ढंग से टैक्निकल तरीके से पुलिस को काम करना होगा। पुराने तरीके को अब बदलना होगा। पुलिस को नये सिरे से आर्गेनाइज करना होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे।

इसी प्रकार से अन्टचेबिलिटी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। गांवों में आये दिन इस प्रकार के केसेज होते हैं। विटनेस नहीं मिलते हैं इसलिये वह कारगर नहीं हो पाते हैं। इससे उसका जो आशय है, वह समाप्त हो जाता है और, अधिकारी डिसगस्टेड होते हैं। विटनेस के कारण मामला खत्म कर दिया जाता है। इससे रूरल सैक्टर में और दूसरे लोगों को बड़ी ग्रिवेन्सेज होती हैं इससे पुलिस की एफिशिएन्सी जाहिर नहीं होती।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड डिग्री मेथड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज पुलिस के सामने थर्ड डिग्री मेथड अप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि फर्स्ट डिग्री मेथड अप्लाई करना सिखाया ही नहीं गया। क्या उनकी जिम्मेदारी यही रह गई है, उनकी ड्यूटी मारना और पीटना ही रह गई है? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो अपनी पार्टी में कह देना सारी बातें।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप तो शान्त रहिये, श्रीमान जी।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी बातें हैं पुलिस को भय का वातावरण नहीं उत्पन्न करना चाहिए, सेवा का वातावरण बनाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह निष्ठावान बने और सुधार की ओर अग्रसर हो जिससे मैं समझता हूं कि लोगों को राहत मिलेगी। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1976 की रिपोर्ट दी गई है इसमें जो पुरानी कमियां हैं और लेकूना रह गया हैं, मैं समझता हूं कि अब जो रिपोर्ट आयेगी, उसमें इन बातों पर ध्यान दिया जायगा और वह अच्छी रिपोर्ट होगी।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और कर्मचारियों को तो तनख्वाह मिलती है एक तारीख को और थानों के अन्दर 11, 12 और 13 तारीख को तनख्वाह मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है कि आपको तो 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाय और थानों में 11, 12 और 13 तारीख तक मिले ? मैं चाहूंगा कि इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें और जिस तरीके से सेलेरीज बिल बनाने का प्रोसीजर है उसको डी-सेन्ट्रलाइज किया जाय जिससे थानों में भी तनख्वाह टाइम पर मिल सके। इसी प्रकार से टी. ए, डी ए. के मामले में···

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज यह हालत है कि पुलिस के कर्मचारियों को तीन–चार महीने बाद भी टी. ए. डी. ए. का भुगतान नहीं होता है। यह उनके साथ न्याय नहीं है, यह अन्याय है। इस ओर माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए जिससे उनकी यह दिक्कत दूर हो सके।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बुनियादी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुलिस के पास दफा 109 का हथियार है। कहीं पर भी कोई बात हो, दफा 109 के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय इस पर विचार करें, मैं इसको सुपरफ्लुअस मानता हूं, इसका कोई औचित्य · · · ·

[समय–समाप्ति–सूचक घंटी]

नहीं है कि जबरदस्ती किसी को भी दफा 109 में गिरफ्तार किया जाय।

ट्रैफिक कन्ट्रोल के बारे में पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पुलिस विभाग सक्रिय नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी कर दीजिये, चाहे विद्युत् विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, गरीबों को जमीन देने के मामले हों, किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकेगी। ट्रैफिक के लिए निवेदन करूंगा कि शहरों में तो व्यवस्था ठीक है लेकिन गांवों में, देहातों में, छोटे-छोटे टाउन्स में लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। यहां भी टैम्पोज एम. आई. रोड पर बन्द कर दिये गये हैं, · · ·

[समय–समाप्ति–सूचक घंटी]

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टेम्पो बहुत ही आवश्यक है, इससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिलती है। बीस, पच्चीस पैसे में लोग इधर उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। यह सेवा उनको आसानी से सुलभ होनी चाहिए।

मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को रूड और रफ नहीं होना चाहिए। हम सही दिशा में चल सकें इसके लिये जो सतर्कता शाखा खोली गई है उसको और टाइटन किया जाना चाहिए और ज्यादा एफिशिएन्सी उसमें बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि 154 डाकुओं ने आत्म समर्पण किया उसके लिए मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई देता हूं। लेकिन अभी

(श्री ओंकारलाल चौहान)
तक उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं किया गया है। आज उनको परेशानी हो रही है, उनको किसी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

राज्य सरकार का यह परम दायित्व है कि उनके रिहेबिलिटेशन की तरफ शीघ्र ध्यान दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों की सामान्य सुरक्षा की भी पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सन् 54 में अजमेर रोड पर एक सेवा सदन खुला था जिसमें 144 बीघा जमीन थी। सामान्य सुरक्षा के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। उस जमीन को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने अपने काम में ले लिया और आज उनका वहां पर फार्म है, वहां पर अंगूरों की खेती होती है। यह जमीन सांसी और कंजरों के लिए थी।

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

अब समय बदल रहा है अतः मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले की जांच करवाये। जो 150 बीघा जमीन है, वह जमीन सांसी और कंजरों को देनी थी, उन लोगों को पुनः अलाट की जावे तो न्याय होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जिन्होंने इस प्रकार के काम किये, इस प्रकार का व्यवहार किया, और अपने पद का दुरुपयोग किया उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। Ceaser's wife must be above suspecion. जो समाज सुधार की बाते करते हैं, वह हरिदेव जी जोशी सीजर की वाइफ की परिभाषा में आते हैं। वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे और मुख्य मंत्री भी थे, इसलिये उनका आचरण अब सस्पीशन होना चाहिए। उनके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए और जो जमीन उन्होंने हड़प ली है, वह राज्य सरकार को वापस लेनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द सामरिया!

**श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनसंख्या में किसानों का बाहुल्य है। किसान बहुत ही शांतिप्रिय हैं। किसान का लगाव जमीन से बहुत ज्यादा है। जमीन से सम्बन्धित छोटी सी बात को तूल देकर किसान अपनी जान की बाजी लगा देता है। जब कि आदतन वह शांतिप्रिय होता है जमीन की वजह से जुर्म करता है तो उसको जेल भी जाना पड़ता है और जब फसल का समय होता है तब किसान जेल में बैठा रहता है। किसान को अगर आषाढ़ के महीने में बुवाई के समय जेल में रख दिया जाता है तो उसके बाद कोई दूसरा समय ऐसा नहीं मिलता है जब

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कि वह अपनी साल भर की रोटी-रोजी कमा सके। इसलिए जो लोग आदतन अपराधी नहीं है और जिनका धंधा जराइम करना नहीं हैं ऐसे किसानों को फसल की बुवाई और कटाई के समय साल में 3 माह पैरोल पर छोड़ देना चाहिए जिससे वे अपने पीछे रह रहे परिवार के पालन पोषण के लिए खेती कर सकें, कातिक में कटाई कर सकें और चेत में संभाल सकें। इस तरह की व्यवस्था करने से वित्त मंत्री जी के बजट के ऊपर कोई भार नहीं आएगा.....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सुझाव आपके कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : बिल्कुल है, जब तक आप देखें तब तक मैं बोलता रहूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : 9, 10, 51 व 52 में ऐसा कोई सुझाव आपने दिया नहीं है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : इसको पढ़िए पेज नं. 2 पर "राजस्थान के कृषक कैदियों को फसलें बोने व काटने के समय पैरोल पर छोड़ने पर चर्चा के लिए।"

**श्री उपाध्यक्ष** : जेल की मांग होगी।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : जी हां। कोई भी डिमांड हो। यह समय मेरे समय में जोड़ा जाए।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे तो जो अचानक घटनायें होती हैं उनके कारण लोग कैद में जाते हैं जिससे पूरा परिवार परेशान रहता है। उनको संभालने वाला कोई नहीं हो तो उन लोगों को भिखारी की जिंदगी बितानी पड़ती है और वे समाज पर भार स्वरूप हो जाते हैं। तीन महीने के लिए उनको पैरोल पर छोड़ दें तो उनकी रोजी-रोटी की समस्या का निराकरण भी हो सकेगा और सरकार को अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो उनकी खुराक पर खर्च करना पड़ता है उसमें कमी होगी। कैदी जो एक शांतिप्रिय किसान है, उसमें समाज में मिलने जुलने से स्वतः सामाजिक चेतना आएगी। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरी नजर में जेल सुधार गृह हैं, न कि कैदियों को दंडित करने के स्थान। राजस्थान में अधिक से अधिक व्यक्ति जो धंधा करते हैं, अगर वह धंधा जेलों में उन से करवाया जाए और उनसे पूरा समय काम लेकर उस पर होने वाले खर्चे को काट कर बाकी आमदनी उनके परिवार को भेजी जाय तो पीछे रहने वाला परिवार भी दुखी नहीं होगा और काम करने की लगन भी उनमें बनी रहेगी। जेलों के संबंध में मेरे दो ही कटौती प्रस्ताव थे। एक तो जो लोग जेल जाते हैं उनमें सुधार किया जाए, दंडित करने के हिसाब से उनको परेशान नहीं किया जाए, दूसरा था कि काश्तकारों को तीन महीने के लिये पैरोल पर छोड़ दिया जाए।

गृह विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि जहां तक गृह मंत्री का प्रश्न है, उनका अपना नजरिया है। अगर गृह विभाग के अधिकारी भी वैसे ही करें तो राजस्थान में जो जनता सरकार आने पर परिवर्तन आया है, उसकी झलक जनता को मिल सकती है। जहां तक पुलिस विभाग का मामला है

(श्री मूलचन्द सामरिया)
अधिकारियों को इतना वेतन मिलता है जिससे वे आराम से रह सकते हैं, ठीक तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं और ईमानदारी से रहना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं लेकिन एक एस.आई. व ए.एस.आई. लेवल के कर्मचारियों का वेतन वास्तव में कम है, उनकी ड्यूटी हार्ड है और जो उनको फैसिलिटीज मिलती हैं वे अपर्याप्त हैं।

इतना ही नहीं, अगर पूरे विभाग के बारे में सोचा जाए तो जहां आधुनिक युग में अपराध करने वाले अल्ट्रा माडर्न तरीकों से अपराध करते हैं वहां उनको पकड़ने के लिए पुलिस के पास आधुनिक उपकरण नहीं हों तो उन लोगों पर कन्ट्रोल करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा। मिसाल के लिए एक व्यक्ति अगर जुर्म करके अपनी जीप में भागता है तो, पुलिस वाले के पास ट्रक को हाथ देकर खड़ा करके उसमें बैठकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इसलिए पुलिस को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए जिससे वे अल्ट्रा माडर्न तरीके से अपराधों को रोक सकें।

मैं स्वीकार करता हूं जनतंत्र में पूरी स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन स्वतन्त्रता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गुंडे सिर उठाकर शरीफ लोगों को सतायें और रास्ते चलती मां बहनों से गंदे गंदे अल्फाज से पेश आयें। इस तरह की घटनायें, सड़कों पर पधारें तो देखने को मिल सकती है। खासतौर से गुंडों से सख्ती से पुलिस को पेश आना चाहिए, सख्ती से उनको दबाना चाहिए जिससे आम आदमी और जो शरीफ लोग हैं उनको खुशी हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पुलिस विभाग को नागरिकों की कमेटी बनाकर उनकी मदद से ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हू कि जयपुर जिले की विशालता को देखते हुए पुलिस विभाग के अन्तर्गत ज्यादा केसेज होते हैं इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि दौसा चूंकि बहुत बड़ा सब डिवीजन है इसलिए वहां पर आप एडीशनल एस.पी. साहब के दफ्तर को स्थानान्तरित कर दें। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि हफ्ते में दो दिन एडीशनल एस. पी. साहब वहां केसेज को निपटाने के लिए अपना हैड क्वार्टर दौसा में रखें। ताकि लोगों को राहत मिल सके। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह!

श्री अजीत सिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष, आज राजस्थान के कोने-कोने के अन्दर हम रात व दिन में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी बात का खतरा नहीं है इसके लिए तो मैं गृह मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आस पास के प्रान्तों में ऐसी स्थिति आज भी है कि लोगों को रात के पर्टीक्यूलर समय के बाद सड़क पर नहीं निकलने दिया जाता है क्योंकि वहां पर रात को चोरी, डकैती वगैरह के काण्ड अधिक होते हैं। उस नाते तो हमारे यहां आपने अच्छी स्थिति पैदा कर दी है। पुस्तिका पुलिस विभाग द्वारा दी गई है उसमें जो सूचना दी गई है उसको देखने से एक विचित्र बात सामने आती है कि हमारे यहां चोर और डकैती की घटनायें बहुत अधिक हुई है

(श्री अजीतसिंह)

ओर हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब से जनता पार्टी का राज्य आया है तब से यह बात देखने में और सुनने में आ रही है कि लॉ एण्ड आर्डर में थोड़ी कमी आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि लड़कों का एजीटेशन हुआ था तब जयपुर में लड़कों ने पेट्रोल पम्प से जबरदस्ती पेट्रोल भरवा लिया और पेट्रोल के पैसे नहीं दिये। साथ ही दुकान पर पत्थर बाजी की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि पुलिस वहां पर खड़ी-खड़ी देखती रही और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी मान्यता है कि आज जयपुर में लॉ एण्ड आर्डर में कमी आई है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें नहीं तो हालत बद से बदतर हो जायेगी।

इसके साथ ही दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और हर तरह का बदलाव आज हर विभाग में आ रहा है उसी तरह से पुलिस विभाग में भी काफी बदलाव आना चाहिये। पुराने जमाने के अन्दर जो तरीके पुलिस विभाग में अपनाये जाते थे मारपीट के उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। मैंने कटौती प्रस्ताव जो दिया है उसमें यह सुझाव दिया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के अन्दर हालांकि एक अनुसंधान केन्द्र भी खोला गया है उसमें काफी अनुसंधान कार्य इस बारे में किया जा रहा है कि पुलिस विभाग में इन्वेस्टीगेशन कैसे किया जाय। फिंगर प्रिन्ट्स, फुट प्रिंट्स, और फोटोग्राफी और एक्स-रे वगैरह के साइन्टिफिक मैथड्स काम में लिये जा रहे हैं। मुलजिम के साथ मारपीट के पुराने सिस्टम से केसेज का इन्वेस्टीगेशन किया जाता है उसमें कमी आयी है पर इसका अभी विकास पूरी तरह राजस्थान में नहीं हो पाया है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि अनुसंधान केन्द्र की फैसिलिटी सभी जिला हैडक्वार्टर्स पर हो जिसमें फिंगर प्रिन्ट्स, एक्स-रे फोटो, फुट प्रिन्ट्स के इन्वेस्टीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां की जो प्रान्तीय लेबोरेट्री आधुनिक उपकरणों की है वह पूरी तरह से लैस नहीं है। मैं राज्य सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी व्यवस्था जो मारपीट की है वह समाप्त की जानी चाहिए। इसके साथ ही नये तरीके से आधुनिक उपकरणों व साइन्टिफिक बेसिस पर इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि यहां पर नये उपकरण सभी जिला हैड क्वार्टर पर सप्लाई किये जायें जिससे कि सभी जगह से सही तौर से इन्वेस्टीगेशन हो सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पहले एक चोरी का पता लगाने के लिए और खास तौर से जानवरों की चोरी पकड़ने के लिए कुत्तों का एक स्क्वेड था जो चोर का पता बहुत जल्दी लगा सकता था। उन कुत्तों के माध्यम से कई बड़ी बड़ी चोरियां हमारे यहां पर पकड़ी गई थीं। पर अब मैं देख रहा हूं कि वह स्क्वेड एक तरह से लुप्त हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कुत्तों को छोड़कर जानवरों की चोरी की और पैदल चोरी करने वालों को तुरन्त पकड़ लिया जाता था और मौके पर चोरों से पूरा माल बरामद कर लिया जाता था पर

(श्री अजीतसिंह)

पर स्क्वेड नहीं होने से थोड़ी दिक्कत आती है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें ताकि गांवों में और शहरों के जानवरों की पैदल चोरियां करने वालों को पकड़ने में काफी मदद मिले। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो कहूंगा ही कि कुत्तों के स्क्वेड को प्रोत्साहन दिया जाय पर इसके अलावा पहले हमारे थानों में फुट प्रिन्ट्स के एक्सपर्ट होने से चोरियां खुल जाया करती थी, जानवरों की चोरियां और पैदल चोरियां करने वालों को फुट प्रिन्ट्स के माध्यम से ही मौके पर पकड़ लिया जाता था। पहले थानों में ऐसे सिपाही रहते थे, खोजी लोग थाने में होते थे अब उनका अभाव हो गया है जिससे कि कई चोरियां पकड़ी नहीं जाती हैं। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावा हमारे यहां पर इन्वेस्टीगेशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण काम में लिए जाने चाहिए। जो पुरानी प्रथा मारपीट की थी वह खत्म हो जानी चाहिये वरना लोग थानों मे पीटे जाते हैं और उनसे बयान लिखाये जाते हैं मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही भ्रष्टाचार विभाग में जो तौर तरीके काम में लिये जाते हैं वह पुराने तौर तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। पुराने तरीकों में एक तरीका विशेष रूप से काम में लिया जाता है, जिस किसी रिश्वतखोर को पकड़ना होता है उसको देने वाले नोटों पर एक प्रकार का रंग लगा दिया जाता है और फिर उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया जाता है। पर कई बार ऐसा हुआ है कि इसमे अपराध पूरी तरह से साबित नहीं होता है। क्योंकि लोग नोटों के हाथ ही नहीं लगाते हैं जिससे कि वह पकड़े नहीं जाते हैं। अभी जो आपने पुस्तिका दी है उस में यह दिया हुआ है कि 66 में से 59 को तो रंगे हाथों पकड़ लिया लेकिन 7 ऐसे केस थे जिनमें वह रंग वाला सिस्टम कारगर साबित नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन तौर तरीकों में बदलाव किया जाय जिससे कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार में कमी आवे। नोट के रंग लगा कर रेड हैण्डेड पकड़ने का तरीका सभी जगह कारगर साबित नहीं हो सकता है इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय को कि इस में बदलाव होना चाहिये जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जेल, पुलिस, और सूचना व प्रचार की मांगों पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सबसे पहले मैं पुलिस की मांग पर अपने कटौती प्रस्तावों के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। यह जो रिपोर्ट आपने पुलिस विभाग की हमें दी है यह सन् 76 की है। यह सन् 76 तक ही सीमित है उस समय तो हमारे यहां पर हालत अच्छी थी। लेकिन हमारा तो निवेदन यह है कि जबसे जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में पावर में आई और खास तौर से विधान सभा के चुनावों के बाद जब राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार पावर में आई है उस समय से लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन दिन व दिन खराब होती जा रही है। इसके कई प्रमाण हमें रोज देखने को

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मिलते हैं। अगर जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद की आप रिपोर्ट देते तो हमें काफी मामले मिलते और उन पर अधिक डिस्कशन किया जाता। हमें जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि की भी जानकारी मिलती। पर जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह प्रतिवेदन सन् 1976 का है। सन् 76 में हमारे यहां पर कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लोगों की जान माल और छात्राओं तथा औरतों की इज्जत को बहुत ज्यादा मात्रा में खतरा बढ़ गया है। आज स्थिति ऐसी है कि अभिभावकों को अपनी लड़कियों की पढ़ाई कराने में काफी दिक्कत हो रही है। आज कालेज में लड़कियों के आने जाने में काफी दिक्कत आती है। आज सरे आम बाजारों में गुन्डों द्वारा कालेज में स्कूलों में पढ़ने जाने वाली लड़कियों को छेड़ा जाता है। आपको मैं ताजा उदाहरण देना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त 1977 को आजादी दिवस पर ऐसी घटना घटी जिसमें काफी लोगों को परेशानी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन छात्राओं द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम हायर सैकन्डरी स्कूल बाड़मेर में हो रहा था। वहां पर पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। जिला प्रशासन की ओर से हालांकि यह आयोजन हो रहा था लेकिन वहां पर पुलिस का एस. एच. ओ. तक नहीं था। न वहां पर पुलिस का डी वाई. एस. पी. था, न कलेक्टर था और न एस. पी. साहब खुद ही थे। सिर्फ वहां पर पुलिस के नाम पर चार पांच कान्सटेबल थे और एक हैड कान्सटेबल था। इस प्रकार की पुलिस की अव्यवस्था को देखकर वहां पर रात को साढ़े आठ बजे जब सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हुआ उस वक्त लाइट आफ कर दी गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यह हिदायत तहसीलदार को दी गई थी कि अगर बिजली चली जावे तो वहां पर पैट्रोमैक्स का इन्तजाम होना चाहिये लेकिन तहसीलदार ने पेट्रोमैक्स का कोई इन्तजाम नहीं किया, गैस की कोई व्यवस्था नहीं की, बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं की गयी। गुन्डों ने बिजली की व्यवस्था को भंग कर दिया। सिर्फ दो ही आइटम हुए थे कि गुन्डों ने बिजली आफ कर दी और जो युवतियां और लड़कियां वहां पर थी उनके साथ उन्होंने भयंकर दुर्व्यवहार किया। उनके ब्लाउज फाड़ दिये और लड़कियों के चुम्बन ले लिये पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस तो वहां खड़ी खड़ी देखती रही और कुछ नहीं कर सकी। कार्यक्रम जो कि एजूकेशन डिपार्टमेंट की ओर से था बन्द करना पड़ा। कार्यक्रम बन्द हो गया मैंने इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन भी रखा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा लेकिन कोई भी संतोषप्रद उत्तर नहीं हुआ। एस. पी. का ट्रान्सफर हो रहा था, एस. एच. ओ. उनके स्वागत में था, डिप्टी एस. पी. उनके स्वागत में था, इसलिये पुलिस की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यह घटना हुई उसके बाद में एस. पी. के नोटिस में लाया गया कि जिन गुन्डों ने गड़बड़ी की, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये। आप मालूम तो कीजिये कि कौन लोग हैं? कोई एविडेन्स देने नहीं आता है तो हिस्ट्रीशीट के अनुसार सेटिस्फाई हो जावें, हिस्ट्री शीट खोलिये। लेकिन उन्होंने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कोई कदम नहीं उठाया इससे गुन्डागर्दी को और प्रोत्साहन मिला। 15 अगस्त को जिला प्रशासक की ओर से वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का इसमें कोई दोष नहीं है। उनको कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। एक आइटम पेश किया, दूसरा किया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस घटना की पूरी तरह से जांच होनी चाहिये। इस प्रकार की घटना के लिये पुलिस दोषी है, जिला प्रशासन दोषी है। स्वतन्त्रता दिवस के दिन इस प्रकार की घटना हुई, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करानी चाहिये और जो व्यक्ति दोषी पाये जायं उनको दंडित किया जाना चाहिये। जिला प्रशासन निष्क्रिय रहा, उसके विरुद्ध कदम उठाया जाय और पुलिस भी निष्क्रिय रही उसके खिलाफ भी कदम उठाया जाय। इस घटना की जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बालोतरा नगर में पिछले छः महीनों में काफी चोरियां हुई हैं। बाड़मेर नगर में चोरी हुई। वायतू नगर में 1975 में चोरी हुई। पहले इस ओर भी ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि नयाबास सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर मुसलमानों का गिरोह बना हुआ है, वे सशक्त हैं, ताकतवर हैं। वे चोरियां करने आते हैं, कार में आते हैं, जीपों में आते हैं। उनको यदि कोई राजनैतिक संरक्षण है, कांग्रेस कार्यकर्ता का संरक्षण है तो उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये और यदि जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का संरक्षण है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही कीजिये, उनके खिलाफ भी आप कदम उठाइये। इस तरह के गिरोह हैं जो कि पाली, बाड़मेर, जालौर में चोरियां करते हैं। मेरा निवेदन है कि गुन्डागर्दी और गिरोहों को राज्य सरकार को सख्त कदम उठा कर समाप्त करना चाहिये। यह भी जानना चाहता हूं कि इस पर जो स्टेटमेन्ट आप दें उसमें स्पष्ट बतायें कि इस गिरोह को समाप्त करने के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं? मैंने 15 अगस्त के दिन हुई दुर्घटना के बारे में कहा कि पुलिस ने निष्क्रिय होकर कोई कदम नहीं उठाया। जिला प्रशासन निष्क्रिय रहा। क्या राज्य सरकार उनके खिलाफ कदम उठायेगी?

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में रखा था और कट मोशन भी रखा है।

मैं दो तीन मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जो वास्तव में कार्य करना चाहिए वह कार्य नहीं कर रहा है। यह भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनता का जो सहयोग मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है। प्रश्न यह है कि रेड हैन्डेड अरेस्ट किया जाय उसके लिए जनता भी तैयार नहीं है। मैंने भी कोशिश की कि रेड हैन्डेड अरेस्ट कराया जाय। लेकिन लोग सेल्फिस हैं। एन्टीकरप्शन विभाग के सामने मैंने एक केस रखा था। अकाल राहत कार्यों में जो अधिकारी भ्रष्टाचारी पाये गये उनको मुख्य मंत्री ने सस्पेन्ड किया। मैं एक केस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एन्टी-करप्शन विभाग की नौलेज में ला चुका । एन्टी-करप्शन विभाग ने असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के खिलाफ चालान भी पेश किये। मामला इस प्रकार कि 25 मील की जो ग्रेवल रोड बनी थी मोहन से रामसर, उस पर 25 लाख रुपया खर्च हुआ। डामर की सड़क भी बने तो 25 लाख रुपया खर्च नहीं हो सकता क्योंकि डामर की रोड बनाने में 1 मील पर एक लाख से अधिक खर्चा नहीं आता है। इस मामले में छोटे कर्मचारी ओवरसियर ही नहीं इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर भी शामिल है और कई लोग इसमें शामिल हैं। जांच करायेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स ने प्रोटेक्शन दिया है। यह साबित किया है कि 5 लाख पाली में खर्च हुए हैं, 25 लाख में से। यह स्पष्ट किया गया है इसलिये सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर के खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिये और सख्त कदम उठाने चाहिये।

पुलिस सेवा पदक के बारे में धारणा इस प्रकार की रही है कि यह पुलिस सेवा पदक कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों को दिया गया है जो कि करप्ट हैं, कुछ ऐसे अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने मुकाबले के केसेज बनाये हैं लेकिन उन्होंने बहादुरी नहीं दिखायी है। बल्कि कान्सटेबल और हैड कान्सटेबल ने बहादुरी दिखायी है। इसका लाभ उन लोगों ने उठाया है। ऐसे मामले भी हैं कि मुकाबला हुआ नहीं, मर्डर हुआ और पुलिस पदक प्राप्त कर लिया। यह पुलिस पदक दिया जाय, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी न होकर राजस्थान लेवल की कमेटी हो। इसके चीफ सेक्रेटरी भी सदस्य हों, आई. जी. पी. भी सदस्य हों। डिस्ट्रिक्ट के एस. पी., एस. पी. भी शामिल हों। इसके बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिये।

(1.40 म.प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। हथकड़ी लगाई जाती है वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लगायी जाती है। शहर के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वे पैसा देकर, रिश्वत देकर किसी प्रकार हथकड़ी लगने से बचे हैं। ग्रामीण लोगों के 147, 148 के खेतों के झगड़े होते हैं तो उनके क्रिमिनल केस बना कर हथकड़ी लगा देते हैं। दस वर्ष से ज्यादा की सजा के जुर्म में ही हथकड़ी लगानी चाहिये। एक दफा ओफेन्स किया है उसको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये। हेबिचुअल आफेन्डर्स हों उनकी मैं नहीं कहता लेकिन एक्सीडेन्टल आफेन्डर्स हैं, उनके हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये। 10 वर्ष से कम सजा मिलती हो ऐसे जुर्म में हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये। एक्सीडेन्टल केसेज के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि जो एक्सीडेन्ट्स हो जाते हैं और उनमें डेथ हो जाती है या सीरियस इन्जरीज हो जाती हैं तो उनमें क्रिमिनल केसेज हो जाते हैं लेकिन जो विधवायें होती हैं वह कम्पेन्सेशन के केसेज के बारे में कार्यवाही नहीं कर पाती हैं। ऐसे केसेज में एक साल की मियाद होती है इसलिये बाद में कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में पुलिस आथोरिटीज कलेक्टर के नोटिस में लावे और नोटिस में लाकर यह बताये कि इस प्रकार से एक्सीडेन्ट हुआ है और उसमें डेथ हुई है। फिर लीगल एड लेकर सिविल सूट कम्पेन्सेशन का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उसी समय कर दिया जाना चाहिए और उस की पैरवी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। फिर लीगल एड देकर और जो भी सुविधायें विधवा को दी जा सकती हैं वह दी जायें। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐड दी जानी चाहिए तब जाकर रिलीफ मिल सकता है, यह मेरी राय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो रेप केसेज हैं और केसेज पर्टेनिंग टू फेमिलीज हैं उनके बारे में मेरा मानना है कि कैमरा ट्रायल होनी चाहिए। कैमरा ट्रायल नहीं होने की वजह से अक्सर इस प्रकार के केसेज में एवीडेन्सेस देने के लिए लेडीज तैयार नहीं होतीं। मेरा निवेदन है कि ऐसे केसेज में कैमरा ट्रायल करायी जानी चाहिए।

मुलजिमान के बारे में यह है कि कभी-कभी मर्डर केस में मुलजिम तो दो होते हैं और उनके साथ में तीन-चार और जोड़ दिये जाते हैं। मुस्तगीस की पार्टी होती है वह स्ट्रिक्ट रहती है और पांचों को फंसाने की कोशिश करती है। इस प्रकार उनमें से तीन निरपराध होते हैं वह भी फंस जाते हैं। मेरी राय है कि ऐसे केसेस में एस.पी. को भी देखना चाहिए। जो भी इस प्रकार की शिकायत आये कि निरपराध फंसाये गये हैं तो उनके बारे में पूरी छानबीन करने की कोशिश करें और मुलजिम की तरफ से भी एवीडेन्स लें। यदि वह पूरे सेटिस्फाई हो जायें कि वह दोषी नहीं हैं तो उनको नाहक न फंसाया जाये। मैंने अक्सर ऐसा पाया है कि वह मर्डर केसेज में फंस जाते हैं और जो एक्चुअल मर्डरर नहीं है उनका कनविक्शन हो जाता है। इस संबंध में पूरा ध्यान देने की जरूरत है।

सूचना और प्रचार के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं. .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने 17 मिनट ले लिये हैं। अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी था इसलिए कुछ निवेदन करना चाहता था। सूचना केन्द्र है. .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि पुलिस प्रशासन के बारे में आये दिन सब ओर से भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें की जाती हैं। पुलिस प्रशासन में काफी भ्रष्टाचार कम हुआ है यह तो हमको मानना पड़ेगा। परन्तु विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और जिन लोगों का थानों से काम पड़ता है उनका और मेरा मानना है कि गृह मंत्री जी थानों में कुछ जरूर सुधार करें। पुलिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जिस समय दरख्वास्त आती है तो मुकदमा दर्ज होने के समय ध्यान देना चाहिये क्योंकि उस पर सरसरी तौर से निगाह डाल कर अगर संगीन जुर्म में एक मुलजिम है और चार दावे कर दिये जायें तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसमें भ्रष्टाचार जरूर होगा क्योंकि कुछ सच्चाई के ऊपर और कुछ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

झूठ के ऊपर वह केस होता है । तो इस बारे में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है ।

सभापति जी, थानों के पास पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एक सक्यूंलर गया था कि कहीं भी मुकदमा एफ. आई. आर. में बोलता है तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए । दर्ज होने के बाद, अगर मामला झूठा है तो फाइनल रिपोर्ट होने के बाद अदालत में इस्तगासा होकर फिर जुर्म दर्ज हो जाता है इसलिए इसमें खास तौर से सुधार करने की आवश्यकता है । वह सुधार क्या करेंगे आप ? आज सीनियर आफिसर्स और डी. एस. पी. लेवल तक रिफ्रेशर कोर्स और हार्स ट्रेनिंग और काफी प्रशिक्षण देने की योजना कर रखी है लेकिन नीचे लेवल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं हो पाती है । थाने में 6 कान्सटेबल, एक हैड कान्सटेबल और एक थानेदार का स्टाफ होता है । फिर थाने भी 'ए', 'बी' और 'सी' तीन केटेगरी के हैं । सारा कामकाज थाने में होता है जैसे रेवेन्यू मामलों का सारा काम पटवारी लेवल पर होता है और वहां से सारा काम ओरीजिनेट होता है इसी तरह से पुलिस के अन्दर भी बहुत से मामलों के जुर्म ओरीजिनेट होकर अदालतों में 156 (3) के अन्दर आर्डर लेकर दर्ज कर दिये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि पुलिस को कुछ तो नाहक शिकायतें होती हैं । उन शिकायतों को दूर करने के लिए थानों के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है । जो नीचे लेवल के पुलिस अधिकारी हैं वह एफीशियेन्ट हों, ट्रेण्ड हों और उनको समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स में प्रशिक्षित करना चाहिए । अमूमन देखा गया है कि थाने का कर्मचारी एक ऐसी स्थिति पैदा करता है कि बाद में जनता के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है । थानेदार भी इन बातों से अनभिज्ञ हैं । इतना उसको ज्ञान नहीं है तो ऐसी हालत में थानों की ओर आपको ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है ।

अब, सभापति जी, यह कहा जा रहा है कि तीस वर्षों तक एक पार्टी ने राज किया अब आये दिन कहा जाता है और वास्तव में सत्य भी है कि तीन चार महीनों में जुर्म बढ़े हैं और लॉ एण्ड आर्डर भी बहुत बिगड़ता जा रहा है । इसका विशेष कारण यह है कि शासन में परिवर्तन हुआ है । एक पार्टी हारी है और दूसरी पार्टी का शासन आया है । जैसा कि स्वाभाविक ही है सब तरह के लोग दूसरी पार्टी को सत्ता लाए हैं और उसमें सब तरह के लोग हैं । उसमें स्मगलर भी हैं, कुछ अन-सोशल एलीमेन्ट्स भी हैं, व्यापारी भी हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के असन्तुष्ट लोग भी उसमें गये हैं । तो सब तरह के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं । वह चाहते हैं कि हमारी सारी समस्यायें दूर हो जायें । मैं वहां देखता हूं कि गृह मंत्री जी तो घिरे ही रहते हैं । वह हर आदमी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं । उनके बंगले पर भी पचासों आदमी खड़े रहते हैं । उनका घेराव ही किये रहते हैं । कुछ ट्रान्सफर्स के मामले वाले भी उनको घेरे रहते हैं । इस कारण एक-एक थाने में तीन-तीन थानेदार पहुंच जाते हैं । गृह मंत्री जी की सीमा है । इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों का कोआपरेशन होना चाहिए । इन्होंने जो गलतियां की हैं आप भी वही करने जा रहे हैं ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जब हमारी खुद की जिम्मेदारियां हम नहीं निभायेंगे तो कोई भी प्रशासन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सभापति जी ! इसलिए मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि आप बेधड़क होकर सच्चाई जानने की कोशिश करें और अनडिजायरेबल एलीमेंट को प्रोत्साहन नहीं मिले, ऐसी कार्यवाही करें । सीनियर आफिसर्स और एस. पी. तक भी आज डीमोरेलाइज्ड हैं । वह भी देखते हैं कि वहां से क्या आदेश आते हैं । वह खुद जानते हैं कि यह चीज गलत हो रही है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए आप प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग बुलाइये और उनको कहिये कि बेधड़क होकर सही काम करो । जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रहेगी । आज गुण्डों और हिस्ट्री-शीटर्स को कोई भी डर नहीं है । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । उनके खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही बेधड़क होनी चाहिये नहीं तो जो साधारण लोग हैं और शांतिप्रिय लोग हैं उन्हें परेशानी होगी । आखिर गृह मंत्री जी की सीमायें हैं, इसलिए, सभापति जी, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैंने एक काल अटेन्शन नोटिस पेश किया था दो मिनट मैं उस पर लेना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ था कि इस समय मैं उसके बारे में चर्चा कर दूं । मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी उसका सही उत्तर देंगे । मेरे यहां एक केस के अन्दर एक गरीब सुथार के साथ पिछले तीन चार महीनों में हरक[त] हो रही है । उसका सांचोर मजिस्ट्रेट [के] यहां मुकदमा दर्ज था । उसकी औ[रत] पेशी पर जा रही थी । जालिमसिंह न[ाम] का मुलजिम काफी अर्से से उसके पीछे ल[गा] हुआ था । वह पेशी पर आ रही थी उस पर बस में हमला किया गया । [उस] बस में ज्यादा पैसेन्जर्स थे इसलिए [उस] औरत को छुड़ा लिया । झगड़े में चोट आ[ई] लेकिन उसको साथ नहीं आने दिया[ा] उसके बाद में फिर उसने पीछा किया अ[ौर] थोड़े अर्से में फरार करके ले गया । प[हि]ले बस पर हमले वाले 326 के मुकदमे [में] कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं हुई । उस[का] नतीजा यह हुआ कि वह फरार क[र] ले गया । जिसके कब्जे में रही उसने 3[66] में उसके बयान करवा दिये । यह [सब] फैक्ट्स आपके सामने आये हैं । उ[धर] पुलिस यह कह रही है कि हम उ[से] गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे [हैं] और उसी मुल्जिम ने औरत को साथ [ले] जाकर 366 में बयान दिलवा दिये । 3[26] में अगर पुलिस सक्रिय रूप से कार्यव[ाही] करती तो वह फरार करके नहीं ले जात[ा] बहुत से फैक्ट्स आपके सामने आ गये [हैं] इस तरह गरीब की शादीशुदा औरत [को] जालिमसिंह नाम का आदमी ले भाग[ा] शादीशुदा औरत है, ठीक है उसके ब[यान] पक्ष में करवा लिये । उसके कब्जे में थी इसलिए उसने यह हरकत की । आ[ज] रिपोर्ट आती है कि गिरफ्तारी की क[ार्य]वाही कर रहे हैं । क्या कार्यवाही कर [रहे] हैं ? उसमें 366 आई. पी. सी. के अन्त[र्गत] फाइनल रिपोर्ट देते हैं । वही मुल[्जिम] बयान देकर थाने में पेश करता है ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
संगीन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो गुण्डाइज्म, बदमाशी बढ़ेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसका घर बरबाद हो गया, पुलिस को तुरंत कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और अगर डिले हुई तो कोई कार्यवाही नहीं होगी।

**श्री सभापति** : पर्याप्त हो गया।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इसलिये, सभापति जी, मैं यह चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही करें।

इसके अलावा पुलिस के साथ हमारी सिम्पेथी होनी चाहिये । पुलिस को ज्यादा डिमोरलाइज नहीं करना चाहिये। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिये। सही बात तो यह है कि पुलिस का हमें साथ देना चाहिये और गलत बात हो उसका विरोध करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री राम रघुनाथ।

**श्री रामरघुनाथ (डेगाना)** : सभापति महोदय, मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं वे केवल पुलिस की मांग पर हैं । इस सदन में भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत सी बातें रखी गई हैं। भ्रष्टाचार पुलिस में ही व्याप्त हो यह बात नहीं है । जितने भी विभाग हैं उन सभी में कम या ज्यादा भ्रष्टाचार है। पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें कह कर पुलिस को हमने इतना डिमोरेलाइज करने की कोशिश की है जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा लगता है कि केवल पुलिस विभाग रह गया है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर हम पुलिस आफिसर्स, जो हमारी जान माल की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, पर लांछन लगा कर डिमोरेलाइज करेंगे तो क्या हम आशा करें कि वे पुलिस अधिकारी हमको सहयोग देंगे ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी एक्जाम्पल देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक जगह झगड़ा हो गया, एक उच्च अधिकारी, जिसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, मौके पर गया उसके साथ में उचित मात्रा में सिपाही नहीं थे। लोगों के झगड़े और हाथापाई के दौरान पुलिस के सिपाहियों के चोटें आई। उसका एक्सप्लेनेशन काल किया गया कि अगर सिपाही कम थे तो मौके पर क्यों गये। उसको सजा दी गई और कोई घटना हुई, उसमें भी मारपीट हो गई तो फिर उसको सजा दी गई। मेरा कहने का मतलब है, सभापति जी, अगर लोगों की जान-माल की रक्षा पुलिस अधिकारी करें, मौके पर जाकर अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जान-माल की रक्षा करें तो उनको सजा दी जाय, अगर ज्यादा पुलिस के सिपाही जायें और लोगों को झगड़ा फसाद करने से रोकें तो भी सजा। इस तरह से हम पुलिस को डिमोरेलाइज करेंगे।

एक घटना और बता रहा हूं। एक पुलिस आफिसर, जो जूनियर आई. पी. एस. था, अन्डर ट्रेनिंग था, वह अधिकारी के साथ भोजन कर रहा था। बाहर झगड़ा हो रहा है, उसने कहा हमको बाहर चलकर झगड़े

(श्री रामरघुनाथ)

को मिटाना चाहिये। अधिकारी ने कहा, पहले भोजन करें। वे खाना खाने में लग गये। जब धीरे धीरे झगड़ा अपने आप शांत हो जाता है तो बाहर गये। और रिपोर्ट भेज दी कि झगड़ा हुआ, इतने लोगों को चोटें आईं और अब शांति है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे ऐसा करने को मजबूर थे क्योंकि झगड़े में अगर पिट जायें तो उनका एक्सप्लेनेशन काल हो और अगर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लाठी चार्ज हो जाये तो जुडिशियल इन्क्वायरी हो। इसलिये छोटी सी रिपोर्ट बना कर भेज दी कि चन्द व्यक्तियों के चोटें आईं हैं। मंत्री महोदय, पुलिस को डिमोरेलाइज करने से जो सूचना आपके पास वह भेजते हैं वह गलत होती है। मेरा निवेदन है कि जो पुलिस में दोषी व्यक्ति हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जब भी सदन में किसी का नाम लेकर चर्चा हो तो पूरी जांच की जाये लेकिन बिना नाम, बिना किसी सूचना के कोई जांच होती है तो पुलिस का हमारे में विश्वास नहीं रहेगा। सारे आफिसर्स हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, जयपुर और बड़े शहरों के यातायात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इमर्जेन्सी के बाद शहरों के अन्दर यातायात की कोई व्यवस्था नहीं रही। पैदल चलने वाले सड़क के बीच चलते हैं क्योंकि पटरियों पर पैदल चलने के लिये जगह रही नहीं। जिन लोगों के कब्जे सरकार ने हटा दिये थे नाजायज हरकत करके वापस पटरियों पर बैठ गये हैं अब पैदल चलने वाले आदमी कहां जायें। पुलिस को डिमोरेलाइज कर दिया है यदि पुलिस के सिपाही कोई व्यवस्था करने के लिये कदम उठायें तो वे कहते हैं कि हम तो जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, नौकरी नहीं करनी क्या?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और।

मैं आपको एक एग्जाम्पल इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अखबार में मैंने पढ़ा था। बाजार में खोमचे वाला खड़ा था। पुलिस ने जब खोमचे वाले को हटाना चाहा तो खोमचे वाले ने कहा, आपको पता नहीं अब कांग्रेस का राज नहीं, जनता पार्टी का राज है। वह खोमचे वाला ट्रक से टकरा गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुलिस क्या करती है हमारी जान माल की रक्षा नहीं करती। यह जनता पार्टी का राज है? दो मिनट पहले खोमचा वाला खोमचा हटाने को तैयार नहीं था और जब ट्रक की टक्कर लग गई तो इस तरह से चिल्लाने लगा। जयपुर शहर का यह हाल है। जब आप पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वह कैसे व्यवस्था कर सकती है? इसलिये मैं चाहता हूँ, सभापति महोदय, शहरों में जो यातायात की व्यवस्था खराब होती जा रही है उसको सुधारा जाये।

इसके साथ ही एक मेरा कटौती प्रस्ताव और है। उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आप के थानों के तहत जो सिपाही अलग अलग इलाके में लगे हुए थे उनमें सिपाहियों की संख्या आज भी उतनी ही है जितनी 15, 20 और 25 साल पहले थी। जनसंख्या बढ़ गई है

(श्री रामरघुनाथ)
इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि क्राइम्स को रोकने के लिये, गश्त के लिये और दूसरे आवश्यक कार्यों के लिये थानों में पुलिस के सिपाहियों की तादाद ज्यादा हो उनको ठीक ढंग से पैसा मिले, पगार मिले, तनख्वाह मिले ताकि वे कानून व व्यवस्था की स्थिति की ओर समुचित ध्यान दे सकें।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : डागा जी का समय मुझे दे दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस को कई गलत फहमियों का शिकार बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि...

(व्यवधान)

श्री सभापति : Let us be serious when he talks.

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में शिक्षक की कोई नौकरी नहीं करे और दूसरा पुलिस की नौकरी नहीं करे। थानेदार, एस.पी. या डी वाई. एस.पी. बन जाय लेकिन पुलिस का सिपाही नहीं बनना चाहिये। जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या पता क्या करते हैं ये लोग, सिपाहियों को सुबह से शाम तक वर्दी पहना कर खड़ा कर देते हैं...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जब आपके मिनिस्टर जाते थे तो सुबह से शाम तक खड़े रहते थे।

श्री सभापति : कोई हस्तक्षेप नहीं बीच में, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : इन सिपाहियों की यह हालत कर रखी है कि एक छोटे से कमरे में पन्द्रह पन्द्रह सिपाही पड़े रहते हैं। उनकी हालत तब से ज्यादा बिगड़ी है जब से जनता पार्टी की सरकार आई है...

श्री दाऊदयाल जोशी : संख्या बढ़ गई है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कारण यह है कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। साथ ही हम सिपाहियों से आशा करते हैं कि थानों में भ्रष्टाचार नहीं हो। भ्रष्टाचार तो होगा थानों में। एक बार जांच करवाइये जो बड़े बड़े अफसर हैं पुलिस के, बड़े बड़े एस. पी. हैं मोटे ताजे, ऊंचे, बड़े चमकदार आदमी हैं उनकी जांच कराइये और भ्रष्टाचार की दुहाई देने वालों की भी जांच कराइये। मंत्री जावे तो पहले एस. पी. से बात करेंगे, थोड़ी दिक्कत है, रात को सोता हूं तो दूध लेता हूं। जरा देख लेना। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बड़े बगुला भगत बनते हैं। अब बताइये कि क्या सारे एस.पी. भष्टाचारी नहीं बनेंगे? सारे थानेदार और जो सिपाही हैं उनको महीने की अदायगी करनी पड़ती है, नजराना पेश करना पड़ता है, अदायगी करते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमानजी, आपके राज में थाने बिका करते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में हस्तक्षेप नहीं करें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह गलत-बयानी कैसे कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : Please, no interruptions.

**श्री मूलचन्द डागा** : जोशीजी पैरवी बहुत करते हैं···

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप अपने कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रखें अपनी बात को।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं 26 सितम्बर की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं करता··

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : कौन सी सितम्बर।

**श्री मूलचन्द डागा** : 1977 की।

मुझे तो केवल एक ही बात कहनी है कि अगर किसी आदमी पर दया करनी है तो वह पुलिस के कर्मचारी पर करें। एक मंत्री आ रहे हैं, दस बजे का टाइम दे दिया पुलिस के सिपाही को वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया लेकिन चार बजे तक मंत्री नहीं आए और वह पुलिस वाला खड़ा हुआ है। अरे क्या सलामी देनी है। सलामी तो पूरी वहीं हो गई · · ·

**श्री केदारनाथ** : वह बन्द कर दी है।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने देखा है, आपके घर पर पुलिस नहीं रखी लेकिन अभी भी पुलिस आफिसरों के घरों पर सिपाही लगे हुए हैं। क्या कर दिया उनके लिये आपने ? यह तो मंत्री लोगों ने दिखाने के लिये कर दिया लेकिन आपने जाकर देखा है कभी आफिसरों के घरों पर ? कल ही मैंने देखा है वनीपार्क की तरफ घूमता हुआ मैं चला गया था। क्या कदम उठाया आपने ? अगर समाजवाद लाना है, नया क्रांतिकारी कदम उठाना है तो पुलिस के ऊंचे ओहदे के आदमियों की तरफ देखिये। पुलिस में दो तरह के लोग हैं, एक पुलिस का कर्मचारी छोटा और एक बड़ा। बड़ा बहुत मुस्तंड हो रहा है। सारे भ्रष्टाचार की जड़ जिसको कहना चाहिये उसको आप बचाना चाहते है। मैं पुलिस के बारे में ज्यादा बात नहीं कहता क्योंकि अभी घण्टी बजेगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हालत हो रही है आज पुलिस विभाग की। हम कहते हैं कि जब से जनता पार्टी का राज आया है, तब से जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा कानून और व्यवस्था की सिचुएशन खराब हो गई है। कानून और व्यवस्था की खराब हालत कर दी है गवर्नमेंट ने। नैनवा का काण्ड हुआ, चित्तौड़ की घटना घटी, भीलवाड़ा का केस हुआ, गरदन नीचे हो गई, सिर झुक गया है हमारा। राज्य सरकार सोचे इस बात को आखिर कारण क्या है। कह दिया सिपाहियों ने विश्वकर्मा उद्योग के मालिक और श्रमिक आपस में लड़े जबकि हम नहीं आयेंगे, लड़ो तुम। सरकार ने हुकुम दे दिया। सरकार ने क्या किया ? कह दिया सिर फुड़ाओ। कह दिया, महंगा माल बेचो, धरना दो। पुलिस के आदमी भी धरना देंगे अब। यह क्या गवर्नमेन्ट की व्यवस्था है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

साथ साथ, श्रीमान, यह जन सम्पर्क विभाग है इसका काम है मंत्रियों की चापलूसी करना और उनके फोटो छापना। यह जन सम्पर्क है आपका। ये सारे जन सम्पर्क के

(श्री मूलचन्द डागा)

फोटो छपे हैं। वे चले गये, महबूब अली जी, जन सम्पर्क मंत्री हैं, इसमें लिखा है कि चार हजार चित्र छपे हैं। वे चित्र कहां हैं· ·

श्री सभापति : अपना समय माननीय सदस्यों को दे दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना समय माननीय सदस्यों को ही दे रहा हूं और यह बता रहा हूं कि जन सम्पर्क विभाग क्या है, इस जन सम्पर्क विभाग में क्या होता है? आपने प्रगति की रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि पांच हजार फोटो छपे हैं। पूछो इनसे, श्रीमान्, क्या दाढ़ी मुंडाते हुए फोटो खिचवाये जैसे राजनारायण के स्नान करते हुए फोटो आए हैं? जनता पार्टी में यही चलता है। रेडियो और सारी एजेन्सीज जो हैं उन्होंने आपका प्रचार करना शुरू कर दिया है। पहले कहते थे कि इन्दिराजी का रेडियो है। अब रेडियो किस का है? बड़ा निष्पक्ष है रेडियो। यह उसकी निष्पक्षता है छोटी पार्टियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। एक पार्टी डोमीनेट कर रही है और उस पार्टी का ही प्रचार हो रहा है। मैं सूचना दे रहा हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी खराबियों को अपना लिया है। हमारे दोष निकालते निकालते हमारी सारी खराबियों को अपना लिया है। कौनसा आपका निष्पक्ष अखबार निकलता है? कौन सी तब्दीली की है जन सम्पर्क विभाग ने? जन सम्पर्क विभाग की इस रिपोर्ट में है कि इतने फोटो छपे, इतने समारोह किए जिनके चार हजार फोटो छापे। श्रीमान्, आप आश्चर्य करेंगे · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कांग्रेस ने पिछली 19 तारीख के लिए एलान किया था कि अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री जी ने यह प्रेस रिपोर्ट दी कि कांग्रेस बाजारों को बन्द करवाना चाहती है। जन सम्पर्क विभाग ने यह रिपोर्ट दी, यह इनकी फाइल पर है। यह आपका जन सम्पर्क विभाग है। जन सम्पर्क महकमा किनकी सेवा करता है। इस महकमे के कर्मचारी गांवों में कभी जाते नहीं, केवल मंत्रियों के फोटो खींचते हैं। एक दिन मैं भी चला गया 'घास का पंछी' देखने।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, घण्टी बजायें लेकिन दो मिनट का समय दें। 15 कटौती प्रस्ताव हैं· · ·

श्री सभापति : बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी बड़ा आभारी हूं।

मैं चला गया जन सम्पर्क विभाग के 'घास का पंछी' को देखने · ·

श्री सभापति : उनका ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : ध्यान आकर्षित नहीं हो गया, हमारा समय बरबाद हो गया। उन्होंने इन्तजाम किया एम. एल. एज. को फिल्म दिखाने का, मैं भी चला गया। क्या खिलवाड़ किया गया उसके साथ। क्या 'घास का पंछी' फिल्म की दुर्दशा हुई।

जेलों की हालत क्या है · · ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने दस मिनट ले लिये हैं। प्लीज।

माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैंने राज्य में घटती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कटौती प्रस्ताव दिए हैं, जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान, वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ही कानून और व्यवस्था की हालत गिरी है और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं बचा है। मेरे एक प्रश्न के अन्दर गृह मंत्री जी से कुछ दिन पूर्व यहां पर पूछा था, मैंने यह सवाल पूछा था कि पिछले साल 31 मार्च से 30 जुलाई तक चार महीनों के अन्दर कितने क्राइम हुए और इस साल के इन चार महीनों के अन्दर कितने क्राइम हुए ? इन्होंने जो संख्या दी, उसके मुताबिक राजस्थान में इन पिछले चार महीनों में 3373 आई.पी.सी. के क्राइम हुए हैं। यह सूचना मुझे यहां पर दी गई। आज भी अखबारों में पढ़ा था कि जयपुर के अन्दर क्राइम बढ़ रहे हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी गृह मंत्रीजी को कहा कि जोधपुर में क्राइम बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह सका है तो शहर भी कैसे अछूते रह सकते हैं। राजस्थान के नागरिकों को और हम सबको इसकी चिन्ता होना स्वाभाविक है। किस वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं ? श्रीमान्, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी का अंजाम पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। मेरी बात हुई है। वे अपनी ड्यूटी का अंजाम मुस्तैदी से नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं इस सरकार को दोषी ठहराना चाहता हूं। जितने पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे छोटे अधिकारी हों आज सब के सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उनमें निराशा का वातावरण है। वे अपने आपको डिमारेलाइज फील कर रहे हैं। चाहे वरिष्ठतम अधिकारी हो चाहे छोटा कान्सटेबल हो, चाहे सब इन्सपेक्टर हो सब इस तरह डिमोरेलाइज हैं। मास स्केल पर ट्रांसफर किये गये हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मुझे व्यक्तिश: आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। आप सज्जन व्यक्ति हैं। परन्तु एक थाने के लिए आपने चार-चार का ट्रांसफर कर दिया। आखिर यह प्रक्रिया क्यों अपनाई है आपने ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रांसफर होने चाहिये। डेमोक्रेसी के अन्दर ट्रांसफर होते हैं। कांग्रेस राज में हमने भी ट्रांसफर करवाये हैं। परन्तु कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा जाए कि चार-चार जगह से ट्रांसफर न करवाये जाएं। गृह मंत्रीजी अगर मेरी सूचना गलत नहीं है तो आपके कार्यालय से डी. ओ. लेटर लिखे जाते हैं ट्रांसफर के लिए। यह आपके कार्यालय से हो रहा है। आप डी. आई. जी. को टेलीफोन कर सकते है। रूल्स के तहत आप इसके लिए सक्षम हैं। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आफिसर को कान्फिडेन्स में लें और जो मोरल गिरा हुआ है, उसको उठावें। आपको अपने वरिष्टतम अधिकारियों को कान्फिडेन्स में लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी लाचार होकर एक सर्क्यूलर इश्यू करना पड़ा। यह परसों के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपा है। उन्होंने साफ कहा है अधिकारियों से कि हम आपके बोनाफाइड एक्शन को सपोर्ट करेंगे। आपको डिमोरेलाइज होने की जरूरत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा है क्योंकि वहां पर भी हालत दिन ब दिन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बिगड़ती जा रही थी। आपको भी यह कदम उठाना पड़ेगा। आपको उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा। कोई प्रापर्टी को लूटता है, गुंडा गर्दी करता है, तो उसको रोकना होगा। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाज के अन्दर 98 प्रतिशत, 99 प्रतिशत लोग शांतिप्रिय हैं। सिर्फ एक दो पर्सेन्ट शैतान किस्म के लोग हैं जो आज समाज को तबाह किये हुए हैं, परेशान किये हुए हैं। आप किसको खुश करना चाहते हैं? दो पर्सेंट आदमियों को खुश करने के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और शिथिलता वरत रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि 98 प्रतिशत लोगों को आप 2 प्रतिशत लोगों के हाथ में न छोड़िये। श्रीमान, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जहां तक क्राइम में इजाफे का सवाल है, मेरा निवेदन है कि आप स्टेट लेवल पर आई. जी., डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस. पी. और डी. आई. जी. को रेस्पांसिबल बनाइये। परन्तु आज यह स्थिति नहीं है। एस. पी. जानता है कि वह थानेदार को बदल देगा तो वह मंत्री महोदय से आर्डर करा लाएगा। इसलिए मेरी क्या इज्जत रहेगी। वह आज अपनी इज्जत को थानेदार, कान्सटेबल के आगे बचाता फिर रहा है। थानेदार, कान्सटेबल का ट्रान्सफर आज जयपुर से किया जा रहा है। इससे ज्यादा शोचनीय स्थिति क्या हो सकती है? मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं। आपके मकान पर आपसे मिलना मुश्किल है। सौ-दो सौ आदमियों का झुंड आपको घेरे रहता है। लोग आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप हरएक को खुश रखना चाहते हैं। परन्तु यह सम्भव नहीं होगा। आप चाहते हैं कि शांति और व्यवस्था की स्थिति बने तो आपको सख्त बनना होगा। आपको सख्त, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज सख्त कदम नहीं उठायेंगे तो एक महीने बाद उठायेंगे। साल भर बाद तो मर्ज इतना बढ़ जाएगा कि आप ज्यादा वक्त देते हुए भी कन्ट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको इस मर्ज को बढ़ने से रोकना है तो आप अभी से इलाज कर दीजिए।

दूसरी बात, श्रीमान्, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज अखबारों के अन्दर और बहुत सारी बातों के साथ यह भी आ रहा है कि अब पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मैथड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लोगों के अन्दर कानून के प्रति भय है, वह समाप्त हो जाएगा। तब क्या स्थिति बनेगी? भय और अत्याचार के बीच, श्रीमान, मैं अन्तर करके चलता हूं। भय तो समाप्त हो गया। आपके 15 आदमी, 14 आदमी एक थाने को चलाते हैं तो इस स्थिति में वह थाना चलने वाला नहीं है। आज बीस वर्षों से तो यही स्थिति है। हर थाने में यही स्थिति है। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं परन्तु जो देहात के थाने हैं उनकी यह स्थिति है। वहां पर 14–15 आदमी हैं। इस तरह तो राज्य का इकबाल खत्म हो जायगा। भय मुक्त किस को कर रहे हैं? लोग तो तभी भय मुक्त हो गए जब आपका राज्य हो गया। इसके बाद भी बार बार आप भय की बात करते हैं। भगवान के लिए अब इस बात को समाप्त करें। लोगों का भय समाप्त हो गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय श्री शिवचरणसिंहजी ने लिख कर दे दिया है उनका समय भी मुझे दे दिया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जाए। उपाध्यक्ष महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया है। 5-7 मिनट का समय और दिया जाए।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आप थर्ड डिग्री मैथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो चोरी होती है, राजस्थान में आज तक कितनी चोरियां हुई हैं उनमें से कितनी चोरियां पकड़ी गई हैं। आप इसके फिगर्स दे दीजिए। कितनी वर्क आउट हुई हैं? कितनी चोरियों को वर्क आउट किया गया है? चोर को थाने में बुलाया जाता है। आप उससे कहेंगे, श्रीमान् क्या आपने चोरी की है? तो क्या वह आपको चोरी करने की बात बता देगा? मैं आपसे कह रहा हूं जहां तक थर्ड डिग्री मैथड के यूज करने का सवाल है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन आप एडवान्स साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन शुरू कर दीजिए। परन्तु यह सिर्फ इंगलैण्ड के स्काटलेन्ड यार्ड के पास है, या अमेरिका की पुलिस के पास है। इसके अतिरिक्त कहां पर है? सोशलिस्ट कन्ट्रीज को देख लीजिए, आप समाजवादी मंत्री हैं, वहां पर क्या क्राइटेरिया है। क्या हालत होती है। आंख पर रोशनी डाली जाती है। सिर पर ठंडा पानी डाला जाता है। एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देते हैं XXX को। सोरी यह गलती से कह गया हूं। यह सब टार्चर नहीं है तो क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुरी है।

श्री सभापति : किसी के प्रति कोई अपमानजनक बात नहीं कही है।

श्री मथुरादास माथुर: तकिया कलाम है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन की बात करते हैं, तो आपके थाने में इक्विपमेन्ट नहीं हैं। आपके पुलिस कर्मचारी, अधिकारी जो आज ट्रेन्ड होकर आए हैं, उनके पास पूरे साधन नहीं हैं। साधन नहीं होने की वजह से इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है, उसका पूरा लाभ आप नहीं उठा पा रहे है। साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन का कोई आधार नहीं है, फन्डामेंटल कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो फिर किस तरह से आप चोरी का पता लगाएंगे। इस पर भी आप प्रकाश डाल सकें तो कृपा होगी। चोरियां होती हैं, वह वर्क आउट नहीं होती है, यह मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। हमारे यहां पर चोरियां होती हैं। दरोगाओं से कहा गया, इनको गर्म करो। वे कहने लगे, इनको गर्म करूंगा तो मैं गर्म हो जाऊंगा। यह हालत है। गृह मंत्रीजी, आप जिस जिले से आते हैं, गंगानगर जिले से आते हैं, वहां पर क्राइम की रेट, पर्सेन्टेज क्या और जिलों के मुकाबले ज्यादा नहीं है? आप खुद इसको जानते हैं। प्रेक्टिकल बात और है। सिद्धान्त के ऊपर आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, परन्तु यह व्यवहारिक नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोई किसी बहन बेटी को छेड़ता है, ऐसी गंदी हरकत करता है तो क्य कोई बुराई नहीं करता है? जनता उसको गधे पर बिठा दे, काला मुंह कर दे, तो आप कोई कार्यवाही नहीं करते। ऐसे आदमी को अगर पुलिस वाला चपत लगा देता है तो क्या बुराई करता है? गुंडा गर्दी को रोकने के लिए आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे,

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है वरना आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, डकैती की बात हो रही है ऐसी बातें और बढ़ जाएंगी और फिर उनको किसी कीमत पर आप नहीं रोक सकते हैं।

मैं अब आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपके एण्टी-करप्शन में और सी. आई. डी. में जो लोग पहुँचते हैं, वे वही लोग होते हैं, जिनका कोई वसीला नहीं होता है। वही इस ब्रांच में आकर बैठते हैं। जिनका कोई गाड फादर होता है, उनको वहां नहीं बिठाते हैं। इन दोनों विंगों में मैं मानता हूं, आपको अच्छे लोग लगाने पड़ेंगे। लेकिन जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उन्हीं को आप लगाते हैं। या तो आप उनका अलाउन्स बढ़ा दीजिए या मेरा सुझाव है कि 5 साल तक सिविल पुलिस में सर्विस करने के बाद, जब कि वह लालची हो जाय एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में या सी. आई. डी. के अन्दर काम करना लाजमी कर दीजिए। यह मेरा सुझाव है। इस पर आप विचार करें, गौर करें। इस बात का लोगों के अन्दर सस्पीशन है। मैं निवेदन करूंगा कि इस महकमे में जो अलाउन्स दिया जावे वह डबल अलाउन्स दिया जाये। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत होता है। लोगों को वहां लालच होता है, वहां वह आना चाहते हैं। आज क्राइम बढ़ रहे हैं फिर भी थाने की 14 या 15 आदमियों की स्ट्रेन्थ है। जो सिपाही हैं उनमें से एक किसी गांव में चला जाता है सम्मन तामील करने के लिए। कुछ किसी काम के लिए चले जाते हैं। फिर कितने लोग रह जायेंगे। मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है तो कौन जायेगा? इसके अलावा थाने वाला किसी सेठ साहूकार की गाड़ी मांग ले जाता है तो उसका अहसान मन्द हो जाता है। इस तरह व्यवस्था नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर आप चौकीदारों को रिवाइव कर सकें तो क्राइम रोकने में सुविधा होगी।

एक बात और निवेदन करूंगा कि राजस्थान में हरिजनों पर अत्याचार अन्य राज्यों के मुकाबले में कम हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान में भय का वातावरण है। इस भय को समाप्त करने के लिए आपको निश्चित कदम उठाने पड़ेंगे। करौली और सरमथुरा के इलाके में डकैतियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए पत्थर की खान के मालिकों से चौथ वसूली की जा रही है।

मैं एक और वे निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस के आदमी रिटायर हो जाते हैं, वह गवाही देने के लिए अदालत में जाते हैं तो अदालत उनको कोई खर्च नहीं देती है। अदालत कहती है कि अपने महकमे से लो और महकमा कोई खर्चा देता नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो रिटायर लोग गवाही देने के लिए आते हैं उनके लिए कोई न कोई फण्ड की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री कल्याण सिंह।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के द्वारा आपका और सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

आज की बहस पुलिस की मांग के सम्बन्ध में चल रही है। आज हमें पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा कि प्रजातन्त्र के अन्दर पुलिस के कर्त्तव्य क्या हैं और एक गुलाम देश की पुलिस के क्या कर्त्तव्य हैं? इस पुलिस की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई। अंग्रेजों के जमाने में एक ही कर्त्तव्य पुलिस का था और वह था जनता में भय का वातावरण बनाना। अंग्रेजों के प्रति उसका दायित्व था। जनतन्त्र में पुलिस का कर्त्तव्य है, जनता की सुरक्षा। सन् 1947 में जब देश आजाद हुआ तो प्रथम रूप में इस बारे में सोचना चाहिए था परन्तु नहीं सोचा गया। जो सत्ता में आये वह भी विदेशियों की तरह से पुलिस का उपयोग करते रहे। पुलिस का उन्होंने आजादी के बाद कोई पुनर्गठन नहीं किया। उसी पुराने तरीके से पुलिस वाले चलते रहे। स्वर्गीय महात्मा गांधी और डा. लोहिया ने एक ध्यान देने योग्य बात कही है। उन्होंने सिविल नाफरमानी के तरीके से निपटने की परम्परा डाली। परन्तु उस समय की सरकार ने उनकी सिविल नाफरमानी को पनपने नहीं दिया। पुलिस का उपयोग किया गया। यही कारण है कि पुलिस जो करती है उसका परिणाम यह है कि कोई अच्छा काम भी करे तो उस पर आरोप होता है। आज पुलिस के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी दुर्दशा है। अधिकारी लोग उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत से पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारियों से स्पष्ट रूप से घरों पर निजी काम लेते हैं। यदि देखा जाय तो पुलिस अधिकारी भी उसी जमाने की परम्पराओं को मानते आये हैं। अधिकारी पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो पुलिस कर्मचारियों से अपनी जूतियां साफ कराते हैं। चलने से उनकी जूती में धूल लग जाती है वह साफ कराते हैं। नीचे के कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो इस विभाग में भ्रष्टाचार ही मिलेगा और बिना भ्रष्टाचार के कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि गृह मन्त्री जी छोटे कर्मचारियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस के प्रति सबसे पहले जनता में विश्वास पैदा होना चाहिये। हमारे देश में प्रत्येक महिला इस बात को जानती है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसको कहा जाता है कि चुप हो जा नहीं तो अभी पुलिस वाले को बुलाती हूं। आप यह देखिए कि बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसके मन में पुलिस के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जाता है। जब कि दूसरे देशों में पुलिस के प्रति यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई वफादार है तो वह पुलिस मैन है। इस व्यवस्था की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इस तरह की जो परम्परा पड़ी हुई है उसको समाप्त किया जाय, स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, विद्यालयों में, कालेजों और औद्योगिक क्षेत्रों में इस बात को बताने का भरसक प्रयत्न किया जाय कि पुलिस का क्या कर्तव्य है, पुलिस ने कौन-कौन से अच्छे काम किये हैं, चोरों और डकैतों को पकड़ने में पुलिस को कहां तक सफलता मिली है, इन सब बातों की जानकारी कराई जानी चाहिए, और हो सके तो डाक्यूमेन्टरी फिल्म बनायी जानी चाहिए। जन रक्षा में जो भी अच्छे कार्य पुलिस के द्वारा किये जायं उनका प्रचार किया जाना चाहिए और इसकी ज्यादा

(श्री कल्याण सिंह सांखला)
से ज्यादा जानकारी दी जानी चाहिए जिससे जनता और पुलिस की दूरी समाप्त हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पुलिस ने आज के इस वैज्ञानिक युग में जो भी अनुसंधान का तरीका अपना रखा है, क्रिमिनल को पकड़ने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। आज भी वही परम्परा चली आ रही है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, दूसरा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : क्या तब्दीली लाई जाय यह भी बता दीजिये।

श्री कल्याण सिंह सांखला : जी हां, यही बता रहा हूं,

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया है, संक्षेप में कह दीजिये, अक्लमन्द को इशारा ही काफी है।

श्री कल्याण सिंह सांखला : जो थानों की व्यवस्था है उसमें भी चेन्ज आना चाहिए। वहां पर जो इन्सपेक्टर्स और सब-इन्सपेक्टर्स हैं उनके पास आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने जमाने में घोड़े उनको उपलब्ध हुआ करते थे, आज उसकी व्यवस्था नहीं तो कम से कम उनके लिए इस युग में एक मोटर साइकिल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वह अपने क्षेत्र में आ जा सकें और दूसरी एक्टीविटीज में हिस्सा ले सकें, मेरा इतना ही निवेदन है, और जन सम्पर्क के मामले में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : Thank you, माननीय श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैंने पुलिस और जन-सम्पर्क के बारे में 11 कटौती प्रस्ताव दिये हैं, इनके बारे में मैं सिलसिलेवार थोड़े समय में अपनी बात निवेदन करूंगा। मैं सबसे पहले जन-सम्पर्क विभाग पर आता हूं। जन-सम्पर्क विभाग में जन-सम्पर्क होना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से परिवार नियोजन में निरोध शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं यह विभाग जनता के सम्पर्क के मामले में निरोध का काम करता है। जनता की कोई समस्या इस विभाग के द्वारा राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचती है। इसके जो ऑफिसर जिलों में हैं, वे पत्रकारों से मिलते तक नहीं, केवल कलेक्टर की हाजरी भरते रहते हैं। विज्ञापन की कोई व्यवस्था नहीं है, सारा पैसा वे हजम कर जाते हैं। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि इन पदों को समाप्त किया जाय या फिर उनको पत्रकारिता का ज्ञान कराकर जिलों में नियुक्त किया जाय। यही स्थिति प्रान्तीय कार्यालय की है, वहां पर भी जन सम्पर्क विभाग पत्रकारों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिले के जो पत्रकार हैं वे जिलों के अन्दर भूखे और नंगे घूमते हैं, समाचारों का संग्रह करते हैं। किसी प्रकार की सुविधा जनसम्पर्क कार्यालय से उनको नहीं मिलती। ऐसी स्थिति है कि उनसे जनसम्पर्क अधिकारी बात तक नहीं करते। उनको कोई सुविधा भी नहीं मिलती। छोटे पत्रकारों को कोई पूछता भी नहीं। उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे पत्रों की भी यही स्थिति है। उनको विज्ञापन नहीं मिलते और कोई विज्ञापन

(श्री रघुनन्दन व्यास)

पहुंच भी जाय तो दो-दो वर्ष तक उसका भुगतान नहीं होता। इस प्रकार की अव्यवस्था इस विभाग में व्याप्त है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें तुरन्त ही सुधार किया जाना चाहिए।

तीन जिले ऐसे हैं जहां पर जन-सम्पर्क विभाग के कार्यालय नहीं हैं, जालोर में नहीं है, वहां पर कार्यालय स्थापित करने का तुरन्त इन्तजाम होना चाहिए ताकि जनता और सरकार के बीच में यह विभाग कड़ी बनकर काम कर सके। और एक दूसरे से सम्पर्क करवा सके। आज सहकारिता को लें अथवा किसी और विभाग को लें किसी के भी सम्बन्ध में जानकारी देने की क्षमता जन-सम्पर्क विभाग की नहीं है। इनको जो वाहन की सुविधा दे रखी है, उसको वे शिकार के लिए लेकर घूमते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि जनसम्पर्क मन्त्री महोदय इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देकर तुरन्त इस विभाग में सुधार करें ताकि इस से जनता का हित हो सकें, जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंच सकें और सरकार की बात जनता तक पहुंचेगी।

इसके बाद दूसरा विभाग पुलिस का है जिस पर अधिक चर्चा हो रही है। मैंने चार कट मोशन इस विभाग के सम्बन्ध में दिये हैं। मैं उनके बारे में संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूं। पुलिस का प्रशासन, उसकी व्यवस्था और कान्सटेबलों पर हो रहे अत्याचार के विषय में निश्चित रूप से राज्य सरकार को एक पुलिस आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। उस आयोग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जन प्रतिनिधि भी होने चाहिए ताकि जो सुझाव आयें उनके आधार पर इसमें परिवर्तन किये जा सकें। आज कांसटेबलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज उनको एक चपरासी से भी कम तनख्वाह मिल रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी कहूंगा कि कांसटेबल लोग एस. पी. के घर में बर्तन मांजने का काम करते हैं। यह कार्य उनसे कराकर क्या आप सोचते हैं कि उनके प्रति कोई न्याय किया जा रहा है। चुनावों के दिनों की बात है, एक चपरासी को 8 रुपया दैनिक भत्ता मिलता है लेकिन कान्सटेबल को केवल 5/- मिलता है। अपने यहां विधान सभा में जो प्रहरी का काम करते हैं उनको केवल पांच रुपया रोज मिलता है। इतने कम में वे क्या खायेंगे, कहां जायेंगे, क्या करेंगे, धर्मशाला में किराया क्या देंगे? इस प्रकार की इनकी दयनीय अवस्था है। इसलिए अब तक जो व्यवस्था इस बारे में है उसको बदलना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक आयोग बनाकर इन सारी बातों पर विचार नहीं किया जायगा तब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को कम से कम 15/– रुपया रोज मिलना चाहिए। सी.आई.डी. की बात की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान से, गुजरात से और कच्छ से पांच हजार गायें पाकिस्तान को जा रही हैं, राजस्थान के कोने-कोने से निकलती हैं और पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस रही हैं लेकिन सी.आई.डी. की रिपोर्ट नहीं आती। इसका मतलब यह है कि पुलिस विभाग वफादारी नहीं कर रहा है या यह कहना चाहिए कि वह अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक नहीं है। गायें पाकिस्तान को जायं मुझे इसमें एतराज

(श्री रघुनन्दन व्यास)

नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में गोवध नहीं होता लेकिन यह जो चीज हो रही है इसके बारे में पुलिस विभाग कोई कदम नहीं उठाये और राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं पहुंचे यह बहुत ही बुरी और अशोभनीय बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सी.आई.डी. की स्थिति भी दयनीय है। मुझे मालूम हुआ है कि 108 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मर्जी आये जैसे उनकी भर्ती की जाती है। आज कान्सटेबल और हैड कान्सटेबल लोग कितनी रिश्वत लेते हैं, यह पुलिस के ऑफिसर सब जानते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हिन्दी और अंग्रेजी जानने वालों का भी सवाल है। हिन्दी जानने वालों को भी तरक्की देनी चाहिए, उनका भी कन्फर्मेशन किया जाना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं कि जो सीनियोरिटी की लिस्ट है उसको भी खा गये। सात नम्बर वाले को 108 पर पहुंचा दिया। सिरोही में जो इन्सपेक्टर हैं उसका नाम सात नम्बर पर था उसको 102 कर दिया। जयपुर में पी.एस.आई. पुलिस ट्रेनिंग में अमृतलाल सोनी का नम्बर नहीं आया उसको नीचे कर दिया। अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक ही जगह के लिये चार-चार थानेदार पहुंच गये। मैं यह कह सकता हूं कि यह सारी जो अव्यवस्था है उसके पीछे आई. जी. का षडयन्त्र गृह मन्त्री जी को बदनाम करने का है। इसी कारण जानबूझकर चार-चार ऑफिसरों के आदेश एक ही जगह के लिये निकाल देते हैं। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय इसकी जांच करें। पहले एक आदेश निकलता है, दूसरे दिन दूसरा आदेश निकल जाता है, तीसरे दिन तीसरा, यह सब व्यवस्था आई. जी. और डी. आई. जी. की है यह उन्हीं का काम है। वे इस बात पर तुले हुए हैं कि वे गृह विभाग को बदनाम करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में हम लोग थोड़ा सा विचार करें और देखें कि कान्सटेबल और पुलिस के लोगों के साथ आज क्या गुजरती है। उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ न करें। जितना श्रम वे करते हैं उतनी उनको मजदूरी, खाना व कपड़ा दें। आज कान्सटेबल भूखा मरता है। आई.जी. से लेकर एस. पी. तक रिश्वत खाते हैं, कान्सटेबल को किसी ने चाय पिला दी तो भी ठीक है। गांव में तो कान्सटेबल को कोई रोटी नहीं खिलाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग में नियुक्तियां, पदोन्नतियां इत्यादि के बारे में विचार करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए ताकि इस बारे में कुछ निर्णय हो सके।

मैं 19 महीने जेल में रहकर आया हूं और गृह मंत्री भी वहीं थे। मैं कह सकता हूं कि जेलों में सुधार हो···

श्री सभापति : उसके कारण तो आप आज यहां हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : भगवान ने अच्छा किया कि आप और हमको यहां पहुंचाया लेकिन जेल का जो वार्डन है उसको गर्म कपड़ा नहीं मिलता है, सूती कपड़ा नहीं मिलता और जैसे सड़क पर भिखारी फिरता है वही उसकी स्थिति है। उसकी ड्यूटी 9 घंटे की है बजाय 8 घंटे के। उसकी ड्यूटी को कम कीजिए। पैसा उसको समय पर

(श्री रघुनन्दन व्यास)

नहीं मिलता और कैदियों के लिए जो आटा, राशन, दूध, दही आदि सामान आता है वह अधिकारी खा जाते हैं, कैदी को नहीं मिलता। तो इस बारे में नैतिकता का प्रश्न है, यह तब आएगी जब उनको सिखायेंगे। राजा दिलीप के जमाने में यदि कोई स्त्री बिगड़ कर मादक बन कर सड़क पर निकलती थी तो उसका शासन इतना बलवान था कि वह सड़क पर पड़ी है तो भी किसी की ताकत नहीं थी कि कोई उसके कपड़े का भी स्पर्श कर सके या छेड़ सके। लेकिन हमारे प्रशासन में दहशत नहीं है, हम लोग निश्चित हो हो गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जेल विभाग में रोटी मिले, समय पर कैदी को काम मिले। कम से कम जोधपुर जिले में स्नान के लिए कैदियों को पानी दिया जाए। इन तीन बातों की ओर सरकार ध्यान देगी तो सारी समस्यायें हल हो जायेंगी नहीं तो आप पुलिस वालों को गाली देंगे गलत कामों के लिए। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि पुलिस के कामों को व्यवस्थित करने के लिए तुरन्त एक आयोग की स्थापना करें।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैंने तीन कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। पुलिस के बारे में मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की इतने साल की सरकार ने सुसंगठित, सुव्यवस्थित और शस्त्रों से लैस पुलिस दी है। उसी कारण मैं समझता हूं ये 5 वर्ष आप निकाल सकेंगे। अगर पुलिस का सहारा आपको नहीं रहा तो कुछ महीने ही निकलेंगे, साल निकलने वाले नहीं हैं। इस मौके पर खास तौर से मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों पुलिस बढ़ी त्यों त्यों क्राइम भी बढ़ा। हमें सोचना होगा कि आखिर क्या कारण है कि हम पुलिस बढ़ाते गए? उसके बढ़ाने के पीछे भावना यह थी कि पुलिस फोर्स बढ़ेगी तो अपने आप क्राइम कम होंगे लेकिन हकीकत यह है कि ज्यों ज्यों पुलिस बढ़ी है, क्राइम्स भी बढ़े हैं। इसलिए खास तौर से आपको सोचना होगा कि इसके पीछे क्या कारण हैं? आप कहेंगे कि आबादी भी बढ़ी है इस कारण से अपराध बढ़े हैं लेकिन . . .

श्री मदनसिंह दांता : यह क्राइम दो महीने में बढ़े हैं क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पुलिस फोर्स को रीओर्गेनाइज करते समय अपने अधिकारियों को बढ़ाया है लेकिन थानों में स्ट्रेंथ वही रखी है जो पुरानी थी। जब तक आप थानों के अन्दर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ायेंगे तब तक तफतीश ढंग से नहीं हो पाएगी, गश्त भी ढंग से नहीं हो पायेगी और जो अपराध बढ़ते हैं उनका निराकरण नहीं हो सकेगा। थानों पर आज भी वही 12 कान्सटेबल, जो कई वर्ष पूर्व थे, चल रहे हैं। इसलिए आप थानों की स्ट्रेंथ बढ़ाइए जिससे अपराधों में कमी आए।

जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अन्य कई शहरों के अन्दर जिस तरह से पुलिस कमिश्नर कायम किए जा रहे हैं, इसी तरह यहां पर भी पुलिस कमिश्नर की पोस्ट कायम करनी चाहिए जिससे अपने आप बहुत जल्दी फैसले हो और अपराधों में कमी आ सके। आज जयपुर जैसे शहर में बैंक की चोरी हुई, इस चोरी को पकड़ नहीं पाए। इसका मुख्य कारण यह था कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आपके पास में ऐसी सुव्यवस्थित और सुसंगठित फ्लाइंग स्क्वाड नहीं है कि ज्यों ही टेलीफोन आए फौरन मौके पर पहुंच जाय। इसलिए आपको बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे तुरन्त उड़न दस्ता पहुंच जाए तो सम्भव हो सकता है कि जो नए क्राइम्स बढ़ गये हैं, उनको रोकने में सहूलियत मिल सके। जिस प्रकार की सहूलियतें सी. आर. पी. व बी. एस. एफ. को मिल रही हैं उसी प्रकार की सुविधायें आप को राजस्थान आर्म्ड पुलिस व राजस्थान आर्म्ड कान्सटेबुलेरी को देनी चाहिये जिससे वे अपना काम सुचारु रूप से कर सकें।

इन्टेलीजेंस ब्रांच का महकमा और एन्टी करप्शन का महकमा इन दोनों को थोड़ा सा और सुव्यवस्थित किया जाए। सी. बी. आई. लाइन्स पर इन महकमों को ढालिए जिससे इन्वेस्टीगेशन के अच्छे परिणाम निकलें।

हमारे समय में सतर्कता समितियां बनी हुई थीं जिला स्तर पर, उनमें विधायक एस. पी. और कलेक्टर भी बैठते थे, छोटी मोटी जितनी समस्यायें आती थीं, शिकायतें आती थीं उनको सुनकर फैसला वहीं का वहीं करते थे। उसी प्रकार की समितियां या उससे भी अच्छी जो भी आप उचित समझें, बनानी चाहिए जिससे कई समस्याओं का मौके पर ही हल हो जाए।

इसके अलावा एस. पी. की सी. आर. जो कलेक्टर लिखा करता है यह बिल्कुल गलत है। ये दोनों बराबर हैसियत के हुआ करते हैं। आप एम. पीज. का मानस मत गिराइए इसलिये डी. आई. जी. ही उनकी सी. आर. लिखें तो पुलिस वालों और सबके लिये हितकर होगा।

जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, गृह मंत्रीजी आप बहुत ही लिहाजी व्यक्ति हैं। लिहाज और पुलिस का मेल नहीं है। बार बार लोगों की शिकायत आती है, एक एक थाने के लिए 4–4 थानेदार पहुंच जाते हैं उनमें से किसको लगायें किसको नहीं। इस परम्परा को मिटाने के लिए निश्चित तौर से सख्ती से काम लीजिए। और बातों में तो ढील है ही, अगर पुलिस में ढील आ गई तो मामला जल्दी गोल होने वाला है।

मैं जन सम्पर्क के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप टी.वी. के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रचार करवायें। हरियाणा व दिल्ली में टी. वी. का ज्यादा प्रचार हुआ है, वहां के काश्तकार बड़ी दिलचस्पी से टी. वी. देखते हैं। फसलें कैसे कटवाई जाती हैं, बढ़िया गेहूं कैसे पैदा होता है, इस तरह के प्रोग्राम से उनको प्रोत्साहन मिलता है, वे अपनी खेती को सुधारते हैं, उसका नतीजा भी सामने आया है। इसलिए जितना टी. वी. का पढ़ाई के लिए उपयोग बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आज आपके विभाग का हाल यह है कि सूचना मंत्री महबूब अली कैसे गए, कहां गए, बीकानेर का क्या कार्यक्रम था, यह इन्फार्मेशन आ जाती है लेकिन वही इन्फार्मेशन नहीं आती जैसे यहां का साइन्टिस्ट इटली गया और इटली के साइन्टिस्ट ने बताया कि सोलर इनर्जी के बारे में राजस्थान में काम हो रहा है और डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड के अन्दर काम हो रहा है। यह उनको वहां जाकर मालूम हुआ। ऐसी बड़ी इन्फार्मेशन दूसरे देशों से आ कर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हासिल करते हैं, यह आपके विभाग के लिए शोभा की बात नहीं है। इसलिये थोड़ा सा इसमें आप सुधार कीजिये। आज आपके जन सम्पर्क मन्त्रीजी कहां जाते हैं या कलेक्टर कहां जाते हैं उनके आगे पीछे जन सम्पर्क अधिकारी घूमते रहते हैं। इसके अलावा आज गांवों में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार किया जाय।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा जेल विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने जेल विभाग एक बहुत ही बचकाने व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया है जब कि जेल विभाग एक ऐसा है जिसमें हमको बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बचकाना शब्द असंसदीय है। इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं बोल रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, यह बचकाना शब्द जो हमारे जेल मन्त्री जी के लिये कहा है, असंसदीय शब्द है जो कि सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। इसके लिये माननीय सदस्य सदन में माफी मांगें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पहले नियमों को पढ़िये खामाखाह बहस मत करिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया शान्त रहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, यह लोग घर से लड़कर आते हैं और यहां आकर····

श्री माधोसिंह ( रेवदर ) : यह जनता पार्टी वाले लोग हमें मक्कार तक कह देते हैं क्या मक्कार शब्द असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहिये। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आसन पांव पर हो तो उस वक्त कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं रहें। इसके अलावा एक माननीय सदस्य एक वक्त में बोलें। अन्यथा चारों तरफ से आवाज आती है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है और रिपोर्टर जो लिखते हैं उनसे भी लिखा नहीं जा सकता है। किस प्रसंग में यह बचकाना शब्द कहा है यह कार्यवाही को मंगाकर मैं देखूंगा और अगर उचित हुआ तो उस शब्द को सदन की

(श्री सभापति)
कार्यवाही से एक्सपन्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। तब तक मैं चाहूंगा कि डिबेट जारी रहे।

**श्री सुरेश कुमार:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

**श्री खेतसिंह राठौड:** तो सभापति महोदय, यह जो जेल में आज क्रिमिनल्स जाते हैं।

**श्री सुरेश कुमार:** सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री सभापति:** आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**श्री सुरेश कुमार:** ऐसा है श्रीमान्, हमारे यहां जो रूल्स आफ प्रोसीजर नियम 270 हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि किसी माननीय सदस्य को सभापति द्वारा या अध्यक्ष द्वारा बोलने के लिये कहा जाय तो उनका नाम लेकर पुकारा जाना चाहिये। ऐसा नहीं होने से कई माननीय सदस्य बीच में ही बगैर नाम लिये जाने पर भी बोलने खडे हो जाते हैं और जिनको नाम नहीं लेकर पुकारा जाता है वह बोल नहीं पाते। बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिये मैं सभापति महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि, सभापति जी, हर माननीय सदस्य का नाम लेकर पुकारा जाना चाहिये।

**श्री खेतसिंह राठौड:** सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्रिमिनल लोग जो हैं वह सही मायने में एक बिगड़े हुये इन्सान होते हैं। इसलिये जो जेल मन्त्री एक बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिये ताकि उस बुजुर्ग व्यक्ति की गाइडेंस से वह बिगड़े हुये इन्सान सुधारे जा सकें।

(घन्टी)

मैं, सभापति महोदय, बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा वैसे मोदी जी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है लेकिन जब से इन्होंने जेल मंत्री का पद सम्हाला है तब से सभी जेल में प्रायः स्ट्राइक्स हो रही है। इसके अलावा कैदी लोग जेलों में लड़ रहे हैं, वहां पर सिपाहियों की यूनियन बन गई है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से जेल डिपार्टमेंट में होना हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है। जेल विभाग का यह दायित्व होता है कि वह जेल में आने वाले कैदियों की जिन्दगी में सुधार करे। सभापति महोदय, आज आजिल में आप जाकर देखें वहां पर कैदियों को दिन में फैक्ट्री में काम करने के लिये भेजा जाता है और रात को उनको जेलों में बन्द किया जाता है। कैदी रात को जेल में आते हैं और वहां सोते हैं। इसके अलावा आज सभी जगह जेलों में हालत खराब हैं। खुली जेलें जो हैं उनकी हालत खराब है और बन्द जेलें हैं उनकी हालत भी खराब है। तो मेरा निवेदन है कि इस हालत को सुधारने के लिये हमें एक बहुत ही सीजंड और काबिल व्यक्ति को जेल मंत्री बनाने की आवश्यकता है।

**श्री श्रवणलाल:** आपके पास जेल विभाग था तो आपने क्या किया था?

**श्री खेतसिंह राठौड:** कम से कम गड़बड़ नहीं होने दी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि कटौती प्रस्तावों पर बोलने वाले माननीय सदस्यों के रेफरेन्स में माननीय सदस्य ने व्यवस्था उठायी है। कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था सदन की रही है कि जिस क्रम से कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं उसी क्रम में ही बोलने को कहा जाता है। उसी क्रम में नाम लिया जा रहा है।

**श्री हरजीराम बुरडक**।

(अनुपस्थित)

**श्री भंवरलाल शर्मा**।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल और पुलिस विभाग...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय नहीं, सभापति महोदय।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : हां सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : You are down grading me.

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव आज जो सदन में मांग चल रही है जेल, पुलिस विभाग की, उन पर दिये हैं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति काफी खराब है। चोर और डकैत पकड़े नहीं जाते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार करके लाखों रुपया कमा लेते हैं उन्होंने लाखों रुपयों के भवन बना लिये हैं, कोठियां खड़ी कर ली हैं पर उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। आज कई बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी लोग हैं, जिन्होंने लाखों रुपयों की कोठियां हमारे कोटा के अन्दर बना ली हैं। उनके बारे में अगर कोई भी कुछ लिख दे तो उसके ऊपर पुलिस वाले बुरी तरह से अत्याचार करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे वहां पर एक पत्रकार ने एक अधिकारी के खिलाफ में लिख दिया। उस पत्रकार का नाम है समुन्द्र सिंह हाड़ा। उसको पुलिस थानेदार ने बुरी तरह से शराब पीकर मारा। यह बहुत ही शर्म की बात है, एक तो पुलिस के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे उनके खिलाफ में कोई बोल नहीं सकता। कोटा में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी आये हैं उन सभी लोगों ने कोटा में भवन बना लिये हैं, कोठियां बना ली हैं। मेरे पास 18 अधिकारियों के नाम हैं जो कोटा में रहे और जिन्होंने वहां पर बड़ी कोठियां बना ली हैं। इतना ही नहीं कोटा की जमीन पर बाहर से पत्थर मंगाकर ईंट मंगाकर मकान बनवाये हैं तो मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे हिन्दुस्तान में दस जगह जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं जिनमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। राजस्थान के अलावा सभी जगहों पर जो पहले इमर्जेन्सी के जमाने में आई. जी. पी. थे उनको बदल दिया

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

गया। लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां पर राजस्थान के जो आई. जी. पी. साहब हैं उनको नहीं बदला गया है। इमर्जेन्सी के वक्त पर इन्हीं आई. जी. पी. साहब ने एस. पी., डी वाई. एस. पी. साहबान को विज्ञप्ति निकाल कर कहा था कि राजस्थान में 193 व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार करो, चाहे किसी भी तरीके से इनको पकड़ो। मेरे पास वह विज्ञप्ति है। मैं इस बारे में तो अधिक नहीं कहूँगा लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इमर्जेन्सी में मीसा के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार किया, डी. आई. आर. के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार किया, और जो लोग उनमें नहीं पकड़े गये उनको गुण्डा एक्ट में पकड़ा। मुझे भी, सभापति महोदय, गुण्डा एक्ट में पकड़ा। जब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि आपको गुण्डा एक्ट में पकड़ रहे हैं क्योंकि आपने शान्ति को बिगाड़ा है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो शान्ति नाम की औरत को जानता ही नहीं हूँ। कौनसी शान्ति है, कहां रहती है। मैं 60 साल का व्यक्ति हूँ, सभापति महोदय, मैं क्या शान्ति को बिगाड़ूंगा।

**श्री सभापति** : आपको किस एक्ट में पकड़ा।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : गुण्डा एक्ट में। शांति को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध काम लिया जाता था। मैंने कहा, सभापति महोदय, मैंने शान्ति को बिगाड़ा नहीं, मेरा शान्ति नाम की लड़की से झगड़ा ही नहीं हुआ, मैं उसे जानता नहीं हूँ।

इस प्रकार के आई. जी. पी. के काले कारनामे हमारे राजस्थान में हैं। जनता पार्टी को धन्यवाद, इस प्रकार के काम करने वालों को राजस्थान में आजाद कर रखा है।

आगे बात लीजिये। इस डिपार्टमेन्ट में डिपार्टमेन्टल परीक्षा के बाद भर्ती करते हैं..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह छोटे कर्मचारियों का सवाल है।

**श्री सभापति** : आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप कटौती प्रस्ताव के बाहर बोल रहे हैं।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : भ्रष्टाचार पर है।

**श्री सभापति** : भ्रष्टाचार पर दो शब्द कह दीजिये।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : भ्रष्टाचार से अत्याचार किया जाता है। जो अत्याचार हुए हैं उनके बारे में ही बोल रहा हूं कि किस प्रकार अत्याचार किये गये। सम्पत राज पुरोहित 1959 में पास होने पर सब इन्सपेक्टर बनाया गया। कायदे से उसको प्रमोशन मिल जाना चाहिये था। उसको परमानेन्ट पोस्ट मिल जानी चाहिये थी लेकिन वह नहीं दी गयी। 1974 में एक ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया और सब इन्स्पेक्टर बना दिया जिसने परीक्षा पास नहीं की थी। ऐसे व्यक्ति को भर्ती किया गया कई अनियमिततायें इस प्रकार की कीं।

**श्री सभापति** : इत्यादि।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : इत्यादि। इत्यादि। इत्यादि।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

सम्पतराज पुरोहित का यह कहना है कि एक साल की ट्रेनिंग ही नहीं हुई और सब इन्सपेक्टर बना दिया जब कि तीन तीन साल तक ट्रेनिंग वालों को भी नहीं बनाया। इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, पर्याप्त होगा। इतने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं। आप पुराने मित्र हैं। ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** दर्द है वह सुनाने की इच्छा होती है।

**श्री सभापति :** मंत्री महोदय तक पहुंचा देंगे।

**श्री भैरवलाल काला बादल :** गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हर काम को सोच समझ कर करें। इनका हुकम आई.जी.पी. मानते नहीं। मैं खुद भुक्त भोगी हूं। मैं बहुत कुछ बताता लेकिन सभापति महोदय की आज्ञा नहीं है, इसलिये इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में जांच करवायें।

**श्री सभापति :** जांच कर लेंगे।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।**

**श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):** माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ में बिगड़ती हुई शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में। पहले सारे राजस्थान में चौकीदारी की प्रथा थी। गांव गांव में चौकीदार रहा करते थे और वे गांव की छोटी से छोटी खबर पुलिस स्टेशन को दे दिया करते थे लेकिन आपने तत्कालीन व्यवस्था को खत्म कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी पुनः वह व्यवस्था कायम कर सकें तो गांव गांव की खबर मिलेगी और आपको, गृह मंत्रीजी, प्रशासन चलाने में सुविधा होगी। उन चौकीदारों को राज्य की ओर से भूमि दी हुई थी। वे खेती किया करते थे। राज्य सरकार ने खेती को रेगुलेराइज कर दिया और जो चौकीदार की व्यवस्था थी वह खत्म कर दी। आज भी उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसी व्यवस्था है। इसलिये वहां पर भी इस व्यवस्था को वापस लागू करें जिससे लाभ मिले।

अपने क्षेत्र में घटी घटनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों मनोहर थाना ग्राम में देवीलाल की हत्या कर दी गयी। उसकी हत्या किसने की उसका पुलिस को अब तक भी पता नहीं चला। अगस्त में मेन बाजार में सरे आम एक फौजिया भाई, काना भाई को कत्ल कर दिया गया, हजारों रुपया लूट कर ले गये। इन तीनों मर्डर का आज तक पुलिस ने कोई भी चालान पेश नहीं किया। दो महीने हो गये हत्यायें हुए लेकिन पुलिस आज तक किसी को पकड़ नहीं सकी, यह विभाग के लिये एक शर्मनाक बात है।

झालावाड़ में दिन प्रतिदिन कानून की व्यवस्था बिगडती जा रही है। 13 दिसम्बर को गंगू की हत्या कर दी गई। उसके बारे में भी पुलिस पता नहीं कर सकी। झालावाड़ में रोज खून हों और प्रशासन कुछ नहीं

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

कर सके, इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये। एक दिन वह स्थिति आ जावेगी कि पिछले प्रशासन पर जिस प्रकार से विश्वास उठ गया था उसी प्रकार इस प्रशासन पर से विश्वास उठ जावेगा।

अपने क्षेत्र की एक बात निवेदन करना चाहता हूं। सन् 1975 में मनोहर थाना में श्री मंगला भील को पुलिस ने पकड़ा। न मालूम उसे कहां ले गये? उसको इतना मारा कि वह मर गया। आज तक उसका कोई पता नहीं। उसकी पत्नी और भूखे बच्चे हैं। एस. पी., कलेक्टर, राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री को उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायतें कीं किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज तक भी उसकी पत्नी मारी मारी फिर रही है। केरल में राजन हत्या कांड हुआ उससे सारी केरल सरकार हिल गयी। वहां के मुख्य मंत्री को गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आई. जी. पी., एस. पी. कठघरे में हैं। इसलिये गृह मंत्रीजी जब उत्तर दें तो अपने जवाब में बतायें कि उस मंगला भील का क्या हुआ? आप उसकी जानकारी कीजिये। आप घबराइयें नहीं। यह कांग्रेस के जमाने की बात है। जिन अधिकारियों ने हत्या कांड किया है उनकी खुली इन्क्वायरी करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

राजस्थान में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि मैं राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटा कर छोड़ूंगा। घोषणा स्वागत योग्य है, अनुकरणीय है लेकिन आपको जानकारी के तौर पर यह निवेदन करूंगा कि एस. पी. आफिस वाले, डी. आई. जी. आफिस वाले संबंधित थानेदारों से माहवारी पैसे लेते हैं। ऐसा होता है तो पब्लिक लुटेगी और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, सभापति महोदय, ट्रैफिक वाले सिपाही हैं, मेरी कान्सटीट्यूएन्सी से आप जयपुर तक ट्रक में आ जायें तो जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ट्रक वालों को कहीं पांच रुपये, कहीं दो रुपये देने होते हैं। आप चाहें तो किसी दिन ट्रक में बैठकर चलें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से खुला हुआ भ्रष्टाचार चल रहा है। उसको रोकने की कोशिश कीजिये।

यहां के बजट में घाटा है इसलिये आप कितनी ही कटौती कर सकते हैं। आपके कार्यालय में एडीशनल आई. जी. (ट्रेनिंग) की पोस्ट है। वह क्या करते हैं? कभी कहीं जाते हैं? बता दीजिए, किसी क्लास को उन्होंने अटैण्ड किया हो तो? तो ऐसी पोस्टों को आप कृपया समाप्त कीजिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पुलिस डिपार्टमेन्ट में नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं और जूता पालिश करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे लोग भी हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कि जो दर्जी हैं वह गवर्नमेन्ट की वर्दी नहीं सीते हैं। जो सिले सिलाये कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों के यहां जाकर कपड़े सीते हैं और वह कपड़ा बाहर जाता है। यह खुला हुआ भ्रष्टाचार है ....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें। कटौती प्रस्ताव से संबंधित नहीं है आपका वक्तव्य। आप ज्यादा बोल रहे है। आप कृपा करके बैठें।

श्रीमती श्यामा कुमारी

**श्रीमती श्यामा कुमारी** (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, मांग सं. 16 के अन्तर्गत पुलिस की उपेक्षावृत्ति के विषय में मैं आपके माध्यम से अपने कुछ विचार माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगी। इस विषय में, श्रीमान्, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहती हूं कि पिछले दिनों आज से पूरे एक महीने पहले 26–8–77 को प्रातः 8 बजे उदयपुर से तीन मील दूर छोटा बेदला गांव में रामरिछपाल धाभाई के खेत में बिजली के तारों से एक ही समय में तीन मौतें हो गईं। इन तीन मौतों के बाद में परिवार के तीन लोग बिलकुल निराश्रित हो गए लेकिन पुलिस वालों ने अथवा बिजली विभाग ने उसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं की। इस विषय में मैं आपको आगे कुछ डिटेल बताना चाहती हूं। श्रीमान्, ऐसा हुआ कि उस रामरिछपाल नाम के व्यक्ति, जो कि खेत का मालिक था, के यहां एक गरीब आदमी कालू नौकरी करता था। एक दिन पूर्व तथाकथित खेत के मालिक से उसकी झड़प हो गयी थी क्योंकि उससे फाटक के एक छोटे से खम्भे का नुकसान हो गया था। मालिक ने उसके दो-चार चांटे लगाए और उसको मजदूरी से निकालने की धमकी दी। दूसरे दिन वह मजदूरी पर आया तो उस समय क्या हुआ उस व्यक्ति ने, जो खेत का मालिक था, करेन्ट का तार चारों ओर फैला दिया। उस करेन्ट से लग कर उस व्यक्ति की प्रातः 8 बजे मृत्यु हो गई। उसको चिल्लाता हुआ देख कर उसकी पत्नी, जो कि नजदीक में ही काम कर रही थी, वहां आई और वह भी चिपक गई। उनके पास में ही 2½ साल की बच्ची भी खेल रही थी। जब वह पहुंची तो वह भी खतम हो गई। श्रीमान्, गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को इत्तला देने के बाद और जिलाधीश को इत्तला देने के बाद 8 घन्टे तक वह लाश वहां पड़ी रहीं और सड़ती रहीं। लाश के आस पास गांव वालों का मेला लग गया और गांव के लोग जमा हो गए। वहां कुछ तो सहानुभूति दिखा रहे थे और कुछ खड़े थे। लेकिन 8 घन्टे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची और 8 घन्टे के बाद स्वयं कल्याण सिंह नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी तो पुलिस वहां दोपहर 4 बजे बाद पहुंची। श्रीमान्, मैं यह इसलिये बताना चाहती हूँ कि पुलिस से हम न्याय की उम्मीद करते हैं लेकिन गरीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और पुलिस को इत्तला देते हैं उसके बाद भी 8 घन्टे तक पुलिस के कान पर जूं भी नहीं रेंगे तो उससे हम न्याय की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं ?

इसी प्रकार से यह बताना चाहती हूं कि विद्युत् विभाग की भी कमजोरी इस विषय में है, आपको याद होगा कि आज प्रातः जब प्रश्नकाल था उसमें मेरा प्रश्न इसी संबन्ध में था। विद्युत् मंत्री जी ने उसके उत्तर में जानकारी दी थी कि प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया है। आपको यह भी ध्यान होगा कि 5 तारीख के दिन मैंने अपना एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी इसी विषय को लेकर रखा था जिसको उपाध्यक्ष महोदय ने न जाने क्या सोचकर नहीं रखा।

(श्रीमती श्यामा कुमारी)
मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जो व्यक्ति मर गया उसके पीछे उसकी वृद्धा माता है और बच्ची है वह आज दाने दाने को मोहताज हो गयी हैं। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उनके गुजारे की व्यवस्था हो।

इसी प्रकार मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे उदयपुर के पास में ही एक गांव है नाई नाम का उसमें गन्ने के खेत में...

**श्री सभापति :** कौनसा गांव ?

**श्रीमती श्यामा कुमारी :** नाई। वहां पर एक वर्ष पहले बिजली से चिपक कर एक की मृत्यु हो गयी थी लेकिन उसके बाद भी कन्ज्यूमर के साथ कोई सख्ती नहीं की गयी। ऐसी घटनायें आये दिन होती हैं लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता। यदि परिवार का व्यक्ति चला जाता है तो अगर उसको कम्पेन्सेशन दे भी दिया जाये तो उससे उसका घर नहीं बस सकता। इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि उदयपुर के अन्दर एक चमनपुरा बस्ती है। वहां भी दो तीन महीने पहले एक व्यक्ति बिजली के खम्बे से चिपक कर मर गया। उसकी न जांच हुई और न उसके साथ न्याय हुआ। इस सम्बन्ध में मैं आपको सुझाव उपस्थित करना चाहती हूं कि जो ग्रामीण होते हैं वह अशिक्षित होते हैं, उनमें समझ की कमी होती है। वह पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं। जब पूछताछ होती है तो कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। मैं कहना चाहती हूं कि जो ग्रामीण लोग एफ. आई.आर. दर्ज करायें उनको उसकी प्रतिलिपि मिले या फिर रसीद मिले ताकि कोई कभी पूछे तो बता दिया जाये ....

**श्री सभापति :** रसीद देने को तो कानून है।

**श्रीमती श्यामा कुमारी :** तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार पुलिस वाले भी अपना व्यवहार बदलें।

मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र कपासन की ओर आपका ध्यान दिला दूं। वहां पुलिस चौकियों की कमी है। वहां शनी महाराज का तीर्थ है। आये दिन सामान चोरी हो जाता है, और भी कई तरह की घटनायें हो जाती हैं। वहां पुलिस चौकी की यदि आप व्यवस्था कर दें तो यात्रियों की जान और माल की रक्षा होगी।

बस मुझे इतना ही इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

**श्री सभापति :** श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :** माननीय सभापति जी, पुलिस जहां एक ओर शान्ति और व्यवस्था के लिए है वहां दूसरी ओर पिछले वर्षों में विशेष तौर से आपातकाल की स्थिति में उसके द्वारा शांति और व्यवस्था के नाम पर शांतिप्रिय लोगों को अनायास परेशान किया गया। केवल परेशान ही नहीं किया गया बल्कि रात के दो दो बजे लोगों के घरों पर उनकी मां बहिनों को प्रतिदिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तंग किया गया किसी को गिरफ्तार करने के बहाने से। रात के दो, सवा दो बजे ऐसे कई मुकदमे झूंठे बनाये गये जिनके चालान हुए कोर्ट में तो वह लोग बरी हुए। इस प्रकार के षड्यन्त्र उदयपुर की पुलिस ने बहुत अधिक किये लेकिन समयाभाव के कारण उनका मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं। गलती से एक गरीब परिवार के बालक, जिसको इस आपातकाल की स्थिति में किसी चोरी के सन्देह में गिरफ्तार किया गया, का पड़ौसी से झगड़ा था और वह पड़ौसी पुलिस कान्सटेबल था। उस पड़ौसी पुलिस कान्सटेवल ने उस बालक को गिरफ्तार कराया 10-8-75 को और वह भी किसी एकान्त स्थान पर नहीं उदयपुर की भरी बस्ती में और उस बाजार में, जहां हजारों लोग गुजरते हैं, दिन के 1 बजे उसको गिरफ्तार कराया। वहां से गिरफ्तार करके उसको सूरजपोल के थाने में ले जाया गया। वहां पर राजू और कालू नाम के दो व्यक्ति हैं तो कालू को तो थाने में रखा गया और राजू को पुलिस लाइन्स भेज दिया गया। वहां दोनों के साथ सख्ती का व्यवहार किया गया। कालू के साथ जो मारपीट की गयी और केवल मारपीट ही नहीं का गई बल्कि बिजली के करेन्ट लगाये गये। एक बार तो उसकी गुदा में करेन्ट लगाने के कारण वह वेहोश हो गया। तो पुलिस लाइन में खबर पहुंची कि वह वेहोश है इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें····

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में आप एक बार अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : वह तो हास्पिटल से सम्बन्धित था। अब पुलिस ने जो बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : इस सम्बन्ध में निश्चित तौर से कटौती प्रस्ताव देना चाहिये था ताकि गवर्नमेंट तैयार होकर आती।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : श्रीमान्, मैंने किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है, उदयपुर पुलिस द्वारा तानाशाही पूर्ण ढंग से निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार करने पर चर्चा के लिये···

**श्री सभापति** : खैर, बोलिये आप।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : जब राजू और कालू दोनों बिछड़े उस समय पूर्ण होश हवास में थे। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी। धारा 34 के अन्तर्गत नगर के दण्डनायक के यहां केस चला। नगर दण्डदायक ने फैसले में स्पष्ट लिखा कि यह एक सन्दिग्ध मृत्यु लगती है। पुलिस की मारपीट के कारण, बिजली के करेन्ट लगने के कारण एक बालक की हत्या हुई। पुलिस ने छिपाया, आपातकालीन स्थिति में पुलिस ने अपना दवाव डालकर डाक्टरों को प्रभावित करके एक गलत रिपोर्ट बनवाई। इतना ही नहीं कालू की शव यात्रा प्रारम्भ हुई। उसके पिता और उसके चाचा को बुलाया गया, एस. पी. के घर में धमकाया गया कि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये। शव यात्रा में सी. आई. डी. के आफिसर्स भी गये। चोरी को स्थापित नहीं कर सके लेकिन एक तरह से तानाशाही के कारण एक निर्दोष को सन्देह में पकड़ा गया कि उसने चोरी की। उसने कभी क्राइम नहीं किया। हेबिचुअल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आफेन्डर नहीं था। पारिवारिक स्थितियां ऐसी नहीं थीं, उसका पिता पुलिस कांस्टेबल था। उसको सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार का हत्या काण्ड आपातकालीन स्थिति में हुआ।

एक जेल के बारे में कटौती प्रस्ताव है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है कि जो व्यक्ति दोष करता है, कुकृत्य करता है उसको जेल में सजा दी जानी चाहिये। जेल में अधिकतर आजन्म कारावास के व्यक्ति होते हैं · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने कालू का मामला कानसिंह समिति के सामने भेज दिया है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जी हां।

श्री सभापति : फिर इसमें विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जेल में जो सामान दिया जाता है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तोल के हिसाब से जितना देना चाहिये उतना नहीं देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सब्जियां, तेल आदि उस अनुपात में नहीं दिया जाता है। यदि व्यापारियों के बांट पर छाप नहीं लगी हुई है तो आप चालान करते हैं किन्तु जेल मे 10–10 वर्ष से बांटों पर छाप नहीं है। शीशा [illegible] कर उसके आधार पर तोल कर [illegible] का पेट काटते हैं। कैदियों को पेट [illegible]न नहीं मिलता है तो वह भोजन को [illegible] है ? आफिसर्स लोग खाते हैं जिनको तनख्वाह बहुत बड़ी होती है। इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, श्रीमान्, यहां के लोगों को अनुभव है, जेल में पूरा राशन नहीं मिलता, अच्छी हवा नहीं मिलती, जो सब्जियां आती हैं उन्हें कोई देखता तक नहीं। टोकरे उठाकर ले आते हैं। चने में आधे से ज्यादा कंकर होते हैं · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब पर्याप्त हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल दो मिनट और।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं मिलेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल एक मिनट।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जैसे कपड़े नहीं देते हैं, खाने पीने के लिये नहीं देते हैं, नहाने के लिये साबुन भी नहीं देते हैं। बालों में जुएं पड़ जाती हैं। लोग अपनी जुएं निकालते रहते हैं क्योंकि आप सात दिन में एक बार सोडा देते हैं। जो कुछ करना था कर लिया, कम से कम मनुष्य के नाते · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका अनुभव यहां बैठने वाले कई माननीय सदस्यों को होगा, They will take note of it. समाप्त करें, आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं चाहता हूं साबुन और तेल मुहैय्या किया जाय जिससे अपनी जीविका ठीक ढंग से चल सकें।

(दर्शक दीर्घा मे एक दर्शक द्वारा सदन की अवमानना)

एक माननीय सदस्य : झगड़ा ...

श्री सभापति : हिरासत में ले लिया जाये।

श्री अब्दुल अजीज : मैं जानना चाहूंगा सदन का संतुलन बिगड़ने के बारे में। श्री राम कृष्णदास गुप्ता, जो जनता पार्टी के एम. एल. ए. हैं, ने जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पार्टी का अपना प्रश्न है।

श्री अब्दुल अजीज : यह सन्तुलन की बात है।

श्री सभापति : यह सन्तुलन की बात नहीं है। आप माननीय सदस्य बैठें, व्यवधान न करें।

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। जब माननीय श्री खेतसिंह जी बोल रहे थे तब भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि श्री खेतसिंहजी ने बचकाना शब्द का प्रयोग किया है उसको कार्यवाही से हटा दिया जाये। मैंने उस वक्त सदन को निवेदन किया था कि मैं रिपोर्ट को देखूंगा और उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। तो जिस तरीके से माननीय श्री खेतसिंहजी ने कहा, वह इस प्रकार है: —

"सभापति महोदय, अब, मैं थोड़ा जेल विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने जेल विभाग एक बहुत ही बचकाने व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया है जब कि जेल विभाग ऐसा है जिसमें हमको बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

यह शब्द प्रसंसनीय हैं, मैं इसको एक्सपंज करने के आदेश देता हूं।

माननीय श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मेरे दो कट मोशन्स पुलिस के बारे में हैं। आज इस सदन में पुलिस के बारे में कई तरह की चर्चायें हुई। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पिछले दो चार महीनों में भ्रष्टाचार कम हो गया है और कुछ माननीय सदस्यों की राय है चोरी, डकैती, हत्याएं—इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुऐशन खराब होती जा रही है। श्रीमान्, यह बातें तो सही हैं कि कुछ इस तरह की अनियमितताएं पैदा हो गई हैं। आपकी रिपोर्ट्स और जो फिगर्स हम को मिले हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि जब से सत्ता परिवर्तन राजस्थान में हुआ है उसके बाद से चोरियों की तादाद बढ़ी है, डकैतियों की तादाद बढ़ी है, कत्ल भी ज्यादा हुए हैं। उसका कारण सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है पर साथ ही यह भी कहूंगा कि पुलिस अपराधों के बारे में कुछ कारगर कदम नहीं उठा सकी है। अपोजीशन में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस को डिमोरेलाइज किया जा रहा है। श्रीमान्, मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से इनको डिमोरेलाइज किया जा रहा है। वही पुराने एस. पी., डी. आई. जी. और आई. जी. हैं। आपका सारा अमला पुलिस का उसी प्रकार का है तो फिर किस प्रकार डिमोरेलाइज किया गया है? ट्रांसफर्स के बारे में यहां कहा गया है कि बड़ी तादाद में ट्रांसफर किए जा रहे हैं जिससे पुलिस डिमोरेलाइज होगी। यह बात नहीं है। ट्रांसफर

(श्री रावतराम)

महज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पुरानी सरकार ने भी किस तरह से ट्रांसफर किये थे वे सब लोग जानते हैं। इसलिये ट्रांसफर करने से कोई पुलिस डिमोरेलाइज हो जाय, या एक जगह से दूसरी जगह भेजने से ही पुलिस डिमोरेलाइज हो जाय, यह नहीं कहा जा सकता। खैर, जो कुछ भी हो मैं, श्रीमान, आपकी मार्फत गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो आप मान कर चलें कि कुछ हालात बिगड़े हैं, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन राजस्थान में कुछ बिगड़ी है। इसलिये इसको कण्ट्रोल करना चाहिये। पुलिस प्रशासन को आपको खींचना चाहिये, यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस रक्षक है, जनता की सेवक है और कमजोर वर्ग के लोग, गरीब लोग उससे पनाह मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं। पुलिस का प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिये, परन्तु श्रीमान्, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि समाज में जो सबल वर्ग है, जो मजबूत लोग हैं और जिनकी अप्रोच है उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देती है। गरीब लोग जो हैं, कमजोर वर्ग के लोग जो हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के और दूसरे लोग शामिल हैं, उन लोगों को उचित प्रोटेक्शन पुलिस नहीं दे रही है। यह उसको मंजूर नहीं है क्योंकि उसने राज किया हुआ है, वह सत्ता का सुख भोगना चाहती है। अपने बड़ों के सामने दुम हिलाना चाहती है लेकिन अपने से कमजोर पर डण्डा हिलाती है। तो पुलिस को अपना रवैय्या बदलना चाहिये। समय बदला है तो समय के साथ पुलिस के लोगों को और दूसरे लोगों को अपने आपको बदलना चाहिए। पुलिस के प्रशासन को और पुलिस के दूसरे लोगों को पुलिस की इज्जत बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए।

श्रीमान्, बीमार आदमी को डाक्टर की जरूरत होती है, उसको डाक्टर चाहिए। पुलिस की जरूरत किस को सबसे ज्यादा होती है? जो कमजोर वर्ग का है, गरीब आदमी है उसको पुलिस की जरूरत है। श्रीमान्, मैं आपके मार्फत गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पुलिस प्रशासन को यह स्वरूप दे सकेंगे जो इतने दिनों तक नहीं था? आप आयन्दा के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे पीड़ित और दुखी, गरीब और कमजोर वर्ग के लोग पुलिस से पनाह पा सकें, उनकी सुनवाई पुलिस प्रशासन में ज्यादा हो सके। यह मैं आज आपसे मांग करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि आप इस पर विचार करें कि आपका पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारी किस तरह से आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं? यह सारी चीज सबकी नोलेज में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से, श्रीमान, गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज राजस्थान में कितने ऐसे शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति हैं जिनको पुलिस थानों में लगा रखा है? कितने इंसपेक्टर हैं, कितने डी वाई. एस. पी हैं जिनको जिलों में रखा हुआ है? आज यह पुलिस प्रशासन पर काफी सीधा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस प्रशासन का रवैय्या, उसका दृष्टिकोण, उसका आउट लुक वही पुराना है। आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, आगे बढ़ा-

(श्री रावतराम)

हुये । आप कहते हैं कि उनको नोलेज नहीं है, कानूनों की पूरी जानकारी नहीं है, तरह तरह के कानून निकलते हैं उनकी जानकारी नहीं है । मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि पहले भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस को डिमोरेलाइज किया जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने किस तरह से थानों में इंचार्ज लगाया है और किस तरह की हैसियत है उनकी ? और लोगों को नहीं लगाकर जो अपने नजदीक के लोग हैं उनको लगाने के पीछे क्या राज है ? मामूली से मामूली बातों पर, छोटी से छोटी बातों पर नोटिस देकर उनको नौकरी से हटाया जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान, मैं आपके द्वापके द्वारा माननीय गृह मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, अनुसूचित जाति के लोग आपकी पुलिस सर्विस में है उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको ठीक जगह पर लगाना चाहिए, उनको ठीक प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए । इसी तरह से कांस्टेबल के पद पर पुलिस में जब भर्ती होती है तो कम से कम भर्ती उन लोगों की जाती है । एक तरफ आप छुआछूत मिटाने की बात करते हैं और पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार बनाते हैं कि पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगी दूसरी तरफ आपकी पुलिस लाइन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के सिपाहियों के लिए पानी के घड़े तक अलग रखते हैं । इस तरह से व्यवस्था नहीं चल सकती है । इसलिए हर जिले में सैल कायम कीजिए । इस बात की बड़ी शिकायत है कि कमजोर वर्ग के लोगों की पुलिस में एफ. आई. आर. तक दर्ज नहीं होती । उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि वे कमजोर हैं । उनकी सुनने वाला कोई नहीं है । तो आपको हर जिले में सैल कायम करना चाहिए और डी वाई. एस. पी. को इसका जिम्मेदार बनाना चाहिए कि इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों के बारे में वह लोग जांच करें कि पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं होती और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमन, एक बात और कहना चाहता हूं आपके मार्फत कि पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाय, पुलिस को डिमोरेलाइज नहीं किया जाय । श्रीमान, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में छोटे छोटे महकमे हैं, समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, कु-संस्कार निवारण केन्द्र, दारूबन्दी का महकमा, इन सबके पास आज अच्छी अच्छी जीपें हैं, अनेक तरह के साधन और सुविधायें हैं । लेकिन आज जिस पुलिस थाने में सैंकड़ों गांव लगते हैं, जिसके पास दूर दूर तक आने जाने के साधन नहीं हैं, उस पुलिस के थाने में जीप नहीं हैं । माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और बजट में कटौती करिये लेकिन हर थाने में पुलिस के पास गाड़ी होनी चाहिए । आज उनको जितनी जरूरत गाड़ी की है उतनी किसी और को नहीं है । उनके पास वायरलेस होना चाहिए, उनके पास टेलीफोन होना चाहिए । आज थाने के पास यदि उस गांव की रिपोर्ट आती है जो गांव 20–30 माइल पर है तो वहां ऊंट से वह जा नहीं सकते । जीप मिल नहीं सकती तो

(श्री. रावतराम)

उनके नीचे जो सैकड़ों गांव हैं, उन पर कण्ट्रोल नहीं होता। तो मेरा आपसे यही निवेदन करना है कि आपके हर थाने में पुलिस के एस. एच. ओ. के पास जीप होनी चाहिए ताकि अपराधियों पर कण्ट्रोल किया जा सके।

श्रीमान, अन्त में मैं मेरे क्षेत्र की, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि वहां पर चोरियों के केसेज काफी बढ़े हैं। चूरू जिले में पिछले तीन-चार महीनों में जितनी चोरियां हुई उनमें से एक भी बरामद नहीं हुई। एक चोरी सुजानगढ़ तहसील के घातड़ी गांव में हुई। उसके लिए पुलिस में दरख्वास्त दी, 30—35 हजार की चोरी हुई लेकिन आज तक बरामद नहीं हुई। 7—8 महीने के करीब हो गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इससे आपकी पुलिस के बारे में लोगों के दिलों में शंका होती है कि इसके पीछे क्या राज है? इस लिए लोगों की शंका को दूर करने के लिए चोरी बरामद कराने की कोशिश करिये। श्रीमान, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री समरथलाल।

**श्री समरथलाल (राजगढ़)** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग के अन्दर एस. आई., ए. एस. आई., कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इनका वेतन कम है और वेतन कम होने की वजह से इनका गुजारा नहीं चलता। जब गुजारा नहीं चलता तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। इसी प्रकार से विवश हो करके इन लोगों को भ्रष्टाचार की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरा सुझाव है कि इनकी वेतन वृद्धि की जाय।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि सबोर्डिनेट सर्विसेज में जितने लोग हैं, थानेदार हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने का, मिलने का मौका मिलता है उनसे पूछते हैं कि आप रिश्वत क्यों लेते हो? जवाब देते हैं कि यदि हम एक रुपया रिश्वत लेते हैं तो उसमें चार आना हमारे हिस्से में आता है। तो गृह मंत्री जी यह बारह आना कहां जाता है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यह कहां जाता है इसका हिसाब आपको जरूर रखना चाहिए।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, अलवर जिले के अन्दर 21 जून से 31 जुलाई तक जितनी चोरियां, जितने कत्ल और जितनी डकैतियां हुई उसके बारे में मैंने एक सवाल पेश किया था और गृह मंत्री महोदय ने जवाब दिया था। उस जवाब के आधार पर गृह मंत्री महोदय ने भी यह महसूस किया था कि वास्तव में इतने कम समय के अन्दर चालीस चोरियां हुई, तीन कत्ल हुए, चार डकैतियां हुई। यह तो आप महसूस करते होंगे, सभापति महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम बढ़ती जा रही है। यह सब हमारी चिन्ता का विषय है, सदन के लिए चिन्ता का विषय है और आपको तो सबसे ज्यादा चिन्ता होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मेरे इलाके राजगढ़ में माटाणी गांव में परसों के दिन रात्रि को 12 बजे

(श्री समरथलाल)
करीब पन्द्रह व्यक्ति इकट्ठे होकर आए और एक दुकान में घुस गए। दुकान के अन्दर जितना सामान था और दुकान के अन्दर जितना केश था उस सबको उठाकर ले गए। उसके बाद दूसरे गांव में, दस मील की दूरी पर वह दूसरा गांव था, वहां पर एक दुकान देखी, सारी दुकानें देखीं लेकिन जो दुकान उनको अच्छी लगी उस दुकान का ताला तोड़ा, उसका सारा सामान और दस बारह हजार रुपये नगद थे वह लेकर गायब हो गए। मालिक वहीं सो रहा था। मालिक जागा, जागने के बाद, उसको कोने में खड़ा कर दिया। वह देखता रहा और वे माल बटोरते रहे।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि इसमें आपका, स्वयं का कोई दोष नहीं है। परन्तु मैं ऐसा जरूर मानता हूँ, ऐसा मानस सब लोगों का बना हुआ है, राजस्थान की जनता का यह मानस बना हुआ है कि जब से जनता पार्टी का शासन आया है, तब से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं यह मानता हूं कि आपको यह चिन्ता अवश्य होगी कि जनता पार्टी का शासन चले। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम को भी यह चिन्ता है। जनता ने आपको पांच साल के लिए भेजा है, तो आपका यह पांच साल का समय अच्छा निकले, हम भी यह चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आप कारगर कदम उठावें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मर्डर के जो केसेज होते है, आज तक राज्य सरकार ने उनको विथड्रा नहीं किया। मेरी जानकारी में यह आया है कि जिस केस में मर्डर हुआ है, जिसके मुलजिमों की अभी तक जमानत नहीं हुई है, जिस केस को दो-तीन साल हो गये हैं, उस केस को आप विथड्रा कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के आदमियों का प्रेशर है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इससे आपका स्वयं का दुःख बढ़ेगा। अब से यह जानकारी मिली है....

**श्री सभापति** : इसका भ्रष्टाचार से क्या सम्बन्ध है ?

**श्री समरथलाल** : मेरे ख्याल से यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यह पक्षपात है और अनियमितता है। राज्य सरकार मर्डर के केसेज यदि इस प्रकार से विथड्रा करती है तो समाज के अन्दर असन्तोष होगा और मैं समझता हूं कि शांति भंग होने की बात पैदा होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गृह मंत्री महोदय, आप ऐसा कदम नहीं उठावें। राजनैतिक प्रभाव से आप ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का कदम आप नहीं उठायेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

**श्री सभापति** : श्री मनोहरसिंह मेहता।

**श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)** : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गृह मंत्री के रूप में एक योग्य, चरित्रवान और ईमानदार प्रोफेसर केदार जी को बिठाया है। वे चरित्रवान और योग्य व्यक्ति हैं। मैं गृह

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनको एक बहुत ही ईमानदार आई.जी.पी मिला हुआ है। रिश्वत ली जाती है, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि इससे पुलिस की बदनामी होती है। रिश्वत का तो अब यह हाल है कि कोई भी महकमा इसमें पीछे नहीं है। यह कहावत चरितार्थ हो गई है कि गुड़ तो गुड़ रह गया और जो अन्य महकमे हैं वे शक्कर बन गये हैं। तो इसका क्या कारण है? माननीय गृह मंत्री जी और आई. जी. पी. को साथ बैठकर यह विचार करना होगा कि इस बदनामी को नाम में किस तरह से बदलें? 'मेरे योग्य सेवा' जो थाने के बाहर लिखा हुआ है, वह किस तरह से सार्थक हो, इस पर विचार करना होगा।

(3.45 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 23-24 भ्रष्टाचारियों को मोअत्तिल किया है। गृह मंत्री जी भी सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मोअत्तिल करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पत्तों को, डालियों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार की जननी शराब मौजूद है तब तक पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार कम होने वाले नहीं हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : दो अक्टूबर से बंद कराइये?

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि संयोग से, सौभाग्य से आपको यह महकमा मिला है। मजबूर कर दीजिए कि हर हालत में शराब बन्द करनी होगी। नहीं हो तो कम से कम एम. एल. ए., राज्य अधिकारियों, कर्मचारियों पर तो बिलकुल ही बेन लगा दीजिए। इससे फायदा होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : व्यवधान न डालें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हमारे बारे में कह रहे हैं।

**श्री सभापति** : कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है।

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर के तबादलों के अन्दर दखल न दें। आप से तबादला करवा लेते हैं तो वे आई. जी. पी की क्या परवाह करेंगे? तबादले के लिये मजबूर कौन करता है? गृह मंत्री को मजबूर हम लोग करते हैं? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपा कर के तबादलों के लिए मजबूर न करें। अगर ठीक प्रशासन नहीं है तो आई. जी. पी. से पूछें कि ठीक क्यों नहीं है? हम तबादलों के लिये मजबूर नहीं करेंगे तो यह ज्यादा अच्छा होगा। जो भी कान्स्टेबल से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक के ट्रेनिंग सेन्टर हैं, उनमें सच्चे आदमियों को रखें जो अच्छा पाठ पढ़ा कर रखें।

मेरा यह भी निवेदन है कि जिले का जो बड़ा पुलिस अधिकारी है, उस पर यह जिम्मेदारी डालें कि जहां जहां पर जितने जुर्म होंगे, उन सबकी जिम्मेदारी थानों की होगी,

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

पुलिस अधिकारी की होगा। अगर जुर्म बढ़ते होंगे तो उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। डिग्रेड करेंगे तो जुर्म अपने आप कम हो जाएंगे।

यह बात और निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर हमको कायम करना है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि छोटे मामलों से अराजकता फैलती है, उनको आप रोक देंगे तो अराजकता नहीं फैलेगी और जुर्म नहीं बढ़ेगा। आप सबके प्रिय बनने की कोशिश में हैं लेकिन सिद्धान्त यह है कि friend of all is friend of none. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि लॉ एण्ड आर्डर का कड़ाई से पालन करिए। भय बिन होय न प्रीति। भय नहीं रखेंगे तो प्रीति भी नहीं होगी। भय तो रखना है, सच्चाई और निष्ठा के साथ काम करते हुए कड़ाई बरतनी होगी। नहीं बरतेंगे तो काम नहीं चलेगा।

जेलों के सम्बन्ध में भी थोड़ा निवेदन कर दूं। जेलों में भी जिस तरह से पुलिस में अच्छे चरित्रवान कर्मचारी, अधिकारी हों तो उसी तरह से जेल विभाग में भी होने चाहिए। जेल वास्तव में सुधार गृह हैं। ये सुधार गृह तभी बनेंगे जब अच्छे से अच्छे चरित्रवान लोग वहां पर होंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सन्त हैं, समय समय पर उनका भी वहां पर आना जाना होता रहे, अगर जेलों को सच्चे मायने में हमें सुधार गृह बनाना है।

**श्री सभापति** : श्री जगदीशसिंह।

**श्री जगदीश सिंह (धौलपुर)** : सभापति महोदय, आज बहुत चर्चा हुई पुलिस विभाग के ऊपर, मैं भी दो-चार शब्द इस विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र धौलपुर सब डिवीजन में अराजकता फैल रही है। पिछले दो महीनों में क्रिमीनल केसेज का सौ साल का रिकार्ड टूट चुका है। कारण क्या है? वहां के थानेदार, सी. ओ. वे ही पुराने लोग हैं। उनको धौलपुर क्षेत्र छोड़ने में कुछ गुरेज है। उनका यह कहना है कि जनता सरकार यह कहती है कि मुलजिमों के साथ हाथ जोड़कर व्यवहार करो। जनता से, हम से भी वे यही कहते हैं कि आपकी सरकार ने यह कहा है मुलजिम लोगों से हाथ जोड़ कर के बात करो। इस तरह अराजकता नहीं फैलेगी तो क्या होगा? अगर वे यह कहते हैं तो दोनों हाथों से धन लूटना भी बंद करें। पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर 40 मील के अन्दर करीब 9–10 केसेज हो गये हैं जिसकी कोई बरामदगी नहीं हुई है या रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। थानेदार साहब शिकार खेलते है। शाम को सुरापान करते हैं और मस्ती छांटते हैं। साथ में पुलिस स्टेशन में सी. ओ. के दफ्तर में विश्राम गृह बना हुआ है। बाकायदा उसमें बिस्तर लगे हुए हैं। 25/– रुपये कोई दे तो बात कर सकता है। मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बाकायदा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। जब तक ऐसे दलालों से सरकार सचेत नहीं होगी तब तक अराजकता नहीं रुक सकती है। मैं उनके स्पेसिफिक नाम भी देने को तैयार हूं जो 24 घंटे एक जगह रहते हैं, साथ खाते हैं, पीते हैं और दलाली करते हैं। उन्होंने 15 साल से यही काम किया है। आज भी उनकी वही हालत है। साथ ही

(श्री जगदीश सिंह)

मैं एक सुझाव दूंगा कि सी. आई. डी. और एण्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट है, यह विभाग एक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सी. आई. डी. में होते हैं, वह अपने साथियों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भावना होती है, उसके कारण वह सोचने लगते हैं कि जो आज एक के साथ हो रहा है वह कल हमारे साथ भी हो सकता है इस तरह की भावना सी. आई. डी. व एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के लोगों के अन्दर है इसलिए ये दोनों विभाग अलग रहने चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस में जितना करप्शन नहीं है इससे ज्यादा तो पी. डब्ल्यू. डी. में है। एक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। पुलिस की बदनामी का कारण है कि अन्य विभागों का जनता से उतना डायरेक्ट सम्बन्ध नहीं जितना कि पुलिस का है। इसलिए पुलिस बदनाम है और पी. डब्ल्यू. डी. की पब्लिक में कोई चर्चा नहीं होती है। अन्य विभागों का डायरेक्ट पब्लिक से टच नहीं होता है। आप चाहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करे। लेकिन सिपाही को आप देते हैं 10 रु. जब कि 24 घण्टे वह काम के लिए हाजिर रहता है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के सिपाही की तनख्वाह बढ़नी चाहिए जिससे उनके काम में सुधार हो और उनका करेक्टर अच्छा बने। यह तो वही हुआ कि तनख्वाह दो, की कर दे और नाम दरोगा रख दे। यह भी मेरा निवेदन है कि सी. आई. डी. और एण्टी करप्शन की प्रिविलेज इण्टर चेंजेबल नहीं रखी जायें। इसके अलावा एक इन्जीनियर साहब के बारे में नोट करा दिया है। इसका इन्तजाम जल्दी से जल्दी किया जाये। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि आर. ए. सी. को शिफ्ट करने का हुकम हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर वहां से आर. ए. सी. की फोर्स हटा ली गई तो वहां अराजकता फैल जाएगी। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि पुलिस में जो रिपोर्ट कराने जाते हैं उनसे कहा जाता है कि एक दस्ता कागज ले आओ। इसका कारण यह है कि पुलिस स्टेशन पर कोई स्टेशनरी नहीं दी जाती है। बाड़ी क्षेत्र में चोरी हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चोर को पकड़ लेते हैं लेकिन चोर के खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति आज हमारी पुलिस की चल रही है। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री शंकरलाल!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री एच. एन. शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वर चन्द्र ( पिड़ावा ) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग के बारे में बोलने से पहले मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है। पिछले जमाने में हमारे पुलिस से संबंध रहे हैं। हमें मालूम है कि पुलिस का व्यवहार क्रूरतापूर्ण है। आखिर आदमी इतना क्रूर क्यों हो जाता है? डा. लोहिया ने कहा था, जिसके हाथ में डन्डा हो उसका दिमाग ठण्डा होना चाहिए। मेरी कामना है कि जनता सरकार में डंडे का उपयोग ठीक होना चाहिए। पुलिस में छोटे छोटे लोगों

(श्री ईश्वर चन्द्र)

की क्या स्थिति है? कान्स्टेबलों का आज तक कोई सम्माननीय जीवन नहीं रहा है। उनकी उस क्रूरता के पीछे उनके प्रभाव अभियोगों की कड़ियां छुपी हुई हैं। आज आई. जी. के बंगले पर काम करने वाले सिपाही कितने हैं? मूंग की दाल लाने वाला अलग है, तूर की दाल लाने वाला अलग है। सब्जी लाने वाला अलग है, बाग बगीचों की देखभाल करने वाला अलग है। मेम साहब के साथ जाने वाला अलग है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका कटोती प्रस्ताव है, उसी पर बोलें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं उसी पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन कर रहा था। आप 250 रु. से अधिक पटवारी को देते हैं लेकिन आप सिपाही को देते क्या हैं? यही कारण है कि रोज छोटे सिपाही की कपाल क्रिया होती है।

श्री शीशराम ओला : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर!

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य ने मेम साहब के साथ घूमने वाला कहा है।

श्री शीशराम ओला : मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्द माननीय सदस्य को नहीं कहने चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बहुत आपत्तिजनक है–सभापति महोदय...

श्री सभापति : जो आपने कहा है, मैं उसको देख लूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : इनमें यहां पर भी अफसरों की गुलामी का लोभ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बहुत ही बदतमीजी से बोलना है। सही बात की जाये तो गुलामी की बात कहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसके बावजूद मैं निवेदन करूंगा ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य आप भी बैठिये। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है मैं देखकर इसके बारे में निर्णय दे दूंगा। इस बारे में आपकी आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कान्स्टेबलों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए।

बांटने वाले ने तराजू कैसी ली है हाथ में।
पाई तो पैसा बनी धोती लंगोटी हो गई॥

(श्री ईश्वर चन्द्र)

इस कारण पुलिस में इनएफीशियेन्सी रहेगी। यह व्यवस्था ही गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े अफसरों की जांच हो। इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि सिपाहियों की वर्दी को देखिये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ बदले ही नहीं।

**श्री सभापति** : आपको 5 मिनट हो गये हैं।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : इन्ट्रप्शन में मेरा समय खराब हुआ है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

मैं यह दावे से कह सकता हूं कि कोटा क्षेत्र में हर थानेदार लखपति है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोटा में थानेदारों की खड़ी हुई हैं। उन थानेदारों की जांच हो। अगर यह कार्यवाही नहीं होगी तो आप भ्रष्टाचार को लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कई भ्रष्ट पुलिस आफिसरों को पुलिस मैडल दिये गये हैं। जनता सरकार सब का पुनरावलोकन कर केवल ईमानदार पुलिस आफिसरों को सम्मान दे।

आज कल रात के बजाय दिन में चोरियां होती हैं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जनता राज में और क्या होगा ?

**श्री ईश्वरचन्द्र** : भवानी मण्डी में एक सोने-चांदी की दुकान से,

**श्री सभापति** : आपस में बात मत करिये, माननीय सदस्य।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि भवानी मण्डी में एक सुनार की दुकान से सुबह सात बजे 20 हजार की चोरी हो गई। उसका आज तक कोई पता नहीं है। सुनेल पंचायत समिति में रोशनबाड़ी गांव में डेढ़ लाख की चोरी हो गई। इसलिए मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई अकाउन्टेबिलिटी क्रियेट की जानी चाहिए, अगर कोई थानेदार रिकवरी नहीं करे तो उसको डिमोट कर दिया जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। चोरियां बढ़ती रहेंगी और उनकी रिकवरी नहीं होगी तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकेगा। अगर रिकवरी नहीं कर सके तो पुलिस को जो मैडल दिये जाते हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए। जो चोकियां बढ़ती जा रही हैं उसके लिए अकाउन्टेबिलिटी क्रियेट की जाय क्योंकि दिन में चोरियां होती हैं।

'न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूं गृह मन्त्री को।

रात में आराम से.....

**श्री मदनसिंह दांता** : सभापति महोदय, इसलिए मैडल राज की तरफ से मिलता है, इसके लिये स्पेसिफिक नाम बताना चाहिए। जो पुलिस मेडल लिये हुए हैं, यह डी. आई. जी. के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है।

**श्री सभापति** : ऐसे शब्द नहीं कहे गये हैं, होंगे तो मैं देख लूंगा।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : सुनेल में एक नवजात बच्चे की चोरी हो गई। एक मुल्ला इस्माइल ने वह चोरी की। इस तरह की

(श्री ईश्वर चन्द्र)

घटनाओं की पुनरावृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रोकथाम की कार्यवाही की जानी चाहिए असली मुलजिम मुल्ला इस्माइल को नही पकड़ा गया है। रोभाना में भी इसी प्रकार की घटना हुई। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए।

जेलों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। डाक्टर लोहिया ने कहा था किसी भी देश की सभ्यता का मूल्यांकन उस देश के शौचालय और जेलों को देखकर किया जा सकता है। हमारे देश में शौचालय और जेलों दोनों की ही स्थिति बहुत बदतर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पचासों बार जेल गया हूं। जेलों में भी आज हर प्रकार की मिलावट की जा रही है, कैदियों को जो खाना दिया जाता है, वह बहुत ही खराब मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसलिए इसमें बुनियादी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री निर्मलकुमार।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : आदरणीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी को निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता बदली, कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई लेकिन पुलिस के काम में जो तब्दीली आनी चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए था वह आज तक नहीं आया। कांग्रेस के लोग बड़े जोर-शोर से यह बात कहते हैं कि लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति बहुत डाउन हो रही है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। श्रीमन्, इस बात के विषय में मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। ये लोग पुलिस को निकम्मा बताकर जनता सरकार को बदनाम करना चाहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका भी जोर नहीं है।

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य, आप तो काफी अनुभवी और बुजुर्ग हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए नहीं तो सब बोर हो जायेंगे।

श्री निर्मल कुमार : श्रीमन्, राजस्थान में पुलिस विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं वे सब पुलिस के आफिसरों की देख रेख में होते हैं, उन सबके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। बड़े बड़े आफिसरों में सब ईमानदार नहीं हो सकते, कुछ आफिसर ईमानदार भी हो सकते हैं, इसलिए सभी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। श्रीमन्, पुलिस थाने में कोई भला आदमी नहीं जाना चाहता। जनता और पुलिस में आज एक खाई पैदा हो गई है, इस खाई को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता और पुलिस के आदमियों की एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जो समय समय पर एकत्रित होकर जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बात चीत कर उनका हल निकाले, और इस पर विचार करे कि किस तरह से अच्छा काम हो सकता है, किस प्रकार से जनता

(श्री निर्मल कुमार)

और पुलिस में तालमेल बिठाना चाहिए। आज, श्रीमन् जितने भी थाने हैं उनकी दर बंधी हुई है। उसमें कमी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है कि थानेदार, एस. पी., डी. एस. पी. इन सबकी आमदनी की जांच होनी चाहिए, इनके मकानों की और प्रोपर्टी की जांच होनी चाहिए। इनको जितना मिलता है उससे कहीं अधिक इन्होंने जमा कर रखा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि विधायकों की एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो इन पर छापे मारे। आज पुलिस छापे मारती है लेकिन इन पर छापे मारने वाला कोई नहीं है।

श्रीमान, चोरियों के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि जो··

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

चोरियां होती हैं, उनके लिए थानेदार को पाबन्द कर दिया जाना चाहिए। एक चोरी होती है, उसकी रिकवरी नहीं करता है, दूसरी होती है, और तीसरी चोरी होती है। उन की रिकवरी नहीं कर सकता तो उसको तुरन्त मुअत्तिल कर देना चाहिए। इस प्रकार का बन्धन नहीं लगायेंगे तो चोरियां बढ़ती जायेंगी। दो चोरियों तक इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए कि तफतीश करता है उसमें समय लगता है।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्यों की तरफ देखकर मत बोलिये।

श्री निर्मल कुमार : इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का वेतन सबसे कम है, वे 24 घन्टे सेवा करते हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन उनको वेतन बहुत कम मिलता है, मेरा निवेदन है कि उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। श्रीमन, झालावाड़ा जिले में पावर में एक पुलिस थाना था उसे समाप्त करके पगारिया में स्थापित कर दिया है। गृह मन्त्रीजी ने सिफारिश की है कि वह वहां पर लगा दिया जाय···

श्री सभापति : इस पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री निर्मल कुमार : सभापति महोदय, झालावाड जिले में सांसी और कंजरों की बहुत समस्या है, पिछली सरकार ने उनको आत्मसमर्पण कराने का नाटक किया था। लेकिन थानेदार वहां पर चोरियां करवाते हैं, पुलिस की देख रेख में वहां पर चोरियां होती हैं। श्रीमन्, इसके लिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक आर. ए. सी. की बटालियन लगाई जानी चाहिए।

श्रीमन्, जेल सुधार के बारे में मेरा एक छोटा सा कटौती प्रस्ताव है, जेलों से जो आदमी निकलते हैं उनमें से बहुत से हेबिचुअल आफेन्डर होते हैं उनमें कोई सुधार नहीं होता। इसलिए इस सम्बन्ध में भी कोई आयोग या कमेटी बनायी जानी चाहिए यह काम समाज-सुधारकों को देना चाहिये।

सूचना और प्रचार के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि छोटे अखबारों को सुविधा मिलनी चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है कि पुलिस की तीनों एजेन्सियों का पृथक्करण किया जाय। दूसरा, सिपाहियों की

(श्री किशनसिंह भाटी)

दशा सुधारने के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि पुलिस में तीनों ब्रांचों का पूर्णतः पृथक-करण किया जाय। अभियोजन ब्रांच अलग प्रासेस सर्वर और केस दर्ज करने वाले अलग हों और अनुसंधान ब्रांच बिल्कुल ही अलग हो। इससे अपराधों में कमी होगी, पुलिस की साख बढ़ेगी और यह एक नया परीक्षण होगा। अमरीका में जिस तरह से इन्वेस्टीगेशन ब्रांच अलग है, जरूरी नहीं कि दिल्ली में किसी नये कार्य की शुरुआत पहले हो फिर हम करें। हम राजस्थान में अन्त्योदय योजना लागू करने में सबसे आगे हैं यह पृथककरण करने से न एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले को और न मुलजिम को नाजायज फायदा या नुकसान पहुंच सकेगा। आजकल पुलिस पर आरोप इस बारे में लगाया जाता है, उसमें भी इससे कमी आयेगी और अफिशियेंसी भी आयेगी। इससे पुलिस भी दबंग बनेगी। कांग्रेस ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं इस पर चर्चा न करके देखना यह चाहिये कि पुलिस दबंग हो, निष्पक्ष हो और सेवा वृत्ति से काम करे।

वाटर गेट कांड हमारे सामने है। अगर निक्सन जैसे महान शक्तिशाली राष्ट्रपति के कहने से अमरीका का एक एस. एच. ओ. रोजनामचा या रपट नहीं बदलता है, तो ऐसी साख हमारी पुलिस की भी जमानी चाहिए। चाहे, गृह मंत्री, हममें से कोई विधायक हो, संसद सदस्य हो, बड़े से बड़े आदमी के कहने पर भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप न हो, रोजनामचा भी न बदले। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को ज्यादा लैटीट्यूड दिया जाय लेकिन हमारे कहने से निर्दोष नागरिक को गिरफ्तार न करे और हथकड़ी पहना कर न घुमाये।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि पुलिस में भ्रष्टाचार कम किया जाय। इस बारे में गोरवाला इत्यादि कमेटियों के कई प्रस्ताव है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी अपराध करने वाले, आर्थिक अपराध करने वाले, हीनियस अपराध करने वाले जो हैं उनके लिए भले ही विशेष सख्ती बरतें। चाहे सेन्टर के नियम हों चाहे राज्य के हों लेकिन हमारे मुख्य मंत्री व गृह मंत्री इसके अन्दर पहल करें, भारत सरकार से कहें कि ऐसे अपराधी से संबन्धित गुण्डा एक्ट में प्रावधान करें कि ओनस, बर्डन आफ प्रूफ, मुलजिम को समझाने का हमारे ला में इन्नोसेंट प्रावधान है। चाहे समाज विरोधी अपराध हो, चाहे राष्ट्र विरोधी अपराध हो तस्कर हो, गिल्ट से निर्दोष प्रूव करने का बर्डन मुलजिम पर जाना चाहिये ताकि इस ग्रिप से वे लोग बच सकें। ऐसे लोगों को पकड़ने वाले नागरिकों, रिकवरी करने वाले नागरिकों या थानेदारों, जिनके द्वारा सेंट पर्सेंट रिकवरी हो, को इनाम दिया जावे, पुलिस वालों को प्रमोशन दिया जाए। लेकिन नागरिकों में भय नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पहले भय था अब नहीं है लेकिन बोर्डर पर इतना भय है, जैसलमेर इलाके में कहा जाता है कि माइनोरिटी कम्युनिटी के भेड़ चराने वाले कहते हैं हमसे 500) रु. ले लो हमको परेशान मत करो। पुलिस उनको गांव के किनारे तक ले जाती है, उसको पता नहीं लेकिन सिपाही कह दें कि तुमको खींच कर थाने तक ले जायेंगे नहीं तो 500) रु. दो तो वह दे देगा। मैंने वकील होने के नाते ऐसे केसेज लड़े हैं।

(श्री किशनसिंह भाटी)

जैसलमेर में थानेदार ने इस बात के रुपये लिये थे कि फलां आदमी को थप्पड़ मार दो। ऐसा भय नहीं होना चाहिये। गुण्डों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि रेल्वेज, सिनेमा में, पब्लिक प्लेसेज में जगह जगह प्रोक्लेम्ड आफेंडर्स एवं बदनाम गुण्डों की फोटोज लगनी चाहिए ताकि उनको औरतें व बच्चे भी आइडेंटीफाई कर सकें कि यह गुंडा वही है। उसको सिटी में न रखकर जैसलमेर जैसे एरिया में सुधार के लिए खुली जगह में रखें और वहीं उनके ट्रायल्स चलाने चाहिये। इस तरह से वह हैबिचुअल होने के नाते जेल के जो दूसरे अपराधी हैं, उनको खराब नहीं कर पायेगा। मैंने जोधपुर जेल में देखा...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जैसलमेर वाले को कहां भेजें?

श्री किशनसिंह भाटी : उनको सांचोर भेजें। इस तरह इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है।

थर्ड डिग्री मैथड्स पर...

श्री सभापति : इस पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा प्रस्ताव है कि तीनों ब्रांचों को अलग करके सुधारा जाए, यह भी उसी का अंग है।

श्री सभापति : 6 मिनट हो गए।

श्री किशनसिंह भाटी : एक मिनट में समाप्त करूंगा। जहां तक हथकड़ी का सवाल है राजनितिज्ञ, जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित नागरिकों आदि को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। हथकड़ी सुरक्षा के लिये बनाई है ताकि वह भाग न जाए। जब हमने थानेदार को इतना कहा कि मीसा आर्डर बताइए, किसलिये हमको...

श्री मदनसिंह दांता : जनता सरकार ने भूतपूर्व रक्षा मंत्री को हथकड़ी लगाई।

श्री किशनसिंह भाटी : संसद सदस्य आदि में बंसीलाल भी आ गया, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। यदि किसी के भागने का अंदेशा है, तभी लगानी चाहिए। तो जोधपुर जेल में...

श्री मदनसिंह दांता : संसद में 42 वां संशोधन रखा है उसमें प्रधान मंत्री को वंचित रखा है। आप उससे सहमत हैं?

श्री सभापति : इस बारे में जिरह नहीं होगी। आप लोग बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री मदनसिंह दांता : लेकिन......

श्री सभापति : यह कोई तरीका नहीं प्रश्न पूछने का।

श्री मदनसिंह दांता : तरीका मैं ज्यादा जानता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : हथकड़ी सुरक्षा के लिए बनी है। जोधपुर जेल में हमारे साथ जैसलमेर का एक स्वयं सेवक चंद्रभान था कबड्डी में उसका घुटना टूट गया था। पांच आदमी उसको लेकर लेट्रिन पहुंचाते थे। उसको जब अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाते थे तो हथकड़ी लगाकर ले जाते थे। यह सुरक्षा के लिए नहीं थी केवल मानहानि के लिए थी। तो मेरा अच्छा व्यवहारिक सुझाव है। आज किसी भी इज्जतदार

(श्री किशनसिंह भाटी)

आदमी, चाहे उसका कोई दोष न हो, को यदि थानेदार कह दे कि 5000) रु. दो नहीं तो हथकड़ी लगाऊंगा, तो उसको झकमार-कर देने पड़ते हैं। इस तरह यह भ्रष्टाचार का भी एक साधन है। इसके अलावा बोर्डर पर जो ऊंट सवार हैं, उनकी खुराक यानि ऊंट भत्ता 30 साल पहले जैसा नहीं होना चाहिए। जो बी. एस. एफ. के ऊंटों के, लिए है वही खुराक उनको मिलनी चाहिए। उनका अलाउन्स बी. एस. एफ. जितना होना चाहिए। सिपाहियों के वेतन और मेस में सुधार किया जाय। लंगर में ऐसी दाल दी जाती है कि डुबकी लगाने से जैसे मोती मिलते हैं उसी तरह उसमें कुछ दानें मूंग या चने के मिलेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सारी सुविधायें खुराक, आवास, वर्दी, दवाई, आदि की बी. एस. एफ. की तरह उनको मिलनी चाहिए। उनके लिए कैन्टीन्स चलानी चाहिए। एक समिति उनकी कठिनाइयों के निराकरण हेतु बनानी चाहिए। प्रमोशन्स सीनियोरिटी पर देने चाहिए। राजस्थान बनने से पहले जो हवलदार थे, उनकी 30 साल की नौकरी हो गई है, उनके लिए परीक्षा की शर्त न रखें उनकी पदोन्नति अविलम्ब करें। अन्य पदाधिकारियों को भी इसी आधार पर करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : पुलिस के ड्राइवर्स को उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जो राजस्थान के और विभागों के ड्राइवर्स को मिलती है। उनका कार्य भी अन्य से कम नहीं है। बोर्डर पर पुलिस को चोरियां पकड़ने के लिए अच्छी गाड़ियां दें, 6 जी. एम. सी. की तथा जोंगा दें ताकि स्मगलर्स, जिनकी जीपें 120 की स्पीड से चलती हैं, को पकड़ सकें और कैटिल लिफ्ट बंद हो सके व नागरिकों को राहत मिले।

श्री सभापति : बिराजिए। श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सिनलिया कांड की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें पुलिस द्वारा जनता पर जुल्म किए गए। दिनांक 14–10–76 को सिनलिया ग्राम के कुछ लोग अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं लेने मांगरोल जा रहे थे। उन दिनों परिवार नियोजन अभियान चल रहा था। रास्ते में एक जीप आई जिसमें तहसीलदार, एल.डी.सी. राम प्रसाद, थानेदार राम चरण दो तीन सिपाही थे। उन्होंने गांव वालों को देखकर अपनी जीप रोकी तथा नसबंदी के लिए जबर्दस्ती जीप में उनको बिठाने लगे।

सभापति महोदय, गांव वालों ने मना किया तो थानेदार ने उनको बहुत बुरी तरह से डांटा डपटा और उनसे गाली गलोच भी की। इस प्रकार गांव वालों और पुलिस वालों के बीच में कहा सुनी अधिक हो गयी। वहां पर ऐसी स्थिति बन गयी कि दोनों में हाथा पाई हो गयी। इससे थानेदार साहब बहुत ही नाराज हो गये। उन्होंने कहा कि देखना मैं तुम सिनलिया के लोगों के साथ क्या करता हूं। इसके बाद थानेदार साहब थाने पर गये और वहां से आदमी लेकर उस गांव में पहुंचे। पुलिस के वहां पर पहुंचते ही लोग मारपीट करने से तथा डराने धमकाने से डर कर गांव छोड़ कर

(श्री हीरालाल)

भाग गये। सभापति महोदय, पुलिस के इस बर्बर कान्ड से चारों तरफ भय का वातावरण फैल गया, गांव में आतंक छा गया। पुरुष लोग गांव छोड़ कर भाग गये और वहां पर बाकी बच गयी सिर्फ महिलायें। पुलिस के जवानों ने उनके साथ भी बहुत भारी अभद्र व्यवहार किया। बेचारी औरतें अबला करती भी क्या? उन्होंने उनके दुराचरण सहे। इसके बाद में पुलिस वालों ने दोपहर में कहा, हमें चाय पीनी है चाय पिलाओ तो आप जानते हैं, सभापति महोदय, गांव में दोपहर को दूध मिलता नहीं है। उन औरतों ने कहा कि गांव में दोपहर में दूध तो मिलता ही नहीं है। पुलिस वालों ने कहा, हमें कोई मतलब नहीं हमें तो चाय पीनी है चाहे कहीं से दूध लाकर हमें चाय पिलाओ। अगर कहीं भी दूध नहीं मिले तो तुम्हारा दूध निकाल कर हमें चाय बना कर पिलाओ। इस प्रकार का अभद्र व्यवहार उन औरतों के साथ किया गया। सभापति महोदय, ऐसा भय और आतंक गांव में था कि आप सोच नहीं सकते। लोग तो जाकर जंगलों और खेतों में छिप गये थे। गांव छोड़कर पुरुष लोग भाग गये। बेचारी औरतें करती भी क्या? खेतों में पुलिस के डर के मारे लोग छिपे हुए रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। इसी भूख प्यास का शिकार हो गया एक नौजवान युवक शम्भूदयाल जो कि 24 साल का युवक था, अपने मां बाप का एक ही लाडला था। वह बेचारा कितने दिन तक कच्ची मूंगफली खाकर और बिना पानी पिये जिन्दा रहता। उसने वहीं पर भूख से मरते-मरते दम तोड़ दिया। सारे गांव में मातम छा गया। गांव में कोई नहीं था, सभापति महोदय, सिर्फ महिलायें थीं और दूसरे थे पुलिस के भेड़िये। कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं था। लेकिन उन बेचारी गरीब महिलाओं ने उस शम्भूदयाल का क्रियाकर्म किया, उसे जलाया। बेचारा शम्भूदयाल इस कांग्रेस की सरकार की ज्यादतियों के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। सभापति महोदय, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, सभापति महोदय, लेकिन अब तो जनता पार्टी की सरकार है, अब तो उस कान्ड की जांच की जानी चाहिये और उसमें जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सजा देनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मांगरोल की जनता ने इसके बारे में भारी प्रदर्शन किया और मांग की कि पुलिस के इन भेड़ियों के खिलाफ में सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। वहां पर पिछले समय में लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। दिवाली का वक्त था उन लोगों में शम्भूदयाल जो मर गया था, अपने घरवालों के बीच में नहीं था। इसलिये, सभापति महोदय, जिन अधिकारियों के कारण उन लोगों को बुरे दिन देखने पड़े उसके लिये जांच बैठाकर उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, पुलिस के रवैये में कोई कमी नहीं आयी है वहां पर लोगों में अभी भी पुलिस का भय और आतंक बना हुआ है। मैं आपको आपातकालीन समय में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको काफी समय हो गया है। सात मिनट हो गये हैं आपको पूरे 8 मिनट दिये गये हैं।

श्री हीरालाल : मैं अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री हीरालाल)

सभापति महोदय, आज और पहले भी खास तौर से जब आपातकाल का समय था तो ऐसा भय था कि लोग पुलिस के नाम से घबराते थे। गरीब लोगों की ऐसी हालत थी कि पुलिस वाले कोई घटना हो जाती तो मामला तक दर्ज नहीं करते थे। वहां तो यह हालत हमेशा रही है कि गरीब के साथ कोई घटना हो जाये तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है लेकिन धनवान लोगों के खिलाफ में कोई भी कार्यवाही हो तुरन्त रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आज पुलिस का यह हाल है कि वह धनवानों के हाथ बिकती है। इसलिये मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुलिस विभाग के मन्त्री जी से यह निवेदन है कि यह जो भय और आतंक का वातावरण पुलिस के द्वारा बनाया हुआ है इसको समाप्त किया जाय तथा साथ ही गरीब लोगों की सुनवाई हो ऐसी व्यवस्था पुलिस में की जाय। इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज गांव की जनता और पुलिस के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है उसका कारण यह भी है कि पुलिस विभाग के लोगों का वेतन बहुत कम है। आपको इनका वेतन बढ़ाना चाहिये। आज गांव के थानों में प्रशासन व काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये आने जाने के साधन नहीं जिससे कई बार मौके पर पुलिस वाले नहीं जा सकते हैं। इसलिये थानों पर जीपों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री सभापति : आपको काफी समय हो गया है। आठ मिनट हो रहे हैं।

श्री हीरा लाल : सिर्फ दो मिनट और।

श्री सभापति : एक मिनट भी नहीं दिया जा सकता है।

श्री हीरालाल : मैंने सूचना एवं प्रचार पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। एक मिनट जनसम्पर्क विभाग के बारे में बोल कर समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार की तरफ से सूचना एवं प्रचार की व्यवस्था गांव में होनी चाहिए ताकि उन लोगों को पता पड़े कि हमारा देश आज क्या कर रहा है, हमारे देश में क्या प्रगति हो रही है। हमारे देश के कार्यकलापों के बारे में गांवों में चलचित्र दिखाये जाने चाहिए। वहां पर ब्राड कास्टिंग एवं पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे उनको अनुभव होगा कि हमारे देश में किस प्रकार का काम हो रहा है। देश के कार्यकलापों में उनका भी हक है। यह उन्हें भी मालूम हो कि वह उस देश के नागरिक हैं।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, कोटा हमारे हाड़ोती का अंचल है, वहां बहुत बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आकाशवाणी का केन्द्र वहां खोला जाय जिससे जनता को अधिक से अधिक फायदा मिले।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)**: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो आज सदन में मांगें चल रही हैं उन पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं वह पेश करना चाहूंगा। मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान विशेष तौर से मेरे कटौती के प्रस्तावों में जो खास-खास मुद्दे हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे कोटा और बून्दी के बीच में एक गांव है जो तालेड़ा है वहां पर आज से तीन वर्ष पहले एक थानेदार थे जोशी जी जिनकी हत्या हो गयी पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। वहां पर इसी तरह, सभापति महोदय, एक गांव है लाखेरी बून्दी के मध्य खरकड़ महावीर प्रसाद नाम के हैड कांस्टेबल की मृत्यु हो गई लेकिन आज तक उनका पता नहीं लगा। इसी प्रकार हमारे यहां एक छोटा माली था उसकी हत्या कर दी गई उसका भी पता नहीं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या तीनों ही पुलिस के थे?

**श्री सभापति** : आप बीच में व्यवधान नहीं करें। ओमप्रकाश जी आप बोलिए।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से हमारे यहां हत्या होती गई और कोई पता नहीं लग सका। इसी प्रकार महेश कुमार नामक एक विद्यार्थी, जिसकी आयु 12 वर्ष की थी, की चम्पा बाग के पीछे हत्या कर दी गई पर आज तक कोई पता नहीं लग सका। सभापति महोदय, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी इसलिए पता नहीं लगा लेकिन अब तो पुलिस को पता लगाना चाहिए। इसी प्रकार जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भग्गू सिन्धी के लड़के की हत्या कर दी गई। सभापति महोदय, उस भग्गू के लड़के की हत्या इस प्रकार की गई कि उसका धड़ अलग और सिर अलग था। इस हत्या के कुछ दिनों बाद वहां पर जब गृह मन्त्री जी आये उस वक्त श्री कल्याण सिंह जी, जो कि हमारे यहां पर एस. पी. साहब थे, से मैंने पूछा कि इस कत्ल का पता क्यों नहीं लगा? तो एस. पी. साहब ने कहा कि इस मामले में बड़े-बड़े लोगों के हाथ हैं। मैं उनको नहीं पकड़ सकता। सभापति महोदय, जब उन्होंने यह कहा तो मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें पकड़ना नहीं चाहते, इसका कारण यह है कि आपका इसके अन्दर सीधा-सीधा हाथ है। आपातकालीन समय में लोगों की नसबन्दी के मामले को लेकर काफी विवाद हुआ। उसका केस बना। नसबन्दी के दौरान हकीमा की मृत्यु हो गई। यह कल्याणसिंह एस. पी. उसमें शामिल थे। उन्होंने केस बनाया जिसमें 34 गवाह बनाये गये। कन्जरों की फाइल आज भी वहां आई. जी. पी. साहब के बस्ते में बन्द है। पांच बार आई. जी. पी. साहब गये, इन्क्वायरी हुई पर पता नहीं कैसे आई. जी. पी. साहब ने उस फाइल को दबा लिया। अतः उस फाइल को देख कर दोषी का पता लगाया जाना चाहिए। नसबन्दी से लोगों के मर्डर हो गये पर कोई कार्यवाही इन पुलिस वालों के खिलाफ में नहीं हो सकी। इसी प्रकार आपातकालीन समय में देवा गूजर, जो कि राम नगर के पास का रहने वाला था, की हत्या कर दी गई। उसका भी अभी तक पता नहीं है। पिछली सरकार ने तो ध्यान ही नहीं दिया पर कम से कम जिन लोगों ने इस प्रकार के बर्बर काण्ड किये हैं उनकी ओर अब इस जनता पार्टी की सरकार को ध्यान करना चाहिये।

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

सभापति महोदय, इसी प्रकार सन् 1972 में एक राजनैतिक कार्यकर्ता ने ओम प्रकाश राजोरिया की हत्या कर दी पर कोई भी जानकारी नहीं लग सकी। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि वह जांच करे कि ओमप्रकाश राजोरिया की हत्या किसने की और उसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही करें। इसके साथ ही यह राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या जो की जाती है उसके लिए विशेष रूप से जांच कराई जानी चाहिए। इसके सम्बन्ध में पता लगाया जाना चाहिए कि इतने दिनों तक पता क्यों नहीं लगा सके। उन लोगों पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए जो आज तक पता नहीं लगा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी पूरी जांच करायी जाय।

मेरा दूसरा कममोशन है। पुलिस सब-इन्स्पेक्टर बूंदी में हरिप्रसाद कटारिया व श्री बहादुर सिंह हैं, गृह मंत्रीजी दोनों को निलम्बित करने का आदेश बूंदी में ही देकर आये थे वह भी अभी तक खटाई में है। जो अधिकारी मंत्री महोदय के हुक्म को नहीं मानते हैं उनके नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। राजेन्द्रसिंह गहलोत जोधपुर में बंदी था उसका क्या हुआ? एच.एस. शर्मा डीवाई. एस. पी. था उसे पिछली सरकार ने नागालैंड भेजा।

**श्री सभापति** : राजेन्द्रसिंह गहलोत का मामला कानसिंह कमीशन में जाने लायक है।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : डीवाई. एस.पी. बनाकर नागालैंड भेज दिया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही तोहफा दिया उसको राजस्थान में एस. पी. बना दिया। इसी प्रकार जातिवाद के आधार पर आपात-कालीन स्थिति में प्रमोशन्स दिये गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री सभापति** : सात मिनट हो गये माननीय सदस्य।

**श्री मूलचन्द डागा** : इम्पोर्टेन्ट बातें कह रहे हैं।

**श्री सभापति** : 7 मिनट हो गये। आप बिराजिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : एक मिनट।

वर्तमान आई. जी. जेल हैं वे पिछली विधान सभा के अध्यक्ष के दामाद हैं। जूनियर होते हुए भी उनको आई.जी. बना दिया गया।

**एक माननीय सदस्य** : कहां का बना दिया?

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : आप जांच करेंगे तो पता चलेगा। जातिवाद के आधार प्रमोशन दिये गये हैं। नन्दलाल, दौलत-कुमार प्रधान, गुलाबचन्द भाटिया, ओमप्रकाश और भी नाम मेरे पास मौजूद हैं।

**श्री सभापति** : एक मिनट हो गया। विराजिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री माधोसिंह, रेवदर।

**श्री माधोसिंह (रेवदर)** : सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि

(श्री माधोसिंह)

कांग्रेस के समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। समाज सुधरता आया है और सुधरता जावेगा। गलतियां हो सकती हैं। सत्ता में जो होते हैं तो उनसे गलतियां होती हैं। लेकिन बहुत अच्छाइयां भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि अच्छाइयां नहीं हैं। आप भी सत्ता में आये हैं। सत्ता में जो होता है वह ऊपर देखकर चलता है नीचे देखकर नहीं चलता है। उसके साथ चलने वाले उसको बताते हैं कि ठीक तरह से चलो नहीं तो आगे खड्डा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौनसे कट-मोशन पर बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : भ्रष्टाचार पर बोल रहा हूं।

पुलिस की मांग पर मेरा जो कटमोशन है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज पुलिस विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको उससे कैसे मुक्त किया जाय। इसके लिये मेरे कुछ सुझाव हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि इस विभाग में किसी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप न हो। अपना राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप होता है, तो सही तरीके से पुलिस काम नहीं कर पाती है। एक्जाम्पल भी दूंगा। जब अपना हस्तक्षेप होता है तो ये डिमोरेलाइज हो जाते हैं। बराबर न्याय से काम नहीं कर सकते हैं। यदि भ्रष्टाचार है तो बराबर कार्यवाही होकर दंडित किया जाना चाहिये, सस्पेन्ड किया जाना चाहिये और डिसमिस किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा सुधार के लिये कि प्रशासनिक शाखा, जिसके द्वारा पुलिस प्रशासन कर सके, और इन्वेस्टीगेशन शाखा दोनों अलग-अलग हों। मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि प्रशासनिक शाखा अलग होनी चाहिये, लोगों की जान माल की रक्षा करने का कार्य अलग से होना चाहिये। दूसरी शाखा वह होनी चाहिये जो इन्वेस्टीगेशन करे। एफ. आई. आर. दर्ज होती है या नहीं होती है और दूसरी जितनी कार्यवाही होती है वह दूसरी शाखा करे जिससे भ्रष्टाचार के कम चान्सेज रहें। जो व्यक्ति बचना चाहता है, गलत काम करना चाहता है तो भ्रष्टाचार करने के लिये प्रोत्साहन देता है। एजेंसियां अलग-अलग होंगी तो कम चान्सेज रहेंगे। रिश्वत लेने वाला भी डरेगा और देने को कम हिम्मत करेगा।

तीसरी बड़ी बात यह है कि सब इन्सपेक्टर और नीची ग्रेड की तनख्वाह वाले जो व्यक्ति हैं उनको सुविधायें इतनी कम हैं कि आदमी की नीयत खराब हो ही जाती है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, काफी माननीय सदस्यों ने भी इस पर काफी कुछ कहा है, आप इस ओर ध्यान दें। उनकी तनख्वाहें और सुविधाएं इस लिमिट तक बढ़ाई जानी चाहिये जिससे परिवार का गुजारा चल सके और भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं जाय।

चौथी बात यह है कि जिला लेवल पर विजिलेन्स को स्ट्रोंग बनाना चाहिए। एस.पी.,

श्री माधोसिंह)

कलेक्टर, विधान सभा सदस्य और एक दो योग्य आदमी, नागरिक, ट्राइब्स और कास्ट्स के आदमी विजिलेन्स कमेटी में होने चाहिये जिससे कोई केस कोर्ट में जाय उससे पहले विजिलेन्स के लोगों से जानकारी ले। गरीब आदमी है, खाने को अनाज नहीं, पहिनने को कपड़ा नहीं, ऐसा न हो कि ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। जो रिपोर्ट दर्ज होने को जा रही है ठीक है कि नहीं? ऐसे भी केसेज गांवों में थानों में होते हैं, आदमी वहां पहुंच जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। इन्वेस्टीगेशन की तो दर्ज ही नहीं होती और जो दर्ज नहीं करने की होती है ऐसी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

अगर विजिलेन्स कमेटी होगी तो शिकायतें कम होने की संभावना है।

ट्रेनिंग कैम्प आयोजित होने चाहिये। सिपाही लेवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिये। उनको बदलते हुए समय में लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिये, क्या ड्यूटी उनके द्वारा बजायी जानी चाहिये, उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और उनमें इस तरीके की भावना पैदा करनी चाहिये कि तुम रक्षक हो भक्षक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, पांचवी बात और अर्ज करूंगा कि फौजदारी कानून में परिवर्तन होना चाहिये। कई इस तरह की फौजदारी कानून में धारायें हैं छोटी सी बात के लिये भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को हथकड़ी पहिनाई जा सकती है। किसी को भी बेइज्जत किया जा सकता है। हथकड़ी उन्हीं लोगों के लिये होनी चाहिये जो कि खूनी, डकैत हों या सामाजिक अपराधी इस तरीके के हों। आपस में झगड़ा हो जाता है या और कोई दूसरे तरीके की बात हो जाती है तो किसी व्यक्ति को किसी समय हथकड़ी लगा कर ले जाने की एक आम बात हो गयी है। यह कानून के लिये शोभा की बात नहीं। लोग ज्यादा इन्वल्ज हो जाते हैं और विरोधी हो जाते हैं। इसलिये इस ओर ध्यान रखना चाहिये।

राजनैतिक प्रभाव के लिये कुछ कहूंगा मैं माफी चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, विधान सभा में चुन कर मैं यहां प्रथम सत्र में आया तो मैंने पहले ही सत्र में एक सब इन्सपेक्टर के लिये निवेदन किया था। वह अनादरा थाने में चार साल से रह रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस के आदमियों से मिलकर उनके जरिये ट्रान्सफर कैंसिल करा दिया करता था और अब भी आपके पास पहुँच कर, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, के द्वारा आपसे ट्रान्सफर कैंसिल करा लिया जब कि आई. जी. लेवल से उस आदमी का ट्रान्सफर तीन दफा हो गया है। उसके खिलाफ कई भ्रष्टाचार की कार्यवाही पैंडिंग हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है भ्रष्टाचार की और आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के व्यक्तियों को राजनीतिक प्रश्रय देने से वह और भी ज्यादा उच्छृंखल होंगे।

(श्री माधोसिंह)

सात की लिस्ट तो मेरे पास है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ ही ज्यादा ज्यादती की है। तहसीलदार की रिपोर्ट है और तहसीलदार ने माना है कि पुलिस सब-इन्सपैक्टर ने दो सिपाहियों को ट्रेक्टर के साथ बैठाकर कोलियों की जमीन खेड़ा ली। यह तहसीलदार की रिपोर्ट है। इस तरह से लोगों को हैरानी हो गयी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी आप जानकारी कर लें। जनता पार्टी के लोगों ने ही उसके खिलाफ दो दफा रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी है और वहां का डेपूटेशन भी आपके पास दो दफा पहुंचा होगा लेकिन न जाने किस तरह से किसकी आड़ लेकर वह बच रहा है, मालूम नहीं है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री सम्पतराम** (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

विचाराधीन मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

**मांग सं. 16, 17 व 18 पर अग्रेतर विचार**

**श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने पुलिस के बारे में दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं····

**श्री सभापति** : एक ही है।

**श्री सूरजपाल सिंह** : दो हैं। नीचे 161 पर और है।

**श्री सभापति** : जो लिस्ट है उसमें एक ही है। खैर, बोलिये।

**श्री सूरजपाल सिंह** : इसी लिस्ट में आगे है।

सभापति महोदय, मेरा पहला कटौती प्रस्ताव यह है कि विधान सभा सत्र के समय में जो पुलिस कर्मचारी यहां आते हैं उन लोगों को असुविधायें होती हैं। उन लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और उनको दिया जाने वाला डी.ए. भी बहुत कम है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अनिश्चितकाल के लिए सदन का समय बढ़ा दिया, 11 बजे तक भी चले, 12 बजे तक भी चले। वह बेचारे जब 12 बजे लौटकर जाते हैं तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे समय उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाना चाहिए जब कि ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस के अन्दर सी.आई.डी. के अन्दर आपको

(श्री सूरजपालसिंह)

कई ग्रेजुएट्स और पोस्ट-ग्रेजुएट्स कर्मचारी मिलेंगे जिनको कई वर्षों की निरन्तर सेवा के उपरान्त भी प्रमोशन के चान्सेस नहीं मिलते हैं। पुलिस विभाग के अन्दर एक ऐसा रवैया बना हुआ है कि कान्सटेबल के प्रमोशन के लिए डी. आई. जी. लेवल पर एक सूची बनाई जाती है। जिन्हे वह एप्रूव्ड लिस्ट में ले लेते हैं वह 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो फिर वापस उनका टैस्ट होता है। इस तरह से दो बार टैस्ट की जो पद्धति है वह और किसी भी विभाग में नहीं है। एक बार जिनको एप्रूव्ड लिस्ट में ले लेते हैं और जितनी वैकेन्सी होती हैं उतने । प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद जो रह जाते हैं तो जब भी वेकेन्सी हो समय-समय पर उनका प्रमोशन होता रहना चाहिए। जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको सब-इन्सपेक्टर के जो प्रमोशन होते हैं उनमें प्राथमिकता देकर उनकी मेहनत और एजूकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर प्रमोशन का अवसर देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा प्रस्ताव जो मेरा था वह कानून व व्यवस्था के बारे में था। जनता सरकार के पावर के आने के बाद वाहवाही तो खूब करती है कि हम कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम हैं लेकिन मैं आपको कह दूं कि आपके सत्ता में आने के बाद में कानून और व्यवस्था प्रदेश के अन्दर निरन्तर बिगड़ती जा रही है। 27 अप्रेल, 1977 को मैं टूरिस्ट बंगलो (तीज) में ठहरा हुआ था और टूरिस्ट बंगलो के सामने एक एक्सीडेन्ट हुआ। उस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और टूरिस्ट बंगलों के रिसेप्शन से टेलीफोन बनीपार्क पुलिस स्टेशन को किया। आधा घन्टे तक मैं वहां खड़ा रहा। एक्सीडेन्ट के बाद में उस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। लोग घबराते हैं इसलिये कोई भी उस जगह तक पहुंच नहीं सका लेकिन मैं वहां खड़ा रहा और कुछ लोग और भी आये। आधा घन्टे के बाद में भी जब एस. एन. ओ. बनीपार्क नहीं पहुंचा तो मैं वापिस रिसेप्शन पर आया। हमारे जालौर के विधायक श्री टीकमचन्द कान्त वहां पर फ्लाइंग स्कवेड को टेलीफोन कर रहे थे, घन्टी जा रही थी लेकिन वहां कोई नहीं उठा रहा था। मैंने उनसे टेलीफोन लिया। बनीपार्क थाने से घटना स्थल को पुलिस को आने में 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे जिसमें 45 मिनट तक पुलिस नहीं पहुंची। मैंने उसी समय गृह मंत्री जी को टेलीफोन पर बताया कि अगर आपके कानून और व्यवस्था की यही दशा जयपुर में है, जिस रोड पर आपके पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते हैं, जहां कलेक्टर रहता है जिस घटना स्थल से 100 कदम पर आपका सर्किट हाउस है, जिस घटना स्थल के सामने ही कई विधायक रहते हैं ऐसे स्थान पर आपकी पुलिस नहीं पहुंच सकती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे जैसे क्षेत्र जहां सड़कें नहीं हैं और दूसरी सुविधायें नहीं हैं वहां यदि किसी तरह की घटना घट जायें तो आपकी पुलिस कानून और व्यवस्था को बचाये रखने में कभी सक्षम नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए। 45 मिनट के बाद जो पुलिस सब-इन्सपेक्टर पहुंचा वह भी गृह मंत्री के टेलीफोन करने के बाद

(श्री सूरजपालसिंह)

में तो सिविल ड्रेस में आया। मैंने कहा कि पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है और आप तो पजामा कुर्ता पहने, लाला बने हुए आये हैं। आप इन्वेस्टीगेशन के लिए आये हैं तो यूनिफार्म में आना चाहिए। तो यह आपके पुलिस अधिकारियों की हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पुलिस में सुधार लाना चाहते हैं तो जो यहां बैठे हुए हैड कान्सटेबल के ट्रान्सफर मंत्री महोदय आप अपने स्तर पर कर देते हैं और सब-इन्सपेक्टर के ट्रान्सफर्स कर देते हैं होम मिनिस्ट्री से बैठे-बैठे तो जो आपके हाथों से ट्रान्सफर कराकर जायेंगे वह वहां एस.पी. और अपने इमीजियेट बास को और डी.आई.जी. की कभी परवाह नहीं करेंगे। अगर आप अनुशासन रखना चाहते हैं तो सत्ता का केन्द्रीकरण खत्म कीजिए और पावर्स को डी-सेन्ट्रेलाइज कीजिए। आप अपने एस.पी. और डी.आई.जी. की पावर्स को बनाये रखिये। अगर आप सुधार लाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपके जन प्रतिनिधियों को पावर्स दीजिए, कमेटीज बनाइये। जो भ्रष्टाचार पनपाते हैं उनके लिए मैं तो सुझाव दूंगा कि आप सब डिवीजन आफिसेज तक डी.एस.पी. (एन्टी-करप्शन) की पोस्ट रखिये। किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो, आज अगर भीनमाल का ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको 8 मिनट हो गये हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : एक मिनट।

अगर कोई आदमी शिकायत किसी कर्मचारी के खिलाफ करना चाहता है तो उसको जोधपुर आना पड़ता है। अगर सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर पर एन्टी-करप्शन का आफिस स्थापित किया जाय तो उसी समय किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में तुरन्त रिपोर्ट देकर कार्यवाही कर सकते हैं। कोई भी आदमी जोधपुर आकर उसके लिए रिपोर्ट दे और एन्टी-करप्शन वाले को ढूंढता फिरे तो न तो कोई ढूंढ सकता है और न मन मार कर वहीं बैठा रह सकता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि वास्तव में जनता सरकार भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है तो कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए तभी भ्रष्टाचार मिट सकेगा वरना खाली आपकी बातें करने से कि यह कर देंगे और वह कर देंगे, नहीं मिटेगा। यदि आप उन्हीं परम्पराओं पर चलना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : गरीब हरिजनों को पुलिस द्वारा पीटने के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। माननीय सभापति महोदय, 17-7-77 को सवाई माधोपुर के एक कारखाने में चोरी हुई थी। चोरी की रिपोर्ट हुई। लेकिन पुलिस चोरी का पता नहीं लगाकर एक गरीब परिवार को पकड़ कर के ले गई। उनको रात भर मारा-पीटा गया। सुबह तक उनकी हालत खस्ता हो गई। जब गांव वालों को पता चला तो जमानत करके छुड़ाकर लाये। पुलिस ने उन्हें बाहर डाल रखा था वे चल भी नहीं सकते थे। जिलाधीश के पास एक डेपूटेशन

(श्री चुन्नीलाल)

पहुंचा और सारी स्थिति बताई कि जिन लोगों से मारपीट की उनकी हालत किस तरह से हो रही है। जिलाधीश ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद जब उनके उपचार की सही व्यवस्था नहीं हुई तो जयपुर लाने की कोशिश कर रहे थे। दो व्यक्तियों को जयपुर ला रहे थे। उस वक्त पिछला सैशन चल रहा था। पुलिस को डर था दोनों व्यक्तियों को विधान सभा के सामने ले जाकर बतायेंगे। इसलिए पुलिस द्वारा जबरन उन व्यक्तियों को बस में से खींच कर लाया गया और अस्पताल में बन्द कर दिया गया। इसके बाद 60-70 लोग आये गृह मंत्रीजी से मिले। मैं भी मिला था। उनको पुलिस के जिन कर्मचारियों ने पीटा था उनको सस्पेण्ड किया गया। किन्तु सस्पेण्ड करने के दो दिन बाद ड्यूटी पर ले लिया गया। उन व्यक्तियों का इस चोरी में कतई हाथ नहीं था फिर भी गरीब हरिजनों की इस तरह से पिटाई की गई। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो पुलिस के कर्मचारी इस तरह से नाजायज अन्याय करते हैं उनके ऊपर एक्शन तो लिया जाना चाहिये।

दूसरा एक सुझाव और है पुलिस चौकी के संबंध में। इसरदाह और दूसरे दो गांवों में पुलिस चौकी खोलने के बारे में एक एप्लीकेशन आई.जी. को दी थी। वहां चौकी खोली जानी चाहिये। इन तीनों गांवों के साथ 30–40 गांव लगते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री रंग जी।

(अनुपस्थित)

माननीय गोविन्द सहाय।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से श्री गृह मंत्रीजी का ध्यान सवाई माधोपुर की जो मध्य प्रदेश से धौलपुर साइड में सीमा जुड़ी हुई है वहां आये दिन डकैतियों की घटनायें होती रहती हैं, उस ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिन पहले मासलपुर के पास डाकू एक महाजन के 4 वर्ष के बच्चे को उठा कर ले गये। उसके बाद 19 साल का एक लड़का भी ले गये। 19 साल का बालक भी नहीं आया और 4 साल के बच्चे का, एक महीने से ऊपर हो गया, आज तक पता लगाने में पुलिस सक्षम नहीं हुई। गृह मंत्री जी से निवेदन है कि बार बार डकैतियां होती रही हैं। अभी 10–9–77 को गंगापुर से 6 मील दूर रात को दस बजे जहां पहाड़ी क्षेत्र नहीं हैं वहां एक महाजन को जाकर पकड़ लिया और पीटा। आपके माध्यम से निवेदन है कि . . .

श्री सभापति : कृपया बात नहीं करें।

श्री गोविन्द सहाय : चोरियों की काफी घटनायें हैं और आये दिन पता नहीं कितनी चोरियां होती रहती हैं। मेरा निवेदन है कि समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पहले आर.ए. सी.लगी रहती थी अब वहां से उसे हटा दिया गया है। धौलपुर साइड में चोरियां इसलिये होती हैं कि जैसे सन् 64 में आरोप लगाये गये थे कुछ सदस्यों के द्वारा कि माननीय सदस्य मठाधीश बने बैठे हैं। माननीय सभापति जी, इस कारण सारे सवाई माधोपुर जिले में चोरियां होती हैं। एक माननीय सदस्य कांग्रेस के थे उनका टेलीफोन आया पुलिस स्टेशन पर कि इसको छोड़ दिया जाये। पुलिस के उच्च अधिकारियों को मालूम है कि राज-

(श्री गोविन्द सहाय)

स्थान में एक ऐसा गांव है जिसमें दूसरे स्टेटों की लड़कियां फरार करके लाई जाती हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा, कांग्रेस सरकार ने कुछ भी किया हो परन्तु हमारे मुख्य मंत्री महोदय जब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और इस तरह की अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिये वचनबद्ध हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि आज भी पुलिस के अधिकारियों को बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है तो किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर छापा मार सके। सवाई माधोपुर वालों से बात होती है तब कहते हैं हमें रिपोर्ट नहीं मिली....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हम उसमें सक्षम नहीं हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाये और जिस तरह से घटनायें होती हैं उनकी रोकथाम की जाय। पिछले टाइम में गवर्नमेंट होस्टल में भूतपूर्व विधायक राम कुमार जी के रूम नं. 75 में रात को एक डाकू को पकड़ा गया था...

श्री सभापति : इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय : पुलिस की अव्यवस्था है, उसके खिलाफ कार्यवाही के बारे में है। अतः निवेदन है कि पुलिस डकैतियां पकड़ने में सक्षम नहीं है क्योंकि पुलिस दब जाती है। जब गवर्नमेंट होस्टल से. .

श्री मदन सिंह दांता : आप बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं जिस तरह गंगासिंह रो रहे हैं।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्द सहाय : अभी ऐसी हालत में यदि पुलिस अधिकारी जागृत नहीं हुए तो वहां के लोगों का रहना दूभर हो जायेगा। मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से, इसकी व्यवस्था की जाये।

गंगापुर जेल के बारे में निवेदन है कि यहां पर 80–85 कैदी हैं और उनके लिये प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम से जेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जेल व्यवस्था को सुधारा जाये। गृह मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर की सीमा, जो धौलपुर साइड से जुड़ी हुई है, पर जो अव्यवस्था है उसकी समुचित व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री नवरंग सिंह।

माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : अच्छा बोल रहे हैं, I am sorry

श्री नवरंग सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरे 13 कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन आपके समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी उन पर प्रकाश डाल दूं। सबसे पहले मैं शेखावाटी में होने वाली चोरियों की रोकथाम के जो उपाय हैं उनके बारे में अर्ज करना चाहूंगा। शेखावाटी में नयाबास जो नीमका थाना के

(श्री नवरंगसिंह)

पास है और जो राजस्थान का ही नहीं, मेरी जानकारी में हिन्दुस्तान का चोरों का नामी अड्डा है वहां दूर 2 से ये लोग चोरी करके लाते हैं। इसी तरह से बजावा है, बेरी है, ये छोटे छोटे वे स्थान हैं जहां पर इन चोरों के बड़े अड्डे हैं। इन चोरों से स्थानीय पुलिस निश्चित रूप से मिली हुई है और मिल जुल कर दिल्ली या और कहीं दूसरी जगहों से लूटकर जो माल लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, उस माल का पुलिस द्वारा बंटवारा किया जाता है। इस संबंध में पहले एक कैम्प का आयोजन भी किया गया था लेकिन जब कैम्प लगता है तो थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर देते हैं चोरी करना लेकिन जैसे ही कैम्प हटता है फिर चोर चोरी करना शुरू कर देते है। इसके सम्बन्ध में मेरा, सभापति महोदय, सुझाव है कि बड़े पैमाने पर चोरों के मानस को परिवर्तन करने के लिए सरकार कोई उपाय करे क्योंकि चोरी का सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होना होता है और उसके बाद लत पड़ जाती है। इसके बाद लत पड़ते पड़ते चोरी से भी आगे की लत हो जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर ध्यान दे और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलायी जाय।

दूसरा मेरा अर्ज करना है हरिजन, किसान और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं पुलिस के द्वारा उनके संरक्षण के लिए। सभापति महोदय, मैं अभी 19 तारीख का ही नवलगढ़ का उदाहरण बता रहा हूं। 20 तारीख को छात्र संघ का चुनाव था और उसमें हरिजन छात्र भी चुनाव लड़ रहा था। यह कहते हुए मुझे शर्म आती है कि नवलगढ़ के एस. डी. ओ. रात्रि में होस्टल पर आते हैं और पुलिस के जरिये हरिजन छात्रों पर पथराव किया जाता है। अभी जब माननीय गृह मंत्रीजी नवलगढ़ पधारे थे तो उन छात्रों का प्रदर्शन भी इनके सामने हुआ और सारी बातें इनके सामने रखीं। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो भी तत्व हैं, चाहे वह एस.डी. ओ. हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वह कांग्रेस के कोई नेता हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस तरह से हरिजनों पर, हरिजन छात्रों पर जो बबरतापूर्ण हमला किया जाता है उसके लिए सख्त कार्यवाही की जाय।

इसी तरह से मैं सट्टे के बारे में कहना चाहूंगा। जनता सरकार का राज आने के बाद नवलगढ़, जो सट्टे का नामी स्थान है में दो महीने के लिए सट्टा बन्द रहा लेकिन फिर वह सट्टा जो बम्बई और कलकत्ता तक जाता है, जिसका नाम घड़िया बोलते हैं, आज फिर शुरू हो गया है। मैंने माननीय जिला पुलिस के मुखिया से बात की। उन्होंने मुझे बतलाया कि यह सामाजिक बुराई है। मेरी तो ताकत ही क्या है इसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर यही हालत रही तो जनता सरकार भले ही कितनी ही बातें करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आगे की घटनाओं के लिये हम जो कल्पना करते हैं वह कल्पना साकार होनी मुश्किल है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री नवरंगसिंह)

कि इस ओर ध्यान दे वरना मुश्किल ही रहेगी·····

श्री मूलचन्द डागा : मुश्किल है। मुश्किल रहेगी नहीं, मुश्किल ही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें। बोलिये।

श्री नवरंग सिंह : अब मैं कुछ पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के बारे में कहना चाहूंगा। पुलिस कल्याण का कोई पांच लाख रुपयों का फण्ड होता है। लेकिन उस फण्ड में से अधिकांश पैसा जो है बड़े अधिकारियों को मिलता है। इसलिये मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि छोटे कर्मचारी को हम वैसे ही बहुत कम तनख्वाह, वेतन देते हैं और उनकी बहुत ही हार्ड सेवायें हैं, यह जो कल्याण कोष का पैसा है वह उनकी मदद के लिये होना चाहिये न कि बड़े अधिकारियों के लिये। दूसरा इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो कल्याण कोष की समिति बनी हुई है उसमें पुलिस के बड़े 2 अफसर होते हैं। इन बड़े 2 पुलिस अफसरों के होने के कारण साधारण कर्मचारी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं उनके लिये गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी पुलिस कल्याण समिति हो उसमें साधारण कर्मचारियों का रिप्रेजेण्टेशन होना चाहिये ताकि उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं हो।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि नक्सल पंथियों के नाम से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो राजनैतिक लोग हैं उनको सरकार ने छोड़ा भी है लेकिन गृह मंत्री महोदय डूंगरपुर वगैरह में उनके साथ में बड़ी ज्यादती हुई है। कुछ को सजायें हुई हैं, कई झूठे मामले बने हैं और कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह सारी स्थिति को देख कर उनके केसेज को विथड्रा करें। जिनको सजा हो गई है उनके केसेज रिव्यू करें और उनको भी छोड़ा जाय।

इसके बाद में जेल के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। जेलों में छात्र और डाक्टर बन्दी बना रखे हैं। मैं जेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन डाक्टरों की सेवाओं को, जो विभिन्न डिस्पेंसरियां हैं, में उपयोग में लेना चाहिए। इसी तरह से छात्र अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने ऐसा सुना है और जाकर देखा भी है कि छात्र अध्ययन करना चाहते हैं। कानून में भी यह प्रावधान है कि जो छात्र अध्ययन करना चाहते हैं उनको सारी सुविधायें मुहैय्या होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से मैं छोटे समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनको विज्ञापन के जरिये से या दूसरी तरह से सुविधा देकर पनपाया जाना चाहिए क्योंकि समाचार पत्रों का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

**श्री मथुरादास माथुर** (डीडवाना) : सभापति महोदय, पुलिस के कटौती प्रस्तावों पर जिक्र करते हुए मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह पुलिस फोर्स एक अरबी घोड़ा है और अरबी घोड़े का सवार अगर मजबूत और होशियार है, तो वह घोडा ठीक चलता है...

**श्री समरथलाल** : जैसे आप थे।

**श्री मथुरादास माथुर** : और अगर सवार मजबूत नहीं होता है, होशियार नहीं होता है तो एक मिनट में बिगड़ जाता है दुलत्ती मारता है..

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : बोलने दीजिए, व्यवधान नहीं करें।

**श्री मथुरादास माथुर** : इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस फोर्स के मामले में यहां बैठ करके कोई ज्यादा बातें कहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह वह औजार है जिससे आप चाहें तो किसी का सिर काट सकते हैं और अगर आप चाहें तो मूली काट सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस फोर्स को जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें। किस तरह से इसको काम में लें, यह आपकी नीति, आपकी क्षमता और आपकी पार्टी के सहयोग पर निर्भर रहेगा।

अब, सभापति महोदय, यहां पर मैं सुन रहा हूं कि क्राइम बढ़ रहा है। हिन्दुस्तान भर में क्राइम बढ़े हैं और क्राइम की नेचर भी बदली है। क्राइम करने वाले अपराधी लोगों ने भी वैज्ञानिक उपाय अपनाये हैं। क्राइम डिक्टेशन में भी वैज्ञानिक उपाय होते हैं। आज के दिन यह क्राइम कल्चरल क्लेश आफ कण्डक्ट है, नोर्म्स हैं। हमारी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में जो संघर्ष चलता है, जो हमारे कण्डक्ट और नार्म्स तब्दील हो रहे हैं वही आगे जाकर अपराध बन जाते हैं। आज का अपराध कल के बदले हुए हालात में अपराध नहीं रहता। हम यह कहें कि इन पुलिस के आफिसरों की वजह से, इनके भ्रष्टाचार की वजह से क्राइम बढ़ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्राइम बढ़े हैं सोशियो इकॉनोमिक स्ट्रक्चर में चेंज आने की बात से, इससे नये क्राइम बढ़े हैं। आज जो क्राइम होते हैं उसमें फोर्टी पर्सेंट क्राइम काग्नीजेबल ओफेन्स होते हैं पुलिस के और बाकी सब दूसरे क्राइम हैं। आपने प्रोहिबिशन लागू कर दिया। आज जयपुर में बैठ कर खुले आम शराब पी सकते हैं लेकिन कल प्रोहिबिशन कर दिया तो यही कल क्राइम हो जाएगा। इस तरह से अपने देश के अन्दर अमीर आदमी कोई गुनाह करेगा तो उसको गुनाह नहीं माना जाता है। स्मगलर करवपति है तो उसको इज्जत दी जाती है। टैक्स की चोरी करने वाले को चोर नहीं कहते हैं। उसको नहीं पकड़ते हैं। तो इकॉनोमिक आफेन्स करने वालों के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। होर्डर्स को कोई नहीं पकड़ता है। ब्लेक मार्केट करने वाले को नहीं पकड़ते हैं। गांव में जो ब्लेक मार्केट करने वाला सेठ है, उसको मिनिस्टर इज्जत देते हैं। सरकारी आफिसर भी उसको इज्जत देते हैं। जो कि समाज के दुश्मन हैं, उनको इज्जत दी जाती है। आज जो इकोनोमिक आफेन्डर्स हैं, उनके लिए, उनको रोकने

(श्री मथुरादास माथुर)

लिए नए नए कानून बनाये गये हैं। ये जो नए कानून बन गए हैं, उनकी वजह से आफेन्सेज बने हैं। कुछ एक्ट्स के ऑफेन्सेज बन गए हैं और कुछ पेनल कोड के आफेन्सेज हैं। हमारे यहां पर पुलिस फोर्स का पपंज था, वह यह था कि आई. पी. सी के जो आफेन्सेज हैं, उनकी वह जांच करे उनके इन्वेस्टीगेशन के लिए वह थी। आज पुलिस का आदमी भी, हो सकता है, कन्जरवेटिव हो। हरिजन से छुआछूत एक आफेन्स है। पुलिस के सभी आफिसर माडरेट नहीं हैं। वह किसी मेहतर को छू लेता है, तो वह घर पर आकर नहाता भी होगा। तुम उससे कहो कि मुकदमा बनाओ, तो वह कैसे बनाएगा। तो मेरा यह कन्क्लुजन है कि आज जो पुलिस फोर्स है उसके रिओरिएन्टेशन, मोडर्नाइज करने की जरूरत है। रि-ओरिएन्ट नहीं करेंगे तो आप और हम उनको भला बुरा कहते रहें, वे हमारी परवाह नहीं करेंगे और यह द्वन्द्व चलता ही रहेगा। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे।

मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, आज से 15 वर्ष पहले एक पुलिस कमीशन बिठाया गया था। कमीशन की रिपोर्ट आई, जो कुछ हुआ, वह हुआ। आप इसको देखें। मैं यह कहता हूं कि इस पीरियड के अन्दर, यह सोशियोइकानोमिक चेन्ज का पीरियड है, आफेन्सेज का नेचर बदल गया है। हमारे अपराधी वैज्ञानिक चीजें काम में लेते हैं। तो उसके अनुसार ही इस पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करना है, इसको मोबिलिटी देनी पड़ेगी। थानों में कोई बीस आदमी जीप में बैठ कर जाएं और वहां पर थानेदार को पीट जाएं तो वह कुछ नहीं कर पायेगा। पुलिस वाले कोई ज्यादा नहीं होते। उनके पास में कोई काम्युनिकेशन भी नहा है। कुछ जगहों पर जीपें हैं, कुछ जगहों पर मोटर साइकिलें हैं। परन्तु कई जगहों पर पुरानी पुलिस फोर्स पड़ी हुई है सलामी और परेड के लिए। राजा महाराजाओं के जमाने की इधर-उधर की तबादला की हुई फोर्स पड़ी हुई है। इसलिए आज इस फोर्स को मोडर्न करने की जरूरत है। इसको मोडर्नाइज करने की जरूरत है। इसको वायरलेस, साइन्टिफिक इम्पलीमेन्ट देने की जरूरत है। इसका रि-ओरिएन्टेशन करने की जरूरत है। इसका अकेडेमी को एजूकेशन का रि-केरीकुलम, नए सब्जेक्ट्स देने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिनको मैं थोड़े समय में नहीं कह सकता हूं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यहां पर एक पुलिस कमीशन कायम किया जाए जो पुलिस फोर्स को मोडर्नाइज करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे। हमारे यहां पर सौ व्यक्तियों के पीछे 1.4 पुलिस का आदमी है, पुलिस फोर्स है। सौ आदमियों के पीछे यह जो पुलिस फोर्स है, वह काफी है। इसलिए आज जरूरत तो यह है कि इसको मोबिलिटी दी जाए, इसको काम्युनिकेशन के मीन्स दिए जाएं। पुलिस के और आदमियों की भर्ती करने से आपका खर्चा बढ़ेगा और नतीजा कुछ नहीं होगा। इसलिए इस फोर्स को मोडर्नाइज किया जाए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और एक पुलिस कमीशन बिठा कर इस पुलिस फोर्स के बारे में, जितने भी इसके पहलू हैं, उन पर आप विचार करें।

(श्री मथुरादास माथुर)

सभापति महोदय, ट्रैफिक के बारे में कोई आपकी तवज्जोह नहीं है। गृह मंत्री महोदय, यह आपकी रिपोर्ट है, जो हमने पढ़ी है। इसमें सब बातों का जिक्र किया गया है परन्तु इसमें कहीं पर भी ट्रैफिक का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहां पर आते हैं तो रास्ते में लोग यह कहते हैं कि वापस आराम से पहुंच जाएं, यही कुशल हो। इसलिए यह निवेदन करना है कि आज ट्रैफिक की बत्तियां गुल हैं। कान्स्टेबल जो खड़ा होता है वह कभी तो मटैली वर्दी में होता है और कभी सफेद वर्दी में होता है। पुलिस की वर्दी का, पुलिस की यूनिफार्म का एक मतलब होता है। उसमें चुस्ती नहीं होती है यदि उसकी वर्दी ठीक नहीं हो। यदि कोई टूरिस्ट यहां पर आवे, और ऐसी ट्रैफिक पुलिस को देख ले, उसकी वर्दी को देख ले, कान्स्टेबल खड़ा-खड़ा बीड़ी पीता रहे, कोई परवाह नहीं करे तो वह अंदाज लगा सकता है कि यह शहर कैसा होगा। तो ट्रैफिक की जो स्थिति होनी चाहिए, वह नहीं है। बाहर का जो आदमी आएगा, वह पहले उसी से जानकारी लेने की कोशिश करेगा। यह हाल देख कर वह सोच सकता है कि इस स्टेट की हालत क्या है? आपके ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी गंदी है, पेन्ट ढीली है। जूते पर पोलिस नहीं है। धुली हुई नहीं है। ऐसा आदमी कभी एक्टिव नहीं हो सकता। आप अपने आदमी की वर्दी टिप टाप रखें तो आप देखिए, उसके खड़े रहने में अन्तर आएगा, उसके एक्शन में फर्क आएगा।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप पुलिस फोर्स को रिओरिएन्ट करिए। दूसरी बात मैं यहां पर यह रखना चाहता हूं—वैसे पुलिस फोर्स पर ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। काम करने से फायदा होगा। दूसरी बात जो मैं खास तौर से कहना चाहता हूं वह जेल सुधारों की तरफ है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनको हमारी बात पहुंच जाएगी।

एक सिम्पल बात कहना चाहता हूं। कहीं घंटी न बज जाए। मेरा सुझाव है कि इन कारागारों का आप सुधार गृह नाम कर दें। नाम से बड़ा अन्तर आएगा। नाम से आदमी का करेक्टर बनता है। सन् 62 में मैंने इसका नाम सुधार गृह किया था। बाद में आफिसरों ने वापस इसको कारागृह कर दिया। सुधार गृह काट दिया। जेल में आदमी को, कैदी को साथी कहें और साथ ही जो जेलों की बिल्डिंग्स हैं उनमें तब्दीली लावें। आपने कई जेलें बना रखी हैं। इनको आप क्वार्टर टाइप रखें। ये छोटी-छोटी बातें हैं। एक सुझाव यह है कि जेलों के वातावरण में तब्दीली हो। पहले क्रिमिनल ऑफेन्सेज से वापस जेलों में लौटने वालों का पर्सेन्टेज दो या दो था। जो ऑफेन्सेज क्रिमिनल के ऊपर हैं वे अब 20 पर्सेन्ट हो गए हैं। एक हमारा अपराधी ऑफेन्स करके जेल चला जाता है और वह जेल से लौट कर फिर आफेन्स करके जेल लौट जाता है, इसका पर्सेन्टेज बढ़ा है। जेलों में कैदियों का

(श्री मथुरादास माथुर)

सुधार होना चाहिए। वहां पर सरकार का रिफार्मेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ओपन जेल होनी चाहिए, सेल्स नहीं हो। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस को प्लान में रखना चाहिये। जेल रिफार्म्स नान प्लान सब्जेक्ट है। यह सोशल वेलफेयर में, प्लान में सब्जेक्ट होना चाहिए। जेल के अन्दर आदमी की हैसियत ठीक होनी चाहिए। उसको धंधा मिलना चाहिए। जो काम हो, उसमें उसको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत वेजेज मिलने चाहिए। आज उनका शोषण होता है। इसके बाद मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो जेलों के अन्दर इन्डस्ट्रीज हों, वे बाहर की इण्डस्ट्रीज के साथ इन्टीग्रेटेड हों। सिर्फ दरी, गलीचे के काम सिखाने से वह नहीं सुधर पाएगा। आप ऐसे उद्योग चलाएं जिनके जरिये वह बाहर आकर अपनी जीविका चला सके। इसके अलावा उसकी सजा समाप्त होने के पहले, जैसे उसके चार महीने रह गए हैं, तो उसको आप पैरोल पर छोड़ दीजिए ताकि वह बाहर आकर धंधा देख सके। धंधा मिल जाए तो वह छूटते ही धंधे में लग जाएगा। नहीं मिलता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको धंधा दे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने साल आपने उसको जेल में बन्द रखा और वह बेकार ही रहा। यह सरकार की जिम्मेदारी है। आप एक-दो साल जेल में रखिए। हटाइये इन सब जेलों को। लाकअप जहां होता है, मुकदमें जहां पर होते हैं, वहां पर कुछ रखिए। परन्तु जेल एक-दो ही हों। ज्यादा पापुलेशन रहेंगी तो इन्डस्ट्रीज भी चलेंगी। जोधपुर की जेल टूटी हुई है। वहां पर 500 एकड़ जमीन आपने ले रखी है। एक लाख रुपये का भी प्रावधान कर रखा है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। एग्रीकल्चर ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीज आप चलाइये, दूसरी इन्डस्ट्रीज आप लगाइये ताकि उसको बाहर आने के बाद धंधा मिले। सरकार इस कानून को भी बदले। वह वापस अपने घर जाएगा। आपका कैदी बन कर नहीं आयेगा। ऑफेन्सेज नहीं करेगा। इसलिए लोगों को जेल में भेज देते हैं...

People are sent to jail not for punishment but by way of punishment'

इसलिए जेल में सजा के लिए भेजे जाते हैं। सरकार एक आदमी को दस साल अपने पास रखे और वह भारत का नागरिक बन कर नहीं निकले तो यह उस आदमी का कसूर नहीं, यह सरकार का कसूर है। जेलों के अन्दर साइकाटिस को रखा जावे। पुलिस के अफसर बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जो रात दिन ट्रेनिंग होती है, वह दूसरी तरह की होती है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि बोर्ड आफ करेक्शन एण्ड रिफार्म बनाया जाए, कायम किया जाए, उसके अन्दर एम. एल. ए. हों, साइकाटिस हों, डाक्टर हों और सामाजिक कार्यकर्ता हों। जितने ओपन जेल हैं, यह एक्सपेरीमेंट हमने करके देखा है। 1963 में सूरतगढ़ में यह एक्सपेरिमेन्ट किया था। लोगों को इससे धंधा मिलेगा। सरकार उन पर जो खर्चा कर रही है, उसका भी फायदा होगा। वे अर्न भी करेंगे और साथ ही साथ जेल भी काटेंगे। वे वहां पर अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, फेमिली के साथ रह सकते हैं।

(श्री मथुरा दास माथुर)
बच्चे भी हो जाएं तो कोई गुनाह नहीं है। उनकी सैक्स की भावना को आप रोकते हैं वे बाहर आकर जो काम करते हैं, वे क्रिमिनल बन जाते हैं। Once a criminal is not a criminal for ever. इस तैयारी से आप चलें। बोल्डली एक्सपेरिमेन्ट करें। 4-5 कैदी भाग जाएं तो क्या होगा ? पाकिस्तान चले जाएंगे तो हमारे यहां कम हो जाएंगे। हिन्दुस्तान में होंगे तो वापस पकड़ लेंगे।

इसलिए मैं आप से कहता हूं कि यह महकमा मेरे नौजवान साथी को मिला है। मेरी कोई उनसे ज्यादा एप्रोच नहीं है। लेकिन विचारों में इन्कलाब आने की जरूरत है। बाकी इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन करूंगा कि जेल में गेम्स होने चाहिए। जेल में ऐसे उद्योग होने चाहिए जिससे वहां रहने वालों को आमदनी हो ताकि वह बाहर आकर भी अपने को जमा सकें, क्रिमिनिल ही नहीं बने रहें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : जब हम मीसा में बन्द थे तब आपने कितने गेम्स कराये ? कितना इन्कलाब हुआ ?

**श्री मथुरादास माथुर** : यह तो रिकार्ड उठाकर देख लें कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया।

**श्री मदनसिंह दांता** : उनकी भांकी ली गई है।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं कहता हूं कि अपराधी समाज बनाता है। अपराधी को ठीक करने का काम समाज का है। इस नुक्ते निगाह से देखते हैं तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। पेट में ज्यादा खाना खा लेंगे तो दर्द होगा। अगर आप चाहते हैं तो बोर्ड बनाकर इसको किया जाये। 5 मिनट में मैं अधिक क्या कह सकता हूं। बोर्ड बनाकर रिफार्म किया जाये। तब जाकर कुछ सुधार हो सकेगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री नाथूराम।

**श्री नाथूराम (बागीदोरा)** : सभापति जी, पुलिस में ईमानदार आदमी भी हैं लेकिन बांसवाड़े में डी-वाई. एस. पी. बहुत भ्रष्ट आदमी हैं। उसने कई मर्डर केस में हजारों रुपये खाये हैं और मर्डर केसों को दबा लिया है। वर्षा ऋतु में गांव में किसान लोग काम करते हैं। गरीब किसानों की पत्नी घास में काम करती हैं। कभी किसी को घास में सांप काट लेता है तो वह मर जाती है। जब किसान पुलिस में इत्तिला करने के लिए जाता है तो सबसे पहले पुलिस वाले जीप लाने को कहते हैं। उसके बाद वह देरी से जाते हैं। मुर्दा पड़ा रहता है। जब तक पुलिस की तरफ से उसका पंचनामा नहीं होता है तब तक उसको जलाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। इस तरह से वर्षा ऋतु में गरीब किसानों को तबाह किया जाता है। इसलिये गृह मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश का बोर्डर लगता है वहां पर आपको ईमानदार थानेदार रखना चाहिये। डी. एस. पी. ईमानदार रखना चाहिये। बांसवाड़ा में डी. एस. पी. है, उसने कई मर्डर केस दबाये हैं। उन्हीं के पीछे थानेदार और हैड कांस्टेबल वगैरह बेईमानी

(श्री नाथूराम)

करते हैं। वहां पर आदिवासियों के आपसी सामाजिक रीति रिवाज के झगड़े होते हैं। आदिवासी खुद तो शराब नहीं पीता है लेकिन पुलिस वाले उससे शराब मंगाकर पीते हैं। अगर कोई रिपोर्ट करने जाता है तो दोनों पार्टियों को कानून में घेर कर तंग करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में ईमानदार थानेदार रखना चाहिए। जो बेईमान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पिछली सरकार के समय में एक जिला कमेटी का निर्माण हुआ था। उसमें जिले का विधायक, एस. पी., कलेक्टर और प्रधान भी रहते थे। छोटे मोटे मुकद्दमे भी उसमें निपटा दिये जाते थे। मैं निवेदन करूंगा कि इस कमेटी को फिर आरम्भ कर देना चाहिये जिससे कि छोटे-मोटे झगड़े वहां ही निपटाये जा सकें।

माही डेम में भारी घोटाला था। उसकी जांच की फाइल बड़े अधिकारियों ने बड़े बड़े इन्जीनियरों से लाखों रुपये हजम करके दबा दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां ज्यादा से ज्यादा चोरियां होती हैं, उनको समाप्त किया जाये। बांसवाड़ा में चोरियां होती हैं। वहां कोई चोरी करता है तो आदिवासियों को दो दो महीने तक बिठाये रहते हैं। आदिवासी मेहनत करके जिन्दा रहना चाहता है, चोरी तो अच्छे होशियार आदमी करते हैं। बागीदोरा के पास जैन मन्दिर है। गाड़ी लाकर मन्दिर से ताला तोड़कर मूर्तियों की चोरियां हुई। उनके लिए गरीब आदमी को पकड़ कर परेशान किया गया। छोटी छोटी चोरी होती हैं तो छोटे छोटे आदिवासियों को रिश्वत लेकर दबाया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शेरगढ़, गढ़ी थाने के डी. एस. पी. कुशलगढ़ और बांसवाड़ा के डी. एस. पी. को टेलीग्राफिकली हटा कर उनकी इन्क्वायरी करानी चाहिये। आज भी मैं निवेदन करता हूं, एक हफ्ता पहले भी निवेदन किया था कि उनको टेलीग्राफिकली हटाना चाहिए। उनकी जांच करायें तो पता चलेगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर मुकदमे दबाये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : पांच मिनट हो चुके हैं।

श्री नाथूराम : कम से कम 10 मिनट तो देने चाहिए।

श्री सभापति : 10 मिनट ?

श्री नाथूराम : पुलिस ने अपने लिए मेरे योग्य सेवा लिख रखा है। यह शब्द हैं। लेकिन सेवा करने वाले नहीं हैं। आदमी थाने के आगे होकर जाने की हिम्मत नहीं करता है। आदिवासी ने शराब छोड़ी लेकिन पुलिस वाले उनसे शराब बनवाकर पीते हैं। जो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, उससे भी रिश्वत लेते हैं और जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाती है, उससे भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस वाले दोनों पार्टियों से रिश्वत लेकर हैरान करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में ईमानदार आदमी रखना चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय श्री श्योपत सिंह।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि आखिरकार पुलिस किस लिये है? गरीब जनता है, उसको पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आखिरकार किसके लिए है? यह पुलिस बड़े बड़े सेठों और सरकार के लिए है। आई.जी. पी., एडीशनल आई. जी. पी., एस. पी. की एक फौज बढ़ा रखी है। इसके लिए गरीब जनता से विशाल धनराशि वसूल करने जा रहे हैं। इसको आप कम कीजिये। राजस्थान की 90 फी सदी जनता को पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पुलिस का वास्ता किससे पड़ता है? गरीब जनता से उसका वास्ता नहीं पड़ता है। पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है, चोर को पकड़ने की। थानेदार की आज क्या हालत है? वहां के सिपाही की क्या हालत है? कहीं पर नकबजनी हो गई, टेलिफोन करते हैं, तो कैसे आयेगा? क्या सवारी दे रखी है आपने? कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी थानेदार हो, स्पॉट पर पहुंचने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। इसको भी छोड़िये, चोरी की इत्तिला देने कोई जाता है तो उससे कागज का पैसा मांगते हैं। थाने में कागज नहीं हैं जुर्म दर्ज करने के लिये। उसको सबसे पहले कहेंगे कि कागज लाओ। फिर कहते हैं चोर भाग गया। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कत्ल हो गया तो सबसे पहले थानेदार कहेगा, हां भाई चलते हैं, लाओ, जीप ले आओ। अब बताइये जिसके यहां कत्ल हो गया, नकबजनी हो गई, चोरी हो गई वह किस प्रकार से ज ।।लायेगा? कभी सोचा है आपने, कभी विचार भी किया है इसके बारे में? सिपाहियों की क्या हालत है? सब महकमों में कर्मचारियों के लिए, चपरासियों के लिए भी क्वार्टर होता है, वे लोग फेमिली सहित रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। लेकिन क्यों साहब, पुलिस के सिपाही ने क्या गुनाह कर दिया? जेलों में मैस की क्या हालत है? गृह मंत्रीजी आप बतायेंगे, आप कितना डी.ए. देते हैं उनको, कितना अनाज देते हैं? मुलजिम को कितना देते हैं? खाने के लिए कितना देते हैं? एक रुपया मिलता है। एक रुपये से भी कम मिलता है। क्या रोटी खायगा वह एक रुपये में? इसलिए मेरा निवेदन है कि यह एडीशनल आई.जी., डी.आई.जी. वगैराह की जो फौज है उसको आप मत बढ़ाइये। आज थानेदार के पास जीप नहीं है, सर्किल ऑफिसर के पास नहीं है, और उन लोगों को जीप दे रखी है जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं। जीप आप उसके अन्डर में दीजिये जिसको चोरियां पकड़नी हैं, जिसकी लॉ एन्ड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। आज थानेदार के पास कुछ नहीं है। क्या जरूरत है डी. एस. पी. के पास जीप की? थानों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी पांच मिनट बोला हूं। मैं बन्द कर दूंगा, ऐसी बात है तो बोलना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से नहीं चलेगा कि किसी को आप 20 मिनट दें और किसी को 2 मिनट। मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। मेरे दस-बारह कट मोशन हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

दूसरा मेरा निवेदन है, मैं पूछ रहा हूं तीन महीने गुजर गये, आपने क्या एक्शन

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

लिया ? राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चल रहे, हैं, नक्सलवादियों को बाकी स्टेटों में छोड़ दिया गया लेकिन आपने नहीं छोड़ा। राजनैतिक कार्यकर्ता बीस-बीस साल की सजा काट रहे हैं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। मीसा के दौरान जिन अधिकारियों ने, हुकूमत को टूल बनाकर लोगों पर जुल्म किये, उन्हीं अधिकारियों को आप जेलों में बिठाये हुए हैं, पुलिस में बैठाये हुए हैं, फिर लॉ एन्ड आर्डर कौन मानेगा ? पुलिस के वे अधिकारी सोचते हैं हम तो इधर ही रहेंगे, कांग्रेस चली गई तो जनता पार्टी आ गई। आखिर आपके पास आज भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है ? इसका एक ही कारण है कि पुलिस में जनता को विश्वास नहीं रहा। चोरी का मामला है तो होम मिनिस्टर के पास चलो, कोई और बात हो तो होम मिनिस्टर के पास चलो। इसकी वजह क्या है ? इसकी वजह यही है कि आज वही अधिकारी, जिन्होंने जुल्म किये थे, पुलिस में बैठे हुए हैं, वही अधिकारी जेलों में बैठे हुए हैं, फिर क्यों नहीं आपके पास भीड़ इकट्ठी होगी। मैंने एक लिस्ट मांगी थी, जेलों में किन किन अधिकारियों ने जुल्म किये। मुझे 88 शिकायतें मिली हैं, मैं कुछ शिकायतों का यहां वर्णन करूंगा।

(1) श्री नन्दलाल को गलत ढंग से बन्द करना व सी. आई. भारद्वाज व जगदीश पारीक एस. आई. व हैडकान्स्टेबल द्वारा अमानुषिक पिटाई बाबत ज्ञापन पत्र।

(2) श्री भैरुंसिंह जी, जोधपुर प्रशासन द्वारा ज्यादतियां व अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग, केन्द्रीय जेल खातीपुरा।

3) भैरोंसिंहजी, उदयपुर जेल के बारे में।

अण्डर ट्रायल बन्दी की समुचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु।

मेरा कहने का मतलब यह है, यह खेद की बात है कि जिन अधिकारियों ने इमर्जेन्सी के दौरान जुल्म किये, जनता पर ज्यादतियां कीं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। छोड़िये कानसिंह कमेटी को वह करेगी या नहीं करेगी, जिन जेल अधिकारियों ने ज्यादतियां कीं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने की वजह क्या है ? क्या आप भी यही चाहते हैं कि उनको वहीं रहने दिया जाय ? फिर आप में और कांग्रेस में क्या फर्क रहा ? लोगों ने क्यों आपको चुनकर भेजा ? तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनैतिक लोगों, नक्सलवादियों पर जिन लोगों ने जुल्म किये उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। साथ ही जो अधिकारियों की फौज है उसको कम किया जाय। इससे जो पैसा बचे उस पैसे से सिपाहियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की जाय। वे आज अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, तभी वे परेशान रहते हैं। आप उनसे ड्यूटी लेना चाहते हैं। उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, कोई बीमार हो जाय तो कौन देखभाल करे। फिर आप उनसे लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं। उनकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये, उनको भी सुविधाएं दीजिए।

अब मैं जेलों की बात कहूंगा। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर की जेलों के बारे में, तीन महीने में क्या किया आपने ?

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

क्यों नहीं कमेटी बैठाई ? क्या करना है, दस-पन्द्रह लोग बैठ जायें और विचार कर लें कि क्या करना चाहते हैं। क्या आपकी मंशा नहीं है? आपकी मदद करने वाले कैदी थे। आज वही कहते हैं, बहुत बड़ा वायदा करते थे हमसे। जनता पार्टी के आधे से ज्यादा सदस्य जेलों में रहे थे, फिर भी उनको भूल गये। याद रखिए फिर कभी गए तो वे माफ नहीं करेंगे। कितनी गड़बड़ियां हैं जेलों में, यह आप जाकर देखिए। कितनी खुराक मिलती है उनको? 10 ग्राम दूध मिलता है, 10 ग्राम चाय। क्या 10 ग्राम दूध से चाय बन जाएगी? रोटी की क्या हालत है? खाने की कितनी बुरी हालत है? ओपन जेलों में क्या हालत है? हनुमानगढ़ में तीस की जगह डेढ़ सौ आदमी भर रखे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं? क्यों आपको जिताकर भेजा है? आप उनकी भावनाओं को देखिए। ज्यादातर ऐसी जगह हैं जहां से आपको सेन्ट पर्सेन्ट वोट मिले हैं ताकि आप उनकी कोई मदद कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या कैदी कोई जानवर हैं? समाज ने उनको बाध्य किया है जुर्म करने के लिए। समाज जिम्मेदार है, अकेला कैदी जिम्मेवार नहीं है।

इसके साथ साथ मैं सूचना व प्रसारण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हम जेलों में परेशान थे। सबसे बड़ी परेशानी थी रेडियो की। रेडियो सिर्फ इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के प्रोग्राम देता था और अब रेडियो केवल आपके ही गुण गाता है। उसका एक ही काम है। दोनों का एक जैसा रास्ता है। भाषण छपें तो आपके, बात होगी तो आपकी। सब कुछ मिनिस्टर्स बाकी सब माइनस। उसी रास्ते पर आप जाना चाहते हैं। रेडियो में खेती के लिये क्या कार्यक्रम आता है? राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में रेडियो का क्या महत्व है? किन लोगों के लिए रेडियो है? खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में रेडियो कोई काम नहीं करता। रेडियो मजदूरों व किसानों की सेवा न करके केवल मन्त्रियों की सेवा में लगा हुआ है। पहले वाले मन्त्री जैसे अपना नाम सुन कर व देख कर खुश होते थे, आप भी वैसे ही खुश होते हैं। सुबह होते ही मन्त्री अखबार देखते हैं कि हमारा नाम आया है या नहीं। अखबार वाले भी समझ गए हैं। जितना एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं वह किसको मिलता है? दिल्ली के अखबारों को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं—टाटा व बिड़ला के अखबारों को, जिन्होंने इमर्जेन्सी में दुश्मन का काम किया। जो सबसे ज्यादा रिप्रेशन करने वाले थे, जालिम थे, जो जुलूस लेकर जाते थे, आप उन सेठों को विज्ञापन दे रहे हैं। जो छोटे पत्रकार हैं चाहे दैनिक चाहे साप्ताहिक उनको विज्ञापन दीजिए। आप तय कीजिये। पत्रकार सोचता है कि मेरी हैसियत क्या होगी यदि विज्ञापन नहीं मिले। इसलिए वह पीछे पीछे घूमेगा। किसी सदस्य का भाषण छाप दिया तो अखबार उसको दे देगा कि मैंने आपका भाषण छापा है। यह कुदरत की बात है, यदि सरकार उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करेगी तो लाजमी तौर से पत्रकार बिगड़ जाएगा और पत्रकारिता धूल में मिल जायेगी।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इस प्रकार आप अपने भाषण, प्रोग्राम छपवा रहेहैं व फोटो खिंचवा रहे हैं। जो भी प्रचार का काम है, वह 80 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित होना चाहिए न कि केवल यह कि मन्त्रियों के पोज देखकर फोटो छापें।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : सभापतिजी, मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि जो कटौती प्रस्ताव मैंने भ्रष्ट लोगों के संबंध में दिया था, उस पर मंत्रीजी एक्शन ले चुके हैं। मैं उससे संतुष्ट हो गया।

श्री सभापति : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, आज अगर हमारा रक्षक है तो वह पुलिस का सिपाही है, भक्षक है तो वह भी पुलिस का सिपाही है और हम पर कोई डंडा बरसाता है तो वह भी पुलिस का सिपाही है, कोई हमें बचाता है तो वह भी पुलिस का सिपाही है। लेकिन उसको आदेश देने वाला कौन है? लाठी चार्ज करने के लिए उसको आदेश कौन देता है? अधिकारी आदेश देते हैं, अधिकारियों को संबंधित मंत्री आदेश देता है। मेरे भाइयों ने पुलिस के गुणगान किये। कोई सदस्य ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पुलिस के गुणगान नहीं किए। सबने कहा कि पुलिस का यह हाल रहा। मैं भी कहता हूं कि कांग्रेस ने इस पुलिस को निकम्मा बनाया और देश को कुचलवाया, गरीबों को कुचलवाया और पुलिस के डंडे के बल पर चुनाव जीते। पुलिस के रहनुमा बनकर 30 साल राज कर सके वरना नहीं कर सकते? पुलिस ने सोचा, हम ईमानदार हो जायं, गलत आदेश नहीं मानेंगे, मंत्री भी सोचने लगे कि गलत आदेश नहीं मानेंगे तो इंदिरा गांधी ने इमर्जेन्सी लगाकर जनता को कुचलने को कहा। आज भी पुलिस के कर्मचारी डर रहे हैं। कोई भी सिपाही कानसिंह कमीशन को दरख्वास्त देने नहीं गया। मैं सदन को खुली बात कहना चाहता हूं कि आज भी किसी सिपाही ने रिपोर्ट नहीं दी। वे अपने ऑफिसर्स से डर रहे हैं और अपना जीवन किसी तरह से बिता रहे हैं। दो तीन बार जिनके आपरेशन्स हो चुके हैं, उन्हें पेशाब की परेशानी हो गई है। वे किसी तरह पेंट पकड़ कर चलते हैं। ड्यूटी को अंजाम वे सिपाही नहीं दे सकते हैं। मैंने उनसे बात की है....

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव इस पर नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : बिल्कुल है, 4 कटौती प्रस्ताव मेरे हैं।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश निकालें और उनसे कहें कि फलां तारीख को वे दरख्वास्त देने जा सकते हैं। उस रोज की उनकी छुट्टी मानी जाएगी। ऑफिसर्स उनको डरा रहे हैं, इसलिए सिपाही अपनी दरख्वास्तें नहीं दे रहे हैं। कानसिंह आयोग के सामने कोई गरीब सिपाही दरख्वास्त लेकर नहीं पहुंचा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नाम बता दो।

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

**श्री रतनलाल वर्मा** : एक सिपाही पर जितना बड़े अधिकारियों का डंडा चलता है उतना किसी पर नहीं चलता। अगर किसी कुत्ते के गले में जंजीर डालकर ले चलें तो वह कुत्ता भी पेशाब कर सकता है, टट्टी कर सकता है लेकिन सिपाही ड्यूटी पर होते हुए ऐसा नहीं कर सकता। ऑफिसर्स के सामने बोल नहीं सकता। ऐसे अधिकारियों को सुधारा जाए जिनकी 30 साल की बिगड़ी हुई आदतें हैं, जो चुपके चुपके चोरियां कराते हैं, जो हत्यायें करवाते हैं कांग्रेसियों से मिलकर। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उनको अपने आपको सुधारना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज भी एक ऑफिसर का बेटा ऑफिसर है। डी. आई. जी. का बेटा थानेदार तो बन ही जाएगा लेकिन सिपाही का बेटा कभी एस. पी. नहीं बन सकेगा, कोई उदाहरण नहीं मिल सकता।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, हमारे कानों की रक्षा कीजिए। कृपया माननीय सदस्य का माइक बंद करवाइए।

**श्री सभापति** : बोलने दीजिये।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अभी माथुर साहब कह रहे थे और भी सदस्य कह रहे थे कि जुर्म बढ़े हैं। पुलिस जब चाहे जुर्म बढ़ा सकती है जब चाहे घटा सकती है। कांग्रेस के राज्य में केसेज रजिस्टर नहीं होते थे। मेरी चुनौती है कि आज जनता का राज आया तो पुलिस सोचती है कि गृह मंत्री का दरवाजा सबके लिए खुला है, कोई भी बड़ा या छोटा बड़ा आदमी उनके पास सीधा जा सकता है, कोई सी. आई. डी. नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आज पुलिस को भय है कि अगर मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे कई बातें कहनी हैं।

**श्री सभापति** : 7 मिनट हो गए।

**श्री रतनलाल वर्मा** : 4 सदस्यों ने कहा है कि उनका समय मुझे दिया जाए।

**श्री सभापति** : ऐसा कोई नहीं है। 7 मिनट हो गए, आप अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अब मैं शुरुआत करता हूं। मेरे 4 कटौती प्रस्ताव हैं।

**श्री सभापति** : आपके दो हैं पुलिस पर।

**श्री रतनलाल वर्मा** : 78, 123, 27 व 19। मैं मजबूर हूं, अगर यहां अपनी बात नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा।

एक तो पटवारी दूसरा पुलिस, ये जब भी किसान को फसाना चाहें फसा देते हैं। नक्शा गलत है, खसरा गलत है·····

**श्री सभापति** : कटौती प्रस्ताव तक सीमित रहें। यह रेवेन्यू का नहीं है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं पुलिस की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इनमें जो अमानुषिक प्रवृत्तियां हैं उनको किस प्रकार से मानवता में परिवर्तित किया जाय। मैं यह निवेदन करूं, सभापति महोदय, इस प्रकार से किसान आज

(श्री रतनलाल वर्मा)
पटवारी और पुलिस के दो पाटों के बीच में पिस रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान पिछले तीस सालों में कांग्रेस के राज्य में पीसा गया पुलिस और पटवारी के द्वारा उसी प्रकार अगर जनता पार्टी की सरकार में भी पिसता गया तो मैं आपसे यह निवेदन करूं कि किसान का भला होने वाला नहीं है। अगर जनता पार्टी की सरकार ने किसान को इन पाटों से पिसने से बचा लिया तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और सरकारी अधिकारी अगर 56 दुकानें भी लगा लें तो भी जनता पार्टी के राज्य का सफाया नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने दूसरे कटौती प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि आज जो हमारे यहां पर सिपाही की भर्ती होती है उसके लिए पहले एक बोर्ड बैठता है। उसके बाद में जब सिपाही भर्ती हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। उस वक्त भी उसके पास होने के लिए बोर्ड बैठता है। तो, सभापति महोदय, हमारे यहां पर दो-दो बोर्ड बैठते हैं पुलिस के सिपाही के लिये, लेकिन सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं किसी भी प्रान्त में सिपाही के लिये दो बोर्ड नहीं बैठते हैं। मेरी यह खुली चुनौती है। इस प्रकार के बोर्ड के कारण भयंकर रूप से पक्षपात होता है और कई गरीब सिपाहियों को इससे नुकसान होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसके लिये जैसा कि दूसरे प्रान्तों में है एक ही बोर्ड रखिये।

श्री सभापति : आप अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें, माननीय सदस्य आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। मैं दो मिनट पुलिस के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन है कि विधान सभा के जो प्रहरी हैं वे विधान सभा रात के 11 बजे तक चलती है तो यहां पर खड़े रहते हैं पर उनको एक पैसा हार्ड ड्यूटी का नहीं मिलता। बेचारे खाना खाने नहीं जा सकते हैं। उनके खाने का पता नहीं, उनके ठहरने का कोई बन्दोबस्त नहीं है। उनके साथ भयंकर अन्याय होता है। सुबह आकर ड्यूटी पर चढ़ते हैं तो रात के 11-12 बजे तक ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनके साथ जो अन्याय कांग्रेस राज्य में होता था वह अब नहीं होना चाहिये। उनको हार्ड ड्यूटी का अलाउन्स दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : अब आप अपने कटौती प्रस्ताव पर आ जायें। इसके बारे में कटौती प्रस्ताव नहीं दिया था।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, जब इमर्जेन्सी लगी थी तब मैं जेल में था। जेल के अन्दर सिपाहियों की हालत देखी। यह देखा कि उनकी कितनी दुर्दशा है। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जेल के सिपाहियों और पुलिस के सिपाहियों की एक ही तरह की हार्ड ड्यूटी है। उन्हें भी पुलिस वालों की तरह हार्ड ड्यूटी

(श्री रतन लाल वर्मा)

अलाउन्स मिलना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सी. आई. डी. के सिपाही को, पुलिस के सिपाही को और जेल के सिपाही को, सभी को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलना चाहिये। सभापति महोदय, जेल विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट और जेलर ठेकेदारों से मिलकर म का सारा सामान खा जाते हैं। जेल में लोगों को खाने को जो मिलता है वह बहुत ही घटिया किस्म का मिलता है। जेलर व जेल के अधिकारी सारा माल खा जाते हैं। तेल, साग, प्याज सभी अपने घर ले जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको 11 मिनट हो गये हैं। आप समाप्त करिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनके दुख-दर्द को मिटाइये और इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दीजिये। साथ ही जेल में जो अव्यवस्था है उसको ठीक करने का कष्ट करें।

अब थोड़ा मैं सूचना और प्रचार के बारे में जो कटौती प्रस्ताव दिये उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिये हमें सहयोग प्रदान कीजिये। आप बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे पुराने जमाने में ढोली, चारण और डोम होते थे उसी तरह से यह सूचना और प्रचार विभाग के कर्मचारी हैं। इनके द्वारा बड़े बड़े नेताओं और मन्त्रियों की तारीफ की जाती है, उनके फोटो खींचे जाते हैं। इसमें हमारी सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। आज किसानों के बारे में कोई भी बात अखबारों में नहीं छपती है। मिनिस्टरों के बारे में पूरी खबरें छापते हैं। हमारे किसान को क्या दिक्कतें हैं वह पता नहीं लगती हैं। तो मेरा निवेदन है कि सूचना और प्रचार विभाग को कम से कम हमारे किसानों के लिये कार्यक्रम बना कर पेश करने चाहिये।

श्री सभापति : अब तो कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा पालन करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनके ऊपर गृह मंत्री जी विशेष तौर से ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, जिस तरह गीता में कहा गया है कि 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।' इस श्लोक को मैं पुलिस के कृत्यों के लिये, पुलिस के भय के वास्ते इस प्रकार बोलना चाहता हूं, परित्राणाय साधूनां भयानांच दुष्कृताम्। मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, जो पुलिस विभाग है, पुलिस जो शब्द है इससे लोगों को बहुत भय है। वैसे तो पुलिस को रक्षक माना गया है। आपका जो पुलिस का मोटो है मेरे योग्य सेवा, उसके बजाय परित्राणाय साधूनां भयानांच दुष्कृताम्, भय का वातावरण पुलिस द्वारा बनाया गया। इस भय से मुक्ति मिलनी चाहिये। सभापति

(श्री दाऊदयाल जोशी)

महोदय, जो जनता के रक्षक हैं उनके अन्दर सबसे ऊपर तो आई. जी. पी. साहब हैं, वह श्री गणेश सिंह जी जैसे हैं और जो गृह मन्त्री जी हैं वह है श्री केदारनाथ जी शर्मा जैसे, इन दोनों के हाथ से राजस्थान का भला जरूर होगा।

**श्री मूलचन्द डागा :** आप जैसे विधायक हैं।

**श्री सभापति :** आप इनको बोलने दीजिये।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिये।

सभापति महोदय, राजस्थान में आपने पुलिस अकादमी की स्थापना की है, वह तो आपने बहुत अच्छी बात की है। सभापति महोदय, कांग्रेसी सदस्यों ने यह आरोप लगाये कि राजस्थान में जनता पार्टी के आने के बाद अपराध बहुत बढ़े हैं। लोगों में जो जुर्म करने के लिये डर था वह समाप्त हो गया है इसलिये अपराध बढ़े। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गृह मन्त्री जी, आज जो लोगों में पुलिस के नाम का भय है वह समाप्त होना चाहिये। पुलिस का भय नहीं रहना चाहिये। इसके साथ यह भी निवेदन करूंगा कि आज पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उनके मन में भी एक भय का वातावरण बना हुआ है जिससे भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि उनके अन्दर जो भय का वातावरण है, उसे आप निकालिये। हां वह बात अलग है कि अगर कोई भिण्ड जैसे डी. आई. जी. पी. हों जिसने कि सुन्दर की हत्या की या जनता पर जुल्म ढाये हों उन्हें आप मत बख्शिये। उन्हें तो आप जरूर दण्ड दीजिये। सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान हमारे यहां पर भी ऐसे पुलिस के अधिकारी हुए हैं जिन्होंने जेलों में, पुलिस की हिरासत में लोगों को बुरी तरह से मारा और परेशान किया है। ऐसे अधिकारियों के लिये मैं पुलिस विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हें सजा दो। उनके खिलाफ मुकदमे चलाओ। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, जोधपुर के एक राजेन्द्र नाम के लड़के को पुलिस हिरासत में पीटा गया। यह राजेन्द्र गहलोत ऐसा लड़का था जो कि 17–7–75 को जोधपुर में इमर्जेन्सी के अन्दर पकड़ा गया। जब यह पकड़ा गया तो उसको पुलिस हिरासत में ले जाया गया वहां पर जिस कमरे में उसे बन्द किया तो उसने देखा वहां पर एक घनश्याम डागा नाम का एक विद्यार्थी बन्द था। वहां पर उस कमरे में पुलिस अधिकारी उसके चारों तरफ थे और उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। जब राजेन्द्र ने उसको पूछा कि यह क्या माजरा है तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर बाद तुम्हारी बारी है। उस राजेन्द्र गहलोत के, सभापति महोदय, 53 मालायें गले में पहनी हुई थीं। वहां पर उस घनश्याम डागा को पीटने के बाद जब वह घनश्याम डागा बेहोश हो गया तो उसके बाद वहां पर ए. एस. पी. शर्मा, असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर श्री उम्मेदसिंह, ए. एस. आई खेमाराम पूनिया और एस. आई मोहनसिंह ने उस राजेन्द्र गहलोत को पीटना शुरू

(श्री दाऊदयाल जोशी)

किया। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस राजेन्द्र गहलोत को पहले तो मार मार कर नंगा किया और उसके बाद में उसके लिगेन्द्रीय के ऊपर के बाल एक एक कर के नोचना शुरू किया और जितनी मालायें उसने पहन रखी थीं उतने ही बाल उसके लिगेन्द्रीय के ऊपर से तोड़े गये। फिर उसको बुरी तरह से पीटा और इसके बाद में उसकी गुदा के अन्दर बार बार डण्डा किया जिससे वह लड़का बेहोश हो गया। उसके बाद में उसको वहां मूर्छित देखा तो वह लोग घबराये और उसे फिर जेल की हिरासत में ले जाने के लिये ले गये। जेल के अधिकारियों ने जब राजेन्द्र गहलोत को मरणासन्न अवस्था में देखा तो उसके बाद में वह लोग कलेक्टर के पास गये कि जेल वाले उसे नहीं भर्ती कर रहे हैं। जेल में कलेक्टर के कहने से भर्ती कर लिया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन गृह मन्त्रीजी से करना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी में जिन अधिकारियों ने अत्याचार किये हैं उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये, उन्हें कभी भी किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाना चाहिये। ऐसे जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के कुकृत्य किये हैं और जो लोग जेल में हैं, इन अत्याचारों को सहे थे अगर इनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इतिहास कभी भी इनको माफ नहीं करेगा।

मेरा निवेदन है कि मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है जेल पर। कोटा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बैरक है। पांच सात साल पहले उसको ठीक कराया था। पहले वहां फांसी लगती थी। उसमें महिलाओं के लिए एक बैरक बना दिया। इतनी छोटी और रद्दी जगह है कि जिसमें हवा का नाम नहीं है। पांच सात महिलायें चली जायं तो रह नहीं सकें। कोई पागल महिला यदि वहां आ गयी तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोटा जेल में पागलों के लिए अलग से बैरक बनायी जाय। उनको साधारण कैदियों के साथ रखना उचित नहीं है। एक बार एक पागल महिला आ गई। वह जेल सिर पर उठाती रही।

इसके साथ ही जैसा कि माननीय मथुरादास माथुर ने कहा, ओपन जेल की व्यवस्था की जा सकती है।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है सूचना और प्रचार मन्त्रालय पर। मेरा बहुत बड़ा आरोप है इस मन्त्रालय पर। सब प्रकार की यह सेवा करता है लेकिन आयुर्वेद की यह सेवा नहीं करता है। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि परिवार नियोजन पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतु चर्या के अनुसार परिवार नियोजन कराते तो निश्चित रूप से शक्ल नजर आती। मेरा निवेदन है कि सूचना और प्रचार मन्त्रालय से सूचना और प्रचार के द्वारा आयुर्वेद का जो ध्येय है, विधियां हैं और उपचार हैं उनका बड़े बड़े इश्तिहार, पेम्फलेट चित्रों के द्वारा प्रचार करवायें तो निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी है उसमें कमी आ सकती है।

विटामिन्स की बात कही, डागा जी आप सुनियेगा। इससे स्थाई लाभ होने वाला है;

(श्री दाऊदयाल जोशी)

"सद्यो मांसं नवंचान्नं बाला एवौक्षीर भोजनम्
घृतमुष्णो दकस्नानं सद्यप्राण कराणिष्ट
पूति मांसं स्त्रीयोवृद्धा बालार्कस्तरुणां दधि
प्रभाते मैथुम् निद्रासद्यप्राण हराणिषट ॥

यदि सूचना और प्रचार मन्त्रालय अन्य चीजों के साथ साथ आयुर्वेद की ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। चार्ट के माध्यम से यह बताया जाय कि हमारी क्या दिनचर्या होगी, क्या ऋतु चर्या होगी, किस प्रकार रहना चाहिये और किस ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहिनने चाहिये। इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। यह मेरे सुझाव हैं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, एक बात रह गई थी मैं कहना भूल गया था। पिछली बार बजट के समय भी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये भी मैंने प्रहरियों के लिए निवेदन किया था।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार रुपये दिये गये हैं। बिल्कुल कम हैं। मन्त्री महोदय यहां पर हैं।

श्री सभापति : अब उनको सुनिये। विराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे आशा है निश्चित रूप से आप घोषणा करेंगे उन गरीबों के लिए अधिक डेली अलाउन्स की और रहने की व्यवस्था करेंगे। आई. जी. पी. भी यहां हैं। लाइन में रहने की व्यवस्था नहीं है। दूर दूर से आये हैं।

श्री सभापति : अब विराजिये आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनके रहने की व्यवस्था कीजिए।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, पुलिस आम नागरिकों की रक्षा करे। पुलिस गुण्डों की भी रक्षा करती है। पुलिस चोरी करने वालों की भी रक्षा करती है, पुलिस डाका डालने वालों की भी रक्षा करती है और पुलिस राज करने वाले होते हैं, जुल्म करते हैं उनके जुल्म को छिपाने के लिए यदा कदा काम करती है। पिछले तीन साल में जिन लोगों ने जुल्म पुलिस के द्वारा जनता पर किये हैं मैं यह कहूंगा कि जुल्म करवाये जाते हैं और पुलिस ने जुल्म करने वालों की रक्षा की।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस अगर हमारे राजस्थान में जो लोग चोरी करते हैं या गुन्डागर्दी करते हैं और जो अमन-चैन वाले नागरिकों के साथ किस प्रकार की छेड़खानी करते हैं उन लोगों के साथ किसी प्रकार का हिस्सा या चौथ नहीं रखे और ईमानदारी से कर्तव्य निभाये तो ये जितने कांड बढ़ रहे हैं, ये जगह जगह पर जो कुछ भी चोरियां, डकैती, अपराध, गुन्डागर्दी की जो वारदातें हो रही हैं वे दूर हो सकती हैं। एक मुझे इंगलिश की कहावत याद आती है। उसमें यह कहा है :

Sometimes a prostitute is better than police.

(श्री माधो सिंह कछवाह)
यानी कभी कभी पुलिस की हरकत भी ऐसी होती है पुलिस कभी कभी ऐसा काम करती है जो वेश्या भी नहीं करती है। पुलिस चोरी करने वाले से पैसा ले लेती है, पुलिस जिसके यहां पर चोरी हुई है जिसने शिकायत की उससे भी पैसा ले लेती है। जो गुंडागर्दी करते हैं उनसे भी पुलिस पैसा ले लेती है और शिकायत करने वाले से भी पैसा ले लेती है। यह देख कर अचरज होता है कि वेश्यावृत्ति तो बन्द हो गयी लेकिन यह किस प्रकार की पुलिस में वेश्यावृत्ति है ? 31 वर्ष में पुलिस का हिसाब लगाया जाय तो लूट के पक्ष में, फैसला देने में पुलिस साथ रहती है।

पुलिस ने बड़े गौरवमय काम भी किये हैं। इसमें बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। उनके पीछे इतिहास है ईमानदारी का। मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों पर नजर रखी जाय। अधिकांश थानेदार जो ऐसा काम करते हैं जिससे सारी पुलिस बदनाम होती है, पुलिस पर धब्बा लगता है उसको रोकने के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और जो नेक और ईमानदार जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पुलिस कितनी देर डंडे बरसाये, इन्क्वायरी में कितना टाइम लगाये उसकी कोई सीमा नहीं होती है। 2, 2½ लाख आदमियों का प्रतिनिधि यहां बोले उसको घंटी बजा कर बंद कर दें मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : पहली घंटी बजी है।

श्री माधोसिंह कछवाह : धन्यवाद।

गहलोत के बारे में निवेदन करूंगा कि जेल मंत्री महोदय भी जेल में रह चुके हैं जहां तक मेरा खयाल है। जेल में क्या होता है वह जानते हैं। जेल में ऐसी कोई बात नहीं होती जिससे चरित्र का निर्माण हो सके। जेल के अन्दर एक घृणित कार्य करके कैदी जाता है उसको यह नहीं बताया जाता है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, जो कर्म करते हैं उन कर्मों से किस प्रकार हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। ये संस्कार आगे से आगे क्या पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की कोई शिक्षा जेल में नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भावना जो भारतीय संस्कृति को लिये हुए हो जेल में शुरू की जाये तो बहुत से कैदी ऐसे होंगे, जैसा माथुर साहब ने कहा कि वापस जुर्म कर के दुबारा जेल में नहीं आयेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेल में कुछ वे कैदी होते हैं जो कि किसी वजह से जेल के बाहर से जेल में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चोरी करके जेल की सजा भुगतते हैं लेकिन जेलों में भी छोटी मोटी चोरियां होती हैं। दूध में पानी मिलाया जाता है। जेल के अन्दर मीट खाने वाले लोग नहीं आते लेकिन पैसा भी बंटता है। जेल में बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो कि मिलमिलाकर बाहर चली जाती हैं और एन्ट्री तक नहीं होती है तो जेल में चरित्र निर्माण की बात करते हैं वहां कैदियों के अन्दर छोटी मोटी चोरियां होती हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जेल मन्त्री

(श्री माधो सिंह कछवाह)

जी ने साबुन की चोरियां होते देखी हैं। तो इस तरह की वहां छोटी-मोटी बातें होती हैं उनकी जेल के अन्दर रोकथाम जरूर करें।

तो, सभापति महोदय, जहां तक जेल में सुधार का और बड़ी जेल बनाने का प्रश्न है मैं कहूंगा कि अगर आप बड़ी जेल बनाना चाहते हैं तो शहर से दस, बारह मील दूर बनाइये। वह नई तरह की जेल हो और उसमें ऐसे साइक्लोजिकल मैथड्स हों कि उन कैदियों को विभिन्न तरह की शिक्षा अलग-अलग माध्यम से देकर उनका चरित्र निर्माण हो। ऐसा प्रबन्ध किया जाये।

धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

**श्री सभापति** : श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। इन पर मैं बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों को अगर शामिल कर लिया जाये तो शायद अच्छा रहेगा।

यह सभी की मान्यता है कि पुलिस कर्मचारियों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर इसका गहराई से अध्ययन किया जाये तो मुझे इसका आभास हुआ है कि इसका जो प्रमुख कारण है वह सबसे पहला यह है कि छोटे कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है। इसके कारण उनका पेट अच्छी नहीं भर पाता है और वह चोरियां करते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जिनकी हार्ड ड्यूटीज हैं क्योंकि इनको अनुशासन में बंधे रहना पड़ता है इस कारण से यह अपने मालिक के सामने अपनी कठिनाइयों को अनुशासित तौर से संगठित होकर नहीं रख सकते। एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि वह मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को स्वयं सोचे कि अगर कोई अपनी मांगों को प्रस्तुत नहीं करता तो उसकी मजबूरी है और सरकार उसकी ओर ध्यान दे। उनके वेतन को इस स्तर तक बढ़ाया जाये कि कम से कम उनकी तनख्वाह से गुजारा भली भांति हो सके। इसके बाद में अगर उनकी तनख्वाह गुजारे लायक मिल जाती है तो कड़ाई से हार्ड ड्यूटी का पालन करवाया जा सकता है।

मेरा दूसरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अन्दर राजनैतिक नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अनुचित दबाव के कारण कुछ राजनेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए गलत काम कराते और मजबूर होकर पुलिस कर्मचारियों को ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि अगर कोई राजनेता इस तरह के निदेश देता है पुलिस कर्मचारियों को तो वह अपने उच्च अधिकारियों या मंत्री महोदय के ध्यान में लायें और उनके ऊपर अच्छी तरह से सोच समझ कर ही उनका पालन किया जाये। इस कारण से मैं समझता हूं कि इस समस्या में गहराई से जाया जाये और ऊपर से ही कोई हल ढूंढ़ लिया जाये। सिर्फ बातें ही करते रहें कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है और इसी को कोसते रहें तो इससे सही समस्या का मूल्यांकन नहीं होगा और हमारे उद्देश्यों की पू त नहीं हो सकेगी। मैं मानत

(श्री रामकिशोर मीणा)

हूं कि भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए शुरुआत ऊपर की लेवल से की जाये। उच्च अधिकारी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिनके निर्देशानुसार वह अपने कार्यों को कराते हैं। अनुशासन में रहने के कारण नीचे के अधिकारी जानते हैं कि यह अनुचित आदेश हैं फिर भी उनको पालना करनी पड़ती है। यदि कोई अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को गलत निर्देश देता है तो उसका मूल्यांकन किया जाये और अगर सम्भव हो सके तो उन्हें दण्डित किया जाये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव पुलिस चौकियों के पुनर्गठन के बारे में है। मेरे क्षेत्र में चार पुलिस चौकियां हैं जिनमें दो पुलिस चौकियां तो ऐसी हैं जो कि पुलिस थानों से बहुत दूर पड़ती हैं और सिर्फ उनके अन्तर्गत एक एक गांव ही है। अभी इलेक्शन के समय एक दुर्घटना घटी उसके बाद में एक दिन तक लाश इस प्रकार से पड़ी रही कि उसका पता ही नहीं पड़ा कि किस थाने के अन्तर्गत मामला आयेगा। इसलिए मेरी मान्यता है कि सिकराय में सिर्फ दो ही पुलिस चौकियां कायम कर दी जायें तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वह भी अच्छी तरह से मालूम हो जायेंगी और उसके आधार पर वह अपना काम ठीक ढंग से कर सकेंगे।

इसके अलावा संचार साधन और यातायात साधनों की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि वह अपनी ड्यूटीज को ठीक ढंग से कर सकें। कम से कम एक पुलिस स्टेशन पर एक मोटर साइकिल हो ताकि सूचना मिलते ही उस जगह, जहां दुर्घटना हुई है पर जाकर तुरन्त जांच कर सकें। इसके लिए संचार साधनों के रूप में वहां पर कुछ उपकरण भी होने चाहिये ताकि वह सुगमतापूर्वक अपना कार्य कर सकें और समस्या के हल के लिए कारगर कदम उठा सकें।

मेरा यह माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि वास्तविकता को समझते हुए ओवर-टाइम अलाउन्स या हार्ड ड्यूटी अलाउन्स पुलिस कर्मचारियों को दिया जाये ताकि वह अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से कर सकें और गलत तरीकों को नहीं अपनायें।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हरिश कुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री करतारसिंह।

**श्री करतारसिंह (किशनगढ़):** माननीय सभापतिजी, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने परिवर्तित बजट में जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके कल्याण फण्ड के लिए बजट में अधिक प्रावधान रखा और उसमें वृद्धि की। मेरे कटौती प्रस्ताव पुलिस और जेल दोनों के सम्बन्ध में हैं।

सर्वप्रथम मैं पुलिस विभाग के ऊपर आता हूं। आज सुबह से ही हाउस में मैंने देखा है कि कितने ही माननीय सदस्यों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाये हैं और भ्रष्टाचार के लिए पुलिस को दोषी ठहराया है। मैं यह समझता हूं और मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि पुलिस अन्य विभागों की तुलना में इतनी भ्रष्ट नहीं है जितने कि अन्य विभाग हैं।

(श्री करतार सिंह)

अगर आप सतह में जाकर देखने की कोशिश करें तो जितने दूसरे विभाग हैं जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है या बिजली विभाग है इनमें आपको बहुत घोटाले मिलेंगे। आज जन साधारण पुलिस के लिए कहता है कि वह ज्यादा भ्रष्टाचार करती है। पुलिस का सिपाही किसी से दो रुपया ले लेता है तो कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार अवश्य है लेकिन इसके पीछे कारण हैं। उन कारणों को देखने से मालूम हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार कहां है। जब तक इन कारणों का हम निराकरण नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं हो सकता। मेरी राय में मैं सरकार की नीति को दोषी मानता हूं और साथ ही जितने वर्तमान में अपराधिक कानून हैं, भारतीय दण्ड संहिता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, पुलिस एक्ट है–इन सब को मैं दोषी मानता हूं। इनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जितने कानून बने हुए हैं वह अंग्रेजी राज्य के जमाने के हैं और उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में रात दिन का अन्तर है। इसके मैं दो चार उदाहरण भी दे सकता हूं जिस प्रकार से इस भारतीय दण्ड संहिता के अन्दर शारीरिक अपराधों के हेतु अनेकों धारायें हैं जैसे 323, 324, 325, 326, 327 यह धारायें हैं उनमें पुलिस को वाइड पावर्स दी गई हैं कि पुलिस 324 के केस को 307 में परिवर्तित कर सकती है। घूस देनी पड़ती है क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है? पुलिस को अगर घूस दो तो हल्की धाराएं लगाते हैं। इस कानून के तहत उसको पावर्स दी गई हैं उनको कम कर दीजिए। अपराधियों को जमानत का अधिकार है, भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकरण है कि कुछ ऐसी धारायें हैं जिनके आधार पर पुलिस जमानत ले सकती है, किसी में नहीं ले सकती है। अधिकांश मुलजिमों को कोर्ट जाते ही जमानत हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह कानून बनाया जाये कि मुलजिम को पकड़ते ही मौके पर जमानत दे दी जाये और उसे छोड़ दिया जाये तो काफी पुलिस का भ्रष्टाचार कम हो सकता है तथा जघन्य अपराध से संबंधित अपराधियों को, जैसे कत्ल करने के मुलजिम हैं, आप पकड़ कर रखिए। गिरफ्तारी का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में है, हथकड़ी लगाने का है। जितनी ग्रामीण, शहरों की जनता है हथकड़ी के नाम से डरती है। किसी तरह से भी हथकड़ी न लगे, पुलिस को घूस देकर इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। अखबारों में पढ़ा, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री बन्शीलाल जी को हथकड़ी लगाई। हमारे मुख्य मन्त्री ने भी खेद प्रकट किया। ग्रामीणों के रोज हथकड़ी लगती है तो उनकी इज्जत कहां जाती है। पुलिस को जो पावर्स दी गई हैं हथकड़ी लगाने की यह पावर्स कम करदें तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला समाप्त हो जायेगा।

दूसरा निवेदन है कि जितने वर्तमान में फौजदारी कानून हैं जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दण्ड संहिता, पुलिस एक्ट आदि। स्पेशल आयोग बैठाकर विचार कीजियेगा उनमें बदलने की आवश्यकता है।

(श्री करतार सिंह)

( समय–समाप्ति–सूचक घण्टी )

आज जिस तरह से भ्रष्टाचार है पुलिस के विभाग में, कांग्रेस के टाइम में बहुत था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि नेताओं द्वारा इन्टरफियरेन्स करने की कोशिश करते हैं। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो पुलिस के मामले में इन्टरफियरेन्स मत करें। जो इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं करने दीजिए।

( समय–समाप्ति–सूचक घण्टी )

सभापति महोदय, दो मिनट लेना चाहता हूं। तीसरा कारण क्रिमिनल कोर्ट्स में जितने केस जाते हैं उनमें सब मुलजिम बरी हो जाते हैं। 302 का मुलजिम कोर्ट में जायेगा तो बरी हो जायेगा। सबसे बड़ा कारण है। हमारे जो इन्वेस्टीगेशन आफिसर्स हैं वे इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सी. बी. आई. इन्सपेक्टर इन्क्वायरी करता है तो सही तफतीश करता है। एक पुलिस का सब–इन्सपेक्टर नहीं कर सकता है। अच्छे पढ़े लिखे आदमियों को भर्ती कीजिये और जितने सीनियर आफिसर्स हैं उनके द्वारा जघन्य अपराधों की इन्क्वायरी करवायें।

इसके साथ-साथ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारी हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। उन्हें सुविधायें अवश्य उपलब्ध करवायें। बच्चों के पढ़ने के लिये कोई सुविधा नहीं, मकानों की सुविधा नहीं है। पुलिस कर्मचारियों के लिये भी हाउसिंग बोर्ड के मकान बनायें जैसे दूसरे विभाग वालों के लिये बनाये जा रहे हैं...

**श्री सभापति :** इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री करतार सिंह :** भ्रष्टाचार मिटाने का है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। इसी कारण सिपाही दो रुपया नहीं लेंगे तो कहां जायेंगे। इसके साथ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों की समितियां बनाई जायें। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मचारियों की पुलिस आफिसर्स जांच करते हैं। पुलिस अधिकारी बचाने की कोशिश करते हैं। अतः इनकी जन प्रतिनिधियों द्वारा जांच करें और इन पर अंकुश रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट...

**श्री सभापति :** दो मिनट नहीं। 8 मिनट हो गये।

**श्री करतार सिंह :** एक मिनट।

**एक माननीय सदस्य :** जेल की तरफ आयें।

**श्री करतार सिंह :** कानूनन कोई भी अपराध करता है तो जेलों में भेजा जाता है। इनमें कई ग्रेजुएट्स हैं, इन्टरमीडियेट हैं, आठवीं के लड़के हैं, जेलों में रहते हैं उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं। जितने पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं हालांकि उन्होंने अपराध किया है उनको आगे भविष्य में पढ़ने की सुविधा अवश्य उपलब्ध कराई

(श्री करतार सिंह)
जानी चाहिये ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।

**श्री सभापति :** श्री गणेशलाल।

**श्री गणेशलाल (हिन्डोली) :** माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर निवेदन करने से पूर्व आपके आदेश से यह जो बजट एस्टीमेट 1977-78 सदन की मेज पर रखे गये थे उसके पेज 244 क्रम संख्या 10 की ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, आज पुलिस विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए सदन में विभिन्न प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई हैं। थाना बबलाना में गोरस्या का खेडा में दिन में डकैती हुई, पता नहीं लगा और बून्दी में एक बच्चे की हत्या हुई, पता नहीं लगा। तत्कालीन एस. डी. ओ. ने सरपंच के खिलाफ धारा 420, 468 का मुकदमा दर्ज किया, क्रम संख्या 111175 पर परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आश्चर्य नहीं, यदि थानेदार कत्ल हो जाये तो उसका भी पता न लग सके।

माननीय सभापति जी, इस बजट की क्रम सं. 10 पर लिखा हुआ है खीणा पुलिस स्टेशन का निर्माण एक लाख 20 हजार रुपये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से शंका का समाधान के लिये पूछना चाहता हूं क्या यह सही लिखा हुआ है? सभापति महोदय, मेरी शंका का समाधान हो जाये तो मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूं।

**श्री सभापति :** आप तो अपनी बात कहें।

**श्री गणेशलाल :** मैं निवेदन कर रहा था, श्रीमान, पुलिस विभाग पर कई प्रकार के एलीगेशन्स लगायें जा सकते हैं...

**श्री श्योपतसिंह मक्कासर :** लाख रुपये का क्या मामला है?

**श्री सभापति :** आप बोलिये।

**श्री गणेशलाल :** लेकिन इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें तो सारे के सारे दोष पुलिस विभाग को जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि पिछले तीस वर्षों में पुलिस से विश्वास जनता का हटा है और इसके कारण कोई भी रहे हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पुलिस के प्रति जनता का विश्वास कायम करना है तो निश्चित रूप से सिपाही को आप छोड़ दीजिए और सिपाही के ऊपर हैड कांस्टेबल रेंक के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सम्पत्ति की जांच करानी चाहिए। इसके साथ साथ पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के समान ही राजनैतिक भ्रष्टाचार भी आज तक हुआ है इसकी भी जांच करानी होगी। 1947 से लेकर आज तक ग्राम पंचायतों के पंचों को छोड़ कर इसके ऊपर से ऊपर के पदों पर जितने लोग रहे हैं उनकी भी जांच पुलिस वालों के भ्रष्टाचार के साथ करवानी होगी। इसके साथ साथ राजनैतिक असर वाले और जितने अफसर हैं उनकी सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए कि जब वे रिटायर होते हैं उस समय तक उनके पास कितनी सम्पत्ति जमा हो गई, तभी जाकर पुलिस पर जनता का विश्वास कायम होगा और आपकी सारी की सारी समस्यायें दूर होंगी। मैं फिर निवेदन करता हूं कि

(श्री गणेश लाल)

यह जो मैंने बजट पर निवेदन किया, माननीय सभापति महोदय, कई दफा हमने इसके बारे में निवेदन किया है कि यह जो बजट में एक लाख बीस हजार का प्रावधान पुलिस थाना खीणा के लिए किया गया है, वह थाना क्यों नहीं बनाया जाता है ? लेकिन अभी तक खीणा में थाना नहीं बनाया गया है। खीणा, ओवरा, नेगड, गुढा, बसोली के लिए खीणा में थाना करीब सौ वर्ष पहले से बना हुआ है। वहां की जनता ने पचास हजार रुपये तक इस थाने पर खर्च किए हैं लेकिन राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण उस थाने को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर कायम किया गया है। एक कांग्रेस के प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से जिस स्थान पर थाना था वहां से हटा कर दूसरी जगह निर्माण किया गया है। इसलिए, माननीय सभापति

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

महोदय, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस राजनैतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो बसोली में थाने का निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोक दिया

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जाय। खीणा में मैटिरियल पड़ा हुआ है, वहीं पर इसका निर्माण कराया जाना चाहिए।

**श्री सभापति :** माननीय श्री हरिसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बहादुरसिंह

**श्री बहादुरसिंह (नोहर) :** माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से पुलिस कर्मचारियों के वेतन तथा प्रशासनिक सुधार पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महकमा सबसे आवश्यक है। हमारे समाज के अन्दर शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जितने भी महकमे हैं उनमें पुलिस सबसे आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी उतना ही आवश्यक है। उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए भी पुलिस का रहना उतना ही आवश्यक है और समाज की न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पुलिस महकमे की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

माननीय सभापतिजी, आज समाज अगर समाज रह सकता है तो वह केवल पुलिस के बलबूते पर ही रह सकता है वरना आज पुलिस न रहे तो हमारा समाज, समाज नहीं रह सकता। सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो सकती है। समाज की स्थिति किसी भी समय इस रूप में नहीं रह पायेगी। इतनी आवश्यकता होने के बावजूद भी आज जो पुलिस का रूप हमारे सामने है, वह एक बड़ी अजीब बात है, इतनी बड़ी आवश्यकता के बावजूद जनता का और पुलिस का दुराव दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस की जो तस्वीर जनता के सामने है वह बड़ी भयावह तस्वीर है। पुलिस जनता को बड़ी क्रूर निगाह से देखती है और जनता उसे बड़ी भयभीत निगाहों से देखती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी, इन्साफ की जिम्मेवारी, व्यवस्था की जिम्मेवारी सारी पुलिस पर होते हुए भी इन कमियों को नहीं नकारा जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला द्वारा जो स्ट्रक्चर पुलिस के

(श्री बहादुर सिंह)

खिलाफ दिया गया है उसकी सच्चाई भी समाज के सामने है । मैं आपके · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा · · ·

**श्री सभापति :** वह सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, आगे चलिए ।

**श्री बहादुरसिंह :** लेकिन पास तो किए गए थे । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पुलिस को दो राहों से गुजरना पड़ता है । एक तरफ तो जुल्म करके पुलिस के हथकण्डों से बचना चाहता है और दूसरी तरफ जब किसी के ऊपर कोई जुर्म करता है तो उससे बचने के लिए प्रोटेक्शन चाहता है । इस कशमकश में एक तरफ तो पुलिस को उनके कर्त्तव्य से दूर रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस की मदद लेना चाहते हैं । इस दोराही, दुतरफा कर्त्तव्य के लिए पुलिस के सामने कुछ कठिनाईयां हैं । पुलिस की कमजोरियां भी हैं और पुलिस के सामने कठिनाइयां भी हैं । मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज कोई भी जब पुलिस की वेकेन्सी निकलती है तो हर नोजवान पुलिस में जाने के लिए तड़फता है । इसकी वजह, माननीय सभापति जी, दो ही हैं । एक तो आज पुलिस के अन्दर खुली लूट हो रही है · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी तरफ सामाजिक प्रभाव है समाज में रोब पुलिस का है उसकी वजह से वह जाना चाहता है । दूसरे महकमे जो उनसे भी ज्यादा तनख्वाह देते हैं उनमें एक नौजवान जाने के लिए उतना लालायित नहीं है जितना पुलिस में जाने के लिए है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कमजोरियों के लिए अकेली पुलिस उत्तरदायी नहीं है । उसके लिए समाज भी उत्तरदायी है, उसके लिए हमारा प्रशासन भी उत्तरदायी है । इन कमियों को दूर किया जा सकता है अगर पुलिस को अच्छा प्रशिक्षण दिया जावे, अच्छे साधन दिये जावें, अच्छे उपकरण दिये जावें । आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापतिजी, एक मिनट और ।

**श्री सभापति :** एक मिनट में समाप्त करें ।

**श्री बहादुरसिंह :** आज पुलिस के बीस फी सदी लोग कम वेतन की वजह से तपेदिक से बीमार हैं । आज उनको वेतन इस महकमे में इतना कम मिल रहा है कि वह भयावह तस्वीर को बनाने में मजबूर हैं, लूट खसोट मचाने में मजबूर हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आज पुलिस को मैस भत्ता जो दिया जाता है वह सात रुपये, दस रुपये दिया जाता है । सात और दस रुपये तो मैस भत्ता नहीं माचिस भत्ता मिलना चाहिए । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन का सुधार किया जावे, पुलिस में शालीनता लाई जाय, उनको अच्छे उपकरण दिये जावें

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में, सभापति महोदय । आज एस. एच. ओ. को जो तनख्वाह मिल रही है वह तनख्वाह उसका एक दिन का खर्चा है । अगर हम चाहते हैं कि हमारी आशाओं के अनुरूप अच्छे ढंग से दुतरफा काम करें तो

(श्री बहादुर सिंह)

उसको अच्छे उपकरण दिये जावें, उसके लिए जीप का प्रबन्ध किया जावे। नहीं तो अपने क्षेत्र के अन्दर होने वाली गैर कानूनी हरकतों को वह नहीं रोक पायेंगे।

**श्री सभापति :** श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

**श्री उमराव सिंह डाबरिया (बनेड़ा) :** माननीय सभापति महोदय, यह पुलिस की जो मांग है, मैं माननीय मंत्री महोदय, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग में समाजवाद लाने के लिए उसका आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज पुलिस का छोटे से छोटा आदमी जो कांस्टेबल है, उसकी और आई.जी. साहब की तनख्वाह में कितना फर्क है। एक सिपाही को दो सौ, ढ़ाई सौ रुपये तनखवाह मिलती है और आई. जी. साहब को 3500) रु. तनख्वाह और पुलिस की फैसेलिटीज मिलती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा और यह चाहता हूं कि आपको समाजवादी व्यवस्था में यह फर्क कम करना चाहिए। मुझे यह याद है कि एक बार लोक सभा में डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पुलिस विभाग पर अपना भाषण देते हुए कहा था कि दिल्ली में जो पुलिस के बड़े 2 अधिकारी हैं उनके पास कितनी बीघा के बड़े 2 मकान हैं जब कि सिपाही को सोने के लिए छः फीट जगह भी नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े लोगों के एशो आराम के जो साधन हैं उस बजट में कटौती करके छोटे आदमी के साधन बढ़ाए जाने चाहिए। मैं आज होम मिनिस्टर से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी सिपाही लोग हैं, कांस्टेबल हैं, वह यह बतायें कि उनको कभी मेडिकल ऐड का पैसा मिला है। वह बिल अपना बना नहीं सकते हैं, यदि वह अधिकारियों के पास बिल लेकर जाते हैं तो उनको दुत्कार करके हटा दिया जाता है। उनके बिल तैयार नहीं किए जाते हैं। इन छोटे 2 कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है। तनख्वाह में फर्क, रहन सहन के लिए मकान नहीं। अगर कहीं भी जनता की इच्छा है कि यहां पर चौकी होनी चाहिए तो वहां पर जनता ने मकान बना कर दे दिया। मकान बन गया। पुलिस ने क्या किया, उसको तोड दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस की जो व्यवस्था है, जो कान्स्टेबल हैं, सबोर्डिनेट आदमी हैं, वे आपकी सेवा करने वाले लोग हैं। उन 6 आदमियों को सोने के लिए दस फीट की जगह नहीं है। पक्का मकान नहीं है; बरसात आ जाए तो वहां पर वे सो नहीं सकते हैं। इन सबोर्डिनेट लोगों को किसी तरह से राहत मिले, इसकी परवाह यह अधिकारी नहीं करते। जितना भत्ता बड़े लोगों को मिलता है, उससे ज्यादा भत्ता छोटे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दैनिक भत्ते का सवाल है, अगर आई. जी. को 25 रुपया मिलता है तो कान्स्टेबल को पांच रुपया भी नहीं मिलता है। क्या आई. जी. सोने की लीद खाता है और जो गरीब आदमी है, वह पेट भर खाना भी नहीं खा सकता है। इस परिवर्तन के युग में आपसे निवेदन करता हूं कि सारे विभाग में, ऊपर से लेकर नीचे तक इसके काम में परिवर्तन करिये।

एक एस.एच. ओ. के बारे में कहना चाहता हूं। 84 हजार का एक साल में उसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ऊपर खर्चा होता है। वह कैसे होता है ? एक एस. एच. ओ. के साथ चार सिपाही होते हैं, दो चार उसके घर पर काम करने वाले होते हैं। इतना स्टाफ होता है तब जाकर वह एस. एच. ओ. काम कर सकता है। इतना स्टाफ आज एक मिनिस्टर के पास भी नहीं होता है। इस तरह से जो ठाट बाट का काम है, उसको बदलना होगा। खर्चा कम करना होगा। गरीब लोगों की तनख्वाह में, भत्ते में वृद्धि करनी होगी। सिपाही लोगों को मकान मिले, मंत्री महोदय, आपको यह कहना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप समाजवादी व्यवस्था इस राज्य में नहीं कायम कर सकेंगे।

शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में एक जगह है। वहां तहसील में तलानियां एक गांव है। एक एस. एच ओ. शाहपुरा का रहने वाला है। उसने सारे गांव के लोगों को गैर कानूनी ढंग से बन्द कर उनके ऊपर मुकदमे चला दिए। छान बीन हुई। एस. पी. साहब से कलेक्टर साहब से हम बातचीत के लिए गए। उस एस. एच ओ. को गुनहगार पाया गया। उसको लाइन पर हाजिर कर दिया पर गरीब जनता पर आज भी वे ही मुकदमे लागू हैं। आज तक पुलिस डिपार्टमेन्ट ने उनको माफ नहीं किया है। स्थानान्तरण करना कोई सजा नहीं है। उस एस. एच. ओ. ने महिलाओं पर, हरिजन महिलाओं पर ज्यादती की हैं। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उस एस. एच. ओ. के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। यह सीधा चार्ज इसी बात पर है।

सभापति महोदय, इस पुलिस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अलग-अलग तरीके से काम करती है। मेरा एक कट-मोशन है। थानों के साथ अलग से सी. आई. डी. जिलों में तैनात होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जेलों के अन्दर एक पुलिस की व्यवस्था है, उसके समानान्तर ही वहां पर सी. आई. डी. हो ताकि जो मर्डर के केसेज हैं, डकैती के केसेज हैं, ऐसे जुर्म होते हैं उन पर एस. एच. ओ. एस. पी. तो कार्यवाही करते ही हैं, उनके समानान्तर सी. आई. डी. भी अपने आप कार्यवाही करे और उसकी रिपोर्ट अलग से भेजें। एस. एच. ओ. जो कार्यवाही करेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। दोनों की रिपोर्ट आएगी और ठीक होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो गलत कार्यवाही करेंगे, पकड़ लिये जायेंगे।

कुछ प्रस्ताव और भी दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस विभाग के अन्दर कुछ महिलाएं भी काम कर रही हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं की एक समानान्तर पुलिस की व्यवस्था करें। उनको आदमियों के अन्दर में रखने की जो परम्परा है, उसको तोड़िये। बिल्कुल महिला पुलिस अलग से होनी चाहिए जिसमें महिला आई. जी. से लेकर कान्स्टेबल की व्यवस्था हो और महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, वह उनकी अलग से छानबीन करें। आज तो हमने यह कह दिया है कि पुरुष और महिलाओं में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। बराबर का वेतन मिलना चाहिए। तो अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होगी तो उनके ऊपर जुल्म नहीं होंगे।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह परिवर्तन का समय है। आज जो अखबार हैं, उनके पास जो मैटर है, वह देते हैं। सरकार के डिस्ट्रिक्ट्स में जो पब्लिसिटी आफिसर है, उसका एक ही काम है कलेक्टर की खबर छाप दें और मिनिस्टर दौरे पर जाएं तो भाषण कहां हुआ, कहां पर खाना हुआ, इसका अखबार में समाचार निकलवा देता है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो पब्लिसिटी आफिसर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसको काम दीजिए। छोटे गांवों के अन्दर किस बात की तकलीफ है, कौनसा वर्ग संघर्ष हो रहा है, किस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, उस वर्ग को सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, हरिजनों को जो जमीन अलाट हुई है, उसका कब्जा मिलने में जुल्म हो रहा है, आज 75 प्रतिशत लोगों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है, मैं यह पूछना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से कि उनके डिपार्टमेंट का यह जो पब्लिसिटी आफीसर है, उसने इस सम्बन्ध में कोई खबर पहुंचाई है। ग्रामीण समस्याओं के ऊपर पब्लिसिटी आफिसर से पब्लिसिटी का काम करावें, गरीब लोगों की मदद करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 1942 में पहली बार मैं जेल गया था और कांग्रेस के राज्य में 17 बार जेल गया हूं। मुझे यह कहने में कोई अड़चन नहीं है कि सन् 42 में जब मैं जेल गया था, उस वक्त जेल के अधिकारियों का इन्तजाम, व्यवस्था, व्यवहार हमारे साथ था, वह अच्छा था और इसके बाद में मैं 17 बार जेल में गया हूं, हर बार यह इन्तजाम हमेशा पहले से ज्यादा बिगड़ता चला गया है। आज यहां यह भी सुनने को मिला कि जनता पार्टी के राज्य में भी जेल की व्यवस्था खराब हो रही है। आज माथुर साहब, जो कांग्रेस में हैं, ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं उन से सहमत हूं। इस मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन के दोष हैं, जो राजनैतिक कैदी होते हैं, उनके बारे में जो नियम बने हैं, उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन नहीं किया तो जो डाकू बन कर जेल काटने आते हैं वे वापस जाते हैं तो क्रिमिनल बन कर आते हैं। इसको सुधारने की बात है। जितने जेलों के उद्योग आदि हैं, वे बंद पड़े हैं। उनको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उनको चलाया जाए। ट्रेनिंग हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसमें परिवर्तन करें। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि बड़े पुलिस अधिकारियों का जो काम था, इमर्जेन्सी में, वे अंधाधुंध सरकार के जायज और नाजायज हुक्म का पालन करते थे। आज फिर मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं, श्री जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में यह बात कही थी कि सरकारी अधिकारी चाहे वह फौज या पुलिस विभाग का हो, उनका जो अफसर हमारे संविधान के बाहर जाकर ड्यूटी अदा करने को कहें और उनको कोई जुल्म करने की बात कहें तो वे उसका बहिष्कार करें।

मैं, मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि देश भर में किसी भी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको जो गलत

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आदेश दिया गया था उसका मुकाबला करे। चाहे डी. आई. जी. हो चाहे आई. जी. हो, उन्होंने मुख्य मंत्री के गुलाम होकर काम किया है। उनको अपनी नौकरी की फिक्र थी नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। जो ज्यादा चापलूसी करते हैं वहीं ज्यादा जुल्म करने वाले हैं इसलिए वे प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आते हैं। आप इस विभाग में जांच करें जिसने जुल्म किया है चाहे आई. जी. हो, चाहे डी. आई. जी. हो, उसको विभाग से निकालें और इमर्जेन्सी में जो अत्याचार हुए हैं, उनकी जांच करायें।

हमारे गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान में· · ·

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर वे लोग जालिम हैं, उन्होंने जुल्म किया है इमर्जेंसी में तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी हटाने में न हिचकें।

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं हैं, कृपया बैठिए।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : पढ़िए तो सही।

श्री सभापति : श्री बिजयेन्द्र पाल सिंह।

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस समय जो रिपोर्टर बैठा हुआ है वह सिंधी है, यदि आप अपना भाषण राजस्थानी में करेंगे तो वह लिख नहीं सकेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो राजस्थानी में बोलूंगा।

कई माननीय सदस्य : सरकार से कहा जाए, राजस्थानी तो अपनी भाषा है। सचिवालय से कहा जाए कि जो राजस्थानी समझ सकें उस रिपोर्टर को भेजें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य चाहें तो पहले हिन्दी में लिखकर दे सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : राजस्थानी भाषा में बोल सकते हैं।

श्री सभापति : मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन आपके बाद वाले कोई माननीय सदस्य बोल लें तब तक दूसरा रिपोर्टर आ जाएगा। जब तक दूसरा प्रबन्ध न हो जाय तब तक कृपया अगर न बोलें तो अच्छा होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति · · ·

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि दूसरे रिपोर्टर का प्रबन्ध किया जा रहा है। आप अपना नम्बर बाद में ले सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप राजस्थानी में न बोलें।

माननीय श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान ब्यावर की घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। ब्यावर में आये दिन चोरियां होती हैं। खुले आम सट्टा कराया जाता है, मटका पुनः चालू हो गया है जब से श्री आर.के. शर्मा अजमेर से आए हैं खुले आम जुआ शुरू हो गया है। इस प्रकार चोरियां हो रही हैं, आप सुनकर दंग रह जायेंगे कि जब चोर घुसते

(श्री उगमराज मेहता)

हैं, किसी को मालूम नहीं होता है, दवाई सुंघाते हैं। एक फर्लांग दूर पेटियां नगद, जेवर इत्यादि को ले जाते हैं। 21 तारीख की घटना है--6 चोर एक घर में घुसे, आवाज से जाम हो गई। गोरखों और दूसरे लोगों ने पीछा किया। चोर तो भाग गए लेकिन थैला गिरा गए। उसमें 6 टिकट थे अजमेर से ब्यावर तक। आर. के. शर्मा क्लॉक टावर अजमेर से ब्यावर आया। क्लॉक टावर चोरों और बदमाशों का अड्डा है, उनके कपड़े जो पकड़े गए उन पर टेलर की सील है। कोई इन्क्वायरी नहीं हुई आए दिन चोरियां होती हैं हजारों रुपयों की तथा जेवरों की चोरियां हुई हैं आज दिन तक पता नहीं लगा है।

सावन का मेला लगा जिसमें सरकार को कितनी हानि हुई है--300) प्रति दिन पुलिस के बंधे हुए थे और 1500) पर डे के हिसाब से कर की चोरी हुई, 67500) सरकार की आय में कमी हुई और पुलिस तथा सेल टेक्स अधिकारी की जेबों में पैसा गया। यशपाल कपूर की धर्मपत्नी द्वारा रामलीला मैदान में नाटक रचा गया था, लड़कियों का नाच हुआ था, उसी की देन है। जो सावन के मेले में मेडिकल कालेज अजमेर के छात्रों की मारपीट हुई, वही मेला ब्यावर में लगा। उसकी शिकायतें आपके पास में आई वहां की जनता ने प्रोटेस्ट किया। जनता का तो एक रात को झगड़ा हुआ। आर. के. शर्मा ने 11 आदमियों पर 307का केस लागू किया जिसकी हमने आपको दरख्वास्त दी और आपने फाइल भी मंगा ली है। वह 307 का केस अविलंब उठाया जाए और केस बिथड्रा किया जाए।

इमर्जेन्सी में किस प्रकार स्टेट वर्सेज हरीश कुमार पर झूठा केस बनाया गया है। आपको रिपोर्ट दी गई थी और वह फाइल आपने मंगाई है। वह केस भी वापस लिया जाए।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है कोटड़ा कांड के बारे में, किस प्रकार से नसबंदी के मामले में ज्यादतियां हुई, किस प्रकार से दीवान बंशीलाल ने ग्रामीणों को लूटा, औरतों की पिटाई की, 23 आदमी व 5 महिलाओं को जेल भेजा और ग्रामीणों से पांच सात हजार रुपया पैसा वसूल किया। ग्राम कोटड़ा मंदिर वाले बास से 2300) रुपया लिया, 395) रु. कन्हैयालाल से लिया और 75) घीसाराम से लिया। क्योंकि समय कम है, मैं पूरी लिस्ट आपको देना चाहता हूं। आज तक उसमें इन्क्वायरी नहीं हुई। 11-4-77 को लिखित पत्र सरकार को दिया, उसके बाद में कोई जांच नहीं की गई।

मेरा जेलों पर दूसरा प्रस्ताव है। इमर्जेंसी में मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा। एस. पी. सिंह राठौड, जो अजमेर के एस. पी. थे बुरी प्रकार मुझे टारचर किया। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगूं। मुझे जेल में सोलीटरी सेल में रखा गया। सोलीटरी सेल वह जगह है जहां कोई भी आदमी का चेहरा तक नहीं देख सकता। सड़ी जगह। यदि भविष्य में किसी को जेल भेजना चाहे राज नेता हो चाहे कोई और कम से कम सोलीटरी सेल उसको न दें। मैं सोलीटरी सेल में ब्लड प्रेशर से पीड़ित था, कोई दवाई का प्रबन्ध नहीं किया गया। कैलाश मेघवाल पंचायत मंत्री वहां थे। दो ढाई महीने बाद हमें

(श्री जगमराज मेहता)

सोलीटरी सेल से दूर रखा था, उस समय उन्होंने राज्य सभा का फार्म भरा। सभी फार्मेलिटीज पूरी की थीं। वहां जेल के सुपरिन्टेन्डेट को दस्तखत करके दिया और डिप्टी जेलर 10 बजे रवाना किया और 1.35 पर डी. आई. जी. के यहां जयपुर पहुंचा। उसके बाद जब रात को रेडियो सुना तो कोई नाम नहीं आया कैलाश मेघवाल का। जब हमने मालूम किया, इन्क्वायरी की तो मालूम हुआ, विधान सभा भवन पर देर से पहुंचे, इसकी जांच की जाय। राज्य सभा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर में ए. एस. पी. की पोस्ट को समाप्त करके डी वाई. एस. पी. की पोस्ट की जाय। वहां पर ए.एस.पी.की पोस्ट कायम की जाए।

जैतारण में सब-जेल है और ब्यावर सिटी में सब-जेल खोला जाए। अजमेर से कैदी आते हैं, उन पर खर्च होता है, तो वहां पर सब-जेल खोला जाए। मैं आपका ध्यान जयपुर-अजमेर रोड पर होने वाले एक्सीडेन्ट्स की ओर दिलाता हूं। वहां पर शराब के अड्डे हैं, दूसरे अड्डे भी हैं। अजमेर और जयपुर के बीच में इन अड्डों को हटाने की व्यवस्था पुलिस करे। वहां एक्सीडेन्ट होने का कारण इस प्रकार के अड्डे हैं। आगे मैं निवेदन करूंगा कि ब्यावर में कंजर और सांसी पुलिस की देखरेख में शराब बनाते हैं। इसको आप नोट करें और उसको समाप्त करें।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य श्री माधोसिंह जी ने यह बात कही कि पुलिस के मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं उनकी इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जुलाई, 1977 में भरतपुर जिले के कप्तान सिंह मल्लाह डाकू, जिस पर अनेक चोरियां और डकैतियों के मामले हैं, को मूलचन्द थानेदार राजाखेड़ा ने गिरफ्तार किया। थोड़े ही दिनों में थानेदार मूलचन्द का स्थानान्तरण जयपुर पुलिस लाइन में क्यों किया गया? यह मैं पूछना चाहता हूं। वह डाकू कप्तान सिंह मल्लाह, प्रद्युम्नसिंह विधायक राजाखेड़ा के निवास स्थान पर पकड़ा गया है। इस दृष्टि से कार्यवाही आगे नहीं चले, थानेदार मूलचन्द का स्थानान्तरण कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके घर से डाकू बरामद होता है, वह डाकुओं को संरक्षण देता है; मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि इसकी जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इमर्जेंसी से पहले भीलवाड़ा नगर में 28 अक्टूबर, 1974 को गोली काण्ड हुआ। 13 सितम्बर, 74 को परसराम समदानी की हत्या कर दी गई। वह वहां के एक व्यापारी थे। 16 अक्टूबर, 1974 तक यह जांच नहीं कर पाये कि परसराम समदानी का हत्यारा कौन था। 16 अक्टूबर, 1974 को उसके लड़के घनश्याम समदानी को जांच के लिए बुलाया गया। 16 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक घनश्याम समदानी को बनेड़ा ले जाकर पिटाई की गई। वहां

(श्री कौशल किशोर जैन)

ले जाकर उसके बिजली के करेन्ट लगाये गये । 18 अक्टूबर, 1974 को उसके छोटे भाई ने सबको तार दिये । उस समय के मुख्य मंत्री, पुलिस के आई. जी., डी. आई. जी. को तार दिये । 2-10-1974 को उसको अदालत में पेश करने के लिए कहा गया लेकिन उसको पेश नहीं किया गया। उसकी मरने जैसी हालत हो गई। 27 तारीख को घनश्याम समदानी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कि दो आदमी मारे गये। उसके बाद (1) बहादुर सिंह. (थानेदार मावली)

(2) गोपालराम शर्मा (ए. एस. आई. भीलवाड़ा),

(3) नेत्रपालसिंह (ए. एस. आई., भीलवाड़ा),

(4) मदनलाल पारीक (डी. एस. पी., भीलवाड़ा),

(5) मुरली मनोहर (थानेदार, भीलवाड़ा)

इन पांच आदमियों को सस्पेण्ड किया गया। ये पांचों आदमी बाहर हैं। मैंने प्रश्न उठाया था। दो डाक्टर सस्पेण्ड हुए। डा. अरोड़ा और डा. जयनारायण माथुर। किन्तु इमरजेंसी के कारण सारा केस रफा दफा कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि इस सारे काण्ड की दुबारा जांच होनी चाहिए। उनके ऊपर घनश्याम समदानी की हत्या का केस और परसराम समदानी की हत्या का केस नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि गोलीकाण्ड की जांच होनी चाहिए। उस वक्त जांच हो नहीं पाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने सूचना मन्त्री को भीलवाड़ा के बारे में प्रस्ताव दिया था। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा इन सभी जगहों पर सूचना केन्द्र हैं। भीलवाड़ा एक औद्योगिक केन्द्र है। राजस्थान का एक बड़ा औद्योगिक स्थान है। वहां पर सूचना केन्द्र की योजना होनी चाहिए जिससे कि वहां के बारे में लोगों को सूचना उपलब्ध हो सके। मैं कुछ और निवेदन कर अपना भाषण पूरा करूंगा। 1975 में मीसा में मैं उदयपुर के कारागार में बन्द था। वहां का एडीशनल एस. पी. भरतिया ने अमानुषिक व्यवहार जेल में आकर किये। राज्य मन्त्री श्री कैलाश मेघवाल भी उस समय वहां बन्द थे। वह भरतिया आज भी सस्पेण्ड नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के पुलिस अधिकारी एडीशनल एस. पी. भरतिया के 19 सितम्बर, 1975 के काण्ड की जांच की जानी चाहिए। इस अधिकारी ने जेल में आकर उदयपुर में आपातकाल में जुल्म किये हैं। लोगों की जेल में आकर हड्डियां तोड़ी हैं, ऐसे अधिकारी को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को दण्ड देना चाहिए।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**श्री कौशल किशोर जैन :** समदानी हत्याकाण्ड के बारे में गृह मन्त्री महोदय ध्यान देने की कृपा करें।

**श्री सभापति** : माननीय श्री विजयेन्द्र-पाल सिंह।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)** : सभापति महोदय, म्हूं इण बात रे वास्ते धन्यवाद देणो चाहूं के आपणे मणे मार-वाड़ी मा बोलण की अनुमति प्रदान की है। आपणे ईसूं थोड़ी असुविधा होवेली।

**श्री सभापति** : असुविधा तो नहीं होगी। फिर भी आप बोलिए। राजस्थानी का रिपोर्टर ही नहीं था।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** : It is not that I do not know any other language but I will always speak in the language of the people who have elected me.

**श्री सभापति** : मगर आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, माननीय सदस्य ?

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** : सभापति महोदय, म्हारो कटौती प्रस्ताव लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के सम्बन्ध में है अर दूजो पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रे बारां में है। म्हूं आपणे अर्ज करणो चाहूं, आज पलिस विभाग के मायने कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस ने जो मोरल सपोर्ट ई वास्ते होणी चाहिये वा सरकार की तरफ सूनहीं है। मूं अर्ज करबो चाहूं के आज पुलिस विभाग री जो एक्टिविटीज है, वा मे कान्फीडेन्स कोने, कोई ने विश्वास कोने। मूं या अर्ज करूं कि आज गुण्डागिरी है और गुण्डा है, चोर है वांकी जांच-वांच कोनी होवे, या तो गुण्डा है, चोर है गुण्डा री, कोई जातपांत नहीं हुए है। आज आप यूं लेकर चालो के ओ हरिजन है, वा राजपूत है, या कोई और है, तो गलत म्हे जायगा। मूं आ अरज करबो चाहूं हूँ के मारे विधायक होता, मारे घर मईने चोरी होगी थारी आज तक कोई कार्य-वाई कोनी हुई। वात या है के वा एक गुण्डो है, वा हरिजन है इ वास्ते गुण्डो है मूं या कोनी कहूं, हरिजनों पर ज्यादतियां कोनी होणी चावे, या मूं भी चाहूं। पण कोई गुण्डा होवे भले ही हरिजन हो, और पुलिस कार-वाही कोनी करे या कहकर के हरिजन है कोई कार्यवाही करांला तो खुद फंस जावांला ई बात पर गौर करबो चावे। मांरा खुदरा घर पर चोरी हुई, अरु आज ताणी कोई कार्य-वाही कोनी हुई क्यूं के वा गुण्डा हरिजन है।

**श्रीमती श्यामा कुमारी** : मैं यह अर्ज करना चाहती हूँ कि गुण्डा हरिजन ही नहीं दूसरी जातियों के भी हो सकते हैं।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मूं पेली ही आ बात अर्ज कर चुक्यो हूं के गुण्डा सब जातियां मां होवे है। थर्ड डिग्री के बारां में मैं सहयोग कोनी करूं। आ सब गलत है। पर आज जो हो रयो है, बहुत सा पुलिस थाणां में जाओ तो, साथ में दूजा लोगां ने भी ले जावे कि मारे सामने पूछ लो। पांच दस जणा साथे गया और कह्यो के आप मारे सामने पूछ लो के आ बात गलत है। इनके बारां में भी सरकार ने गौर करणो चावे।

एस. एच. ओ. ने फिक्स्ड टी. ए. 40 रुपया मिले है वा सोचे के कतरो ही घूमो ईसू ज्यादा या कम कोनी मिलेला और बचावा री कोशिश करे, इ पर भी सरकार ध्यान दे। मूं आ भी अर्ज करूंला के कई गांवां रे मायने सड़कां कोनी, उठे बसां भी कोनी जा सके, उठे एस. एच. ओ. कोई

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)
कार्यवाही कोनी कर सके, इण वास्ते वाने बैंका सूं लोन दिलाकर एक मोटर साइकिल रो परबन्ध करणो चाहिए। जीसूं सब गांवां में कारवाही कर सके और उठे पहुंच सके।

इस बारां में बहुत सारा सदस्य अर्ज करी और मूं भी सरकार सूं अर्ज करूं के आज थाणां माइने आ हालत है कि कागज लेकर आवो तो रिपोर्ट लिखे आ बात भी गलत है।

मूं मोटी बात भ्रष्टाचार के बारां में कहबो चाहूं हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप अंग्रेजी में बोल लें।

श्री सभापति : अंग्रेजी में बोलने की इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : स्काटलैण्ड मायने भी एक सीक्रेट डिपार्टमेन्ट है, जो दो-चार आदमी ने पुलिस वाला कान्फीडेन्स मायने लेकर कि कुण-कुण पुलिस वाला भ्रष्टाचारी है बाकी रिपोर्ट वाने देवे तो अस्यो डिपार्टमेंट भी आपरे अठे हावणो चावे जो पूरी काणी आ पुलिस वाला री बता सके। इ बारां में एक फेमस किताब भी लिखी है वाने पढ़वा सूं स्काटलैंड यार्ड मायने रिवोल्यूशन आय गयो वारो नाम Serpico। वा ने पूछियो सरकार कि खुद पुलिस वाला होकर या लिखी, वा पुलिस वालो पुलिस मायने भ्रष्टाचार खतम करणे ताई सुझाव दियो पुलिस वाला होता थका, पुलिस वाला वा सूं नाराज व्हे गया। इ वास्ते आपने भी उ किताब रे बारां में गौर करबो चावे, कुण कने कतरा मकान है और कतरी डिस्प्रपोर्शनेट प्रोपर्टी है। आज मैं अतरो ही अर्ज करूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माणकलाल ठाकोर!

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। पुलिस की मनोवृत्ति के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। डेढ सौ वर्षों तक लगातार अंग्रेजों ने राज किया उस समय पुलिस को जो बात सिखाई गई कि वह यह थी कि आम तौर से जनता पर अत्याचार नहीं किये जाने चाहिए। जनता को उस समय कुचला जाय, किसी राजनैतिक दल या जनता को उस समय कुचला जाय जबकि ब्रिटिश हकूमत को खतरा उत्पन्न हो अथवा उसको चुनौती दी जाय वरना आम जनता को नहीं छेड़ा जाय, जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जाय और इस हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जनता के साथ व्यवहार करती थी। उसके बाद कांग्रेस का राज आया, उस समय ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में यह हुआ कि पुलिस सरकार और सरकार के मन्त्री तथा सत्ताधारी दल वालों को सरक्षण दे, पुलिस, उनकी हिफाजत करे। इसके अलावा पुलिस जनता के साथ क्या व्यवहार करती है, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहा। श्रीमती तानाशाह के जमाने में पुलिस को यह हिदायत रही कि जिसके द्वारा जितना ज्यादा विरोधी दल को या सरकार को चुनौती देने वालों को कुचला जाएगा वही, सबसे अच्छा अधिकारी माना जायगा, इस सम्बन्ध में भारी कम्पीटीशन रहा पुलिस के अधिकारियों के बीच में। ऐसे अधिकारियों की ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा की गई उनकी ज्यादा से ज्यादा पदोन्नतियां हुई जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किये। इसके बाद जनता पार्टी का राज आया, जनता पार्टी का राज आने पर

(श्री माणकलाल ठाकोर)

पुलिस अधिकारियों ने, श्रीमती तानाशाह के जमाने, में जो गवर्नमेन्ट सत्ता और हुकूमत की भूखी थीं, पूरी तरह से अपनी भूख बुझाई और पुलिस वालों ने डटकर जुल्म किये। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुकूमत में फर्क आया। प्रत्यक्ष रूप से लोग गृह मंत्री, मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री के पास जाने लगे और उनके पास शिकायतें होने लगीं। इमर्जेन्सी हटने के बाद और जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद भी जो जुर्म हुए हैं, मैं सप्रमाण बताना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है, घंटी बज जायगी, इसलिए ज्यादा नहीं बताते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह से पुलिस की तीसरी स्टेज आई। इसलिए आज की यह पुलिस बौखला जाती है। वह और विरोधी पार्टी के कांग्रेसी लोग किसी न किसी तरीके से सरकार को असफल करने में लगे हुए हैं। इसको समाप्त करने के लिए साजिश रच रहे हैं, ताने-बाने बुन रहे हैं। समय कम है मैं संक्षेप में दो-तीन पाइन्ट्स और बतलाना चाहता हूं जो कि मेरे क्षेत्र के और बून्दी जिले के बारे में हैं। जो अत्याचार वहां पर हुए।

सभापति महोदय, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है।

श्री सभापति : यह पहली घन्टी है।

श्री माणकलाल ठाकोर : सभापति महोदय, जब हम हमारे इलाके की कोई घटना के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते हैं तो आप उस वक्त यह कह देते हैं कि आप पुलिस विभाग की मांग पर जब बहस चले उस वक्त बोल लेना और जब हम बोलने लगते हैं तो आप घन्टी बजा रहे हैं।

श्री सभापति : आप बोलिये। आप बोलिये

श्री माणकलाल ठाकोर : सभापति महोदय, इसमें ही एक मिनट समाप्त हो गया। तो मैं अब आपको संक्षेप में मुख्य मुख्य घटनायें ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र नैनवा में एक भीमगन्ज नाम का गांव है वहां पर एक रुक्मणि नाम हरिजन बैरवा जाति की लड़की थी उसको वहां से खींच कर लाने के लिये भीमगन्ज के पास ही एक सीसौल गांव है उसके सरपंच ने योजना बनायी। उस सरपन्च ने 25 आदमियों की लठैतों की टीम वहां पर भेजी। जब वह लोग वहां पर पहुंचे वह लड़की घबरायी और वह लड़की दौड़कर कुए में जाकर कूद गयी। सभापति महोदय, जब वह लड़की कुए में कूदी, उसकी पहले थोड़ी देर तक जान नहीं निकली और कोई चीज उसके पकड़ने में आ गयी तो वह लड़की उसे पकड़ कर अपनी जान बचाने को चिल्लाने लगी बचाओ, बचाओ। लड़की अपनी प्राण रक्षा के लिये पुकार रही थी। उस लड़की के पिता ने जब यह सुना तो वह अपनी लड़की को बचाने के लिए वहां गया तो उस सरपन्च ने, जिसका नाम भंवरलाल है, और जो उसके 25 लठैत साथ थे उन्होंने उस लड़की के बाप को उस लड़की को बचाने नहीं दिया। फिर वह लड़की आधे घन्टे तक रोती चिल्लाती मर गयी। सभापति महोदय, इस प्रकार एक हरिजन बैरवा समाज की लड़की की जीवन लीला समाप्त हो गयी। इसके बाद उस सरपंच ने तीन चार दिन तक उस लड़की के बाप से इस हत्याकांड की पुलिस में इत्तिला तक नहीं होने दी। उसने ऐसा इन्तजाम किया कि उसकी पुलिस में रिपोर्ट

(श्री माणक लाल ठाकोर)

तक नहीं हो सकी। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यहां पर गृह मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उस सरपंच ने उस छोटे से गांव पर अपने लोगों को पहरे पर बैठा दिया और वहां यह कह दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पुलिस में उनके खिलाफ में गवाही दी तो उसका सत्यानाश कर दिया जायेगा। उसको जान से मार दिया जायेगा। सभापति महोदय, वह एक छोटा सा गांव है जहां कि 50 व्यक्ति रहते होंगे।

एक माननीय सदस्य : यह घटना कब की है।

श्री माणकलाल ठाकोर : यह घटना है 4-9-77 की, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके लिये मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया तो उपाध्यक्ष महादेय ने यह कहा कि आप चैम्बर में मिले। जब मैं चैम्बर में मिलने गया तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस विभाग की मांग आये तो आप उस वक्त बोल लेना। अब आज पुलिस विभाग की मांग पर बोल रहा हूं तो अब समय कम दिया जा रहा है। तो सभापति महोदय, पुलिस के अन्दर रिपोर्ट की गयी। तो यह रिपोर्ट उस कान्ड के आठ दिन बाद हुई। पुलिस वालों ने उस मृत लड़की के बाप के बयान लिये एस. एच. नैनवा ने यह कहा कि तुम भी सभी के नाम बता दो पर उस सरपन्च का नाम मत लेना अगर तुम उस सरपन्च का नाम लोगे तो तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। उसके बाद वह मेरे पास आया। मैंने उस के बयान कराकर डी वाई. एस. पी. ननवा को सीधी रिपोर्ट दे दी। सभापति महोदय, वहां पर इस केस में जितने लोगों ने बयान दिये उनको तरह तरह से खराब करने की कोशिश की और उस केस की हालत ऐसी खराब हो गयी कि आप मत पूछिये। यह एक तरह से इनडाइरेक्ट हत्याकांड ही था। इसकी तुरन्त जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी ने जो मैंने घटना के बारे में निवेदन किया उसको नोट कर लिया होगा।

सभापति महोदय, दूसरी एक घटना और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर रामगढ़ के अन्दर बून्दी तहसील में एक कन्जर हकीमा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उस पर वहां की जनता ने यह आरोप लगाया कि यह हत्या वहां पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी। सभापति महोदय, यह हत्या जो की गयी उसका नेतृत्व वहां डी. वाई. एस. पी. गोयल, जो कि नैनवा के डी. वाई. एस. पी. भी हैं, गुलाबचन्द के बेटे की हत्या करवाई थी। उनकी छत्र छाया में कई लाठी चार्ज और गोली काण्ड हुए हैं। मैंने उनके खिलाफ ये यहां सदन में बार बार कहा कि यह डी. वाई. एस. पी. गोयल बहुत ही अत्याचारी हैं। उसने वहां पर 50 व्यक्तियों का नेतृत्व कर उस हकीमा कन्जर को मरा दिया। इसके लिए लोगों ने गवाह दिये लेकिन वहां पर एक पुलिस का मुखबिर है माना नामक कन्जर उसका दामाद है।

श्री सभापति : 9 मिनट हो गये हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर : अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय। इसके लिए तो मैंने यहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

(श्री माणकलाल ठाकोर)

भी दिये थे उस पर उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे पुलिस विभाग की मांग पर बोलने के लिए कहा था तो मुझे पांच मिनट ज्यादा मिलने चाहिए । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 25 गवाहों ने पुलिस के खिलाफ में बयान दिये लेकिन एक माना कन्वर, जो कि उसका वामाद है, ने जो बयान दिये वह तो मजिस्ट्रेट साहब ने मान लिए बाकी 25 गवाहों के बयानों को नहीं माना। सभापति महोदय, आज 27 साल मुझे वकालात करते हुए हो गये हैं मैं जानता हूं इस माना मुखबिर को जो कि पुलिस का दलाल है जो कि लोगों को पकड़ाता रहता है। पुलिस का मुखबिर है उस केस की फाइल में यहां पर कई माननीय सदस्यों ने जिन आई.जी.पी. साहब को देवता कहा बहुत बड़ा आदमी बताया लेकिन मेरा इल्जाम है कि:···

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आई.जी.पी. साहब यहां बैठे-बैठे क्या कह रहे हैं।

श्री सभापति: यह आपके कटमोशन में तो नहीं दिया है।

श्री माणक लाल ठाकोर : सभापति महोदय मैंने जो कट मोशन दिया है उसमें..

श्री सभापति : आपने स्पेसिफिक पोइन्ट पर कट मोशन नहीं दिया।

श्री माणक लाल ठाकोर : सभापति महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहां पर दिनांक 13 सितम्बर को जो स्टेटमेन्ट दिया था उसके बाद में 14 सितम्बर को दैनिक नवज्योति में आया कि गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें नैनवा की घटना के बारे में बताया कि वहां पर उस एरिया के विधायक गये थे। उन्होंने सरकारी स्टेटमेंट में जो बात कही थी वह सही थी। साथ में विधायक भी थे। पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस अखबार में गलत दिया गया है। सरकारी वक्तव्य जो दिया था उसका विधायकों ने कोई समर्थन नहीं किया। जहां तक सवाल विधायकों का है मैं और दूसरे विधायक, जो हिन्डोली के विधायक हैं, के अलावा कोई तीसरा विधायक नहीं था। अगर कोई यह साबित कर दे कि दो से अधिक विधायक थे तो मैं विधान सभा के सदस्य पद से त्याग पत्र देने को तैयार हूं और राजनीति से त्याग पत्र देने को भी तैयार हूं। नहीं तो माननीय गृह मन्त्रीजी को इस बात का खन्डन करना चाहिये ? कि अखबारों में जो छपी है कि सरकारी वर्शन का समर्थन वहां के विधायकों ने किया मैं उनको त्याग पत्र देने की बात तो नहीं कहूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि वह इस बात का खन्डन करने की घोषणा करें। और यह कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा और कहा तो गलत कहा।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री माणकलाल ठाकोर : आप पुलिस को संरक्षण मत दीजिये।

श्री सभापति : आप आसन पर चार्ज कैसे लगा रहे हैं ? मैं पुलिस को संरक्षण क्यों दूंगा ? आप मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। आप बैठिये।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं आप पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं मैं तो समय पर लगा रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये। यहां पर एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर मैं यह व्यवस्था देता

(श्री सभापति)
हूं कि जिस शब्द को असंसदीय बताया गया था वह असंसदीय नहीं है।

श्री बत्तीलाल मीणा।

**श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): सभापति महोदय, आज सदन में पुलिस जेल विभाग की मांगों पर विचार किया जा रहा है। मैंने इस पर अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने हृदय से हमारे वर्तमान गृह मन्त्रीजी का अभिनन्दन करता हूं। सभापति महोदय, हमारे जो गृह मन्त्री हैं वह ऐसे महान् हैं कि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति अपने दुःख दर्द को उनके पास जाकर निवेदन कर सकता है। और हर इन्सान की वेदना को वह सुनते हैं।

(7.30 सायं)

(श्रीराम नारायण चौधरी, सभापति,पीठासीन)

सभापति महोदय, हमारे समाज की व्यवस्था को सुचारुरूप से चलाने के लिए राज्य के पास दो व्यवस्था होती है एक तो मिलिटरी की और दूसरी है पुलिस हालांकि दोनों से राज्य में समाज की सुरक्षा होती है पर इन दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग-अलग हैं जैसे पूर्व और पश्चिम-में अन्तर होता है उसी तरह का अन्तर पुलिस और मिलिटरी के अन्दर है।

माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि हमारे फौजी भाई सीमा पार अपने दुश्मनों को ललकारते रहते हैं और समय आये अपना कर्तव्यपालन करते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर देते हैं, उसी प्रकार से जन जीवन की सुरक्षा आन्तरिक व्यवस्था पुलिस के जिम्मे होती है। जब हम उसके कार्यों की ओर देखते हैं तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस अपने कर्तव्य पालन में कोताई करती है।

मैं कुछ पुलिस के कार्यों का स्पष्टीकरण करूंगा। पुलिस को यदि यह रिपोर्ट मिलती है कि फलां गांव में डाका डाला जा रहा है तो वे जन जीवन की रक्षा के लिये उत्साह नहीं दिखाते हैं। डाकू डाका डाल रहे हैं पूर्व में तो वे प्रस्थान करते हैं पश्चिम में। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मर्डर हो गया है या आपस में झगड़ा हो गया है तो उसको इतना हर्ष होता है कि मानो लाटरी खुल गयी हो। 326, 324 की गम्भीर धाराओं को ढूढ़ते फिरते हैं। जो मर्डर करता है, गरीब है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वे ढूढ़ते है जिसको हथकड़ी में कस ले। उसको फंसा लेती है। इस प्रकार पुलिस अपना कर्तव्य कर रही है जन रक्षा के प्रति। मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे जिले में अभी-अभी पिछली सरकार ने हरिजनों को चरागाह की भूमि अलाट की। पुलिस अधिकारियों को आत्मरक्षा का हथियार मिल गया। गरीबों को मनमाने तरीके से फंसा रहे हैं। गरीब लोग कहते हैं कि भूमि पर कब्जा दिलायें, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को कहते हैं लेकिन जब तक पुलिस अधिकारी अपनी जेबें न भर लें प्रस्थान ही नहीं करते हैं। गांव वालों से जाकर कहते हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी पर हैं, हमारी आप लोग फीस अदा करो। यह स्थिति सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इसलिये मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस ओर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो किसान लुट जायगा। कम्पेन्सेशन जिनको मिलना है वह मिलेगा। शायद कम्पेन्सेशन नहीं मिला है।

(श्री बत्तीलाल मीणा)
लेकिन गरीबों से पुलिस वाले पैसा खा रहे रहे हैं कब्जा दिलाने के बहाने।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह है सवाई-माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर रात दिन डकैती होती रहती है। नागौती डकैतों का केन्द्र है। गर्मियों में ग्रामवासी त्रस्त रहते हैं कि रात को न जाने कब डकैत आ जायं। हम जनता सरकार से नागरिकों के अमन-चैन के लिए डकैतों को नेस्तनाबूद करने के लिए आशा करेंगे। पुलिस के द्वारा किसी प्रकार बच न सकें। उपेक्षा की वृत्ति को उनको त्यागना पड़ेगा और जिस प्रकार से फौजी भाई सीमा पर अपना नैतिक दायित्व पूरा करते हैं उसी प्रकार उसी निष्ठा से यदि पुलिस के भाई भी अपने दायित्व को निभायें तो डाकू रह नहीं सकते हैं। सदन के माननीय सदस्यों ने बताया कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, कम मिलती है तो पूरी ड्यूटी अदा नहीं करते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है। अतः मेरा निवेदन है कि उस जिले की रक्षा करें जिससे लोग अपनी जीविका उपार्जित कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जेल पर मेरा दूसरा कट मोशन है। समयाभाव के कारण अधिक नहीं कहूंगा। कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्रियों ने जेल में सुविधा बढ़ाने के लिए कहा है। मेरा यह मानना है कि अधिक सुविधायें अधिक अपराध वृत्ति पैदा करेंगी। अपराध अधिक बढ़ जायेंगे। अपराधी यही सोचेगा कि यहां नहीं तो जेल में अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिये अपराध बढ़ेंगे। जेलें अपराधियों से भरने लग जावेंगी। इसलिए अपराधियों को तो ऐसा दण्ड दिया जाय कि अपराध भारत की सीमा से दूर हो जाय। पहले इसीलिए सजा दी जाती थी। मान्यवर, आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि कठोर दण्ड की व्यवस्था करें ताकि अपराध करने की हिम्मत न हो। जेल में सुधार का जहां तक सवाल है किशोर अवस्था में कोई जुर्म कर दे तो उसमें सुधार का दृष्टिकोण अपनाया जाय ताकि सुयोग्य नागरिक वह बन सके। मान्यवर, मेरा तहसील क्षेत्र बहुत बड़ा है। गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तहसील हैडक्वार्टर पर पुलिस चौकी कायम कर दी जाय ताकि डकैत जहां सड़क क्रास करते हैं चाहे पुलिस कैसा ही कर्तव्य पालन करे, चौकी से भय रहता है इसलिए डाकुओं में भय रहेगा।

आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कि डकैतों को खत्म करना है तो सवाई माधोपुर जिले को लक्ष्य बनाना होगा। धौलपुर, करौली, मण्डरायल, यहां पर आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो कि मिलिटरी टाइप हो। उनका दायित्व फौजियों जैसा हो। उन जैसा कर्तव्य होना चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय श्री बजरंगलाल !

(अनुपस्थित)

**श्री सुरेशकुमार** : मान्यवर, श्री बजरंगलालजी की पत्नी का भयंकर ओपरेशन हुआ है और वे अस्पताल में हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि उनके विचारों को मैं सदन के समक्ष रखूं। आप इजाजत दें तो बोल लूं।

**श्री सभापति** : नो। नेक्स्ट।

श्री हरचन्द सिंह।

**श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा)**: सभापति महोदय, आज पुलिस की मांग पर बहस चल रही है। जिस प्रकार से पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता है तो वेर

(श्री हरचन्दसिंह)
करते हैं इसी प्रकार से आपको भी प्रार्थना करूंगा कि देर से घंटी बजावें।

भ्रष्टाचार के तीन प्रमुख तरीके हैं। एक इकोनोमिकल करप्शन और दूसरा पोलिटिकल करप्शन तीसरा moral turpitude। इकोनोमिकल करप्शन पर बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं। मैं पोलिटिकल करप्शन पर पुलिस विभाग में क्या होता है उसी पर चर्चा करना चाहूंगा।

श्रीमान्, गंगानगर जिले में सरदारगढ़ गांव है। सरदारगढ़ में बहुत प्रभावशाली मुसलमान है जिसका नाम निजाम खां है उसका सम्बन्ध बहुत कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ रहा है। वह गाय पालने का धन्धा करता है। श्रीमान्, उस निजाम खां के पास हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बोर्डर पार के आदमी आते जाते हैं। सन् 1957-58 में 28 आदमी हिन्दुस्तान के अन्दर आये। भूतपूर्व राज्य मंत्री मनफूलसिंह के छोटे भाई बीरबल भादू पंचायत समिति के प्रधान हैं। नियम के तहत उनको हिन्दुस्तान की निर्वाचन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये था। भारत के नागरिक बना कर उस सूची में सम्मिलित कर लिया गया। उसकी जांच हुई जिलाधीश गंगानगर ने आदेश दिये कि इनके नाम निर्वाचन सूची से हटा दिये जायें। उसके बावजूद 28 आदमी पुलिस का संरक्षण होने के कारण और मनफूलसिंह के छोटे भाई बीरबल के दबाव के कारण भारत में रह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव और भाषण से तालमेल नहीं है। साथ ही ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ चार्ज न लगायें जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं और आप कटौती प्रस्ताव के दायरे में ही रहें।

श्रीमान्, वह 28 आदमी आज हमारे हिन्दुस्तान में मौजूद हैं। उसी पोलिटिकल आदमी के प्रश्रय से उन्हें हिन्दुस्तान के अन्दर जमीन अलॉट हो गई है जब कि वे विदेशी है। उनके खिलाफ फारेनर्स एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन पुलिस विभाग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सन् 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उसी महत्वपूर्ण मुसलमान ने पाक अथोरिटीज को एक खत लिखा जो कि इन्टरसैप्ट हो गया और उस आदमी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया लेकिन कांग्रेसी सरकार के भूतपूर्व मंत्री महोदय की सिफारिश की वजह से और पोलीटिकल दबाव की वजह से उस आदमी को पुनः छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमान्, उसी आदमी को सन् 1972 के अन्दर गिरफ्तार किया गया और उसी तरीके से राजनैतिक दबाव की वजह से फिर इस आदमी को रिहा कर दिया गया और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ सूरतगढ़ पुलिस स्टेशन में सन् 1972 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, 13–14 फोरेनर्स एक्ट का। श्रीमान्, उस केस के अन्दर भी एफ. आर. लगा दी गई। इसी तरह से 1962-63 में 24 हजार रुपये का एक पब्लिक फण्ड के एम्बेजलमेण्ट करने का इसी प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो कि राजनैतिक दबाव की वजह से, भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मंत्री के प्रभाव की वजह से सी. आई. डी. विभाग में तफतीश में तब्दील कर दिया गया और वह भी बिना

(श्री हरचन्द सिंह)

कोई कारण बताये। श्रीमान, उस मुकदमे को लम्बे अर्से तक लटकाये रखा और बिना किसी वजह के एफ. आर. लगा दी गयी। मैं नहीं कह सकता क्यों, श्रीमान् इस तरीके से आज 14 साल हो गये मुकदमे को लटकाते हुये। उसमें कोई कार्यवाही नहीं होना राजनैतिक भ्रष्टाचार की तारीफ में आता है। पुलिस विभाग को इस तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मैं पुलिस मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से जिन लोगों का संबंध भारतीय सुरक्षा से हो उनके केसेज में फौरन कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसे मुकदमों में मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्रीमान, इसी आपातकाल के दौरान भरतपुर जिले में एक भंवरसिंह टेलर मास्टर, जिसका संबंध सोशलिस्ट पार्टी से था। उसे वहां के एस. एच. ओ. ने मीसा का भय दिखाकर 10 हजार रुपये ले लिए। इमर्जेन्सी के उठने के बाद उस आदमी को तीन हजार रुपये वापस कर दिये। इस बाबत गृह मंत्री महोदय को लिखित आवेदन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पत्र दे दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार है। लोगों को आतंकित और भयभीत करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्रीमान्, इसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। धन्यवाद !

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह

(अनुपस्थित)

श्री कान सिंह

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगी देवी

श्रीमती नारंगी देवी (किशन गंज) : सभापति जी, पुलिस का नाम सुनते ही मन में वह तस्वीर अंकित होती है कि जिसका मुख बड़ा क्रूर और हृदय कठोर होता है। हाड़ोती अंचल के आदिवासी क्षेत्र किशनगंज और शाहबाद में पुलिस का दमन चक्र अभी भी अपने उसी विशाल कार्यक्रम से चल रहा है। गरीब आदिवासी लोगों को अब तक धनवान लोगों ने लूटा खसोटा। इमर्जेन्सी में उनको थोड़ी राहत मिली थी किन्तु अब यह पुलिस उनको लूट रही है और आतंकित कर रही है। अभी एक ही जमीन पर चार लोगों का केस चल रहा है और पुलिस उसमें अपना हिस्सा बांट रही है। लोगों को इतना भयंकर आतंकित कर रखा है कि लोगों से पुलिस पैसे भी ऐंठती है और डंडों की मार भी देती है। मैं यह निवेदन करूं कि पुलिस अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। उस समय पुलिस बनाई गई थी भारतीयों को दण्डित करने और भय दिखाने के लिए लेकिन कांग्रेसी सरकार के शासन ने इसको और बढ़ाया और इसको एक वोट लेने का माध्यम बनाया। पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेसी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। जनता का

(श्रीमती नारंगी देवी)

राज्य होने के कारण और हमारे गृह मंत्री की संजीवगी और भोलेपन को देखकर पुलिस पुनः निष्क्रिय हो गयी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोटा के उस जंगली इलाके में, जिसमें किशनगंज और शाहबाद का क्षेत्र है और जहां डाकुओं का क्षेत्र है, लोग बड़े भयभीत हो रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि कोटा के उस पिछड़े क्षेत्र में एस. एच. ओ. शाहबाद, किशनगंज और कलवाड़ा आदि क्षेत्रों में मनमानी करते हैं और लोगों को लूटते हैं। जब चाहे पैसों की मार लगा देते हैं और जब चाहे उनको सींखचों में बन्द कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि इन अत्याचारों को रोका जाये वरना जनता इससे बड़ी त्रस्त है। महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि इसी दो तीन महीने में जमीन के बंटवारे को लेकर एक परिवार में भयंकर दुर्घटना हुई और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। पुलिस को सूचना देने के उपरान्त भी पुलिस नहीं आई और आई भी तो 8 घन्टे बाद पुलिस वहां पहुंची। केस अभी भी है जो कि भलीभांति दर्ज नहीं हुआ।

और तो मैं क्या निवेदन करूं, दो तीन दिन पहले मेरे ही बन्द कमरे से चोरी हो गयी और मेरे गूदड़े और बरतन आदि चोरी कर लिए गए। कोटा शहर में बूढ़ी और जवान स्त्रियों का निकलना दूभर हो गया है। आये दिन उनके गलों से चेन निकाल ली जाती है। अभी पुलिस स्टेशन के सामने ही यह घटना घटी। पुलिस को खबर दी गयीं, गुण्डे व्यक्तियों से साइकिलें पकड़ी गयी लेकिन पुलिस ने उदासीनता दिखाई। मैं चाहती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दीगोद एक स्थान है जहां फेमिली प्लानिंग कैम्प लगा। उस कैम्प में आपरेशन करने के लिए एक व्यक्ति को इस तरह पकड़ कर लाया गया कि आपरेशन टेबल पर जब उसको सुलाया गया तो वह भय से त्रस्त हो गया। अपने पांव छुड़ाकर वह व्यक्ति वहां से भाग गया।

इसके अलावा कोटा में सैकिण्ड शो देख कर आने वाले दम्पति को पुलिस के लोगों ने पकड़ लिया। उस व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया गया और उसकी स्त्री के साथ बलात्कार करके और उसके साथ मारपीट करके चले गए। यह बड़ा जघन्य पाप है। इन पुलिस वालों से हमको राहत दिलायें।

मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे यहां कानसिंह कमीशन की नियुक्ति हुई है जो कि आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच करेगा। यदि यही आई. जी. पी. यहां रहते हैं जो कि आपातकाल में थे तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह तथ्यों की जानकारी सामने आने देंगे। इसलिए इनको इस स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए नहीं तो सही जांच नहीं हो पायेगी। मिस्टर गणेश सिंह जो हमारे आई. जी. पी. हैं जब तक उनको नहीं बदला जायेगा तब तक अत्याचार कम नहीं होंगे। अभी भी अत्याचारों से बाज नहीं आये हैं। महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि जब इमर्जेन्सी चालू हुई थी तब 26-6-75 को राजस्थान में जयपुर से एक आर्डर निकाला गया था—

"Preventive arrest only of bad characters be made immediately. Members of Political parties and students shall not be arrested."

(श्रीमती नारंगी देवी)

किन्तु श्री गणेश सिंह ने विद्यार्थियों को बड़ी बेरहमी से सींखचों में बन्द कर दिया। मीसा के अन्तर्गत ऐसे लोगों को केवल राज्य सरकार और जिलाधीश ही पकड़ सकता है। आई.जी. ने एस. पी. के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को यातनायें दी और जेलों में ठूंस दिया। महोदय, मैं चाहूंगी कि इन बातों की जांच की जाये और आई. जी. को हटा दिया जाये। गणेश सिंह जी सारे करप्शन की जड़ हैं इनको राजस्थान से हटा दिया जाये।

**श्री सभापति** : आॅर्डर प्लीज, आप इस तरह से पर्सनल आरोप न लगायें।

**श्रीमती नारंगीदेवी** : महोदय, पुलिस का मामला है। एक घटना सुनाती हूं किस प्रकार जघन्य अपराध हुआ है। मैं निवेदन करूं कि जवाहर सागर डैम पर राजेन्द्रसिंह, जूनियर इन्जीनियर ने सोती हुई अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल दिया। जब वह छत पर चढ़ने लगी तो जबरन उसको घर में बन्द कर दिया। तीन दिन तक घर में बन्दी रही, अस्पताल में बाद में ले जाया गया। आई. जी. पी····

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या।

**श्रीमती नारंगी देवी** : बहुत ही दुखद घटना है एक महिला के साथ एक ऐसा जघन्य अपराध किया है। सी.बी.आई. से जांच करवाई जावे। फिर भी नहीं सुनना चाहें तो निवेदन करना चाहूंगी..

**एक माननीय सदस्य** : जरूर सुनाइये।

**श्रीमती नारंगी देवी** : कान्स्टेबल के वेतन मान में परिवर्तन हो। 8 घन्टे के बाद इन्हें ओवर टाइम देना आवश्यक है। इनको कोई छुट्टी नहीं होती है अतः कैजुअल लीव जो 15 मिलती हैं वह एक महीने की मिलनी चाहिये। इनका वेतन बढ़ाना चाहिये। इनको स्पेशल पे बढ़ाई जाये। थाने में क्वार्टर्स होने चाहिये। फेमिली सेपरेशन अलाउंस दिया जाना चाहिये। मैस अलाउंस जो बहुत कम दिया जाता है। कम से कम 25 रुपया उनका बढ़ाया जाना चाहिये जिनको कि सुरक्षा की दृष्टि से हार्ड ड्यूटी होती है।

एक जेल सम्बन्धी सुझाव था। उन लोगों को राशन बहुत खराब दिया जाता है····

**श्री सभापति** : आपका इस बारे में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्रीमती नारंगी देवी** : जेल सम्बन्धी एक निवेदन करूंगी। वहां पर लोगों को हस्तकला सिखाई जा सकती है, खिलौने बनाना सिखाया जा सकता है। सेनीटरी और वेन्टीलेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। कपड़े इन लोगों को मौसम के अनुसार दिये जाने चाहिये। लोई की व्यवस्था भली भांति हो। अधिकारी वर्ग अमानवीय तरीके से व्यवहार करते हैं गाली-गलोच से बात करते हैं। जेल में लांग टर्म के कैदियों की अमानवीय पिटाई होती है उसको रोका जाना चाहिये। इनके मनोरंजन हेतु साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये। कोटा जैसी जेल में जो धार्मिक प्रवृत्तियां चलती थीं वह बन्द हैं। सेक्यूलर स्टेट का मतलब धर्म-विहीन नहीं होता है। महोदय, निवेदन है कि इन लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपना कर इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय श्री कुंजीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीलाल शंकर।

**श्री लालशंकर डेंडोर** ( सागवाड़ा ) : माननीय सभापति महोदय, जान माल की रक्षा हेतु पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता रहती है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये आम जनता का सहयोग आवश्यक है और इसके साथ पुलिस का सहयोग भी जरूरी है।

हमारे डूंगरपुर जिले की जेल के बारे में निवेदन करूंगा कि उसका भवन निर्माण ठीक नहीं है। वहां कैदी रखे जाते हैं इस ओर ध्यान देकर भवन निर्माण कराये जाने की जरूरत है और जहां भी भवन अधूरे हैं उनका निर्माण कार्य किया जाये।

तीसरा निवेदन है सन् 1973 में बाढ़ एवं राहत कार्य तहसील सागवाड़ा में चार लाख रुपये का घोटाला था जिसमें 17 मुलजिम पाये गये। 120, 409, 430 और 468 के मुकदमे दायर होने के बावजूद उन फाइलों को दबा दिया गया है। सरकार से अनुरोध है कि जो फाइलें दबी पड़ी हैं उन पर कड़ी नजर रखते हुये मुलजिमानों को गिरफ्तार ही नहीं किया जाये वरन यह चार लाख रुपये घोटाला है, निष्पक्ष जांच करके इसमें कार्यवाही करें और सी. बी. आई. से भी जांच करावें। यही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री शिव नारायण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नारायणसिंह।

**श्री नारायणसिंह** (डिग्गी) : सभापति महोदय, आज पुलिस की डिमाण्ड पर आरोप और प्रत्यारोप इस सदन के अन्दर खूब अच्छी तरह से सुनाये जा रहे हैं। मैंने भी गौर से सुने हैं।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान से गई और सरदार पटेल जब गृह मंत्री बने तो जो उन्होंने पहला कार्य किया वह यह था कि पुलिस को अपने कान्फीडेंस में लिया। उनको यह आभास नहीं होने दिया। कि हम तुम लोगों के खिलाफ हैं। जब कि अंग्रेजों के राज के समय अखबारों के अन्दर बड़े लम्बे चौड़े भाषण शाया होते थे, पुलिस की बहुत जबरदस्त आलोचना होती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स गये सरदार जी ने बड़ी अकलमन्दी से यह जान लिया कि हमको अगर राज चलाना है तो जो सरकारी अफसर हैं उनको हमें कान्फीडेंस में लेना पड़ेगा। उसने यह किया और आज उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है। उसने वह काम किया जब कि अगर कोई दूसरा गृह मंत्री होता तो हिन्दुस्तान के अन्दर हो सकता है कि ब्लड शेड हो जाता।

सभापति महोदय, मैं आज के तीन दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका और कई दूसरे अखबारों में जो बयान शाया हुए हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनके अन्दर हमारे वयोवृद्ध नेता श्री जे. पी. ने यह कहा है कि हम पुलिस को अपने विश्वास में लेकर जन सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सदन यह न समझे कि जो पुलिस के अन्दर खराब कर्मचारी हैं

(श्री नारायण सिंह)
या और कोई भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं उनकी कोई सेवा कर रहा हूं या मदद कर रहा हूं। मैं तो एक स्थिति की बात आपके सामने कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सरकार को चलाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम बिना सोचे समझे, बिना गहराई में जाये हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसका क्रिटिसिज्म इस सदन के अन्दर न करें। आज वह अधिकारी बोल नहीं सकता। यदि किसी भाई को या बहिन को किसी भी बात से अगर कोई कष्ट है, कोई शिकायत है तो पहले गृह मंत्री से या कंसर्निंग मिनिस्टर से उसके बारे में सारी जानकारी चाहें और फिर सदन के अन्दर अगर वह बात कही जाये तो मैं समझता हूं कि अति उत्तम होगा और शायद सरकार भी उसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन लेगी। सरकारी अफसर को कोई जानकारी नहीं हो और अचानक आज हम आरोप लगाने बैठेंगे तो एक डीमोरेलाइजेशन का असर होता है जो छा जायेगा और छा जाने का असर सरकार पर पड़ेगा और सरकार पर पड़ने के बाद हम लोगों पर, जनता के ऊपर असर पड़ेगा। मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

यहां पर उणियारा बाग के पास एक पैट्रोल पम्प है। जिस रोज विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ उस आंदोलन के दौरान उस पैट्रोल पम्प पर कुछ थोड़े से लोगों ने हमला किया। हमले के बारे में पुलिस वालों को कहा गया। पुलिस वाले न मालूम किन कारणों से देर से पहुंचे। जब तक पहुंचे तब तक उस पम्प का सफाया हो चुका था। उस बेचारे का दस, बारह, पन्द्रह हजार का नुकसान हो गया। यदि पुलिस वाले एक्शन करते हैं तो हमारे भाई यह कहते हैं कि उन्होंने ज्यादती की। एक्शन नहीं करते हैं तो जनता का नुकसान होता है। आप सोचिये और विचारिये कि हम लोग कहां जा रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं? यह बहुत विचारणीय विषय है। मैं श्री मथुरादासजी माथुर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों के अन्दर एक बहुत अच्छी बात सदन के सामने रखी। हमको मानस बदलना पड़ेगा। हमको यह देखना होगा कि पुलिस कर्मचारी अगर अपने काम के अन्दर ढील देता है, ढिलाई बरतता है तो उसका कारण क्या है? कारण उसकी तनख्वाह नहीं है, उसका कारण उसका रहन-सहन नहीं है, उसका कारण यह है कि वह यह देखता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं कुछ काम करूं, कुछ काम कर बैठूं और कल नौकरी से हाथ धो बैठूं। कौन-सी सच बात है और कौन-सी असत्य है, यह आप लोगों के जानकारी करने की बात है। एक भाई ने अभी कहा कि जे. पी. ने एक आवाज उठाई थी पुलिस और आर्मी के लिए कि झूठ चीज को तुम न मानो। लेकिन इसके लिए एक पुलिस का कर्मचारी सामने नहीं आता। इसका संशोधन जे. पी. ने अपने कितने ही भाषणों के अन्दर कर दिया। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि ड्यूटी इज ड्यूटी कर्त्तव्य-कर्त्तव्य है। जो सरकार राज्य में बैठी हुई है उसका हुक्म मानना सिपाही को और फौज को आवश्यक है। जिस दिन पुलिस और आर्मी फोर्स यह सोचने लग जायेगी कि सच तो

(श्री नारायण सिंह)

क्या है और झूंठ क्या है तो देश तबाह हो जायेगा। आप इस बात को भूलियेगा नहीं अगर. . .

एक माननीय सदस्य : यह कैसे हो जायेगा, यह भी समझा दें।

श्री नारायणसिंह : अगर कोई कमाण्डर हुक्म देता है, विदेशी सेनाओं के ऊपर हमला करो और फौज यह समझने लगे कि यह तो गलत चीज है तो देश तबाह हो जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिल्कुल नहीं।

श्री नारायणसिंह : मेरे हिसाब से सही है। बात आपकी समझ में आ जाय तब आप बोलियेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कौन-सी सत्य बात है, कौन-सी असत्य बात है। यह चीजें तो जो कमाण्डर होता है, जो सिपाही होता है, उस सिपाही के ऊपर हुक्म देने वाला होता है उसके ऊपर छोड़ दीजिये कि कौन-सी सच बात है और कौन-सी झूंठ बात है। कहीं दंगा हो गया, अगर सिपाही है, थानेदार है, डी. वाई. एस. पी. है, मजिस्ट्रेट है तो यह सब उसके ऊपर है। आपको उस पर यह काम छोड़ना पड़ेगा। अगर वह टीयर गैस छोड़ना उचित समझता है तो टीयर गैस का आर्डर देगा। अगर वह कहेगा कि यहां पर लाठीचार्ज होगा तो लाठीचार्ज होगा, अगर कोई भी भयंकर बात भी होनी होगी तो उसकी भयंकरता को समझ करके उस तरह का उसको इलाज करना पड़ेगा। आज हम यहां बैठ कर उस आदमी की अगर आलोचना करने लग जायेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। विद्रोह हो जाएगा और विद्रोह के अन्दर न मालूम कितनों के खून हो जायेंगे। जितने खून होने से बचा जा सकता है वह भी नहीं बच पायेगा। तो, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को, इस विवेक को जो वहां पर आन दी स्पॉट आदमी होता है अगर हम उस पर छोड़ दें, उसको अधिकार दे दें तो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत हम यहां आकर आलोचना और प्रत्यालोचना करें। लेकिन मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि जो अपनी ड्यूटी के अन्दर कोई कमजोरी लाता है, अगर उसका निर्वाह नहीं करता है तो उसको इसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए।

मैं अपने जिले के अन्दर जो सब डिविजन है, मालपुरा उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। टोडारायसिंह एक तहसील है इसमें एक नासिरदा नामक गांव है। उस गांव के अन्दर एक तेली का परिवार है। उस तेली के परिवार को धमकी भरा पत्र मिला। उसको कहा गया कि बीस हजार रुपये अमुक स्थान पर अमुक समय पर पहुँचा दो। वह चीज उस गरीब तेली ने पुलिस के पास पहुँचाई और उसके बाद, उस पत्र में यह भी लिखा था कि अगर यह धन अमुक स्थान पर अमुक समय पर नहीं पहुंचा तो इसका अन्जाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और उसको वह अन्जाम भुगतना पड़ा। उसका बीस साल का बच्चा था, उसको किडनेप किया गया और मार दिया गया, उसको कुए में फेंक दिया गया। मुझे बडे खेद के साथ कहना पड़ता है, माननीय सभापति महोदय, आज दिन तक उस मर्डर की कोई जांच नहीं हुई, वह मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं गया। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि ऐसी चीजों के लिए मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा और मैं ऐसे

(श्री नारायण सिंह)

आदमी की कभी सिफारिश नहीं करूंगा। गलत काम है, वह गलत है और जो सही है, वह सही है। मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां पर चर्चा हुई कि अत्याचार बढ़े हैं। वास्तव में कुछ घटनायें हुई हैं और घटनाओं के कारण चीजें आगे बढ़ी हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक डाक्टर की तरफ। उसका नाम है डाक्टर जे. पी. सेठी। उसके बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा गया और इस इंटेशन से मारा गया कि उसकी जान ले लें लेकिन भगवान ने बचा लिया। आज कुछ लोग जेल में मौजूद हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दूसरे जो जेली वहां होते हैं उनके साथ बर्ताव कुछ और है और इनके साथ बर्ताव कुछ और है। वह लोग बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों से मिलते हैं, षड्यंत्र रचा जाता है। आज जे. पी. सेठी के पास भी इस तरह के पत्र भेजे जा रहे हैं कि तुम कोर्ट के अन्दर पैरवी करना छोड़ दो वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इतना अच्छा डाक्टर है, वह तमाम लोगों को कह रहा है कि आप इन तमाम चीजों को देखियेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एन्सकॉडर, जो भयंकर कातिल था, आज तक पकड़ा नहीं गया। यह अवश्य ऐसी बात है जो कि पुलिस पर लांछन लाती है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए इस ओर और ध्यान देकर के कोई भी हो उसको पकड़ा जाय और जो बदमाश हैं, उनको जो जायज सजा मिलनी चाहिए, वह सजा दी जाय, मैं इसका हामी हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग यह सोचते हैं कि हम जेलों में जाकर आराम पाएंगे, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, वे बदमाश हैं और बदमाशों की तरह उनको ट्रीटमेन्ट दिया जाना चाहिए। उनके मानस को अवश्य बदला जाय। जितने भी मानस बदलने के लिये आप सराहनीय कार्य करेंगे, उनसे मेरी सहमति है। उनके मानस बदलने के लिये जो भी साइन्टिफिक तरीके हैं, उनको आप काम में लीजिये। जो बदमाश हैं, मर्डरर हैं, उनको आप सजा नहीं देंगे और हाथ जोड़ कर प्रणाम करके उनके साथ पेश आएंगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज को भुगतना पड़ेगा और देश को भुगतना पड़ेगा।

मैं जयपुर शहर के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर जो ट्रैफिक की हालत है, वह निन्दनीय है। यह दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। यहां पर काफी चर्चा हो चुकी है। ट्रैफिक की लाइट्स काम नहीं दे रही हैं। एक कान्स्टेबल जो इतना ट्रैफिक चलता है, उसको सम्भाल नहीं पाता है। यह विचारणीय विषय है। एक छोटे से काम के लिये आप कन्जूसी कर रहे हैं। इन लाइट को ठीक कराने की आप व्यवस्था कीजिए। भगदड़ मची रहती है। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको डर रहता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक ट्रक स्टेन्ड यहां पर बना हुआ है। लाखों रुपया उस पर खर्च किया गया है। एक आर्डर यहां पर निकला हुआ है कि शहर के अन्दर ट्रक न आवे, लेकिन न मालूम किन कारणों से जब मनाही है तो भी शहर में ट्रक आते हैं और एक्सीडेन्ट होते हैं। क्यों नहीं

(श्री नारायण सिंह)

पुलिस इनको रोकती है ? क्यों मेहरबानी करती है ? और क्यों इनको इजाजत दे देती है ? जब एक हुक्म है तो उसकी पालना होनी चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस हजारों रुपया खर्च करके अपने आदमियों को ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजती है और जब वह ट्रेनिंग लेकर वापस आते हैं तो उसको अमुक स्थान पर न लगा कर दूसरी जगह पर लगा देती है । क्यों नहीं उनसे उसी स्थान पर काम लिया जाता है ? डी वाई. एस. पी. ट्रेफिक के अन्दर स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आये। कुछ दिन तो काम करते हैं और फिर उनको दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। जिस काम के लिये वे ट्रेनिंग पाते हैं उनको उसी काम पर लगावें। हजारों रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद ऐसा न होगा तो आपका पैसा व्यर्थ में जायगा।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ट्रान्सफर की ज्यादा चर्चा यहां पर की गई है, और की जा रही है, और कही जा रही है । मिनिस्टर साहब को बदनाम करना चाहते हैं । ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कहीं पर एक साथी तो यह कहते हैं कि खराब आफिसर है, उनको बदला जावे। होम मिनिस्टर उनका ट्रान्सफर करते हैं तो आवाज उठाते हैं उनका ट्रान्सफर क्यों किया गया ? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय एक तरह का कानून बना दें कि कोई अधिकारी एक स्थान पर दो-तीन साल से ज्यादा न रहे। इतने अर्से के बाद अमुक आफिसर को वहां से जाना पड़ेगा । उसको मालूम हो जाएगा कि मेरा ट्रान्सफर होने वाला है तो उसको कोई शिकायत नहीं होगी, किसी विधायक को भी शिकायत नहीं होगी और न जनता को कोई शिकायत ही होगी। अमुक समय के अन्दर-अन्दर वहां से जाना पड़ेगा, इतनी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे तो प्रोमोशन नहीं होगा। इस कानून को बना दिया जाए तो गृह मंत्री महोदय को भी परेशानी नहीं होगी । कानून के अनुसार, नदी के बहाव के अनुसार यह काम चलता रहेगा और किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा । ये ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के अन्दर खराबी करती हैं। इसके लिए गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और जो ठीक हैं तो उन पर कार्यवाही करें। नहीं करेंगे तो कोई गिला नहीं है। मैं इतना ही कह कर, धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद ।

### सभापति तालिका

**श्री सभापति** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया गया है :-

मेजर श्री फतहसिंह

श्री रामनारायण चौधरी

श्री पुरुषोत्तम मंत्री

श्री दिग्विजयसिंह ।

**मांग संख्या 16, 17 व 18 पर अग्रेतर वाद–विवाद**

माननीय श्रीनरेन्द्र पाल सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल ।

**श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर)** : सभापति महोदय, दुःख भी होता है कि ऐसी चर्चा बार-बार करके क्या लाभ होगा ? हमारे गृह मंत्री जी और पुलिस के बड़े अफसर यहां पर बैठे हैं, इतनी शिकायतें भी यहां पर आई हैं फिर भी शासन को तनिक भी दुःख और शर्म नहीं है । इन शिकायतों को यहां पर रखने के बावजूद, जब सारे लोग दुखी हैं, इन पर विचार नहीं होता, किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की जाती है तो मैं समझता हूं कि इस शासन के अन्दर, इस व्यवस्था को रखने से क्या लाभ है ? भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए । हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं । हम यहां बैठ कर दुःख प्रकट कर के चले जाएं और उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो तो इस प्रकार की चर्चाएं कैसे कारगर होंगी ? शासन सुनता रहे, यह दुःख की बात है। क्या शासन इस बात को नहीं जानता, जनता के दुःख को नहीं जानता है ? आज भी जनता के शासन में जनता दुखी है, परेशान है । मैं नहीं समझता कि यह शासन है जिसके अन्तर्गत चोरियां पकड़ी नहीं जाती हैं, लोग लड़कियां उड़ा ले जाते हैं, लड़कियां बरामद नहीं होती, लोग पकड़े नहीं जाते हैं । कत्ल कर देते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता है ? तो आखिर इनका कर्तव्य क्या है ? यह मैं पूछना चाहता हूं । इस प्रकार शासन का इतना खर्चा होने के बाद भी काम नहीं होता है ? क्या आप बतावेंगे इनका क्या कर्तव्य है, क्या सेवाएं हैं ? इसके कारण को भी हम समझें । आज पुलिस से जनता को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है । आज एक लड़की को उड़ाए एक महीना हो गया, अभी तक पता नहीं चला । शर्म की बात है, इस प्रकार से जनता शासन के अन्दर हमारी माताओं और बहिनों को उड़ा कर ले जाते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है । पुष्कर में एक साधु की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा । वहां पर साधु लोग आए हुए हैं । जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं । कुछ प्रमुख कांग्रेसी लोगों का हाथ है । आज तक पुलिस उसमें हाथ नहीं डाल सकी है। इसी प्रकार ग्राम गंगवान में एक आदमी को पीटा गया । वह अस्पताल में भर्ती है । पिटने वाले पर मुकदमा चलाया जाता है और जो पीटने वाले हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है । पुलिस पर किसी प्रकार का राजनैतिक प्रभाव नहीं डाला गया है और न मैंने डाला है और न कोशिश की है । आज किस कारण से मेरे क्षेत्र में अन्याय हो रहा है ? पुलिस क्यों नहीं कार्य कर पाती है ? मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रशासन की इस बारे में निष्क्रियता है, जनता के शासन में अन्याय करने की मनोवृत्ति, आराम करने की मनोवृत्ति है शराब पीकर थाने में पड़े रहते हैं, थानों पर जाकर सो जाते हैं, यह सब जनता कब तक बर्दाश्त करेगी ? जनता कब तक अन्याय सहन करेगी ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार के महकमे को समाप्त कर देना चाहिए । आदमी शक्तिशाली होकर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लेगा । इस प्रकार के गंदे प्रशासन पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

जनता की सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े अधिकारियों को और पुलिस को यह लिखकर दे देना चाहिए कि हम प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार की स्थिति हमको पुलिस प्रशासन में देखने को मिल रही है उसमें क्या हम इस प्रकार के अधिकारियों की अपने मन्दिर में बैठाकर पूजा करें? इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार को रोक नहीं सकेंगे तो क्या होगा? लोग अपनी तकलीफें कह नहीं सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लोगों ने घरों पर हमला किया। एस. पी. महोदय के सामने जाकर कहा गया तो उन लोगों पर कार्यवाही की गई। उनके लिए यह डिक्शनरी बनानी पड़ेगी कि उनके कर्तव्य क्या हैं? उनके बारे में कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। इसका क्या कारण है? लोगों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है।

इसी प्रकार से जेल प्रशासन के बारे में कहना चाहूँगा। वहां कैदियों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। छोटे-छोटे सिपाहियों से घरों पर काम लेते हैं। कभी उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। उनको सात दिन में एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। 9 घण्टे की ड्यूटी देते हैं। दिन भर मे कहीं जा नहीं सकते हैं। गरीबों के साथ अन्याय किया जाता है। हम अपना कर्तव्य पालन करने की कोशिश करें। क्या छोटे से प्रशासन को हम ठीक नहीं कर सकते? मैं मीसा बन्दियों का उदाहरण दूंगा। एक गरम स्वेटर की 40 रुपये कीमत होगी, लेकिन उसका 140 रुपये का बिल दिया गया। इसी प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद किया जाता है। जनता टैक्सों का रुपया देती है। मीसा बन्दियों के लिए आदेश निकाला था कि उनको 30 रुपया भत्ता दिया जाएगा। वह आदेश दबाया गया। आदेश निकला, लेकिन वह भत्ता लोगों को क्यों नहीं तीन महीने तक दिया गया? इस प्रकार की बातें प्रशासन में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही चला तो यह प्रशासन डूबेगा। फिर तो भगवान ही मालिक होगा। इन निकम्मे अधिकारियों के द्वारा हम कभी न्याय नहीं कर सकेंगे। न अच्छा शासन ला सकेंगे, न आजादी की खुली हवा अनुभव करा सकेंगे। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो जेल समिति है, उसकी बैठक कभी बुलाई नहीं जाती है। जो यहां बैठे हैं, उनको चाहिए कि वह लोगों को राहत दिलायें। जिसने अपनी सजा भुगत ली है वह इस बैठक के प्रभाव से सजा भुगत रहता है। क्या आप चाहते हैं कि उसकी सजा और आगे चलाई जाये? मैं शासन से यह अनुरोध करूंगा कि यदि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता को संरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। देश की 60 करोड़ जनता है वह हम से उत्तर मांगेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघराज।

**श्री मेघराज (चूरू)** : सभापति महोदय, पिछले साल रतन नगर में एक नया थाना कायम किया गया है। उसमें इस तरह से गांवों को लिया गया कि थाने से गांवों की दूरी 31 मील से अधिक हो गयी है जब कि वह पहले 22 मील से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो नये ढंग से प्लानिंग की गई है उसमें वह दूरी कुल मिलाकर 30 मील से

(श्री मेघराज)

अधिक हो गई है। सरकार का एक थाना ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि गांव वालों को असुविधा पैदा हो गई है। इसलिए इस पर दुबारा विचार किया जाय जिससे लोगों को पुलिस की सेवा जल्दी और कम खर्च में उपलब्ध हो सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस कान्स्टेबल्स को पुलिस लाइन मेस अलाउन्स रु. 17/- माहवार मिलता है और थानों में 10/- रु. माहवार मिलता है जबकि एक ही ग्रेड के लोग हैं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बात क्यों है।

(8.27 सायं)

(श्री दिग्विजयसिंह, सभापति, पीठासीन)

रेल्वे पुलिस के लिए सारे राजस्थान को एक ही जिला माना जाता है और इसी लिहाज से ट्रांसफर किये जाते हैं। सिपाही का तबादला दूर-दूर कर दिया जाता है। जब सिपाही 10 दिन की छुट्टी जाता है तो पांच दिन तो आने जाने में खर्च हो जाते हैं और पांच दिन स्टे कर सकते हैं। सिपाही के तबादले के लिए एक डिवीजन को एक जिला मान लिया जाये तो सरकार पर ज्यादा खर्च नहीं आयेगा और छोटे-छोटे तनख्वाह वाले नौकरों को सुविधा मिलेगी।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है कि सवारों को 35 रु. भत्ता देते हैं ऊंट की कीमत ढाई हजार रुपये से कम नहीं लगती है। ऐसा कौन सवार होगा जो 35 रुपये के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर ऊंट खरीद कर लायेगा? नतीजा यह होता है कि कोई ऊंट नहीं रखता है और जो अफसरों के कृपापात्र होते हैं और उनके घरों पर काम करते हैं। वह झूठा ही 35 रु. का भत्ता उठा ले जाते हैं।

चौथा मेरा प्रस्ताव यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर को बहुत ही टिप टाप पोशाक आदि के मामले में रहना चाहिए, जिससे वह दूसरे इलाके की पुलिस के सामने डिमोरेलाइज न हो, मगर यहां तो एस. आई. को 45 रु. साल में वर्दी के नाम पर दिया जाता है। आज अगर वह कोई सूट खरीदने के लिए जाये तो वह खरीद नहीं सकता है। इसलिए उनको पूरा वर्दी का अलाउन्स दिया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मणिराम।

श्री मणिराम (तारानगर) : माननीय सभापति जी, बीमार आदमी को ही डाक्टर की आवश्यकता होती है। हृष्ट-पुष्ट आदमी डाक्टर की परवाह नहीं करता है। इसी प्रकार से गरीब आदमी को राज की जरूरत होती है। धनी आदमी को राज की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि गांव में बैठे हुए गरीब लोगों को सहायता करने में पुलिस बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पुलिस शहरों की रखवाली करती है और गांवों के लोगों को आपस में लड़ा झगड़ा कर पैसे ऐंठने में रहती है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। हमें बहुत खुशी है। मगर मैं यह समझ पाया हूं कि पुलिस में अभी तक उसी विचारधारा के लोग मौजूद हैं और उसी हिसाब से उनके तौर-तरीके हैं। बदली है

(श्री मणिराम)

तो सरकार बदली है, लेकिन उनके तौर-तरीकों में कोई फर्क नहीं आया है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देहाती इलाकों में आज जहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पर सड़कें बनाकर सवाई-ड्योढी रेवेन्यू हो सकती है, और पुलिस भी वहां पहुँच सकती है। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इससे महात्मा गांधी के राम राज का सपना साकार हो सकता है। पुलिस और रेवेन्यू अगर ये दोनों महकमे ठीक हो जायं, अपने तरीकों को, पुराने तरीकों को बदल दें, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देहात की जनता का और कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। वह कोई जमीन नहीं मांगते। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह थोड़ासा इन आफिसरों को समझा दें और उनको खींच दें जो गलतिया करते हैं तो यह समस्या दूर हो सकती है। समस्या यह है कि जिस भ्रष्टाचारी तरीके से पैसा ऐंठ कर के और आराम की खाने वाले जो आफिसर हैं उनको हटा दिया जाय और ईमानदार आफिसरों को लगाया जाय। आज ईमानदार आफिसरों की सुनवाई नहीं होती, इसलिए उनको मी मजबूर होकर ये भ्रष्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं।

राजस्थान मे संजय गांधी की विजिट हुई, बीकानेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। तीनों जगह उनका जो इन्तजाम हुआ मैं नहीं कह सकता कि इतना धन कहां से आया, क्या हुआ ? इतना बड़ा प्रबन्ध हुआ जैसा प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति का होना चाहिये। इस प्रकार से उनका प्रबन्ध हुआ। जयपुर के अन्दर चार डी. आई.जी., ग्यारह एस.पी.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

6 हजार के आस-पास पुलिस के जवान लगाये गये। इसी प्रकार से 38 किलोमीटर लम्बी बल्लियां लगाई गईं और हजारों गाड़ियां चलाई गईं। न जाने कितना पैट्रोल जल गया। तो कितनी धनराशि और कितने धन का दुरुपयोग हुआ होगा ? तो यह जो हुआ, इसका कौन जिम्मेदार था ? किसने किया ? क्या पुलिस ने अपने आप कर दिया या किसी की जिम्मेदारी थी ? यह कैसे हुआ ? मैं नहीं समझ सका। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी बना हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस विभाग में कौन हैं, वहां पर भी वही पुलिस के कर्मचारी रखे जाते हैं। साढ़े चार हजार के करीब सोफे आये और अन्य सामान भी आया तो सरकार का कोई ऐसा बजट है या वैसे ही आ गये ? अगर ऐसा कोई रास्ता है तो वह भ्रष्टाचार का है और कोई रास्ता नहीं है।

इसी विभाग के बड़े-बड़े आफिसरों के यहां कूलर वगैरह लगे हुए हैं और इधर जो सिपाही हैं उनके लिए बैठने को जगह नहीं। जो चारों घड़ी ड्यूटी पर रहता है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तरफ हमारी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो ऐश-आराम और ठाठ-बाठ से रहते हैं उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि इतना पैसा कहां से आया ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलालजी

(अनुपस्थित)

माननीय मेजर फतहसिंह जी।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : सभापति महोदय, मैं तोप बम अथवा हवाई जहाज से गिराये बम से नहीं घबराता लेकिन इस शासन की घंटी से घबराता हूं।

श्री सभापति : यह पद्धति आपके द्वारा ही चलायी हुई है। यह तो मैं आपसे ही सीख रहा हूं।

श्री इयोपत सिंह मकासर : आप भी तो यही करते थे।

मेजर श्री फतहसिंह : मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनन्दनारायण मुल्ला ने अपने एक निर्णय में कहा था पुलिस फोर्स के लिए—

It is very fish in the pond stinks

यहां तालाब की सारी मछलियों में बदबू आती है, लेकिन पुलिस प्रशासन यू.पी. गवर्नमेन्ट ने इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि :

It is not every fish in the pond that stinks.

उन्होंने कहा कि सारी पुलिस फोर्स को, सारे पुलिस प्रशासन को बदनाम करना उचित नहीं होगा। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा अवश्य करती रही है। इसी प्रकार हमारे पुलिस प्रशासन में, छोटे और बड़े अधिकारियों में यत्र तत्र भ्रष्ट अधिकारी हैं लेकिन उनकी वजह से आज सारी राजस्थान की जनता यह समझने लगी कि सारी पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन भ्रष्ट है तो इससे पुलिस फोर्स का, प्रशासन का मोरल गिरेगा और वह हमारे लिये कभी उचित नहीं होगा। हमको जो लोग भ्रष्ट हैं उनको सुधारना चाहिए, उनको दण्ड देना चाहिए और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको हमें इनाम भी देना चाहिए। इस तरह की योजना बनायी जाय।

मान्यवर, श्री उगमराजजी मेहता ने जो कटौती प्रस्ताव रखा था ब्यावर में सट्टे के बाबत, उस सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रस्ताव है। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना प्रस्ताव भी रखता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि ब्यावर में सट्टा चरम सीमा तक पहुंच गया है। यह सट्टा, मुझे जानकारी मिली है, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। मुझे किसी विश्वासपात्र व्यक्ति ने यह भी सूचना दी है कि अगर चाहें तो उन सट्टे वालों को ट्रैप भी कराया जा सकता है। लेकिन यह सट्टा क्यों नहीं बन्द होता है? I will call a spade a spade : सच कटु होता है मुझे सूचना मिली है कि पुलिस की इसमें मिलीभगत है। जिले के अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार, जिस जानकारी को मैं विश्वसनीय मानता हूं, उन जिला अधिकारियों को 5,000) रु. माहवार रिश्वत दी जाती है, और ब्यावर के पुलिस अधिकारियों को एक हजार रुपये की रिश्वत दी जाती है इन सट्टे वालों द्वारा और छोटे मोटों को भी उनकी हैसियत के हिसाब से मिलती है। हैड कान्सटेबल की कुछ

(मेजर श्री फतह सिंह)

होगी, सिपाहियों की कुछ होगी। अगर बिल्ली, जिसको रखवाली के लिए रखा जाता है, दूध पी जाएगी तो रखवाली कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी इस तरह के हैं, जिनका कर्त्तव्य सट्टे बन्द कराना है तो सट्टा कैसे बन्द होगा? सट्टे में ज्यादा नुकसान होता है गरीब लोगों का, वे ही मारे जाते हैं। इसलिए गृह मन्त्री आप कठोर कदम उठायें। मेरी जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने मुझे सूचना दी है अगर आप उनको टेप करवाना चाहें तो उसके लिए भी वह लोग तैयार हैं लेकिन आपको उनको संरक्षण देना होगा।

श्री उगमराज मेहता ने कोटड़ा के लोगों के साथ आपातकाल में हुई ज्यादतियों के बारे में जिक्र किया। वे मेरे प्रियजन हैं। मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। उगम राज मेहता को दो तीन महीने की जानकारी होगी, मेरा तो सारा जीवन ही वहां व्यतीत हुआ है। मैं उनका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने बजट की सामान्य चर्चा पर कहा था और अब भी दोहराना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान नसबन्दी की ज्यादतियों के मामलों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : केसेज वापस लिए या नहीं?

मेजर श्री फतहसिंह : वापस ले लिए, चुनाव की घोषणा के बाद में। 20-22 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, 5-6 औरतें थीं। उसके बाद में लोगों को आतंकित किया और डराया गया कि तुम अगर रिश्वत नहीं दोगे तो तुमको भी जेल में बन्द किया जाएगा। उनसे करीब 30-40 हजार रुपए रिश्वत के वसूल किये गए। गरीब आदमियों ने जेल से बचने के लिये 30-40 हजार रुपये की रिश्वत दी। यह सही है मुझे डेफीनेट जानकारी है कि जवाजा पुलिस स्टेशन के हैड कान्सटेबल बंसीलाल ने ज्यादतियां कीं. .

श्री सभापति : नाम का असर है।

मेजर श्री फतहसिंह : ज्यादतियां करने में वह सारा रुपया उसने खाया या नहीं? ऊपर जरूर गया होगा। बंसीलाल को हैड कान्सटेबल से ए. एस. आई. बनाया गया। इस तरह पुलिस अधिकारियों ने जनता को लूटा। खैर, इसकी भी आप जानकारी करें।

अब मैं असली कटौती प्रस्ताव पर आता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उनको सजा मिलनी चाहिए। वह 70 साल की अंधी औरत, छोटे छोटे बच्चे अजमेर में हमारे साथ 6 महीने रहे।

मेजर श्री फतहसिंह : 70 वर्ष की विधवा मेरी हवलदार राका सिंह की पत्नी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे साथ काम किया, उस विधवा से शासन को भय हो गया। उसको मीसा में गिरफ्तार किया गया। खैर।

मैंने बजट पर सामान्य चर्चा पर जिक्र किया लेकिन चूंकि प्रशासन उस संबंध में कार्यवाही करने में निष्क्रिय रहा इसलिए इस चर्चा को वापस दोहराना है। मैंने कहा था 4 जून 1977 को एडवर्ड मिल ब्यावर के जनरल मैनेजर के आदेश से 20 किलो रुई

(मेजर श्री फतह सिंह)

मुंसिफ मजिस्ट्रेट के लिए बाहर जाने के लिए निकलती है। इनवॉयस नं. 14 था। उसकी कीमत 114.52 थी। मैनेजर के आदेश से मिल के खर्च खाते वह एडजस्ट होती है। फिर बाहर जाती है, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। मैं गृह मंत्री को पेश करूंगा। कोई चीज मिल से बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि आउट पास न हो। आउट पास बना 7-6-77 को, उसमें लिखा है- जनरल मैनेजर के आदेश से मिल एकाउंट पर यह बाहर जा रही है। एक बोरी रुई थी 20 किलोग्राम।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने पहले ही कहा था कि आपकी घंटी से घबराता हूं।

श्री सभापति : मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं।

मेजर श्री फतह सिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर आ रहा हूं।

क्लर्क ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को लिखा :

"Respected Sir, Receive and return alongwith signatures."

मजिस्ट्रेट ने लिखा रिसीव्ड काटन। उसने दस्तखत किये 7-6-77 को।

एक माननीय सदस्य : नाम बतायें।

मेजर श्री फतहसिंह : दस्तखत मैं नहीं पहचानता, शार्ट में है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे श्री माहर। इस घटना की जानकारी 23 जुलाई, 1977 को ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य श्री उगम राज मेहता ने हमारे गृह मंत्री को लिखित रूप में दी। गृह मंत्री ने अजमेर एस. पी. के नाम इस पर आदेश लिख दिए कि इन्क्वायरी करें। अजमेर के एस. पी. ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति से जांच करायें। इन्क्वायरी नहीं करवाई...

श्री श्योपतसिंह मकासर : हाई कोर्ट को भेजनी चाहिए। पुलिस में क्यों?

मेजर श्री फतहसिंह : हाई कोर्ट वाली बात अलग है। लेकिन मिल में भ्रष्टाचार होता है उसका दायित्व तो प्रशासन पर है। फिर विधायक गृह मंत्री से बाद में मिलते हैं और दरखास्त देते हैं और कहते हैं कि एस. पी. कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो आपने दुबारा डी. आई. जी. सी. आई. डी. को आदेश दिया, श्री बंसल को कि उसकी वह जांच करायें। तो फिर इन्सपेक्टर श्री चड्ढा 9, 10 अगस्त को ब्यावर जाता है और उन लोगों का आतिथ्य स्वीकार करता है जिनके खिलाफ इन्क्वायरी होने वाली है। वहां पर क्वालिटी किस्म की शराब का इस्तेमाल होता है और दावतों में जो होता है सब कुछ वहां होता है। सब बातें हुई। 17 अगस्त को मैं सचिवालय गया। मेघवालजी के कार्यालय में बैठा हुआ था, वहां फोटोस्टेट कापी मेरे पास थी। उस समय सी. आई. डी. आफिसर व्यास आया जो शायद मेघवालजी के साथ अतिथि रूप में ठहरे हुए थे। मैंने जब इस समस्या का जिक्र किया तो उन्होंने इन्सपेक्टर सी. आई. डी. को बुलाया। उसने कहा कि 24-25 अगस्त को इन्क्वायरी करने के लिए ब्यावर में वह आएगा। वह अभी तक नहीं आया।

(मेजर श्री फतह सिंह)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें कठोर कदम उठायें। जब मैं इन सारी घटनाओं पर विचार करता हूं तो मुख्य मंत्री की घोषणा का स्मरण हो आता है जो महाभारत की घटना की याद दिलाती है। कौरव व पांडवों की दोनों तरफ की सेनायें खड़ी थीं, अर्जुन युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से। तो कृष्ण उनको समझाते हैं, कि हे अर्जुन, "जो कार्य करता श्रेष्ठ जन, करते वही हैं और भी, उनके प्रमाणित पंथ पर ही, पैर धरते हैं सभी"।

लांग फेलो ने कहा है:–

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us,
Footprints on the sands of time."

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

सभापति महोदय, आपकी घन्टी बज चुकी है। अब मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि सदन के और माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हमारे गृह मंत्रीजी बहुत ही भले और देवता पुरुष हैं, एक सज्जन पुरुष हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मन्त्रीजी भ्रष्टाचार को मिटाने जा रहे हैं राजस्थान से, तो आपको इसके लिए दृढ़ बनना पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ नहीं बनेंगे तब तक मैं नहीं समझता हूं कि आप भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकेंगे। अगर आप, गृह मंत्री जी, राजस्थान में भ्रष्टाचार को मिटाने में सफल हो गये तो आने वाली पीढ़ी इस बात के लिये आपको याद करेगी कि जनता पार्टी के पहले मुख्य मन्त्रीजी ने और जनता पार्टी के पहले गृह मन्त्रीजी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाये। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको हम सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में कठोर कदम उठायें। आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले मैंने उठाये हैं उनके लिये आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। सभापति महोदय, यह सवाल सिर्फ 20 किलो रुई का ही नहीं है, लेकिन आज जो लक्ष्मी मिल है और एडवर्ड मिल है उसमें इस तरह से लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है तथा साथ ही वहाँ पर इस प्रकार से तेजी से भाई-भतीजावाद पनप रहा है कि उसके कारण उन मिलों में घाटा हो रहा है वरना मिलों में घाटे की स्थिति होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए एक बार अन्त में मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका सरकार कठोर कदम उठाकर समाप्त करे। बस, धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मूण्डवा) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की पुलिस भी हमारे देश के दूसरे सूबों की पुलिस की भांति ही है। लेकिन हमारी पुलिस का गठन जो हुआ था वह हमारी देशी रियासतों के समूहीकरण के बाद हुआ। इस हालत में हमारी पुलिस जो थी वह निस्सन्देह हमारे देश के दूसरे प्रान्तों की पुलिस से पिछड़ी हुई थी और आज भी पिछड़ी हुई है। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की पुलिस का विकास हुआ है वह हमारे देश के आजादी के बाद हुआ है। सन् 1947 के बाद जो व्यवस्था में सुधार हुआ है उसी से विकास हुआ है। आज पुलिस का, सभापति महोदय, एक काम है आप हुक्म दो और वह उस हुक्म की पालना करती है। आप हुक्म दें वह उसका एग्जीक्यूशन करती है। आपका जितना कठोर हुक्म होता है उसी अनुपात में पुलिस को काम करना पड़ता है। कठोर हुक्म आपका उनको कई बार दुविधाजनक स्थिति में डाल देता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे गृह मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक अच्छे चिन्तनशील विचारक, स्वयं की अच्छी आईडियोलाजी को मानने वाले तथा साथ में ही फिलॉसफी और इतिहास के अच्छे ज्ञाता हैं। जैसी कि माननीय गृह मन्त्रीजी ने समय-समय पर यहां सदन में यह घोषणा की कि वह अपने पुलिस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं भी विश्वास करके चलता हूं कि आप आमूल-चूल परिवर्तन तो जरूर करेंगे। जैसा कि आपने कहा अभी तक तो आपने दूसरा आमूल-चूल परिवर्तन किया नहीं है सिवाय इसके कि आपने स्थानान्तरण सभी के कर दिये हैं। सभापति महोदय, इसके सिवाय कोई नया आमूल-चूल परिवर्तन तो हमारे सामने आज तक नहीं आया कि आपने स्थानान्तरण के सिवाय कुछ भी किया हो। यह सही है, सभापति महोदय, पुलिस को आप और ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पुलिस और अधिक सूचारु रूप से काम करना चाहिये तो आपको हमारे पुलिस विभाग को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। जब तक आप पुलिस में वैज्ञानिक तरीकों से सुधार नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि आप पुलिस में कोई सुधार कर सकते हैं। क्राइम्स डिटेक्शन के आज भी हमारे राजस्थान में पुलिस के वही पुराने तौर तरीके हैं जो काम में लिये जा रहे हैं। इसमें वही मारपीट किया जाना चालू है उससे हमारी पुलिस की बदनामी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है, और गृह मन्त्रीजी को यह मेरा सुझाव है कि आप अपने विभाग के पुराने तौर तरीकों को बदलिये और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाइये। जहां सभापति महोदय, हमारे यहां पर पुलिस विभाग को वैज्ञानिक तरीकों की उपलब्धि कराने की कमी रही वहां मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक देश में शासन को चलाने के लिये प्रशासन में दो बातों की ओर विशेष ध्यान देना होता है, एक तो मिलिटरी की तरफ ताकि बाहरी खतरा नहीं हो, उसके लिये तो हमने काफी तैयारी कर ली, उसके बाद-साथ हमारे यहां मिलिटरी के जो जवान हैं जो अधिकारी हैं उसको हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक तरफ कई फैसीलिटीज

(श्री राम नारायण चौधरी)

दी हैं, अच्छी तनख्वाह, अच्छे प्रमोशन और दूसरी सुविधायें दी हैं, उसी तरह दूसरी तरफ हमारी प्रान्तीय सरकारों ने भी उन सैनिकों की ओर विशेष ध्यान दिया है लेकिन हमारी आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था का भार जिनके कन्धों पर है वह पुलिस विभाग है उसके लिये अभी तक कोई विशेष बात नहीं की गयी है। पुलिस विभाग में वही पुराना ढर्रा है। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उससे ठीक 10 रुपये ज्यादा हमारे पुलिस के सिपाही को मिलता है जब कि हमारा पुलिस का सिपाही 24 घन्टे ड्यूटी अन्जाम देता है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे उजाला हो, चाहे अंधेरा हो वह अपनी ड्यूटी अन्जाम देता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमारे कान्सटेबल्स के बच्चों की शिक्षा के लिये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है और न ही कोई दूसरी उनके बच्चों के लिये व्यवस्था ही है। आज उन बेचारों के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेन्ट नहीं होता है। मैं समझता हूं शायद ही कोई पुलिस के सिपाही ने आज तक मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेन्ट कराया हो। पहले तो वह मेडिकल के बिल के रिएम्बर्समेन्ट की अर्जी देते नहीं हैं अगर अस्पताल में कोई पर्ची बनवा लेते हैं तो भी मेडिकल बिल देते नहीं और अगर दे देते हैं तो उनके मेडिकल बिल पास नहीं किये जाते हैं समय पर। इससे पुलिस कर्मचारी बहुत परेशान हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर गृह मंत्रीजी पुलिस विभाग का, जैसा कि उन्होंने कहा है, सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस के कर्मचारियों में सुधार लाने के लिये उनके इमोल्युमेन्ट्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप उनके वेतनमानों में और दूसरी फैसीलिटीज में वृद्धि नहीं करेंगे, वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं अपनायेंगे तो मैं समझता हूं आप कभी भी पुलिस विभाग में परिवर्तन नहीं कर पायेंगे और यह आपकी बातें सारी उपदेश मात्र ही सिद्ध होंगी। इसलिये इमोल्युमेन्ट्स में सुधार करना होगा, वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाने होंगे।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक आई. जी. पी. साहब के बारे में बातचीत की। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आई. जी. पी. का बदलाव होना चाहिये तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सवाल आई. जी. पी. के बदलने का है कोई भी व्यक्ति जन्म भर तो आई. जी. पी. रह नहीं सकता। आई. जी. पी. तो आते रहे हैं और जाते रहे हैं, और जाते रहेंगे। सभापति महोदय, वैसे मैं कोई आई. जी. पी. महोदय का पक्ष नहीं ले रहा हूं लेकिन अगर आप आई. जी. पी., जो कि हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट होता है, की बुराई करें और मिनिस्टर के सामने आलोचना करें तो यह कहां तक उचित है? एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट जो कि काफी जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और ऐसा आफीसर जिसकी इन्टेग्रिटी बियोन्ड डाउट है, की आनेस्टी

(श्री रामनारायण चौधरी)

सन्देह में ऊपर है, उसके लिये इस प्रकार की बातें करना कहां तक उचित है? यह तो उनको डीमोरेलाइज करना है, यह कहां तक उचित है? इसके अलावा, मान्यवर, यहां पर हमने सुना कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने थानों का इन्सपेक्शन किया। यह अच्छा किया आपने। इससे लोगों को काफी डर बैठ सकता है चाहे आप कोई एक्शन नहीं लें लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी थाने में जाकर इन्सपेक्शन करने के लिये एक बार भी रोजनामचे को चैक कर लेंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों में, उनके काम करने के ढंग में। मैं तो, सभापति महोदय, यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से इन्सपेक्शन्स करें। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आप तरक्की दीजिये।

इसके अलावा थोड़ा मैं जेलों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वर्तमान में हमारे जेल मंत्री जी हैं यह समाजवादी विचारधारा के हैं और जेलों में सुधार लाने के लिये काफी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वक्तव्य दिया था, जिससे पता चलता है कि यह जेलों में काफी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो पहले कठिनाई आयेगी। आप चिन्ता मत कीजिये। आपने दूध की सप्लाई के बारे में कहा। आप व्यवस्था नहीं कर पाये होंगे। इसमें आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। पर जेलों के लिये क्या हो सकता है? आप इसमें कमजोरी महसूस नहीं करें। यह तो काम करने की जब बात होती है तो दिक्कतें आती ही हैं। आप अपने विचारों पर जमे रहें। जो आपके अच्छे विचार तब्दीली जेलों के अन्दर करने के लिये हैं उनके लिये तो मैं आपको मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता। मैं विज्ञापन के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि विज्ञापन एडवर्टाइजमेन्ट की नीति में परिवर्तन किया जाय। उस परिवर्तन में इस प्रकार का तरीका अपनाया जाना चाहिये कि किसी अखबार निकालने वाले को, किसी पत्रकार को अहसास न हो इस बात का कि अमुक के साथ रियायत की जा रही है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा तरीका निकाला जाय कि उनके पब्लिकेशन के हिसाब से, और तरीके से उनको विज्ञापन बराबर मिलते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, जैसी कि हाउस की स्थिति है उसको देखते हुए मैं एक प्रस्ताव लाने की इजाजत चाहता हूं कि डिबेट को यहीं पर रोक दिया जाय। तीन-तीन मिनिस्टरों को रिप्लाई देना है। यहां पर गरम पानी भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। इसलिये डिबेट को यहीं रोक कर मंत्री महोदय से जवाब दिला दिया जाय। रोज 12 बजे तक बैठते-बैठते हम थक चुके हैं।

श्री सभापति : सदन की जैसी भावना हो।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, माननीय ढाबरियाजी से कहूंगा कि आप लोग ही डिबेट में इतना समय ले लेते हैं कि दूसरों के लिए समय ही नहीं बच पाता। परेशानी आपको हमको सब को जरूर है। इतना टाइम आपको नहीं लेना चाहिए जिससे कि हम अपने मोशन्स के पेश करने से भी वंचित हो जावें। आप ही इस पर विचार कर लीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, आपने यहां पर व्यवस्था के लिए कह दिया था। इतने आदमियों की यहां पर भीड़ रहती है। इतने सदस्य यहां रहते हैं और फिर भी कोई व्यवस्था न हो यह शोभा की बात नहीं है। बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है।

श्री नूरा : व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, सदन में पुलिस डिपार्टमेंट और सूचना और प्रचार के सम्बन्ध में काफी देर से, माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी दायित्व और ड्यूटी यदि किसी विभाग की है तो वह पुलिस विभाग की है। अगर हमें राज्य का कोई कार्य संचालित करवाना है, व्यवस्था का प्रश्न हो या बड़ी से बड़ी कोई बात हो उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है और उसकी इमदाद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग को दी गयी बहुत ज्यादा कानूनी शक्तियों के तो खिलाफ हूं लेकिन पुलिस विभाग में अफसरान अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि कानून को नाफिज करने के लिये हमारा फर्ज और अधिकारियों की बनिस्पत ज्यादा है। यदि इस ओर पुलिस ने ध्यान दिया तो निश्चय ही इसमें बड़ी तब्दीली आयेगी। कभी भी कोई बड़ी बात पैदा हो सकती है। उस समय पुलिस अपना फर्ज अन्जाम दे तो निश्चय ही उसमें परिवर्तन का द्योतक होगा।

सभापति महोदय, मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। मेरे इलाके में पुलिस चौकी तो खोल दी लेकिन इमारत नहीं है। उसकी व्यवस्था के लिये खास तौर से अर्ज करता हूं।

मैं पुलिस विभाग के अन्दर यह भी चाहता हूं कि हर जिले में कुत्ता युनिट हो ताकि चोरियां पकड़ी जा सकें। इस माध्यम से काफी कामयाबी हुई है। जिस प्रकार से वायर लैस सेट्स से मदद मिलती रहती है उसी प्रकार कुत्ता यूनिट हर जिले में रखने से काफी पुलिस को जुर्म बरामद करने में सहूलियत होगी।

पुलिस विभाग में जो इन्टेलीजेन्स है उसके तरीके में बदलाव लाना होगा। इन्टेलीजेन्स विभाग हर जिले में हो। खास तौर से तवज्जाह दिलाना चाहता हूं कि कुछ जागरूकता न होने के कारण कई प्रकार की बातें पैदा हो जाती हैं, सारी ताजीरात हिन्द की धारायें उसमें खत्म हो जाती हैं, ऐसी वारदातें हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि

(श्री अब्दुल अजीज)

कोई ऐसा वाकया पैदा हो उससे पहले ही इन्टेलीजेन्स को सतर्क हो जाना चाहिये। सरकार की नॉलेज में उसको ला दिया जाय जिससे कि उस स्थिति का सरकार मुकाबला करने के लिये हर तरह से तैयार रहे। इसके लिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुलिस विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं यह भी कहता हूं कि पुलिस के बहुत बड़े विभागीय अफसरान की गलती रहती है। कई मुकद्दमे मारपीट के होते हैं। झूठे मुकद्दमे भी दर्ज हो जाते हैं। होता क्या है, मालदार आदमी किसी बात में उलझ जाता है उसमें पुलिस का अहम फर्ज होता है। गरीब लोगों की हैसियत नहीं होती, उनको पुलिस इमदाद दे। यदि अफसरान फर्ज निभायेंगे तो पुलिस के प्रति जनता की सहानुभूति होगी। यह आपका जो नारा है कि पुलिस सेवा के लिये है यह सार्थक होगा।

पुलिस विभाग में ट्रेनिंग के लिये जो बोर्ड बनाया जाता है, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के प्रमोशन की बात बतायी कि बोर्ड में मैरिट पर आने के बाद ट्रेनिंग के लिये जाता है। ट्रेनिंग के बाद फिर बोर्ड के समक्ष जाना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद फिर फेल कर दिया जाता है। उस आदमी की जितनी योग्यता होती है, मैरिट में नहीं है तो क्यों ट्रेनिंग में जाता है? बोर्ड ने मैरिट में ले लिया और ट्रेनिंग में भेज दिया तो समझा जाना चाहिये कि तमाम क्वालिफिकेशन पास कर लीं और प्रमोशन के काबिल समझ लेना चाहिये। यह विभागीय जानकारी मेरे सामने आयी तो आपके विभाग की बात को सदन में रखा। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

इसी प्रकार मेरे इलाके में, सभापति महोदय, चंडलिया गांव में मारपीट हुई। उस मारपीट की जानकारी मंत्री महोदय को हमने पहुंचायी है। अब तक यह केस चालान नहीं हो सका है इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। 13 जून को घटने वाली घटना का आज तक कोई हल नहीं निकलता है, तो जनता की भावना पुलिस विभाग के प्रति क्या बनती है और जनता सरकार के प्रति क्या बनती है? जिनको पीटा गया, उनके लिये लोगों के दिल में एक वातावरण बन गया। इस ओर पुलिस विभाग और सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता जो पावर में होता है उसकी हैसियत होती है। उनकी बात लॉ होती है। सरकारी व्यक्ति, हर आदमी उनका ध्यान रखता है। उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं कि मंत्री महोदय किस बात से खुश होते हैं। सब यह देखते हैं कि किस बात में प्लीज होते हैं और किस बात में डिस्प्लीज होते हैं। किस कौम को फायदा पहुँचता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। संजीदा तरीके से इन्तजाम करना है तो पुलिस अधिकारियों को तमाम बातों से दूर रहना होगा। और हम विरोध में बैठे हैं इसलिए यह आपसे अर्ज कर रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि बढ बढ़ कर यह बातें कहीं गयीं कि हर जगह रिश्वत खायी जाती है। पुलिस डिपार्टमेन्ट को बदनाम किया जाता है। यह सुन रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात कतई नहीं है। किन्हीं लोगों के बारे में एक राय कायम कर ले तो यह बिल्कुल गलत बात है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(श्री अब्दुल अजीज)

हमें हमारे आफिसर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उनके लिखे हुए पर एतबार करते हुए उनके कार्य संचालन में राजनैतिक बाधा नहीं डालनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सूचना और प्रचार विभाग की कि मकराना में जो संगमरमर की यूनिटें हैं। सूचना और प्रचार का जो नागौर में आफिसर है वह मकराना में कम आता है न मजदूरों के बारे में और आर्थिक असन्तुलन बढ़ता जाता है उसके बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देता है। वहां पर इटालियन मशीनें हैं और हमारी इन्डीजीनस मशीनें हैं उसके कारण वहां पर आर्थिक असमानता आ रही है। उसके कारण में खतरा हो रहा है। सरकार को उसके बारे में सूचना देनी चाहिए जो कि आज तक उसने नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** (अनुपस्थित)

**श्री बंशीलाल सारस्वत।**

**श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, अभी प्रश्नोत्तर काल के दौरान मैंने एक अहम प्रश्न राजस्थान केनाल के सिलसिले में पेश किया था और उस संबंध में मैंने यह निवेदन किया था कि क्या कारण है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में सीमेन्ट अन्य क्षेत्रों के बजाय परमिट में जो रेट है उससे कम कीमत में मिलती हैं? क्या कारण है कि वहां पर पेट्रोल साधारण कीमत से या बाजार कीमत से कम रेट पर मिलता है? क्या कारण है कि डीजल भी बाजार रेट से कम कीमत पर मिलता है? तो जो अफसरान का तैयार किया हुआ उत्तर मिला वह यह था कि हमें तो ऐसी कोई सूचना और ऐसी कोई इन्फार्मेशन नहीं है कि जिससे कह सकें कि कम कीमत पर यह चीजें मिलती हैं। तो इन प्रश्नों से यदि हम आंख मूंद लें और आत्म सन्तोष कर लें तो बात दूसरी है, मगर यह चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। आज महा निरीक्षक राजस्थान पुलिस अपनी छाती पर हाथ रखकर यह अहसास नहीं कर सकते और न कह सकते हैं कि पूर्ण तया प्रशासन में ईमानदारी है, सच्चाई है और इस सीमा तक है कि उनकी सच्चरित्रता पर सन्देह से परे है। क्या एडीशनल महा-निरीक्षक (भ्रष्टाचार) यह कह सकते हैं कि कहीं कोई गडबडी नहीं हैं? गलतियां तो हैं और हालात तो ऐसे हैं कि चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो और चाहे कोई अन्य विभाग हो या स्वयं पुलिस विभाग हो, गडबड़ियां हैं। स्थिति सामान्यतया ऐसी नहीं है कि जिससे गौरव के साथ कह सकें कि राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। मगर साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह कोई आज की चीज नहीं है। विरासत में मिलती है। विगत में जो हालात रहे हैं उनको कुछ हद तक हमें भूलना पड़ेगा और वास्तव में देखना पड़ेगा कि कैसी भूमिका हम प्रारम्भ कर रहे हैं, कैसे हालात हम तैयार कर रहे हैं। जिस मुस्तैदी के साथ में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और गृह मंत्रीजी ने यह उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लिया है और भविष्य में एक अच्छे सुन्दर सुस्वप्न को साकार रूप देने की कोशिश की है यह सारा एप्रीसियेट करने

(श्री वंशीलाल सारस्वत)

की बात है। इसमें किस सीमा तक सफल होते हैं यह बात देखनी है। तो जहां तक सवाल है कि सांप दूसरे को खाता है लेकिन सांप भी कभी कभी सांप को निगल जाता है, यह बात यद्यपि कम मानी गयी है, इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस का प्रहार और पुलिस का आक्रमण केवल अन्य व्यक्तियों पर ही नहीं है, मगर स्वयं के उनके खुद के थानेदार, और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी हुआ है। इस चीज को नहीं भूल जाना चाहिए। सम्पूर्णतया इस बात को कोई नहीं कह सकता कि सब-इन्सपेक्टर के सलेक्शन के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं कई बार बोर्ड बना है रिश्वत की बात कोई कह दे लेकिन प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है कि किस ने किस को दिया, कितना दिया यह हम नहीं कह सकते लेकिन सामान्यतया हर व्यक्ति जो इस सदन में बैठा है और हर माननीय सदस्य इस सदन में है वह भली प्रकार इस बात से परिचित है कि एक बार नहीं अनेकों बार सब-इन्सपेक्टर के पद के लिए पांच हजार, दस हजार, तीन हजार और पांच हजार जो भी राशि है वह दी गयी है और काफी बार दी गयी है। यह तो मैं निवेदन करूंगा। प्रारम्भ में जहां सलेक्शन इस आधार पर होता है, कई बार सलेक्शन ईमानदारी से भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ईमानदारी से सलेक्शन नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति भी हुई है। तो सब-इन्पैक्टर के प्रारम्भ में सलेक्शन इस आधार पर है और राशि देकर और रिश्वत देकर जो सलेक्शन में आते हैं तो सामान्यतया वह किस प्रकार से ईमानदार रह सकते हैं? यह आप सोचें। इतनी राशि देकर जब सलेक्शन हुआ है इसलिए वह सोचता है कि कुछ न कुछ करना चाहिए। इस तरह से उनका जीवन प्रारम्भ होता है।

जब सिनियोरिटी का सवाल आता है तो चाटुकारिता के आधार पर और इस आधार पर कि कौन कितना नजदीक है सलेक्शन होते हैं। बाकी मेरिट पर बहुत कम बार सलेक्शन होते हैं। कितने ही पोलसन लगा कर और कितने ही चतुरता और मुस्तैदी के साथ अपना प्रमोशन करा लेते हैं, यह अवसर देखा जाता है। तो यह ईमानदारी और मेरिट के आधार पर हो और वरिष्ठ अधिकारी कभी कहीं भी चले जायें वह न तो अपने से नीचे अधिकारियों के यहां भोजन करें और न उनके यहां पर किसी प्रकार का एन्टरटेनमेन्ट लें। इस सीमा तक पहुंच जायें, तो यह विभाग में सुधार करने में और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में सुधार करने में सहायक होगा।

दूसरे, मैं निवेदन कर रहा था कि अभी जैसलमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बारे में चर्चा की कि पुलिस की तीनों विंग को अलग अलग कर देना चाहिए। बजट पर जनरल चर्चा के समय भी मैंने निवेदन किया था और पुनः मैं निवेदन करूंगा कि अलग अलग रूप से इन शाखाओं का काम करना आवश्यक नहीं है। अगर यह हुआ तो ईमानदार आफिसर इन्वेस्टीगेशन में लिये जाने चाहिए। जिनके विरुद्ध शिकायत हैं वे अन्यत्र रखे जावें। पीस एंड आर्डर से सम्बन्धित हों वहां रखते हों, आर.ए सी. में ट्रांसफरेबल हों। मगर जहां तक इन्वेस्टीगेशन का सवाल है जो ईमानदार है और

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

जिनका संदिग्ध जीवन नहीं है उनको ज्यादातर इस क्षेत्र में कार्य दिया जाना चाहिये । इसी से बहुत कुछ कन्ट्रोल हो सकता है। अब तक यह प्रश्न आया कि इन्जीनियर्स और दूसरे अधिकारियों की भी काफी शिकायतें है । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गृह मंत्री के अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका काम रक्षा करना है और वह अपना कर्तव्य पालन पूरा करते हैं । दूसरे अधिकारियों में और पुलिस अधिकारियों में अन्तर है । सुरक्षा का अधिकार अन्य को नहीं है। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि पैसों की गड़बड़ इन्जीनियर या और अधिकारी तो हमेशा राजकीय कोष में करते हैं और राजकोष से जाने में सीधा जनता का सम्बन्ध नहीं है । पुलिस द्वारा जनता से सीधा पैसा लेने पर सीधी शिकायत आती है । इसलिये निवेदन करूं कि काफी अन्तर है । विशेषतः सुरक्षा के अधिकारी होने से उन पर बड़ा दायित्व है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी एक बात और कह रहा था । एक भ्रष्टाचार निरोधक महकमा है वह काफी महत्व का है ।

**श्री सभापति** : भ्रष्टाचार पर तो चर्चा कर दी आपने ।

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : भ्रष्टाचार निरोधक के लिये निवेदन करता हूं । परिपाटी यह रही है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी का एक विशेष प्रावधान रखा गया है। 302 का मुकदमा हुआ, 395 का मुकदमा हुआ, तुरन्त दर्ज हो जाता है मगर जहां तक भ्रष्टाचार का किसी के खिलाफ मुकदमा है यह क्या प्रिविलेज्ड आफिसरों को लाभ देने के लिये है । मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या भूमिका है । मगर मैं यह कहूं कि इसी के आधार पर लोग समझते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में हम निकल जायेंगे। यह खतम कर दिया जाना चाहिये । तत्काल रिपोर्ट मिले कि मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मैं इस संबंध में एक मिनट और लूंगा ।

**श्री सभापति** : दस मिनट ले लिये । एक मिनट और फर्मा दीजिये ।

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि एस.एच.ओ. हमारे जो निरीक्षक महोदय हैं, इनके अधिकार केवल मात्र के हैं । मैं यह चाहता हूं कि इनके अधिकार सीमित न रहें । एस. एच. ओ. के अधिकार मात्र सीमित होने से मुकदमा हर क्षेत्र में दर्ज नहीं होता है । जोधपुर, बीकानेर में दर्ज नहीं होता । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मुकदमे दर्ज करने का अधिकार डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट को या डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि तत्काल कार्यवाही हो सके और जो समय खराब होता है वह समय खराब न हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपा करके विराजिये।

माननीय श्री सुखलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शीश राम ओला।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री आलम अली।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : माननीय श्री सभापति जी, मैं लम्बी-चौड़ी बातां नीं केकर दो एक बातां कैणों चाहूंला। अबार ताईं नाम ले ले कर लम्बी-चौड़ी बातां कैता रया क्योंकि जद सौ में से निन्याणवें बातों में भ्रष्टाचार की बातां कै रया है तो मैं वां में नहीं कह कर दूसरी दो एक बातों कहूंला। आज ज्यां ज्यां और जिका जिका टाईम सूं जो भी बातां कही जा रही हैं वह अगर खुद आपका दिल टटोल कर देख लेवें, यानी हर इन्सान आपरा दिल पर काबू कर लो और ऊंने आपरा दिल पर काबू करणो पड़सी और जठां ताईं आपरा दिल पर काबू नहीं होसी तठां ताईं दूसरां पे कंट्रोल कोन हो सके। मैं दूसरां ने बुरो कहणे के पेली आपरा मन ने टटोलूं कि खुद तो बुरो नहीं हूं। माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ पहले की जिकी सरकार है वी सरकार आपका दिल ने टटोलें कि वा किस्या काम करती ही और यां सरकार ने भी आगाहे करणो चाहूं कि आपका दिल पर कंन्ट्रोल करे कि खुद कांई कर रयी है। म्हारा दिल पर कण्ट्रोल होणेसूं दूसरा पर कण्ट्रोल स्वतः ही हो वो चलयो जासी। भ्रष्टाचार की जिकी बातां कई है वा कोई एक जगह की बात नहीं है। एक विभाग में नहीं है, एक आदमी में नहीं है। माननीय सभापति जी इन्कम में कितरो घोटालो है, ईको कोई नाम ही कोनी, क्यूं कि वे बड़ा आदमी है। वहुत बड़ा वड़ा आदमी जी तरीका सूं वे काम करे, कोई माननीय सदस्य आज तक कोई बात कोनी करी।

श्री सभापति : आप अपनी सरकार की बात करें।

श्री आलम अली : आपणी सरकार और वा सरकार ही है। सरकार में कोई फरक कोनी। छोटी हो या बड़ी हो।

श्री सभापति : या राज्य सरकार है वा बड़ी सरकार है।

श्री आलमअली : माननीय सभापति जी, ई वास्ते याने केता केता लोग थाक ग्या भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। ई के अलावा दूसरी कोई बात कोनी। मैं तो एक ही बात केणो चाहूं कि जितरा भी लोग है वह खुद पेली आपणो मन मजबूत करे और जठा ताईं खुद नहीं करेगा तठा ताईं भ्रष्टाचार कदै नहीं मिटसी। ई में कोई कतई फर्क कोनी। पहली वाला लोग चलया गया और अब का भी लोग चला जायेगा। माननीय सभापति जी, जित्ता भी केस और मुकदमा है, वामें बड़ा वडा लोग पक्ष लेर पक्षपात करे तो अफसर और दूसरा जिका आदमी है, एक जगह नहीं सब जगह यो ही हाल है। अदालत ले लो, हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट सगला में आही बात है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(श्री आलम अली)
ई वास्ते सगलां ने आपको दिल मजबूत करणो पड़ेगो। और आप देखो वियां, ई बगत का होम मिनिस्टर साहब ने, यानि आपने सही बात बताऊं कि आपको जो रवैयो है बी रवैय्यो से प्रेरणा लेणी चाहीजे। पब्लिक सूं की ढंग सूं मिले, गरीब आदमी सूं कीं ढंग से मिले। वामें कोई मतभेद नहीं है और आप की देखा देखी थोड़ा दिनां में ये अफसर भी ढ़ीला होता नजर आवेगा। मैं या ही बात कह कर बैठूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रामसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनाराम !

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति जी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग के ऊपर आरोप लगाये, परन्तु मेरी ऐसी मान्यता है कि पुलिस विभाग एक बहुत जिम्मेदार विभाग है, और यह जो पुलिस विभाग पर आरोप लगाये यह बिल्कुल तथ्य हीन हैं। मैं तो उस सरकार को दोषी मानता हूं जिसके शासनकाल में गलत काम होता है। हां, कई नौकर भी भ्रष्ट होते हैं, परन्तु सब विभाग को भ्रष्ट कहना गलत है। पुलिस में भी कई अच्छे, ईमानदार व्यक्ति भी हैं।

पुलिस विभाग में आज सारा काम, तबादलों का काम सरकार द्वारा होता है, यह मैं गलत मानता हूं। डी वाई. एस. पी. थानेदार के तबादले का काम आप पुलिस विभाग के जिम्मे कर दीजिये ताकि राज नेताओं का प्रभाव थानेदार पर नहीं रहे

**श्री टीकम चन्द कांत** (जालोर) : आपको देर से अक्ल आई है।

**श्री रतनाराम चौधरी**: पुलिस विभाग में जब आप सिपाहियों को नौकरी देते हैं, तो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि जमीनहीन लोग अपना पालन पोषण कर सकें।

इसके अलावा पुलिस विभाग के अन्दर कुछ थानों में ऊंट सवार होते हैं। इन ऊंटों को हटाकर आप वहां पर जीप दे दीजिये, तो मैं कहता हूं कि पुलिस के क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं जहां चोरी डकैती होती है वहां समय पर पहुंच सकें और मुकद्मों की अच्छी तरह समय पर तफतीश हो सकेगी और समय पर व्यवस्था हो सकेगी। नहीं तो क्या होता है कि मुकद्मा दर्ज करने के लिये कोई व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम उसे जीप लाने को कहा जाता है, क्योंकि बिना जीप के थानेदार तफतीश के लिये नहीं जाता है। इसलिये हर प्रार्थी को जीप का इन्तजाम करना पड़ता है। इसलिये आप ऊंटों की व्यवस्था हटाकर के जीप का इन्तजाम कर दीजिये। पुलिस का एक जिम्मेदार विभाग है, आज जब छोटे छोटे विभागों के पास जीप हैं, तो पुलिस के पास जीप न होना उचित नहीं है। गुजरात में हर पुलिस थाने पर जीप है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रानीवाड़ा थाने के अन्तर्गत ग्राम करड़ा के पास आपडी गांव है, वहां पर 4–5 महीने पहले एक माली का कत्ल हुआ····

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपका कटौती प्रस्ताव····

श्री रतनाराम : उसका अभी तक केस नहीं खुला है।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री रतना राम : मंत्री महोदय, आप थानेदार को आदेश दे दें। जल्दी ही तफतीश करके केस को खुलवाया जाये।

जेल सुधार के लिये चूंकि आज जेल के विषय पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं जेल मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि आप जेल सुधार के काम में प्रयत्नशील हैं। मुझे बड़ी खुशी है। मुझे यही कहना है कि जो गुजरात के अन्दर जेलों के कैदियों को छुट्टियां मिलती हैं, इसी तरह से अपने यहां पर भी कैदियों को साल भर में दो छुट्टियां दी जायं तो कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। कैदी अपने बच्चों को सम्भाल सके। छुट्टियां बरसात होने के वक्त दें ताकि घर पर आकर खेती कर सकें।

पुलिस विभाग में थानेदार से लगा कर सिपाही तक जो तनख्वाह दी जाती है वह कम है। तनख्वाह बढ़ाई जाये, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तनख्वाह कम मिलती है तो कुछ न कुछ झूटे सच्चे काम कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंह !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराज जायं।

माननीय श्री रामप्रसाद लढ्ढा !

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (मांडल) : माननीय सभापति जी, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से आता है। गत तीस सालों के अन्दर देश में भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता जिस ढंग से बढ़ी है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शेखावतजी ने भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें कही हैं। जहां उन्होंने ऊपर से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही है वहां हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम विधायक मिलकर नीचे के क्षेत्र से भी किसी प्रकार से भी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। मगर कहने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसलिए, सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से जनता सरकार को सुझाव दूंगा सबसे पहले कि पुलिस विभाग में चोरियों के बहुत बड़े मामले चलते हैं, एक तरफ पुलिस विभाग के लोग चोरों से मिले रहते हैं और दूसरी तरफ फरियादी पुलिस स्टेशन पर जाकर फरियाद करता है तो उसकी फरियाद की सुनवाई नहीं होती है। चोरियां पकड़ने के लिए कुत्ते लगाये जायं चाहे वे कितने ही महंगे पड़े। चोर कहीं पर भी चले जायं कुत्ते उनको पकड़ लायेंगे। कुत्तों पर खर्चा तो बहुत होगा लेकिन कुत्तों के कारण चोरी का पता लगाया जा सकेगा।

दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुलिस स्टेशन पर जो केसेज आते हैं उनकी जल्दी से जल्दी जांच करके, सर्वेक्षण होकर जो स्थानीय लेवल पर केस हैं उनका निपटारा दो महीने के भीतर हो जाना चाहिए जिससे केसेज लम्बे नहीं चलें।

साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एस. पी. जो

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

जिला लेवल पर हैं वह विधायक के साथ कम से कम एक बार विधान सभा क्षेत्र में टूर करें। जहां पर भी जायें, एक क्षेत्र के अन्दर पांच छः जगहों पर जावें तो उनके साथ विधायक रहें। वे अपनी ओपन कोर्ट लगायें तो हाथों हाथ फैसला हो और निडरता से लोग पुलिस वालों के खिलाफ अपनी बात कह सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि विधायकों के साथ एस. पी. दौरा करें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जहां पुलिस के ऊपर के अधिकारी हैं वहां नीचे के अधिकारियों में भी संतोष होना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1974 के अन्दर सी. आई. डी. ब्रांच के अन्दर पुलिस विभाग का पुनर्गठन कर 142 स्थान कायम किये गये जिनमें से 60 भरे और 82 स्थान अभी भी खाली हैं। इससे पुलिस वालों में बहुत असंतोष है। उनको भी प्रमोशन दिया जाय। इसी प्रकार से 1966-67 के अन्दर प्रमोशन के लिए परीक्षा की व्यवस्था थी। उस परीक्षा के बाद इण्टरव्यू होता था, ट्रेनिंग होती थी और उसमें जो पास हो जाता था उसको प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन जो फेल हो जाते थे ट्रेनिंग में उनको वापस ट्रेनिंग दी जाती थी, इंटरव्यू होता था, परीक्षा होती थी। इसी तरह से अब भी जो परीक्षा में फेल हो जायं उनको दुबारा ट्रेनिंग का मौका दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि पुलिस स्टेशन पर केस होते हैं, गांव के मुलजिमों को बुला कर तसल्ली कर ली जावे और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जावे। इससे हाथों हाथ फैसला हो जावेगा।

सभापति महोदय, गत तीस वर्षों में पुलिस के कई बड़े आफिसरों ने प्रापर्टी बनायी है, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई आयोग न बिठावें। इसी विधान सभा के पांच सदस्यों की एक कमेटी बना दी जावे जो इनकी प्रापर्टी की जांच करे। ताकि आने वाले अधिकारी गड़बड़ न करें।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब से जनता सरकार बनी है, तब से मेरे विधान सभा क्षेत्र में चोरियों का तांता तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमने इस सम्बन्ध में एस. एच. ओ., माण्डल और करेड़ा को चोरियों को दबाने के लिए कहा। परन्तु उन्होंने कहा वे कुछ भी नहीं कर सकते। किस प्रकार चोरियों की जांच करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, करेडा के अन्दर, भीलवाड़ा के अन्दर अभी तीस हजार रुपयों की चोरी हो गई है। इस मामले की जांच हो। वहां पर एस. एच. ओ. बैठा हुआ है। किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चोरियों की जांच हो ताकि जनता के अन्दर जो असन्तोष फैल रहा है, वह मिटे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

सभापति महोदय, अभी 5–6 साल पहले मांडल के लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल भाट की हत्या की गई थी। जांच हुई थी। कांग्रेस शासन ने इस हत्या के राज पर पर्दा डाल दिया। यह पांच–छः साल पुराना केस है। उसकी मां मुझे मिली थी। वह उसका इकलौता लड़का था। उसकी हत्या कर दी गई। वह कहने लगी, जनता पार्टी के विधायक हो, इन्साफ मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी पांच-छः साल पहले मांडल में लक्ष्मीलाल भाट की जो हत्या हुई है, उसकी खुली जांच की जाए और जिसने हत्या की है, उसको सजा दी जाए।

श्री सभापति : आप विराजिए।

वैसे आपके 18 कटौती प्रस्ताव थे। पहले आपको आवश्यक कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहिए था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कुछ सुझाव दूंगा।

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। भीलवाड़ा जेल के अन्दर जब हम थे तो बीमार हो गये थे। वहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको क्यों नहीं सजा दी गई? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच हो। उदयपुर में लम्बी सजा हुई थी। वहां पर हमने कपड़े मांगे थे तो अधीक्षक महोदय और तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने साफ इन्कार कर दिया। कांग्रेस यह कहती थी कि जो डी. आई.आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए उनको सब सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दूसरी तरफ हम को कपड़े नहीं दिए गए। कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही हो।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

जो छोटे छोटे समाचार-पत्र हैं, उनको विज्ञापन दिए जाएं जिसके कारण वे समाचार-पत्र पनप सकें।

जो हत्याएं हुई हैं उनकी भी जांच कराई जाए।

श्री सभापति : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, यह जो भ्रष्टाचार का मामला पुलिस की मांग के सम्बन्ध में चल रहा है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि सारे आफिसर ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके सहारे चलते हैं। जो पूंजीपति हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, वे अपने पैसे के बलबूते पर चाहे गलत काम भी करें वे अपने को बचाने के लिए अधिकारियों को भ्रष्ट करके वे अपना काम निकालते हैं। वे लोग पैसा खर्च कर के आसानी से कानूनी तर्क से अपने हितों की हिफाजत कर लेते हैं और मजदूर, किसान, छोटे तबके के लोग हैं उनको थाने में दरख्वास्त के लिए भी बुलाते हैं तो वे किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को साथ लेकर जाते हैं या फिर वकील को लेकर जाते हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग है वह थाने में जाने से डरता है। उसके इस डर का जो गलत

(श्री नूरा)

और भ्रष्ट लोग हैं, वे फायदा उठाते हैं। वे उनका शोषण करते हैं।

जहां तक हरिजन आदि का सवाल है, यहां पर एक हरिजन तम्बू लगा कर बैठा है। उसकी औरत का कत्ल कर दिया गया। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उसमें से चार को छोड़ दिया गया। ये चार आदमी उस हरिजन को तंग कर रहे हैं। वह यहां पर आकर के बैठा है। कल मन्त्री महोदय से उसको मिलाया। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जैसी चाहे इन्क्वायरी करा दूंगा। उसने यह भी कहा कि उससे 800/– रुपए ले लिये गये। वह परेशान है। उसको आश्वासन दिया गया है। लेकिन इतना ही आश्वासन कोई जिले का पुलिस अधिकारी उसको दे देता, थानेदार दे देता, तो वह इस परेशानी से बच जाता। यहां आकर तम्बू लगाने की नौबत नहीं आती। मंत्री महोदय से आश्वासन दिलाते हैं। आज आफिसर लालच में फंसे हुए हैं। एक हरिजन की औरत की हत्या कर दी गई। मारने वालों को छोड़ दिया गया। केस को बिगाड़ने के लिए वे उसे परेशान करते हैं। अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि काफी टाइम से वह यहां पर बैठा हुआ है। उसको मरने से बचाना चाहिये। वह यहां पर धरना देकर बैठा है। अब मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है। आशा है, उस हरिजन की रक्षा की जायेगी और मारने वालों को सजा दी जायेगी। पुलिस का इस्तेमाल जो शोषण करने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा किया जाय। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले में सतर्कता बरतेंगे। इन लोगों को कन्ट्रोल करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। इस डिपार्टमेंट में नहीं हर जगह आज आफिसर काम करते हुये डरते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वे सत्ता के साथ चलते हैं। पहले कांग्रेस के साथ थे। ज्यों ही कांग्रेस सरकार बदली ये पैसे वाले लोग जनता पार्टी के साथ जुड़ गये। वे जनता पार्टी के किसी न किसी नेता के साथ जुड़ गये। वे अपना धन्धा चलाते हैं और नेताओं का उपयोग अपने धंधे की पूर्ति के लिए करते हैं, कोई राजनैतिक कार्य के लिये नहीं। वे ऐसा अपना पैसा बढ़ाने के लिए करते हैं। वे आफिसर उनसे डरते हैं। वे उनके धंधे में हाथ नहीं डालते हैं। वे जानते हैं कि जैसे ही हाथ डाला वे तबादला करा देंगे या सस्पेन्ड करा देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत आदमियों की सिफारिश करते हैं वे मंत्री महोदय तक भी पहुंच रखते हैं। कई आफिसर भय के कारण इनसे डरते हैं। मंत्री महोदय अलग से अपनी शाखा कायम करें और तबादले की कोई रिपोर्ट आवे तो उसकी जांच करावें। जो सिफारिश कराने वाले लोग हैं, वे नीचे के विभाग में भी जाते हैं। उसको क्या परेशानी होती है, इसका भी पता लगाया जाये तो कोई सुधार की बात होगी। जिस तरह ये पैसे वाले खेल खेलते हैं, आज उसी तरह चल रहा है। इसमें गरीब लोगों को मदद की जरूरत है। गरीब आज भी परेशान है और पहले भी परेशान था।

साथ ही मैं एक अर्ज और करूंगा कि यह राजनैतिक कार्यकर्ता जिसमें नक्सलवादी लोग भी हैं, आज भी ऐसे लोगों को, शासन करने वालों से न्याय मिल जाता है, समाज की सेवा करने वाले लोगों को वह नहीं

(श्री नूरा)

मिलता है। डूंगरपुर जेल में 5 नक्सलवादी बन्द हैं। जो गरीब किसानों को मदद पहुंचाने के लिये उनकी मदद करते हैं, उनके लिये रात दिन एक करते हैं वे किसानों की मदद करने के मामलों में जेल में डाले जाते हैं। उनके पकड़ने का कोई नतीजा नहीं निकलता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप जैसे सज्जन आदमी के साथ अन्याय हुआ है ऐसे आदमियों के लिये आप अपने भाषण में कहें। उनके मामले में आप घोषणा करें और उनके मामले में आप न्याय दिलायें। साथ ही पैसे वाले लोगों के साथ में सख्ती की जानी चाहिये। गरीबी भी अन्याय की देन है। मजदूर पेट के लिए मांगता है लेकिन पैसे वाला हर प्रकार का काला पीला धन्धा अपनाता है।

अखबारों के मामले में मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रचार प्रसार किया जाये। समाचार पत्रों में गांवों के लोगों को भी खेती और पशुपालन के सम्बन्ध में बताया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रचार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जेल के मामले में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जेल मंत्री महोदय, वहां होकर आये हैं। जेल मैंने भी देखी है। छोटी छोटी कोठरियों में बैठे वहां रात को लैट्रीन की जरूरत पड़े तो कोठरी में ही जाना होगा। आप यह भुगत कर आये होंगे। आपको जानकारी है। उनका सुधार होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में वह खुद सुधार की बात सोचते होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा अर्ज करना यह है कि भूपतियों पर ज्यादा नजर रखी जाये। ये ज्यादा जुल्म करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और लूंगा।

भीलवाड़ा में जागीरदार ने जमीन छीन ली। वहां पर एक प्यारसीदेवी नाम की महिला, जो अपने जानवरों को लेकर जा रही थी, को भादू नाम के आदमी ने मारा। उसे इतना मारा कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जो इस प्रकार का हमला करते हैं...

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

ऐसे आदमियों के खिलाफ पुलिस और गृह विभाग सख्ती से कदम उठाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।

श्री सभापति: माननीय श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार): मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में आपातकाल 25 जून, 1975 को लागू हुआ था।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य । आप अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें तो अच्छा हो । क्योंकि समय कम है ।

**श्री गुलमोहम्मद** : 7 मार्च, 1967 को जौहरी बाजार में गोलीकाण्ड हुआ ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में काम हो जाना चाहिए ।

**श्री गुलमोहम्मद** : सभापति महोदय, बेरी आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है । उसकी सिफारिश के अनुसार जो लोग दोषी पाये गये, तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया जी और उनके अतिरिक्त जो लोग दोषी पाये गये, माननीय मन्त्री महोदय, उनको गिरफ्तार करने की मैं आशा करता हूं ।

**श्री सभापति** : आपने कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है ?

**श्री गुल मोहम्मद** : जी हां । उसके 812 पेज पर यह सिफारिश की गई है

"Those who have admittedly fired in Johari Bazar on the 7th March, 1967, should be punished according to law'

यह उसमें कहा गया है ।

**श्री सभापति** : किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं कहा है ।

**श्री गुल मोहम्मद** : अगर आप रिपोर्ट की पूरी डिटेल पढ जायेंगे तो पता चलेगा कि दोषी कौन था । आज उसको लागू नहीं करने की वजह क्या है ? उसको लागू करने की मांग माननीय श्री सतीशचन्द्र जी और माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत व माननीय गृह मंत्री जी आपने स्वयं ने भी की थी । मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह बेरी आयोग की सिफारिशों को लागू करायें । जनता सरकार तत्कालीन तानाशाह मुख्य मंत्री सुखाड़िया तथा दोषी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेलों के सींखचों में बन्द करे ।

(विराम)

इसके अलावा मैं चन्द समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जवाहर नगर कालोनी में गये दिनों में 45 चोरियां हुई हैं । आप ताज्जुब करेंगे कि चोर चोरी करने जाते हैं और 10 नम्बर का सिगरेट का पैकेट छोड़ कर जाते हैं । वह गेंग बजाज नगर और गान्धी नगर व जनता कालोनी में भी चोरियां करता है पर आज तक नहीं पकड़ा गया । यह किस प्रकार का पुलिस डिपार्टमेन्ट है ? क्या पुलिस नपुंसक है ? चोरियों को बरामद नहीं कर सकती है । डी.आई.जी. और एस. पी. साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं । नहीं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार बनाया जाये । जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लायी जाती है, उन लोगों पर कार्यवाही हो । संजय के एक मित्र भूतपूर्व विधायक ने पुलिस में 10-10 हजार रुपया लेकर जयपुर के थानों पर लोगों का अपाइन्टमेण्ट कराया । यह मामला कांग्रेस सरकार के वक्त का है । यह कांग्रेसी नेताओं और पुलिस का षड्यन्त्र है जो जनता पार्टी को बदनाम कराना चाहते हैं ।

(10.00 रात्रि)

(श्री रामसिंह चौधरी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(श्री गुलमोहम्मद)

जब हम यहां आकर बैठे हैं तो हमें उसूल पर रहना चाहिए हमें उनको सजा देनी चाहिए। जो कांग्रेसी ब्लैक मार्केटियर थे उनके इशारों पर जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है जो उनके विरुद्ध संघर्ष करते हैं दूसरी ओर युवक कांग्रेस और संजय के चेलों की भूख हड़ताल पर पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिये जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संजय गांधी के चोटी के साथी रहे हैं, वह एस.पी. के पास जाते हैं तो एस.पी. साहब उनको सी-ऑफ करने के लिए नीचे जाते हैं। उनको सी-ऑफ करके फिर ऊपर आते हैं। ऐसा आदमी क्या काम कर सकता है? यह प्रूफ है। यह माननीय मन्त्री महोदय से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि ऐसे षड्यन्त्रकारी आदमी को तुरन्त हटा देना चाहिये नहीं तो हम कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। बहुत काफी दिक्कत और परेशानी पैदा होगी। इसी तरह से हमारे जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनको पीटा गया, उनकी आदर्शनगर थाने में पिटाई हुई। यह माननीय मन्त्री महोदय को भी मालूम है। आज भी कांग्रेस दल के कुछ सदस्य ब्लैक मार्केटियर हैं वे वही विचारधारा और धारणा लेकर बैठे हुए हैं, पुलिस उनकी मदद करती है। सरकार के लिए यह बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी-अभी कुछ समय पूर्व जयपुर के अन्दर दिन-दहाड़े बैंक में डाका डाला गया, यह एक अनहोनी बात है, क्या पुलिस एस.पी. नपुंसक हो

(10.00 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चुके हैं। इनको हटाया जावे। यह बताना चाहता हूं कि जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको तुरन्त बन्द किया जाये।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, नपुंसक शब्द हटा दिया जाय, तो अच्छा रहेगा। यह उनके करेक्टर पर अच्छी छाप नहीं है।

**श्री गुल मोहम्मद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य नहीं कर सकते उनके लिये और क्या शब्द काम में लिया जाय।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : किसी भी हालत में, किसी भी विभाग के किसी व्यक्ति के खिलाफ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। नपुंसक शब्द आया है, मैं उसका प्रयोग उचित नहीं समझता। इसको रिकार्ड से एक्सपन्ज कर दिया जाय।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : यह असंसदीय नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : आप तो लोहिया जी के बड़े भक्त बने फिरते हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : अकर्मण्य लोगों के लिए और कौन से शब्द का प्रयोग होना चाहिये।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : अकर्मण्य शब्द ठीक है।

**श्री गुलमोहम्मद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि थानेदारों की जिस समय नियुक्ति की जाय तो उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाये। आज उनके पास कई मकान हैं, कई कारें हैं, कई ट्रक हैं, कई ट्रेक्टर हैं। कहां से इतना पैसा आ गया ? यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ? इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि थानेदारों की नियुक्ति करते समय उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाय और बाद में ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनकी सम्पत्ति बढ़ती है तो उस पर कब्जा किया जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी तरह से जयपुर में आठ साल से एक ही आदमी को डी. आई. ओ. लगाया हुआ है। दूसरी तरफ हीदा की मोरी पर एक पुलिस चौकी थी उसको वहां से हटाकर सूरजपोल गेट के पास ले गये। जहां पर उसकी जरूरत है वहां तो उसको रख नहीं सकते और जहां पर कोई आबादी नहीं है वहां पर रखते हैं। उस जगह पर क्यों ? जिस जगह पर झगड़े फसाद होते हैं वहां पर क्यों नहीं ? इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

## सदन की अवमानना

### श्री माधवलाल वर्मा द्वारा सदन की अवमानना

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्यों को एक आवश्यक सूचना देनी है—

"माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज अपरान्ह 3.30 बजे जब सदन में पुलिस एवं अन्य मांगों पर विचार हो रहा था तो दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति जो अपना नाम गोपाल लाल वर्मा पुत्र श्री माधव लाल वर्मा बताता है, ने नारे लगाये जो इस प्रकार थे—

"लाटरी चालू करो"

दूसरा नारा—

"बेरोजगारी दूर करो"

श्री गोपाल लाल वर्मा को तुरन्त ही वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। मैंने श्री गोपाललाल वर्मा को अपने कक्ष में बुलाकर आवश्यक पूछताछ की और उनका बयान भी अभिलिखित किया। वे यह नहीं मानते कि उनके नारे लगाने से सदन की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न हुई है और न ही उनको यह जानकारी है कि इस प्रकार के कार्य से सदन का अपमान होता है। वे अपने इस कार्य के लिए न तो कोई खेद प्रकट करते हैं और न ही क्षमा मांगने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इस मामले में कोई उचित निर्णय ले।

**श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि प्रान्त की सबसे ऊंची सत्ता प्राप्त संस्था के सामने एक से अधिक बार इस प्रकार के प्रश्न खड़े हुए और विधान सभा की मर्यादा और परम्परा के खिलाफ कुछ काम हुए। इससे पहले भी एक श्री गोपाल प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण ने इसी प्रकार से लाटरी के सम्बन्ध में कुछ कहा था और उसे उस दिन भी माफ किया गया था लेकिन इस प्रकार की पुनरावृत्ति

(श्री सम्पतराम)

होना सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करता है, इसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अतः मेरा संकल्प इस प्रकार है:–

"यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको गोपाललाल वर्मा पुत्र श्री माधवलाल वर्मा कहते हैं, जिन्होंने आज लगभग 3.30 बजे दर्शक-दीर्घा से नारे लगाये, जिनको वाच एण्ड वार्ड के अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री गोपाल लाल वर्मा पुत्र श्री माधवलाल वर्मा को 29 सितम्बर, 77 तक के लिए साधारण कैद की सजा दी जाय और जेल भेज दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने संजीदगी के साथ कहा, बड़ा सदन का अपमान हुआ। मेरे खयाल में वह सोचते हैं कि 29 तारीख तक जेल में डाल देंगे तो शायद अपमान की घटना कम हो जायगी। इस दलील को मैं ठीक नहीं समझता हूं। इससे पूर्व जो घटना हुई उनमें सजा नहीं हुई। उसका मकसद इसके पीछे क्या था? नई सरकार आई, जनता सरकार आई है, क्यों लोग लगाते हैं नारे, क्या बात है, उन तथ्यों में नहीं जाकर; गहराई में नहीं जाकर भावुक युवक को 29 तारीख तक जेल की सजा देने से मेरे खयाल में समस्या का हल नहीं होगा और घटनाएं बन्द नहीं होंगी। इसका एक ही तरीका है कि संजीदगी के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, समाज का एक इशारा है कि समाज किधर जा रहा है और क्या कर रहा है। इस तरह की सजा नहीं देकर उसको समझायें कि इस तरह की घटना नहीं हो, इस तरह चलना चाहिए और सजा के डर से नहीं डराना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सचेतक ने प्रस्ताव पेश किया है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि सदन की मर्यादा कायम की जाय और परम्पराओं का पालन किया जाय। लेकिन एक अनजान युवक ने, जिसके बारे में सरकारी चीफ व्हिप ने बताया, कसूर किया है और उसको 29 तारीख तक जेल में रखने का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं अनजान युवक ने भावनाओं में आकर कहा है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपका दल जिस व्यक्ति के आशीर्वाद से आया हुआ मानता हूं, उन्होंने ही यह पाठ सिखाया है, क्षमा किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी बेरोजगारी मिटाने का प्रोग्राम दिया है, तो एक युवक ने भावनाओं में आकर वैधानिक तरीके से कहा कि बेरोजगारी मिटाओ, तो कोई अपराध नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें क्षमा कर दिया जाय और यदि आवश्यक समझें तो आज सदन के उठने तक उन्हें यहीं रखने की सजा देकर छोड़ दिया जाय।

श्री सम्पत राम : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं वे विचारणीय हो सकती थीं और हो भी सकती हैं, लेकिन प्रजातंत्र में कुछ काम-काज करने के तौर-तरीके होते हैं। बड़े बड़े आन्दोलन होते हैं, प्रदर्शन

Page No 232

(232)



(श्री सम्पतराम)

होते हैं लेकिन उसके तौर तरीके होते हैं। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, विधान सभा के चारों ओर होते रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जहां विधान सभा चल रही है वहां उच्छृंखलता पैदा करें, अनुशासनहीनता पैदा करें, यह ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति राज्य के काम काज या नीति संबंधी प्रश्न को लेकर आंदोलन कर सकता है, भूख-हड़ताल भी कर सकता है। बहुत से तौर तरीके हैं लेकिन यदि इन तौर तरीकों को बढ़ावा दिया तो प्रजातंत्र नहीं चल सकेगा। उन्होंने पश्चाताप भी कर लिया होता तो निःसंदेह हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन इसमे लगातार घटनायें होंगी। जो स्थिति आज पैदा हुई है, उसको रोकने के लिए यह सजा जरूरी है। मेरा निवेदन है, सदन इसे स्वीकार करे।

**श्री श्योपत सिंह मकासर :** उसकी दिमागी विकृति है, उस दृष्टि से विचार किया जाय। यदि किसी युवक ने ऐसा किया है और उस पर खेद व्यक्त नहीं किया है तो कोई न कोई विकृति है।

**एक माननीय सदस्य :** सदन में आने का पास किसने दिलाया?

**श्री सम्पतराम :** माननीय श्री सूर्यनारायण चौधरी ने पास दिलाया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** जो संकल्प माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया।

**श्री रामनारायण चौधरी :** मुख्य मन्त्री के विचार आने दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं इस सम्बन्ध में उनसे कोई निवेदन नहीं कर सकता लेकिन यहां पर यह निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं और मन्त्री महोदय ने जो अपनी ओर से भावना प्रस्तुत की है, उसके आधार पर मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि जो संकल्प मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस बारे में सदन क्या निर्णय लेता है। अतः मैं इसको प्रश्न के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि जो माननीय मन्त्री महोदय ने श्री गोपाल लाल वर्मा पुत्र श्री माधवलाल के बारे में 29 सितम्बर, 1977 तक के लिए साधारण कैद की सजा दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया गया। सदन के निर्णय के अनुसार श्री गोपाल लाल वर्मा को 29 सितम्बर, 1977 तक के लिए साधारण कैद की सजा देने के लिए वारंट तदनुसार भेजा जाय।

गृह मन्त्री।

**मांग संख्या 16, 17 व 18 पर अग्रेतर विचार**

**श्री केदारनाथ (गृह मन्त्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही अहम् डिमांड पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। आलोचना का स्तर उनका बहुत ऊंचा था, अच्छे सुझाव दिए कि पुलिस प्रशासन में हम कैसे सुधार कर सकें, कैसे उसको रिओरियन्ट करें, क्या उसके फंक्शन में नए दृष्टिकोण पेश करें। यहां क्राइम की बढ़ोतरी के बारे में, लॉ एण्ड आर्डर की बिगड़ती हुई

(श्री केदार नाथ)

हालत के बारे में और छोटे दर्जे पर व्याप्त भ्रष्टाचार जो है, उस बारे में अनेक मिसालें दी गई। जब से यह हुकुमत बनी, आपने अन्दाजा लगाया होगा कितना स्पेट आफ एजीटेशन्स हुआ है और उनको डील करने में पुलिस ने कितनी प्राम्प्टनैस दिखाई और इफेक्टिवनेस के साथ फेस किया। इस बारे में माननीय सदस्य कोई नहीं बोले।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ? दो घण्टे के अन्दर कम्युनल फ्लेयर अप न होने देना, शान्ति को कायम कर देना, जाइन्ट कौन्सिल बना देना। शीघ्र ही उसी शहर में दोनों जातियों के 60 हजार आदमियों द्वारा मिलकर उर्स का मेला मनाना।—30 वर्ष में ऐसी मिसाल नहीं देखी होगी जहां ईद मिलन के नाम पर इतना प्रेम-भाव दिखाया गया हो। राजस्थान में कम्युनल टेन्शन नाम की चीज नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चित्तौड़गढ़ में कोई लाठी चार्ज किया गया। भीड़ को अश्रु गैस से डिस्पर्स किया। कितनी रेस्ट्रेन्ट पेशन्स और संजीदगी से पुलिस ने बरताव किया। क्या यह नये दृष्टिकोण का सबूत नहीं है?

आपने युनिवर्सिटी में हालत देखी। एक दिन में छात्रों ने युनिवर्सिटी में रेम्पेज किया, डिस्टरबेंसेज हुये और युनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। केवल 24 घन्टे में युनिवर्सिटी अफेयर्स को दुरुस्त करके छात्रों से डील करना, एजीटेशन को काल आफ करना, युनिवर्सिटी को वापस खोलना-इस घटना को आप मामूली न समझें। स्टूडेंट्स लेवल पर जिस तरीके से मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने इस नए दृष्टिकोण से डील किया है, इसकी तारीफ करते तो ठीक था। आपने कभी देखा कि तीन माह के अन्दर मजदूर और जमींदार के बीच किसी बात पर लड़ाई हुई हो और हमने जमींदार की पैरवी की हो और धारा 107 में खेतीहर को गिरफ्तार किया हो जैसे पहले होता था। कहीं किरायेदार और मालिक के बीच झगड़ा हुआ हो तो ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किरायेदार को 151 में हमने बंद किया हो। इतने मजदूर आंदोलन हुए, तीन महीने में एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी जब कि मजदूर आंदोलन को कमजोर करने के लिये, उनकी ताकत बिखेरने के लिये, मालिक को फायदा देने के लिये मजदूर को बन्द किया हो। कहीं भी लाठी चार्ज नहीं हुआ, अश्रुगैस नहीं, गिरफ्तारी नहीं। पुलिस ने जिस नए दृष्टिकोण से काम किया, उसकी तारीफ करते तो ज्यादा अच्छा होता।

यहां हरिजनों के लिए दो चार बातें कही गई, नर्दन इंडिया को देखिये, आंकड़े आपके सामने हैं। यहां पर हरिजनों पर एट्रासिटीज नहीं हुई, इन्डिविजुअल केसेज हो सकते हैं, आइसोलेटेड केसेज हो सकते हैं। और एन मॉस हरिजन को जिस तरह से मौजूदा सरकार की नीति के अनुसार आपके सहयोग के साथ मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने डील किया, उनमें आत्म विश्वास पैदा कर दिया, यह राजस्थान की हिस्ट्री में एक नमूना है। आज इन्दिराजी कहती हैं कि डेमोक्रेटिक फैब्रिक समाप्त हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ रहा है। कुछ छोटी मोटी घटनायें सारे देश में हो जायं तो कह दिया कि डेमोक्रेटिक फैब्रिक, जो रेस्टोर हुआ था, समाप्त हो गया।

(श्री केदार नाथ)
इसके पीछे फिलासफी, थिंकिंग कुछ और है।

जब एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करें तो देखें कि देश की ब्यूरोक्रेसी, जिसने इमर्जेन्सी लागू की थी, की थिंकिंग किस बात की है, किस बात पर अटैक किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक वेल्यू समाप्त की जा रही है। जब तक आप प्रि-इमर्जेन्सी पीरियड, इमर्जेन्सी के दौरान और इमरजेन्सी के बाद, तीन स्टेजेज की अगर कम्पेरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पायेंगे कि इमर्जेन्सी के दौरान अगर ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के साथ वफादार होती, कान्स्टीट्यूशन के प्रति वफादार होती तो चिंता नहीं, अगर जनता के प्रति वफादार होती तो चिंता नहीं, मगर सारी की सारी मशीनरी को कमिटेड कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया एक टायर्नी की तरफ। यह बेकग्राउंड आपके दिमाग में रहना चाहिये। जब कांग्रेस के सदस्य मौजूदा सरकार की नीति के बारे में आलोचना करते हैं तो कम से कम यह बैकग्राउंड उनको सामने रखना चाहिये। एक पर्सनलिटी कायम करने के लिये, सारी ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड किया और सेंट्रलाइज कर दिया, उसको एम्पल पावर्स दीं, काम करने के तरीके बदल दिये गये। 19 महीने के बाद चेंज आई, मेजोरिटी आफ ब्यूरोक्रेट्स ने एप्रीसियेट करते हुए रिकन्साइल कर लिया।

कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में पुलिस फोर्स डिमोरेलाइज्ड है। बिल्कुल नहीं। न नॉन-कोआपरेशन है, न डिमोरेलाइजेशन है। आपस में कोआपरेशन है, मेल है। वह पीरियड अगर आप देखेंगे उसके दौरान जिन लोगों ने इनडाक्ट्रीनेट किया है ब्यूरोक्रेट्स को, आफिशियल्स को, पुलिस को, सिविल सर्विसेज को और जनता से दूर कर दिया, उनकी इमेज बिगाड़ दी। रातों रात 19 महीने से बिगड़ी हुई तस्वीर को सुधारना, जो डिस्टेन्स जनता और पुलिस के बीच में पैदा कर दिया था उसको एब्रिज करना, नए रिलेशन्स पैदा करना, यह तीन महीने के समय का काम है। जब भी स्टूडेन्टस आये, मजदूर आये, अलग-अलग फैकल्टीज के, यूनियन के, सेक्टर्स के, तो मैंने क्लोजली वाच किया, उनके चेहरे पर कोई रंजिश नहीं, रिजेंटमेंट नहीं था। वे अपनी बात कहने के लिये आए। यह परिवर्तन का उदाहरण था। इमर्जेन्सी की घुटन थी, उसके रिएक्शन्स थे। हमने उसी तरीके से उनको डील किया। कितने टेन्टस् बाहर लगे हुए थे जब सैशन शुरू हुआ था।

हमारी डीलिंग्स चाहे स्टूडेंट लेवल पर, चाहे हरिजन लेवल पर, चाहे एम्पलाईज लेवल पर, चाहे खेतीहर मजदूर लेवल पर हों, एप्रोच में चेंज आई है। हमसे पहले इस पोर्टफोलिया को बड़े दिग्गजों ने संभाला। मैं उनकी इन्टेग्रिटी और काम्पीटेंस के बारे में नहीं कहता हूं, अच्छा काम हुआ राजस्थान में, मैं उसकी तारीफ करता हूं।

तो, मान्यवर, यहां पर जनता पार्टी ने जब से कार्यभार संभाला है तब से पुलिस का रोल अच्छा रहा है, और उन्होंने काफी उत्साह के साथ काम किया है। यहां पर पुलिस ने, मान्यवर, एक आफिशियल केडर दिया है। मैं उनके कार्य की तारीफ करता हूं और यह कह सकता हूं कि पिछले

(श्री केदार नाथ)

26-30 वर्षों में ऐसा कोआर्डीनेशन का काम पुलिस का नहीं रहा होगा। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेन्ट का जो सबसे छोटा तबका है पुलिस कान्स्टेबल, जो कि अपनी जान की कीमत पर खेल कर 24 घन्टे अपनी ड्यूटी अन्जाम देता है उसके अन्दर भी आप देखेंगे कि जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है उन्होंने भी अपने रवैये में तवदीली की है, और, मान्यवर, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज पुलिस के कान्स्टेबल के वर्किंग बिहेवियर में आपको फर्क नजर आयेगा। मान्यवर, हम चाहते हैं कि पब्लिक और पुलिस के जो रिलेशन्स है वह अच्छे हों, यह हमारी सरकार की मान्यता है।

मान्यवर, यहां पर यह भी कहा गया कि जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है लॉ एण्ड आर्डर में काफी डेटीरियोरेशन हुआ है, क्राइम्स बढ़े हैं। यह बात सही मायने में करेक्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि यहां पर जो पालिटिकल पार्टी पहले राज्य करती थी वही सब इस प्रकार की गड़बड़ियां करा रही है। अब जनता पार्टी की सरकार लॉ एण्ड आर्डर को कन्ट्रोल कर रही है। इसके लिये हम आप लोगों का सहयोग लेंगे। मैं यहां कहना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए प्रॉविंसियल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एक कमेटी गठित की जायेगी उसमें एम. पी. ज. होंगे, एम. एल. ए. होंगे। जिलों में भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कमेटी कान्स्टीट्यूट की जावेगी उनमें भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कलेक्टर, एस.पी. और एम. पी. और एम. एल. एज. होंगे। उसमें सभी प्रकार की पार्टीज के लोग होंगे। मान्यवर, इर्रेस्पेक्टिव आफ एनी पार्टी सभी उस कमेटी में मेम्बर होंगे इसके लिये हम आप लोगों का सहयोग मांगेंगे जिससे कि प्रदेश में सभी लेवल पर लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन रहे। यह कमेटी एक महीने में एक बार अपनी मीटिंग रखेगी। जिले की कमेटी जिला स्तर पर और प्रोविंशियल कमेटी अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। इसमें सभी लोगों का इन्वाल्वमेन्ट होगा। मान्यवर, इसमें खास तौर से उस एलीमेन्ट को आइडेन्टीफाई किया जायेगा जो कि शहर की पीस को डिस्टर्ब करता है, चोरियां कराता है, और गुण्डागर्दी करता है। ऐसे लोगों को, जो बैड करेक्टर हैं, रांगफुल एलीमेन्ट हैं, आइडेन्टीफाई किया जायेगा, उसके बाद उनको आइडेन्टीफाई करके कर्व कर दिया जायेगा। मैं आपको निश्चित रूप से कह देता हूं कि इन गुण्डों की एक्टीविटीज को कर्व करके एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर उनको कॉर्नर कर दिया जायेगा। अब इस गुण्डागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वह गुण्डा लोग हैं जो बदमाश यहां पर मिलकर डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं। इसमें वह लोग हैं, मान्यवर, कांग्रेस राज में कांग्रेस के नेता लोगों ने जिनकी एक्टीविटीज को डाईवर्ट कर दिया इस तरफ और पिछले तीस साल इन्हीं गुण्डा एलीमेन्ट के जरिये कांग्रेस यहां पर राज्य करती रही, और इन्हीं लोगों को आरक्षण देती रही जिससे यह सभी होता रहा। यह बदमाश लोग मालिकों से पैसा लेते रहते है, 500-400 रुपये लेते रहते हैं और यहां

(श्री केदार नाथ)

पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं तथा यहां क्राइम्स करते रहते हैं। इनका इसलिये नहीं कुछ बिगड़ सकता था कि इनको बड़े-बड़े लीडर्स का संरक्षण प्राप्त था। अभी जब कांग्रेस का राज्य गया तब यह लोग कुछ समय तक तो चुप रह गये, लेकिन मान्यवर अब वापस यह लोग एक्टिव हो रहे हैं। इनके पीछे अभी भी कांग्रेस वालों का हाथ है। मैंने इसका पता लगाया है, मेरे पास सूचना है कि यह गुण्डागर्दी करते हैं। आज जो युनिवर्सिटीज में भी गुण्डागर्दी होती है उनमें इन्हीं लड़कों का हाथ है। आज जहां भी कोई युनिवर्सिटी हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, जयपुर युनिवर्सिटी हो जहां कहीं भी गुण्डागर्दी हुई यह सभी इन्हीं लोगों के कारण हुई इस कारण जो साबर एलीमेन्ट है उसको तकलीफ सहन करनी पड़ी है। हमारे यहां पर इमर्जेन्सी लगी उसमें में जो ज्यादतियां हुईं उनमें इन्हीं लोगों का हाथ था। इसलिए आज जब हम इतनी ज्यादतियां सह कर हमारे यहां पर डेमोक्रेसी लाये हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसको मेनटेन करें। मान्यवर, हम तो आप लोगों को कहते हैं कि हमारी कोई कमजोरियां कहीं भी हों तो आप हमें बतायें हम उन्हें दूर करेंगे। आज, मान्यवर, जो भी फैसले हमने किये हैं वह पोलिटिकल लेवल पर नहीं रेशनल बेसिस पर किये हैं। आज आप कह रहे हैं कि यहां पर साइलेन्स नहीं है, डिसीप्लिन नहीं है यह गलत है। यह तो आपने जो 19 महीने तक यहां पर ज्यादतियां की हैं उनके कारण रहा है। आपने उन्हें दबाया, उनकी सुनी नहीं, लेकिन हम आपसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। हमने कई लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स लेकर जो आये थे उनकी प्राब्लम्स को खतम किया है। आज कोई किसी को प्रोब्लम होगी तो यह नेचरल फिनोमिना है कि वह इसके लिये प्रदर्शन करेंगे। आप देखें कि हमने उनकी सुनी है अगर कोई वाजिब मांग हुई तो। बाकी जो गुण्डा एलीमेन्ट है वह पहले चुप हो गया था और कोई दूसरी शेप लेकर एक्टिव हो रहा है उसके लिये तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस एलीमेन्ट की एक्टीविटीज को कर्ब करके एक हफ्ते के अन्दर इनको कार्नर कर इन पर काबू कर लिया जायेगा। जहां तक स्टूडेन्टस का सवाल है हम चाहते हैं, मान्यवर, इनमें लीडरशिप उभरे इसलिये स्टूडेन्ट्स के लीडर्स को उनकी प्राब्लम्स डिस्कस करने के लिये एक टेबल पर बैठकर उनसे बात करने के लिये हमने आमन्त्रित किया है अगर उनकी जिनाइन मांगें होंगी तो गवर्नमेंट उनको सुनेगी। हम इस पालिसी के नहीं हैं कि स्टूडेन्ट्स से कन्फ्रंटेशन में आयें। हम तो मान्यवर, टेबल पर बैठकर बात करने में विश्वास करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टेबल पर बैठ कर काफी प्राब्लम्स हल हो जायेंगी। मगर, उपाध्यक्ष जी, ऐसे एलीमेन्ट हैं जो कि वी. सी. के बरान्डे में बैठ जायं वहां पर कब्जा कर लें, होस्टल में चाकू, छुरी वगैरह रखें, लाठियां जमा करलें और गुण्डागर्दी करें तो यह बात स्टूडेन्ट्स की प्राब्लम्स से मेल नहीं खाती हैं। चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी के और चाहे जयपुर की यूनिवर्सिटी के ऐसे लड़के हों यह स्टूडेन्ट्स नहीं है गुण्डे हैं इसलिये हम इस प्रकार के लोगों को अच्छी तरह से डील

(श्री केदारनाथ)

करेंगे। मैं मान्यवर स्टूडेन्ट्स के बारे में बात कहना भूल गया। बहुत बड़ा हिस्सा है इन लोगों का। इनमें बहुत बड़ी उमंग है, बहुत कार्य किया है। जिस चीज को लायी है स्टूडेन्ट कम्युनिटी उस चीज को बरकरार कायम रखेगी। नये सिद्धान्त, नये आईडियल्स को नर्स कीजिये। प्रोब्लम्स हैं वे आपकी दूर हों, आप युनिवर्सिटी कालेज के फंक्शन्स में हिस्सा लें, आप सिन्डीकेट के मेम्बर हों, एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टीविटीज में आपका हिस्सा हो इस ओर ध्यान दीजियेगा ताकि जो नार्म्स हैं वे कायम रहें और आपकी उमंग और उत्साह आप में बना रहे और समाज के और देश के आप सही अंग बनें। 99 पर्सेंट स्टुडेन्ट्स हमारी बात मानकर चलते हैं। उनके दिमाग में यह हो गया है कि राज्य हमने बदल दिया है, राज्य हम कायम करने वाले हैं। 30 साल के जमे हुए राज को हमने बदल दिया यह भी उनके दिमाग में है।

यूनिवर्सिटी के मामले में स्टुडेन्ट्स का दोष कम है। इमर्जेन्सी में काफी फिक्शन्स पैदा हो गये। यूथ कांग्रेस बन गयी। एन्टीफासिस्ट बाडी बन गयी। कई सेक्शन्स पैदा हो गये और इमर्जेन्सी के नाम से पैदा हो गये। एक ही एलीमेन्ट है, टीचर्स या नॉन टीचर्स की क्लास है, जो एक्टिव हो रही है. उसको मैं वार्निंग देना चाहता हूं। उन्होंने सीमाओं को पार किया। यूनिवर्सिटी कैम्पस में उनका काम है, उससे बाहर नही जाना चाहिये। उनका हाथ पाया गया किसी रूप में हो वह तो उसको हम सख्ती से डील करेंगे।

लेबर अपलफ्टि कैसे होगा? इस बारे में झोटवाडा की बात चली। सारे राजस्थान में कोई बात नहीं मिली। मैं भी मानता हूं। इसके बैकग्राउन्ड में, श्रीमन्, कुछ और है। 3 साल से दबे हुए रहे मजदूर, उनको बाहर निकाल दिया, टर्मिनेशन कर दिया कमाई हुई चीज का हिस्सा नहीं दिया, एजीटेशन नहीं होने देने का मालिकों ने तीन साल तक फायदा उठाया। मालिकों ने गड़-बड़ियां कीं, अब शोर मचाते है, लां एन्ड आर्डर बिगाडा, ऐसे मालिकों की बात मैं नहीं मानता। मालिक सही है यदि उनकी प्रोपर्टी पर कोई दखल देता है, घर की पर्सनल लाइफ को कोई खतरा पहुंचाता है। मगर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा केस होगा तो मालिक की हम मदद करेंगे। यह स्पष्ट लाइन है। डिस्टिंक्टिव लाइन है। यह कहकर मज-दूर की बात करता हूं। यह सियासी ज्यादा है। हमने अधिक देखा है। इमर्जेन्सी में डिसिप्लिन आया हो ऐसी चीज नहीं है। आप शेयरर्स को निकाल दिया। दस दस वर्ष के लोगों को नौकरी से हटा दिया। अब देखा है कि केस रजिस्टर होता है और सुन-वाई होती है। नागौर का व्यक्ति आकर मुझसे मिलता है, आपसे मिलता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलता है। नई सरकार बनी है तो मेरी बात सुनी जायगी, उसके मन में यह साइक्लोजी पैदा हुई है। कितने ही हरि-जन हैं। कितने ही भूमिहीन हैं। इस स्टेटमेन्ट को पोलिटिकल बेस बनाकर सारी चीजों को बदल दें, जो एग्रेरियन रिलेशन्स हैं, मालिक और गुलाम के, दोनों को बराबरी पर ला दें यहा आपका और हमारा काम है। यह बैक-ग्राउन्ड की बात है।

(श्री केदारनाथ)

जो क्राइम बढ़े हैं, कितने बढ़े ? 3 हजार, 1500 उसमें से मिस्लेनियस हैं। 450 500 पुलिस स्टेशन्स हैं। एवरेज कितना ? 4–5 का। बाहर अन्दर अखबारों में दिया जा रहा है कि राजस्थान में क्राइम बढ़ गये। एक प्रकार की साइकलोजी क्रियेट की जा रही है। जिन इश्यूज को बाटल अप किया जा रहा है, सारे के सारे मसले को बाटल अप किये जा रहा है उसके पीछे एक साइक्लोजी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी ज्यादा है...

श्री केदारनाथ : चेन्ज ओवर के बीच में जो एन्टी सोशल ने फायदा उठाया उसका फायदा नहीं उठाने दिया जावेगा।

ट्रान्सफर्स हुए हैं। मैं छिपाता नहीं हूं। रेशनल बेसिस इसका क्या हो ? किन केटेगरीज में हो ? ट्रान्सफर से इलाज नहीं होता है एस. एच. ओ. का, इन्स्पेक्टर का। इमर्जेन्सी में मारपीट की हमारी नाराजगी पैदा होती है। कार्नसिंह फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी हमारे सामने है। 15–20 केसेज, 30–40 केसेज एस. एच. ओ. लेवल के इन्सपेक्टर लेवल के हैं जिन्होंने इमर्जेन्सी में मारपीट की, टेरेराइज किया। वक्त आयगा तब एक्शन लिया जायगा। यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

एन्टीकरप्शन की बात होता है। रिकार्ड देखेंगे तो मालूम होगा कि सी. आई. डी. सेक्टर का रिकार्ड है, क्राइम्स का पर्सेन्टेज आल इन्डिया लेवल से कम हुआ है। हरियाणा, पंजाब से कम हुआ है। मैं पिछली बार दिल्ली गया था। होम अफेयर्स के सेक्रेटरी से बात की। मैं यह कहता हूं कि उन्होंने यहां के सीनियर आफिसर्स की तारीफ की। कुछ माननीय सदस्यों ने स्वीपिंग एलीगेशन्स सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ लगाये। वे इससे पहले मुझ से मिल लेते। उनको अधिकार है बोलने का और तौर-तरीके बदलने का, और उन्हें अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की इन्टेग्रिटी हरियाणा, पंजाब से, किसी से कम नहीं है। 3 महीने में आपने देखा है, किस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई उसमें डिसीजन्स लिए। राजस्थान में नया युग कहें, लैंड मार्क कहें उसकी तारीफ करें एक नयी चीज आई है, उसमें सारे लोग शामिल होकर राजस्थान में घूमेंगे इस केम्पेन के साथ। 25-30 साल से जो स्टेग्नेशन पैदा हो गया था, जो बिगड़े हुए रिलेशन्स हैं उनको सुधारना है। इसलिये हम चाहते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से और अन्य कामों को करने के लिये जो कमेटियां काम करेगी उनको पूरा पूरा कोऑपरेट करें और जो मकसद है, इश्यूज हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने का वह पूरा करें।

इन्टेग्रिटी की बात। लोएस्ट लेवल पर काफी भ्रष्टाचार है। 24 घंटे काम करें, एजीटेशन फेस करे, थाने में काम करे, क्राइम डिटेक्ट करे, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पिरामिड उस पर खड़ा है। तनख्वाह कितनी ? 310 रुपया। 90 रुपये मेस में कट जायं 50 रुपये बीडी, सिगरेट, साबुन में कट जायं। पांच आदमियों का परिवार। कितने रुपये बचे, आपने कभी अन्दाज लगाया

(श्री केदारनाथ)

है? माननीय सदस्यों की कान्करेन्स है उनकी तनख्वाह, मेस अलाउन्स बढ़ाने की मुख्य मंत्री जी ने अलाउन्स के नाम से 5) रुपये की वृद्धि की जाय यह कहा है। बहुत कम है कन्डीशन्स को देखते हुए, लेकिन शुरुआत की है। माननीय सदस्य कह रहे थे कम्प्लेंट रजिस्टर करने जाते हैं तो स्टेशनरी मांगते हैं। कोई कर्मचारी मांगेगा नहीं पुलिस स्टेशन्स पर सारा इन्तजाम कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: जायगा कहां से ?

श्री केदारनाथ : सुन लीजिए। आज तक क्या होता रहा है ? खेतीहर मजदूर के झगड़े होते हैं। थानेदार तफतीश करने जा रहा है। किस पर जायगा ? पुराने रिजीम की बात करता हूं जो कहते है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है, राइटिस्ट हैं। उनकी साइक्लोजी और आइडियोलोजी की बात कह रहा हूं कि 30 साल में उन्होंने क्या डवलप किया। जीप किसकी ? लैंडलोर्ड की। सलाहकार कौन ? वेस्टेड इन्ट्रेस्ट। आसपास कौन ? सारे उसके दलाल, चाटूकार ये सारे के सारे गर्व रखते हैं कि 30 साल में यह किया।

तीस सालों में आपने जितनी भी गड़बड़ियां पुलिस स्टेशन पर करवाई हैं और जितने इन-एफीशियेन्ट करप्ट बनाये हैं उनके दृष्टिकोण में तब्दीलियां लाये हैं। वह यह है कि वह हमेशा लेबर के खिलाफ रहे हैं। हमने बन्द कर दिया है जीप लेना। जीपों का प्रबंध हम करेंगे। राजस्थान में एक तिहाई पुलिस स्टेशन, जहां डिस्टेन्सेस बहुत हैं, आबादी बहुत है, क्राइम्स में नम्बर ज्यादा है, को व्हिकल्स तो नहीं दी जा सकती, लेकिन व्हिकल्स के किराये के लिए महीने में 150 रुपया देना तय किया है। यह नयी चीज है। इसलिए एस. एच. ओ. को हम कहना चाहते हैं कि आइन्दा अगर किसी लैण्डलॉर्ड की जीप ली, लैण्डलार्ड के इन्ट्रेस्ट को सर्व करने के लिए गए, उन्हीं की मार्फत गवाह बनाये और केसेस को खतम कर दिया तो सख्त से सख्त कदम थानेदार के खिलाफ लिया जायेगा। इसलिए हम यह फंक्शनल चेन्जेज लाये हैं।

अभी हमारे भारत के गृह मंत्री श्री चरणसिंहजी ने कमीशन की नियुक्ति की है यह उसके स्कोप में नहीं आया है उसके टर्म्स एण्ड रेफरेन्सेस अभी नहीं आये हैं। राजस्थान की कन्डीशन्स को देखते हुए हमने कमीशन नियुक्त करने की जरूरत समझी तो ऐसे कमिशन को बैठाने में कभी गुरेज नहीं करेंगे।

ज्यादा नहीं कहते हुए अब एन्टीकरप्शन की बात कहूंगा। पोलिटिकल करप्शन के बारे में कोई नहीं बोला। आज कहा जाता है कि अहलकार ही बेईमान है। एम्प्लाई ही बेईमान है, यह मैं नहीं मानता। समाज की साइक्लोजी है और समाज में काम्प्लेक्सिटी पैदा हुई है। जिसने इसकी स्टडी किया है वह मानेगा कि राजस्थान में मेन करप्शन है तो पोलिटिकल करप्शन यहीं पर ज्यादा है। यहां सेन्स आफ पोलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है, बड़े रिसोर्सफुल हैं, बड़े मजबूत हैं, आज उनको हेमर करना और उनको तहस-नहस करना और जिन्होने प्रोपर्टी जमा कर ली है उनको नष्ट करना आसान बात नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि पंच से लेकर एम. पी.

(श्री केदारनाथ)

तक और मिनिस्टर तक कोई भी इलेक्टेड आदमी है उसके खिलाफ कम्पलेन्ट आयेगी डिस्प्रपोर्शनेट प्रापर्टी बनाने की तो हम एजेन्सी नियुक्त कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसी एजेन्सी हो कि जो लोकायुक्त के नाम से हो और इलेक्टेड आदमी के खिलाफ कम्पलेन्ट्स हों तो वह जांच करे, उप-लोकायुक्त जो 'ए' क्लास आफिसर्स या सर्विसेज के आदमी हों उनकी जांच करें और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट सारे गजेटेड आफिसर्स की जांच करें और गजेटेड आफिसर्स को हम पिन-डाउन करे कि कोई छोटा कर्मचारी है और उसके खिलाफ करप्शन की बात आती है तो गजेटेड आफिसर जिम्मेदार है। इसलिए इसके आगे एस. पी. को जिम्मेदार बनाकर सारे जिले का लॉ एण्ड आॅर्डर का काम और उस डिवीजन का काम यह एस. पी. के मार्फत किया जाये। इसमें यदि गड़बड़ी आती है तो एस. पी. की जिम्मेदारी है। एस. पी. आज तक आफिस में बैठता था और काम करता था। अच्छे और काम्पीटेन्ट आदमी हमारे पास हैं। अब एस. पी. भी सारे जिले में टूर करेगा और हर एक तहसील में एक मास में एक बार जाना पड़ेगा और ओपन कोर्ट लगायेगा। मैं हनुमानगढ़ गया तो 3 घण्टे की ओपन कोर्ट लगाई। वहां पर एक हरिजन जब बोलता है, बोलना तो उसको नहीं आता, झिझकता है, उससे बोला नहीं जाता, लेकिन एक बार खड़ा हो गया और कलेक्टर और एस. पी. के सामने और मंत्री के सामने बोल लिया तो आइन्दा एस.एच. ओ. से नहीं डरेगा। गांव में बैठकर न वह रिश्वत देगा और न भय खायेगा और अपने मन की बात कहने का उसमें हौंसला आयेगा। ओपन कोर्ट्स का यह एचीवमेन्ट होगा।

मान्यवर, सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है कि जो केसेज के पीछे पालिटिकल मोटिव है, चाहे पालिटिकल पार्टीज के हों चाहे स्टूडेन्ट्स के माध्यम से हों ऐसे केसेज को वापस लेने का फैसला किया है बशर्ते कि उन मेरिट्स पर जायें। उनको रेमिट कैसे किया जाये यह हमारे विचाराधीन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा दूसरी स्टेट्स कह रही हैं, बंगाल ने किया, केरल ने किया यू. पी. और बिहार ने किया तो यह स्टेट भी और कामों में आगे रही है इस काम में भी पीछे नहीं रहेगी। यह केसेज हमारे पास हैं इन पर बहुत जल्दी ही फैसला होगा।

इसके बाद स्पोर्ट्स की बात है। मैं, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी की राय से एक घोषणा पहले कर चुका हूं और अब फिर करना चाहता हूं कि जो इन्टर कालेजेज टूर्नामेंट्स होंगे और साल में जो भी बेस्ट एथेलिट होगा वह डाइरेक्ट एस. एच. ओ. नियुक्त होगा। बेस्ट एथेलिट है वह साल में एक ही हुआ करता है जिसके नेशनल मीट में कुछ क्वालिफाई मार्क्स के बराबर है ऐसे एक आदमी को साल में नियुक्ति दिया करेंगे। बाकी वेकेन्सी में 2 पर्सेन्ट या 3 पर्सेन्ट मेरिट पर करेंगे होम कमिश्नर साहब नियम बना रहे हैं और देखना है कि कितना स्कोप हो सकता है। हम स्पोर्ट्समैन की मदद करेंगे। इसके अलावा एक मैंने अपनी मर्जी से यह किया है कि जो स्पोर्ट्समैन बेस्ट एथेलिट्स रहे हैं और ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनको हमने तय किया है कि 100 रु. स्कॉलरशिप दी जाये।

(श्री केदार नाथ)

मैंने कुछ बातें कहीं और भी कुछ कहनी थीं क्योंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपने मेरे सुझाव सुने और मैंने आपके भी सुने, मैं कइयों का जवाब नहीं दे पाया। आपने सुझाव दिये हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लाजिमी चेन्जेज लायेंगे। इस मांग को आप पारित करेंगे ऐसी आशा करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जेल मंत्री महोदय।

**श्री विज्ञान मोदी** (राज्य मन्त्री, जेल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल की मांग के ऊपर माननीय सदस्यों ने जो कटोती प्रस्ताव रखे उन पर बहस के दौरान कई रचनात्मक सुझाव सदन के सामने आये, सरकार के सामने आये और कई नये नये विषय जेल के मामले में माननीय सदस्यों ने सामने रखे। मैं उनके उन सुझावों से सहमत हूं और उनको उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जिनके जरिये जेलों के अन्दर सुधार किया जा सके, जेल की व्यवस्था को अच्छा किया जा सके। जहां तक जेल की व्यवस्था का प्रश्न है शायद इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा कि जेल समाज का एक आइना है; समाज का एक दर्पण है। जेल के अन्दर जिस तरह के अपराधी आते हैं उनकी मनोवृत्ति, उनके अपराधों की वृत्ति समाज की वृत्ति होती है जिसका प्रतिविम्ब जेलों में पाया जाता है। हमारे देश के अन्दर जिस तरह की समाज-व्यवस्था है और जिस तरह की आर्थिक परम्परायें हैं उन सबके परिप्रेक्ष्य में हमें अपराध मनोवृत्ति के बारे में सोचना पड़ेगा और उनके सुधारों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं भी जेल में रहा और कई माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं वह भी जेलों में रहे।

अपराध होने के तीन कारण होते हैं पहला सामाजिक अन्याय, दूसरा गैर बराबर आर्थिक अवस्था और तीसरा सामाजिक कुरीतियां। तो जहां तक सामाजिक अन्याय का प्रश्न है, आर्थिक गैर बराबरी का प्रश्न है और सामाजिक कुरीतियों का प्रश्न है जब तक समाज का वर्ग इन सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान नहीं देगा, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करेगा तब तक जेलों में व्यापक सुधार हो जायें, अपराधी की मनोवृत्ति कम हो जाये या खत्म हो जाये ऐसा सोचना ठीक नहीं रहेगा। हमारी न्याय व्यवस्था को उसमें भी सोचना पड़ेगा कि एक लम्बी अवधि के लिये जेल के अन्दर अन्डर-ट्रायल लोगों को रहने के लिये बाध्य होना पड़ता है। चाहे वे निर्दोष हों, चाहे दोषी हों क्योंकि जेल में रहते हुए जिन लोगों के सम्पर्क में आते हैं, उससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। उसको भी देखना पड़ेगा। समय कम है लेकिन जो थोड़े बहुत सुझाव इस बहस के दौरान आये उनके बारे में चर्चा जरूर करूंगा।

खुले बंदी शिविरों की वात कही गई। यह क्रांतिकारी कदम है। राजस्थान में 6 खुले बंदी शिविर हैं। उन शिविरों में बन्दियों को रखा जाता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जेल और समाज के बीच में वे एक कड़ी का काम करें। वहां पर रहते हुए बन्दी सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नजदीक से देखें, समाज के अन्दर खुले वातावरण में जायें। सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि उनको रहने की अधिक से अधिक आवास

(श्री विज्ञान मोदी)

की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। काम के साधन खोले जायें ताकि वहां से मुक्त होकर समाज के अन्दर आयें तो उनको अपना जीवन नये सिरे से शुरू करने के लिये किसी बात की परेशानी न हो-इस बात के लिये मार्ग-दर्शन किया जायेगा। इसके साथ ही महिला बन्दियों के बारे में कहा गया। यह सही बात है इस समय राजस्थान में महिलाओं के लिये कोई अलग से जेल नहीं हैं। लेकिन सरकार के सामने महिलाओं के लिये एक विशेष जेल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उस महिला जेल के अन्दर इस तरह का वातावरण दिया जायेगा जिसके तहत बन्द जेल की तरह नहीं, खुले शिविर की तरह, नये वातावरण में वहां पर एक अलग जेल में रहते हुए अपने मानसिक विकास के लिये, अपनी कार्य योग्यता बढ़ाने के लिये जेल में जो भी साधन उपलब्ध हों उनका उपयोग करते हुए उस दिशा में भी काम करें।

इसके साथ जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है इस मामले में भी माननीय सदस्यों ने यहां पर रोशनी डाली है। यह सही बात है कि जेलों के अन्दर बन्दियों को जो चिकित्सा सुविधा दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि चिकित्सा विभाग से मिलें, सहयोग हासिल करें और जो बन्दी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हैं उनके लिये मेडिकल एड की व्यवस्था कर सकें।

हमारी यह मन्शा रहेगी कि जेल बन्दियों के स्वास्थ्य का साल में एक दफा, दो दफा या तीन दफा परीक्षण किया जाये ताकि जेलों के अन्दर जो व्यक्ति रोगी होते हैं, संक्रामक रोगी होते हैं उनका रोग फैलता है, हर सम्भव तरीके से रोका जा सके इस बात का प्रयास किया जायेगा।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अहम प्रश्न जो उठाया गया है इस सदन के अन्दर, वह कारागार उद्योगों के बारे में था। मैं इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार का आज ही यह आदेश मिला है कि राजस्थान में कारागार उद्योग बढ़ाने के लिये उसके पुनर्गठन के लिये, विकास के लिये 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इसके साथ ही हमारे जो सोचने का तरीका है, इस मामले में जो स्पष्ट महत्व होना चाहिये, वह व्यापारिक आधार नहीं है। जेलों के अन्दर बन्दियों को प्रशिक्षण मिले, साथ में काम करने को प्रोत्साहन मिले। जेलों के अन्दर 75 पर्सेन्ट लोग गांवों से आते हैं, 25 पर्सेन्ट लोग शहरों से आते हैं उसी आधार पर कार्य का विभाजन किया जा सके। हाथकर्घा उद्योग में उन बन्दियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। दूसरी तरफ पावरलूम के जरिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी उद्देश्य से राजस्थान की जेलों में पावर लूम चालू कर दिये गये हैं और भी बहुत जल्दी व्यवस्था की जायेगी।

जहां तक, माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में, बन्दियों को शिक्षा मिले, अनपढ़ बन्दियों को साक्षरता मिले, कैदियों को मनोरंजन मिले, इस बारे में जो रोशनी डाली गई। मैं चाहूंगा हमारी जेलों के अन्दर जो बन्दी लोग रहते हैं भले ही किसी कारण से आये हों, चाहे आर्थिक कारण रहा हो उस अपराध के पीछे चाहे राजनैतिक कारण रहा

(श्री विज्ञान मोदी)

हो, जो दोषी होते हैं, अदालतों से जिनको सजा मिलती है वे जेलों में आते हैं। उनका मानसिक विकास अवरुद्ध न हो इस बात का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे कि हमारे राजस्थान के अन्दर, जेलों के अन्दर जो बन्दी हैं उनके आपस में इन्टर जेल्स टूर्नामेंट्स चलें। खिलाड़ी एक दूसरे से मिलें। इसी तरह के टूर्नामेंट्स साल में एक दफा हों। प्रदर्शनियां लगें। इस तरह का समारोह साल में एक दफा आयोजित किया जा सके। इस उद्देश्य से कारागार विभाग में अगले वर्ष इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इन्टर जेल्स टूर्नामेंट्स आयोजित होंगे उनमें जो खिलाड़ी प्रथम घोषित किये जायेंगे जो विजेता होंगे उनको प्रमाण-पत्र भी दिये जायेंगे। मैं इस बात का प्रयास करूंगा उनको प्रमाण-पत्र के आधार पर रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए। मैं इसलिए जोर देकर कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर सजा पाकर जेलों में आते हैं, वे गलत आचरण करते हैं। जेल मेन्यूअल के अनुसार कोठरियों के अन्दर रखने की सजा दी जाती है। आचरण अच्छा हो, सही हो, साफ-सुथरा हो तो जेलों में बाहर का वातावरण देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां एक तरफ प्रगति की जायेगी वहां जेलों के अन्दर जो कारीगर होते हैं, जिनका पुश्तैनी धन्धा हो, जैसे नाई हो, खाती हो, हाथ का कारीगर हो, उनके द्वारा जेलों में बनी चीजों की बाजार में दुकानें खोली जायेंगी। जयपुर जेल के बाहर इस योजना के अन्तर्गत दुकान खोली गई हैं, बैंक के जरिये ऋण उपलब्ध कराते हैं वहां पर आमदनी होती हैं। इसी तरह उदयपुर जेल के अन्दर, जेल प्रेमिसेस के अन्दर स्कूटर्स की रिपेयर करने का काम होता है वह बन्दियों के जरिये होता है। बन्दी बाजार बनें, जेल की परिधि में बनें जहां हेयर कटिंग का काम हो, ड्राई क्लीनिंग का काम हो, एक तरफ रिपेयर का काम हो। इस तरह की बातों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यदि जेल के अन्दर कैदियों का कण्डक्ट अच्छा रहेगा तो खुले वातावरण में रखा जायेगा, खराब होगा तो जेल में रहेगा। मेरी दृष्टि में यह बड़ा इम्पार्टेण्ट होगा। इसके साथ ही जेल ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की गई है, जो कि फरवरी, 77 से लागू की गई है, अजमेर के अन्दर एक स्कूल खोला गया है वहां पर जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बन्दियों को कैसे समझाया जाये इस परिप्रेक्ष्य में प्राब्लम कैसे साल्व करें इस बात की ट्रेनिंग दी जायेगी।

इसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के लिये सरकार यह चाहेगी कि जेलों के अन्दर 40 वर्ष तक की उम्र के लोगों को अनिवार्य रूप से साक्षर बनाया जाये। हम चाहेंगे कि जेलों के अन्दर जो शिक्षित बन्दी हैं उनको भी काम में लगाया जा सके, इसके लिए भी एक योजना सरकार के विचाराधीन है। उच्च शिक्षा के बारे में कुछ सदस्यों ने मुद्दे उठाये। यह सही बात है कि जेलों के अन्दर कोई भी बन्दी आता है जो नौजवान हो उसको पढ़ने की सुविधा मिले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। सरकार जो इस समय नियम हैं उनमें कुछ छूट दिये जाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। वैसे पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिये शिक्षा

(श्री विज्ञान मोदी)

हासिल करने का अधिकार बन्दियों को है। लेकिन वहां पर नियमित कक्षायें होती हैं वहां पर नियमों में कुछ ढील दी जाये। आयु-सीमा में ढील दी जाये, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

समाज शिक्षा के लिए जेलों के अन्दर समय-समय पर प्रवचन आयोजित किये जावें, समाज विज्ञान के विशेषज्ञों को बुलाया जाय, मनोवैज्ञानिकों को बुलाया जाय, समाज शिक्षकों और समाज सुधारकों को बुलाया जाय। महीने में चाहे एक वार बुलाया जाय, चाहे दो महीने में एक आयोजन किया जाय, चाहे तीन महीने में यह कार्यक्रम रखा जाय। सरकार का इस प्रकार का प्रयास रहेगा कि जेलों के अन्दर बन्दियों के सामने अधिक से अधिक इस प्रकार के आयोजन किये जायें जिससे एक बन्द वातावरण में सोचने का, उनके दिमाग को खोलने का कोई तरीका निकले।

कारागारों के भवनों में सुधार की बात भी कही गई है। पिछले वर्ष चालीस लाख रुपये कारागार विभाग ने लोक निर्माण विभाग को दिये थे, लेकिन केवल 17 लाख रुपयों का ही निर्माण कार्य किया गया है। हमारा यह प्रयास रहेगा, लोक निर्माण विभाग से हम यह कोशिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वह अधूरे पड़े हुये निर्माण कार्यों को पूरा करें। शौचालय फ्लश के बनाने हैं। उनके जो काम अधूरे पडे हुये हैं उनको पूरा करें, और जिन भवनों की मरम्मत कराना जरूरी है, उस काम को अपने हाथ में लें। सरकार की यह साफ नीति है कि जिन जेलों की दशा बिगड़ी हुई है या जो छोटी जेलें हैं उनको सुधारने की, उनको बढाने की प्रणाली को प्राथमिकता दी जावे। इस मद में केन्द्रीय सरकार ने बीकानेर डिस्पेन्सरी को सुधारने के लिये पचास हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। जेलों के अन्दर पंखे लगाने की बात भी कही गई। सरकार प्रयत्नशील है और मैं इस बात की भी जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान की जेलों में सीलिंग फैन लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक लाख रुपया स्वीकृत किया है। एक लाख रुपयों की मन्जूरी दी है। यह जो साढे छः लाख की स्वीकृति दी है इसमें 75 प्रतिशत कर्जे के रूप में और 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिक शिकायत नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रोटी के बारे में नहीं बतलाया। इस बारे में भी बोलिए।

श्री विज्ञान मोदी : इस बात के सम्बन्ध में मैं स्वयं भी कहने वाला था कि जो जेल मेन्युअल है वह सौ, दो सौ साल पुराना बना हुआ है। उसमें जब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा, न तो राशन की व्यवस्था में सुधार हो सकता है, न वस्त्रों की व्यवस्था में सुधार हो सकता है, न रहन-सहन की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। इस बात को जानकर खुशी होगी माननीय सदस्यों को कि राजस्थान के अन्दर जेल मेन्युअल को नए सिरे से लिखाने का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी जेल मेन्युअल को इन्ट्रोड्यूस किया जावेगा जिसके तहत इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नए जेल मेन्यूअल को लिखाने का काम शुरू कर दिया

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

है तो नए लोग क्या सोचते हैं उसके आधार पर लिख रहे हैं या वही पुराने लोगों को ही लगा दिया है।

श्री विज्ञान मोदी : पहले प्रस्तावित रूप में लिख दिया जावे फिर विचार कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले भी जेल मेन्युअल में अमेंडमेंट हुए हैं। साढ़े चार सौ ग्राम आटे की जगह छः सौ ग्राम आटा कर दिया और दाल ढाई सौ ग्राम की जगह सौ ग्राम कर दी, इस तरह से करने से तो कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि जेल मेन्युअल लिखने से पहले एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी रूपरेखा तय करे। यह कमेटी कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लेगी, महीने डेढ़ महीने में अपने प्रस्ताव बना कर दे देगी। हरियाणा और पंजाब में हमारे से पहले बहुत कुछ काम किया गया है...

श्री विज्ञान मोदी : माननीय सदस्य महोदय, प्रशासनिक सुधार, पुनर्गठन और जेलों में सुधार की दृष्टि से एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के तहत जो सुझाव आयेंगे वे सम्मिलित किये जायेंगे। उसके बाद भी यदि आवश्यकता महसूस की गई तो माननीय सदस्यों के सुझाव भी आमंत्रित किये जायेंगे।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस कमेटी के बनाने की बात की जा रही है उसमें फिर वही सरकारी आदमियों को ही रख दिया जावेगा या उसमें...

श्री बंशीलाल सारस्वत : आपको भी ले लेंगे।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जेलों के अन्दर जो कुछ भी साधन नहीं हैं, उनके लिए आपका क्या विचार है? वहां पर खाने की, पीने की बहुत दुर्व्यवस्था है। कमेटी में चाहे कोई भी हों लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इस विषय में जन-प्रतिनिधियों के विचार लिए जावें।

श्री विज्ञान मोदी : इसी तरह से विजिटर्स कमेटी का उपयोग भी किया जाएगा और उनके सुझावों को भी काम में लेंगे। चूंकि समय बहुत हो गया है, आप लोग काफी समय से बैठे हैं, जाने की भी आपकी इच्छा है, तो अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि सदन के सम्माननीय सदस्य सदन के सामने जो मांग रखी गई है उसको समर्थन दें और उसको पारित करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक सुझाव है कि सारे मेम्बरों को जेल ले जाने का कार्यक्रम रखा जाय।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगा और यह पूछना चाहूंगा कि जो शिशु अपनी माताओं के साथ जेल में चले आते हैं, चार साल के बच्चे जो निरपराध होते हैं उनके शिक्षण के लिए, उनके पालन-पोषण के लिए किस प्रकार की समुचित व्यवस्था की जाती है? इस सम्बन्ध में सरकार अपना स्पष्ट विवरण दे।

**श्री विज्ञान मोदी :** जिन महिला बन्दियों के साथ में चार वर्ष तक के शिशु जेल में आते हैं उनको जेल में रखने की व्यवस्था है। विशेष आग्रह पर छः वर्ष तक के बच्चे को भी जेल में रखा जाता है। उसके बाद में अभिभावक या माता की अनुमति से या यदि शिशु का पिता है, घर वाले हैं उनकी अनुमति से यदि वे चाहें तो परिवारजनों के साथ चले जाते हैं अन्यथा उन्हें बाल शिशु गृह में, जो समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलते हैं, भेज दिया जाता है। वहां पर उनकी शिक्षा और अन्य व्यवस्था होती है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** मेरा एक सुझाव और है···

**श्रीमती उजला अरोडा :** जो चार वर्ष के शिशु वहां रहते हैं उनको कैसा वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में जरा स्पष्ट करें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** उसको अपनी दादी के पास भेज देंगे।

माननीय राज्य मंत्री महोदय, एक प्रश्न और है। राजस्थान की जेलों में सैंकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको लाचार कहा जाता है। शारीरिक श्रम करने की क्षमता उनमें रहती नहीं मेडिकली इन लोगों को इस तरह का घोषित कर दिया जाता है। न वे जेल में काम कर सकते हैं. न उनमें शारीरिक शक्ति है। 75-80 साल के लोग जेल में बैठे हैं जिनके मुंह में न दांत हैं, न आंख में रोशनी है और हाथ कांपते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उनके बारे में क्या तय किया है सरकार ने (विराम) जितने लोग मेडिकली लाचार हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं?

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** स्टेट रेमिशन के बारे में मंत्री महोदय बतायें। स्टेट रेमिशन जोड़ा जाय, इसके बारे में क्या विचार है सरकार का?

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** यह बहुत जरूरी है।

**श्री विज्ञान मोदी :** समय की कमी के कारण कई सुझावों पर मैं अपनी तरफ से रोशनी नहीं डाल सका। स्टेट रेमिशन का जहां तक प्रश्न है इस सत्र के दौरान जो प्रश्न पूछे गए थे, तारांकित प्रश्न उनके तहत इस बात का जवाब दे चुका हूं। इसलिए मैं आवश्यक नहीं समझता कि उसको पुनः दोहराया जाय।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** लाचार और बूढ़े व्यक्तियों के बारे में नहीं बताया?

**श्री विज्ञान मोदी :** उनके नियम बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर रखा जाता है। उनके लिए विशेष नियम नहीं हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** उनके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

**श्री विज्ञान मोदी :** ध्यान दिया जायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब माननीय सूचना और···

**श्री श्योपत सिंह मकासर :** सिपाहियों के अन्दर 45 लोग टी. बी. के मरीज हैं और वे टी. बी. के जर्म फैलाते हैं उनके बारे में भी बता दें····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूचना और प्रचार मंत्री।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन सम्पर्क) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति में हूं। माननीय सदस्यों में धैर्य नहीं रहा। मेरी समझ में बहुत अधीर हो रहे हैं वे। इस हालत में उन्हें भूख भी लगी हुई है लेकिन मुझे मेरे कर्त्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए मजबूरी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आज की तारीख में कर दें आप।

श्री महबूब अली : जहां तक मेरे विभाग का प्रश्न है इस प्रकार की चर्चायें यहां की गई। विज्ञापन के सम्बन्ध में की गई, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में की गई और अन्य कई सुझाव भी दिए गए। विभाग के सम्बन्ध में कई सुझाव दिए गए। मैं माननीय सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जन सम्पर्क विभाग का पिछली सरकार के अन्दर कितना महत्व रहता था और उससे किस प्रकार से काम लिया जाता था यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी माननीय सदस्यों ने बताया और जैसा कि मैं भी अनुभव करता हूं कि पिछली सरकार के मंत्रीगण अपने भाषण छपवाने के अन्दर और अपनी फोटो छपवाने के अन्दर ज्यादा इंट्रेस्टेड रहते थे। उनको राज्य की प्रोग्रेस के बारे में, राज्य की प्रगति के बारे में किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं होती थी। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा जुलाई से आज तक यहां से 2 हजार 142 विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनमें से 69 विशेष लेख प्रसारित किए गए और 30 ऐसे हैन्ड आउट हैं, जिनके अन्तर्गत किसी मंत्री महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर काल में जो सूचना दी गई है, उसको छापा गया है। यह भी सिर्फ 30 ही। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की परिस्थिति और पिछली परिस्थिति में कितना अन्तर है? सिवाय फोटो छपाना और भाषण छपाने के अलावा कोई काम नहीं था। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता था। हम लोग, जनता पार्टी की सरकार, इस विभाग का रि-आर्गेनाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। जो कलकता और बम्बई में इस विभाग के दफ्तर हैं, उनके अस्तित्व के बारे में भी यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वहां के दफ्तर बंद कर देने से जो पैसा बचेगा उसको किस तरह काम में लिया जाए, इस पर भी विचार कर रहे हैं। सभी 26 जिलों के अन्दर पी. आर. ओ. के दफ्तर हैं। तीन जिले ऐसे थे, जहां पर ये दफ्तर नहीं थे, के लिये भी आज इस बात की घोषणा कर दी है : बूंदी, जालोर और टोंक, इन तीनों जगहों पर ए. पी. आर. ओ. को क्रमोन्नत कर के पी. आर. ओ. का स्थान कर दिया है। यह भी एक मांग थी, जोरों से आई थी।

इसके बारे में भी आपको निवेदन करना चाहूंगा—वर्गीकरण और अधिस्वीकरण की समितियां जो आपातकाल के पहले थीं, क्लासीफिकेशन आफ न्यूज-पेपर्स को अधिस्वीकृत करना, उनका काम था। ये समितियां बंद कर दी गयी थीं। यह सरकार उन्हें पुनः पुनर्गठित करने की घोषणा करती है और शीघ्र ही कर दी जाएगी। इन समितियों को यह अधिकार दिया जाएगा, विज्ञापन के जो नियम बने

(श्री महबूब अली)

हुए हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो कमेटी है, अध्ययन करेगी और जो पहले के रूल्स बने हुए हैं उनके अन्दर क्या परिवर्तन, परिवर्धन किए जाएं, उनकी रिकमन्डेशन करेगी और राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

अधिस्वीकरण के लिए जो समिति होगी, जो नियम हैं, उन पर वह विचार करेगी। उन पर पुर्नविचार करने का अधिकार दिया जाएगा और किस तरह से अधिस्वीकृत किए जाएं, पत्र, पत्रों के सम्पादक, कारस्पोण्डेन्ट्स इस पर विचार किया जाए। बहुत शीघ्र ही इसका पुनर्गठन किया जा रहा है।

आपातकाल के दौरान अखबारों के साथ हुई घटनाओं के बारे में बहुत चर्चा सुनने को मिलती है। आपातकाल के दौरान जो विज्ञापन समाचार पत्रों को बंद कर दिए गए थे, उन सब समाचार पत्रों को वापस 26 जून, 75 की स्थिति में ले लिया गया है चाहे वे एप्लीकेशन दें या न दें। उनका 26 जून, 75 को जैसा क्लासिफिकेशन विज्ञापन के लिए था, वह क्लासिफिकेशन उनको पुनः दे दिया गया है। ऐसी परिस्थिति जरूर है, ऐसे कुछ पत्र हैं। जिनका प्रकाशन प्रारम्भ नहीं हुआ है, तो ऐसे पत्रों को जब उनका प्रकाशन प्रारम्भ होगा तभी से विज्ञापन दे दिए जाएंगे। उससे पहले विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। जहां तक अधिस्वीकरण का प्रश्न है, आपातकाल में जिनका समाप्त कर दिया गया था, उनका अधिस्वीकरण चालू करने का निर्णय ले लिया गया है। जिनके प्रार्थना पत्र प्रकाशन के साथ आ रहे हैं, उनका अधिस्वीकरण एक्रेडिट किया जा रहा है। 77 केसेज में अधिस्वीकृत हो चुके हैं। आठ-साल के करीब पेन्डिग हैं। ज्यों-ज्यों एप्लीकेशन आती रहती हैं, उनको एक्रेडिट किया जाता है पुराने नियमों के अनुसार। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मैंने भी अपने जीवन में अखबार निकाला है, तो पत्रकारों को, छोटे अखबार वालों को क्या मुसीबतें होती हैं, उसको मैं भलीभांति समझता हूं। वैसे विभाग द्वारा चित्र भेजे जाते थे और अखबार वाले ब्लाक बना कर उनको छापते थे। हम लोगों ने इस पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि चित्र न भेज कर उनको ब्लाक बना कर भेजे जाएं ताकि ब्लाक बनाने का जो खर्चा होता है, वह अखबारों के ऊपर न पड़े। इससे जहां तक विकास और अन्य प्रगति के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को अखबार छापने की स्थिति में होंगे और अखबार उनको छाप कर दूसरों को दे सकते हैं। वह रोटेड होकर ब्लाक का अच्छा उपयोग हो सकेगा।

इसके अलावा जिन छोटे अखबारों के पास पैसा नहीं है, प्रेस नहीं है, मैं यह सोचता हूं कि छापने के स्तर पर छोटे-छोटे अखबारों को दिक्कत होती है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अखबार वाले प्रेस लगाना चाहते हैं, उनको भी यह विभाग सहयोग दे सकेगा। वह इस प्रकार का होगा, एक लाइजन, सम्पर्क के काम से मदद हम दे सकेंगे। ऐसा मेरा विचार है। जो अखबार वाले अपने स्वयं का प्रेस लगाना चाहते हैं, तो वे फाइनेन्सिग एजेन्सी से बात कर हमको कम्युनिकेट करे, जन संपर्क विभाग उनसे कान्टेक्ट करके, उस केस को परस्यू करेगा ताकि लोन प्राप्त करने में असुविधा न हो। उनको सुविधा मिले। इस बात का प्रयास जन

(श्री महबूब अली)

सम्पर्क विभाग करेगा। इससे जो भाई, छोटे अखबार, प्रेस लगाना चाहते हैं, उनको काफी तवालत होती है, भागने दौड़ने की, वह तवालत लोन प्राप्त करने में उनको नहीं होगी। वे इससे मुक्त हो सकते हैं और जन सम्पर्क विभाग उनकी मदद कर के लोन दिला सकेगा। जन सम्पर्क विभाग किसी प्रकार से फाइनेन्शियल इन्वाल्वमेन्ट में पड़ने को तैयार नहीं है। बाकी जो लाइजन का वर्क है, वह डी. पी. आर. करने को तैयार है।

इसके अलावा, मेरा हमेशा से यह विचार रहा है कि प्रदेश में स्वस्थ पत्रकारिता का विकास हो। पत्रकारिता के बारे में तरह तरह की बातें कहीं जाती हैं–पीली पत्रकारिता और स्वस्थ–पत्रकारिता के बारे में। हमारा यह प्रयास होगा कि राज्य में अधिक से अधिक जेनुइन पत्र निकलें और वे इन्डिपेन्डेन्ट अपनी तरह के हों। इस बारे में सरकार गंभीरता से सोच रही है। उस पर मैं जैसा सोचता हूं, मेरा यह पत्रकार बन्धुओं से अनुरोध है, उनको सुझाव है कि वे अपनी तरफ से एक कमेटी का निर्माण करें। उस कमेटी को एक आचार संहिता बनाने का अधिकार हो और उस कमेटी को यह अधिकार दिया जाए कि जो भी उसके पास शिकायत आवे ब्लेक-मेलिंग की, अखबार के सम्बन्ध में उसके पास सूचना आवे, वह उसका इन्वेस्टीगेशन करे और फिर वह समिति जिस प्रकार की हमको रिकमन्डेशन करे, यदि वह अखबार हमारे विज्ञापन की सूची पर है, अधिस्वीकरण की सूची पर है, उसके सम्बन्ध में यह कमेटी जो सिफारिश करेगी तो उस सिफारिश पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करने का सोचती है। इसके अन्दर राज्य सरकार कुछ कर सकती है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेन्स देने की बात कर सकता है। यह पत्रकार बन्धु, जो भी अखबार वाले हैं, वे स्वयं अपनी ओर से, एक कमेटी का निर्माण करें, एक आचार संहिता का निर्माण करें और उसके तहत चलने का प्रयास करें। समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है।

पीली पत्रकारिता का हल्ला-गुल्ला जरूर मचाया जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी पत्रकार की है, उससे कहीं अधिक समाज की जिम्मेदारी है। समाज के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में गलत खबर छापें तो इसमें प्रावधान है कि किस प्रकार से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। अगर कोई पत्रकार गलत खबर छापता है और कोई आदमी यह समझता है कि खबर से उसके विरुद्ध कोई बात आती है तो उसको पूर्ण राइट है कि वह लॉ कोर्ट में जाये। जिसके विरुद्ध झूठी खबर है, जो अखबार में छपी है तो वह लॉ कोर्ट में जा सकता है और उसको अदालत में न्याय मिल सकता है। पत्रकारों को यह अहसास रहेगा कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। पीली पत्रकारिता को रोकने के लिए और पत्रकारों को जागरूक रखने के लिए यह आवश्यक है। सरकार इसकी क्या भूमिका निभा सकती है, यदि पत्रकार बन्धु इस प्रकार की कोई कमेटी बनाते हैं तो हम उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेन्स क्या दे सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार

(श्री महबूब अली)

सभी बड़े स्थानों में प्रेस क्लब बने हुए हैं, उसी प्रकार पत्रकार बन्धु एक विधान बनाकर प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन करा लें। सरकार अपनी ओर से उनको क्या सुविधा दे सकती है, उनकी क्या आर्थिक मदद कर सकती है इस पर विचार किया जायेगा, जैसे कैरम बोर्ड वगैरह प्रेस क्लब को दे दें उस बारे में विचार किया जा सकता है। प्रेस क्लब को सरकार क्या मदद दे सकती है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर प्रेस क्लब का गठन होता है तो उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

इसके अलावा.....

(व्यवधान)

विभाग के बारे में कुछ बातें कही गईं जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के पुनर्गठन पर विचार किया जाना चाहिए।

अखबारों को विज्ञापन देने की बात भी कही गई। इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि विज्ञापन देने में भेद भाव की बात बिल्कुल नहीं है। जो ऐसा समझते हैं, उनको शायद कांग्रेस के दिनों की याद है। कांग्रेस के दिनों में जो कांग्रेस के पक्ष में होता होगा उसको ही शायद विज्ञापन दिया जाता हो। मैं निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार का अखबारों का कैटेगोराइजेशन है, उनको उसी प्रकार से विज्ञापन दिया जाएगा।

पत्रकारों के सम्मान के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि पत्रकार बन्धु आज किस प्रकार की स्थिति में हैं। जो घोषणाएं हुई हैं उनसे...

एक माननीय सदस्य : आप भोजन करके आये हैं।

श्री महबूब अली : मैं निवेदन करूंगा कि अपने सम्मान की रक्षा वह स्वयं करते हैं और उनको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मांगों को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,57,27,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 जेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,50,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 सूचना और प्रचार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

59,50,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.26 बजे मंगलवार दिनांक 27 सितम्बर 1977 के म. पू. 11–00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

# Page No 252

(252)



## परिशिष्ट–1

### ( तारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची )

Water Rates amended vide Government Notification No.F.13 (6) Irg/73 dated 22nd November, 1974, No.F.13(3)Irg/73 dated 3rd December, 1975 and F.13(4) Irg./76 dated 18-3-1976.

| Sl. No. | Name of Crops. | Rate on | Pre-1952 Irrigation Works | |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) Gang Canal, Bhakhra, Ghaggar & Rajasthan Canal (Irrigation under perennial channels)<br>(b) Chambal Canal area & all works constructed/improved after 1st Jan., 1952 and all works in the area of former States of Banswara, Dungarpur & Pratapgarh. | Except Inundation Irrigation | Inundation Irrigation. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | Per Acre (Rs.) | Per Acre (Rs.) | |
| 1. | Surgarcane. | 40.00 | 35.00 | 15.00 |
| 2. | Rice. | 28.00 | 16.00 | 7.00 |
| 3. | Cotton. | 25.00 | 20.00 | 12.00 |
| 4. | Maize. | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
| 5. | Bajra. | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
| 6. | Jawar. | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
| 7. | Pulses. | 15.00 | 12.00 | 9.00 |
| 8. | Garden. | 50.00 | 34.00 | 16.00 |
| | | Per Year | Per Year | |
| 9. | Guwar. | 15.00 | 12.00 | 7.20 |
| 10. | Simmhemp & Grass | 12.00 | 12.00 | 9.00 |
| 11. | Vegetables. | 20.00 | 14.00 | 8.00 |
| 12. | Other Kharif Crops. | 16.00 | 12.00 | 9.00 |
| 13. | Wheat. | 21.00 | 15.00 | 9.00 |
| 14. | Barley. | 15.00 | 10.00 | 7.00 |
| 15. | Ghochani & Bejar. | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
| 16. | (a)Gram (Ist Watering) | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
| | (b) Gram (two & more watering) | 20.00 | 17.00 | 13.00 |
| 17. | Palewa. | 6.00 | 4.00 | — |
| 18. | Fodder. | 12.00 | 12.00 | 7.20 |
| 19. | Oil Seeds. | 16.00 | 12.00 | 9.00 |
| 20. | Water Nuts. | 25.00 | 17.00 | 9.00 |
| 21. | Indigo & other dyes. | 25.00 | 12.00 | 9.00 |
| 22. | Tobacco. | 25. 00 | 15.00 | 9.00 |
| 23. | Lucern and Poppy. | 25.00 | 15.00 | 8.00 |
| 24. | Zeera. | 25.00 | 13.00 | 8.00 |
| 25. | Other Crops of Rabi. | 18.00 | 12.00 | 9.00 |

Non-perennial Channels Gang, Bhakhra and Ghaggar and Rajasthan Canal Areas:—

1. All Kharif Crops. Same Rates as perennial Channels in column 3 above.

2. *All Rabi Crops.*
(a) For First Watering Palewa Rates as per column 3 above would be charged.

(b) For Second and subsequent watering Full rates as applicable to perennial channels as per column 3 above would be charged.

# परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 416 की सूची)

आफ रोड वाहनों की संख्या

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय कार्यशाला | 76 | (तालिका–1) |
| 2. | सम्भाग कार्यशाला | 118 | (तालिका–2) |
| 3. | आगार कार्यशाला | 177 | (प्रत्येक आगार कार्यशालाओं की अलग अलग सूचना एकत्रित की जा रही है)। |

## तालिका 2

### STATEMENT SHOWING THE POSITION OF VEHICLE LYING IN CENTRAL W/S AS ON 31-7-77

**Jaipur (Fast)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 1799 | (L) | 23-9-76 |
| 2. | RSL | 9564 | (L) | 20-10-76 |
| 3. | RRL | 1756 | (T) | 30-10-76 |
| 4. | RRM | 3294 | (T) | 8-11-76 |
| 5. | RSL | 473 | (L) | 23-12-76 |
| 6. | RRM | 7318 | (L) | 24-12-76 |
| 7. | RSK | 921 | (L) | 26-2-77 |
| 8. | RSL | 7961 | (L) | 12-4-77 |
| 9. | RSL | 6314 | (L) | 26-4-77 |
| 10. | RSL | 5673 | (L) | 24-5-77 |
| 11. | RSG | 621 | (L) | 22-6-77 |

**Jaipur (West)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 1779 | (L) | 6-4-77 |
| 2. | RRM | 6891 | (L) | 17-6-77 |

**Kota Division**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 841 | (L) | 22-11-76 |
| 2. | RSL | 9561 | (L) | 23-11-76 |
| 3. | RSL | 1808 | (L) | 24-11-76 |
| 4. | RJZ | 3817 | (L) | 22-1-77 |

**Udaipur Division**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RJZ | 5977 | (T) | 25-11-76 |
| 2. | RSL | 7362 | (L) | 11-1-77 |
| 3. | RJA | 3683 | (L) | 18-1-77 |
| 4. | RSL | 5431 | (L) | 27-1-77 |
| 5. | RJL | 4171 | (L) | 23-2-77 |
| 6. | RSL | 5428 | (L) | 23-2-77 |
| 7. | RSG | 650 | (L) | 1-3-77 |
| 8. | RSM | 5675 | (L) | 25-4-77 |
| 9. | RSM | 9958 | (L) | 18-6-77 |
| 10. | RSL | 1844 | (T) | 22-6-77 |
| 11. | RSL | 2700 | (T) | 5-7-77 |
| 12. | RSL | 6771 | (T) | 13-7-77 |

**Ajmer Division**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 5422 | (T) | 17-12-76 |
| 2. | RSQ | 1763 | (T) | 5-1-77 |
| 3. | RJL | 5056 | (T) | 10-1-77 |
| 4. | RJZ | 2253 | (L) | 10-1-77 |
| 5. | RSL | 9272 | (T) | 10-1-77 |
| 6. | RJZ | 2290 | (L) | 7-2-77 |
| 7. | RRM | 297 | (T) | 22-2-77 |
| 8. | RSM | 7027 | (T) | 4-5-77 |

**Jodhpur Division**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSM | 7716 | (T) | 4-10-76 |
| 2. | RSM | 8478 | (T) | 27-10-76 |
| 3. | RRM | 293 | (T) | 28-10-76 |
| 4. | RSM | 3293 | (T) | 29-10-76 |
| 5. | RJY | 6988 | (T) | 12-11-76 |
| 6. | RRL | 8299 | (T) | 23-12-76 |
| 7. | RJY | 5715 | (T) | 31-1-77 |
| 8. | RSL | 6638 | (T) | 7-2-77 |
| 9. | RSM | 420 | (T) | 17-2-77 |
| 10. | RRM | 4212 | (T) | 8-3-77 |
| 11. | RJZ | 5997 | (T) | 20-4-77 |
| 12. | RSL | 3362 | (T) | 21-4-77 |
| 13. | RSM | 8497 | (T) | 5-5-77 |
| 14. | RSQ | 4263 | (T) | 7-5-77 |
| 15. | RJW | 361 | (T) | 9-5-77 |
| 16. | RRM | 294 | (T) | 11-5-77 |
| 17. | RSM | 3365 | (T) | 14-6-77 |
| 18. | RSQ | 4271 | (T) | 18-6-77 |
| 19. | RSM | 370 | (T) | 22-6-77 |
| 20. | RSG | 3826 | (T) | 7-7-77 |
| 21. | RSG | 3906 | (T) | 9-7-77 |

**Bikaner Division**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 1795 | (L) | 29-9-76 |
| 2. | RSL | 5672 | (Lr | 29-11-76 |
| 3. | RSK | 925 | (L) | 5-1-77 |
| 4. | RSM | 9502 | (L) | 11-1-77 |
| 5. | RSM | 5856 | (L) | 13-1-77 |
| 6. | RSL | 5671 | (L) | 9-2-77 |
| 7. | RSL | 5435 | (L) | 25-4-77 |
| 8. | RSG | 3226 | (L) | 14-5-77 |
| 9. | RSL | 5441 | (L) | 17-5-77 |
| 10. | RSL | 5449 | (L) | 17-5-77 |
| 11. | RSM | 9760 | (L) | 17-5-77 |
| 12. | RSM | 9597 | (L) | 17-5-77 |
| 13. | RSM | 9863 | | 20-5-77 |
| 14. | RRM | 1703 | (L) | 31-5-77 |
| 15. | RSK | 2207 | (L) | 6-6-77 |
| 16. | RSL | 5937 | (L) | 23-6-77 |
| 17. | RRM | 7544 | (L) | 8-7-77 |
| 18. | RSL | 7960 | (L) | 8-7-77 |

तालिका 2

VEHICLE POSITION OF DIVISIONAL WORKSHOP AS ON 31-7-77

**Ajmer-4** Date of recd.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RSM | 8102 | 8-7-77 |
| 2. | RRL | 8694 | 10-7-77 |
| 3. | RSM | 3360 | 25-7-77 |
| 4. | RRM | 2277 | 31-7-77 |

**Kota-20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RRM | 234 | 21-2-77 |
| 2. | RJL | 3436 | 14-7-77 |
| 3. | RSM | 4239 | 28-7-77 |
| 4. | RSM | 4240 | 8-7-77 |
| 5. | RRM | 290 | 20-7-77 |
| 6. | RRM | 7494 | 28-7-77 |
| 7. | RSM | 3044 | 28-6-77 |
| 8. | RSM | 5862 | 15-7-77 |
| 9. | RSM | 1460 | 19-2-77 |
| 10. | RSG | 654 | 20-7-77 |
| 11. | RSL | 842 | 9-4-77 |
| 12. | RRM | 8563 | 19-7-77 |
| 13. | RJD | 4366 | 19-7-77 |
| 14. | RJD | 7956 | 23-7-77 |
| 15. | RSM | 3945 | 21-2-77 |
| 16. | RSM | 9260 | 18-7-77 |
| 17. | RRM | 2619 | 29-7-77 |
| 18. | RRM | 8850 | 1-7-77 |
| 19. | RSM | 5856 | 13-6-77 |
| 20. | RRM | 2146 | 20-7-77 |

**Jodhpur-20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RRM | 395 | 11-7-77 |
| 2. | RSQ | 1946 | 1-7-77 |
| 3. | RSM | 7713 | 25-7-77 |
| 4. | RSM | 7338 | 27-7-77 |
| 5. | RSM | 7237 | 19-7-77 |
| 6. | RSM | 3367 | 6-6-77 |
| 7. | RRM | 9749 | 5-7-77 |
| 8. | RRM | 1486 | 20-7-77 |
| 9. | RSM | 1070 | 28-6-77 |
| 10. | RRM | 1077 | 7-7-77 |
| 11. | RRM | 2054 | 14-7-77 |
| 12. | RRM | 1462 | 14-7-77 |
| 13. | RRM | 1971 | 4-6-77 |
| 14. | RSM | 3084 | 25-6-77 |
| 15. | RSM | 4154 | 13-7-77 |
| 16. | RSM | 3370 | 24-7-77 |
| 17. | RSM | 7310 | 20-7-77 |
| 18. | RSM | 7307 | 22-7-77 |
| 19. | RSM | 5972 | 11-7-77 |
| 20. | RSM | 5674 | 8-6-77 |

**Udaipur—12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RRM | 6026 | 17-5-77 |
| 2. | RRM | 1480 | 30-3-77 |
| 3. | RJR | 9029 | 24-6-77 |
| 4. | RSL | 3443 | 5-7-77 |
| 5. | RSL | 5448 | 19-7-77 |
| 6. | RJL | 3597 | 21-7-77 |
| 7. | RSM | 9879 | 22-7-77 |
| 8. | RSG | 804 | 30-7-77 |
| 9. | RRM | 402 | 30-7-77 |
| 10. | RRM | 6708 | 23-7-77 |
| 11. | RRM | 9528 | 2-9-77 |
| 12. | RRM | 9528 | 28-7-77 |

**Bikaner—15**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 5525 | 20-6-77 |
| 2. | RSM | 1624 | 21-7-77 |
| 3. | RRM | 7753 | 11-7-77 |
| 4. | RRM | 8940 | 11-7-77 |
| 5. | RRM | 5622 | 15-6-77 |
| 6. | RSM | 9754 | 24-6-77 |
| 7. | RSK | 925 | 31-7-77 |
| 8. | RJL | 4486 | 13-7-77 |
| 9. | RSL | 4464 | 22-6-77 |
| 10. | RSM | 5979 | 21-7-77 |
| 11. | RRM | 8711 | 28-7-77 |
| 12. | RSG | 2151 | 28-7-77 |
| 13. | RJL | 3356 | 21-6-77 |
| 14. | RRM | 7696 | 23-6-77 |
| 15. | RSM | 9755 | 28-7-77 |

**Jaipur (West)-19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RRM | 4034 | 28-5-77 |
| 2. | RRM | 6172 | 8-6-77 |

(256)



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | RSG | 429 | 29-5-77 |
| 4. | RRM | 6849 | 22-5-77 |
| 5. | RSM | 863 | 10-4-77 |
| 6. | RSM | 7725 | 10-4-77 |
| 7. | RRM | 271 | 11-3-77 |
| 8. | RSM | 8476 | 23-2-77 |
| 9. | RSG | 5865 | 10-7-77 |
| 10. | RRM | 4035 | 22-6-77 |
| 11. | RRM | 7890 | 11-4-77 |
| 12. | RSM | 6431 | 23-6-77 |
| 13. | RSL | 6776 | 23-6-77 |
| 14. | RSM | 9613 | 10-6-77 |
| 15. | RRM | 3749 | 10-7-77 |
| 16. | | 387 | 2-7-77 |
| 17. | | 1077 | 2-7-77 |
| 18. | | 7751 | 2-5-77 |
| 19. | | 9993 | 5-7-77 |

**Jaipur (East)–28**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | RSL | 7235 | 14-9-76 |
| 2. | RJA | 3012 | 11-1-77 |
| 3. | RSM | 5676 | 17-5-77 |
| 4. | RSM | 8506 | 21-7-77 |
| 5. | RSM | 4048 | 12-7-77 |
| 6. | RSM | 9230 | 12-7-77 |
| 7. | RRM | 4527 | 7-6-77 |
| 8. | RSG | 2530 | 13-7-77 |
| 9. | RRM | 6091 | 2-6-77 |
| 10. | RRM | 392 | 18-1-77 |
| 11. | RRM | 3891 | 16-6-77 |
| 12. | RSG | 6213 | 25-5-77 |
| 13. | RSM | 5890 | 30-3-77 |
| 14. | RSM | 8486 | 14-6-77 |
| 15. | RSL | 5673 | 17-5-77 |
| 16. | RSL | 9564 | 2-11-76 |
| 17. | RSL | 6314 | — |
| 18. | RJL | 4027 | — |
| 19. | RSQ | 1305 | 23-12-76 |
| 20. | RSQ | 1306 | 14-6-77 |
| 21. | RSK | 921 | 10-11-76 |
| 22. | RSM | 8487 | 7-7-77 |
| 23. | RRM | 612 | 22-7-77 |
| 24. | RRM | 6377 | 7-7-77 |
| 25. | RSL | 1807 | 6-9-77 |
| 26. | RSL | 475 | 15-4-77 |
| 27. | RSL | 4848 | 3-5-77 |
| 28. | RSL | 4005 | 26-7-77 |

*Distribution of work*

Depot Service station:

(i) Daily maintenance and schedule dockings up to and including 6000 kms.

(ii) Running repairs etc.

Divisional workshop:

(i) Overhaul and reconditioning of all minor assemblies such as water pump, air compressors, steering assembly, front axle assy., dynamos, self starters, spring assemblies, injectors etc.

(ii) Repairs to minor accident vehicles

(iii) Fitness certificate work

(iv) Schedule docking of 18,000 kms. and above

(v) Fuel injection pump (where Test Bench is provided)

Central workshop:

(i) Reconditioning of major assemblies, i.e. Engine gear box, crown wheel pinion and rear axle.

(ii) Reconditioning of chassis and body repairs during mid-term overhaul at the end of 4-5 yrs. of operation and 6-7 years of operation.

(iii) Repairs to major accident vehicles.

(iv) Construction of special type of vehicles as and when required.

(v) Retrieval of old parts.

(258)



## परिशिष्ट– 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

### सिरोही जिले की आर. ई. सी. योजना

418. श्री माधोसिंह (रेवदर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले में आर. ई. सी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के अनुसार कितनी पंचायत समितियों में कार्य चल रहा है ?

(2) जिन पंचायत समितियों के ग्रामों को विद्युत् देने का कार्य नहीं चल रहा है, उनके लिये कब तक राज्य सरकार व्यवस्था करने की सोच रही है ?

(3) क्या सिरोही जिला 132 के. वी. लाइन से छोड़ दिया गया है और वहां सप्लाई की कोई कमी नहीं है ?

(4) क्या कारण है कि पंचायत समिति सिरोही के चालीस प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करके दूसरे ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कार्य रोक दिया गया है जबकि कुओं से उन ग्रामों में हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ?

#### उत्तर

(1) स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनुसार इस समय सिरोही जिले में 4 पंचायत समितियों में कार्य चल रहा है।

(2) बची हुई एक मात्र पंचायत समिति सिरोही की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना कब तक बनेगी, निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां। परन्तु मौजूदा ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड है।

(4) सिरोही पंचायत समिति में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत राज्य स्तरीय प्रतिशत से अभी भी अधिक होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाना इस समय विचाराधीन नहीं है।

### ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन

419. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बड़ी यूनिट बनाने एवं पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिक गांवों को एक समिति में मिलाने से एक दूसरे गांव की दूरी ज्यादा होने से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुयें खाद, बीज, शक्कर आदि लाने ले जाने में जनता को कठिनाई नहीं होगी ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करना उचित समझेगी ?

#### उत्तर

(1) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को

(सहकारिता मंत्री)

सक्षम इकाइयां बनाने के लिये राज्य सरकार की यह नीति है कि साधारण क्षेत्र के प्रत्येक ऐसी समिति के कार्यक्षेत्र में 2,000 हेक्टेअर्स कृषि योग्य भूमि एवं रेगिस्तानी व अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5,000 हेक्टअर्स कृषि योग्य भूमि होनी चाहिये ताकि प्रत्येक समिति 2.00 लाख रुपये का ऋण प्रत्येक वर्ष में वितरित कर सके।

(2) प्रारम्भ में अवश्य कठिनाई होगी। किन्तु इसका निराकरण सब स्टेशन खोल कर किया जा सकेगा।

### ग्राम देवपुरा में बांध निर्माण का ठेका

420. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या सिचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे—

ग्राम देवपुरा तहसील सवाई माधोपुर के बांध निर्माण का ठेका किस वर्ष में दिया गया था तथा उस ठेके को पूरा करने का एग्रीमेंट कितने का था? बांध निर्माण का कार्य क्यों नहीं पूरा किया गया?

उत्तर

देवपुरा बांध तहसील सवाई माधोपुर के कुछ भाग के निर्माण का ठेका माह फरवरी, 1977 में दिया गया है। बांध के चैन 23 से 34.75 का यह निर्माण कार्य दिनांक 9-2-1978 तक पूर्ण होना है। बांध के शेष कार्यों की निविदायें आमन्त्रित की गई हैं वे अक्टूबर, 1977 में प्राप्त की जावेगी। बांध का कार्य प्रगति पर है और सम्पूर्ण कार्य 1978-79 तक सम्पन्न किया जावेगा।

### जे. के. उद्योग कांकरोली

421. श्री गुलाबचन्द (उदयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जे. के. उद्योग कांकरोली के द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि फैक्ट्री बनाने में ली गई उनको नौकरी पर नही रखा जा रहा है? यदि हां, तो जे. के. उद्योग के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कानूनी कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

जे. के. उद्योग के साथ राज्य सरकार का, जिनकी भूमि फैक्ट्री बनाने के लिये ली गई थी, उनको रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था। फिर भी राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार उन व्यक्तियों में से 24 को एवं उनके सम्बन्धियों में से 32 व्यक्तियों को इस प्लान्ट में रोजगार दिया गया।

अनुबन्ध नहीं होने के कारण जे. के. उद्योग के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

### काला पीपल बांध योजना

423. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पिड़ावा में काला पीपल बांध की योजना की क्या प्रगति है और क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सरकार से पानी के बंटवारे पर कोई चर्चा की है?

(श्री ईश्वरचन्द्र)

(2) काला पीपल बांध सिंचाई योजना के सर्वे आदि कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा में काला पीपल गांव के पास नागरिन सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश सरकार ने 6000 लाख घनफुट पानी उसके जलगृह क्षेत्र से देना मंजूर किया है। जबकि राजस्थान सरकार की मांग 21,770 लाख घनफुट पानी देने वास्ते थी। इस विषय में मध्यप्रदेश सरकार से राजस्थान मध्यप्रदेश अन्तर्राज्यीय मंडल के माध्यम द्वारा वार्ता जारी है।

(2) योजना के सर्वेक्षण पर 1970-71 से अब तक कुल राशि 19,343/- व्यय हुई है।

व्यास परियोजना में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का वेतन निर्धारण

424. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

व्यास परियोजना में राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के जिन सहायक अभियन्ताओं को जून 1975 के बाद नियुक्त किया गया था, उनके वेतन निर्धारण के आदेश व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा जारी कर दिये गये है या नहीं ? यदि नहीं तो राज्य सरकार ने उन अभियन्ताओं की कठिनाइयां दूर कराने के लिये क्या कार्यवाही की है और उनका वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

व्यास परियोजना में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के जिन सहायक अभियन्ताओं को जून, 1975 के बाद नियुक्त किया गया था, उनमें से जो वेतन निर्धारण नियमों के अन्तर्गत सहायक अधिशासी अभियन्ता के पद की अर्हता (एलिजिबिलिटी) रखते थे तथा जिनके गोपनीय प्रतिवेदन ठीक थे, उनके वेतन निर्धारण के आदेश व्यास परियोजना मण्डल द्वारा दिनांक 22-7-77 व 24-8-77 को जारी कर दिए गए हैं।

पोल खरीदने के आदेश

426. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल ने जयहिन्द इनवेस्टमेंट लि. फरीदाबाद को पैंतालीस लाख रु. के 30 हजार पोल एवं कोसीकला की किसी फर्म को 55 लाख रुपये के पोल टेन्डर नं. 903 व 904 के तहत दिनांक 25-7-77 को खरीदने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि 25-7-77 को राज्य विधान सभा में उद्योग मंत्री ने बताया था कि राजस्थान के बाहर की किसी भी पार्टी से माल नहीं खरीदा जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों खरीद आदेश भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंसी लाल की सिफारिश पर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार की घोषणा के बाद ये खरीद आदेश किन परिस्थितियों में दिये गये ?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। 3,95,51,725 रु. की लागत के 2,69,850 पोल्स के कुल आदेशों में से मैसर्स जयहिन्द इन्वेस्टमेंट लि., फरीदाबाद से 23 हजार पोल 31 लाख 5 हजार रुपये की लागत के व मैसर्स जय प्रीस्ट्रेस्ड प्रोडक्टस, कोसीकलां से 13 हजार पोल लागत 18 लाख 20 हजार रुपये के खरीदने के आदेश दिनांक 25–7–77 को दिये गये। उद्योग मंत्री महोदय ने 25–7–77 को राज्य विधान सभा में क्या कहा था इसकी जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है।

(2) जी नहीं। इन फर्म्स पर आदेश किसी की भी सिफारिश के आधार पर नहीं दिये गये, अपितु इन दोनों फर्म्स व एक अन्य फर्म मैसर्स मन्दसूर सीमेंट पाइप फैक्टरी, मन्दसूर द्वारा टेन्डर्स में दी गई कीमतें अन्य फर्म्स के मुकाबले में कम होने के कारण व इनके कमांड एरिया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन व्यय में कमी आ जाती है को ध्यान में रखते हुए इन तीनों फर्म्स पर आदेश दिये गये। ऐसे आदेश देते समय राज्य सरकार की प्राईस प्रिफरेंस पालिसी का पूरा ध्यान रखा गया था और कुल आर्डर की 83.7% मात्रा राजस्थान की फर्म्स से खरीदी गई जबकि जयहिन्द इन्वेस्टमेन्ट लि॰, फरीदाबाद, जय प्रीस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स, कोसीकलां व मैसर्स मन्डसूर सीमेन्ट पाइप फैक्टरी, मन्डसूर से कुल मात्रा का क्रमशः केवल 8.52% व 4.82% व 2.96% ही माल खरीदा गया।

कृषि उपज मण्डी यार्डों में दुकानों का निर्माण

427. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने व्यापारिक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों पर कृषि उपज मण्डी समितियों का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि हां, तो कब से? क्या राज्य सरकार इस अप्रजातांत्रिक कानून को जो आपातकाल में बनाया गया था को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड नये मण्डी यार्डों में दुकानें बनाता है? यदि हां, तो क्या इन दुकानों के सामने नीलामी चबूतरे भी बनाता है? यदि हां, तो फिर मण्डी यार्डों में दुकानों से दूर खुले नीलामी चबूतरे बनाकर क्यों लाखों रुपये बरबाद किये जा रहे हैं? क्या राज्य सरकार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नीलामी चबूतरे सिर्फ दुकानों के सामने बनाने का आदेश देने का विचार रखती है? जैसे कि वर्तमान में श्री गंगानगर जिले की मण्डी समितियों में हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अन्य प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी यार्डों में दुकानों या खुले

(कृषि मंत्री)

नीलामी चबूतरों का निर्माण नहीं कराता है किन्तु इनका निर्माण कृषि उपज मंडी समितियां कराती हैं। खुले नीलामी चबूतरों की भी उपयोगिता है और इनके निर्माण करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मण्डियों के पेटर्न में उनकी व्यवस्था है। इन चबूतरों का उपयोग फसल के समय मंडी में आवश्यकतानुसार नीलाम की व्यवस्था कराई जा सकती है तथा माल रखने, सुखाने, छानने के प्रयोजनार्थ इनका उपयोग किया जा सकेगा। दुकानों के सामने चबूतरे पृथक से बनाये जाते हैं उनका उपयोग नीलामी हेतु किया जाता है परन्तु फसल के समय माल की आवक ज्यादा होने या विशेष जिन्सों की अलग से नीलामी व्यवस्था करने के लिये दुकानों के सामने के चबूतरे अपर्याप्त होने के कारण उक्त नीलामी चबूतरों का उपयोग कृषकों के हित में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कृषक अपना माल आढ़तियों के माध्यम से नहीं बेचना चाहे तो वह इन खुले नीलामी चबूतरों का प्रयोग कर सकता है।

# परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची)

## सूची ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनमें निर्वाचन हुए हैं

| क्रमांक | नाम समिति | | | नाम तहसील | दिनांक निर्वाचन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | किकरवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | | | रायसिंहनगर | 21–2–76 |
| 2. | 4 बी एल डी | ,, | ,, | अनूपगढ़ | 10–12–75 |
| 3 | बिलोचिया | ,, | ,, | ,, | 17–12–75 |
| 4. | 12 जीबी | ,, | ,, | ,, | 21–12–75 |
| 5. | बाबाजाल | ,, | ,, | ,, | 11–12–75 |
| 6. | किसान | ,, | ,, | लाल गढ़ सादुल शहर | 13–11–75 |
| 7. | हाकमाबाद | ,, | ,, | ,, | 31–7–76 |
| 8. | खाट सजवार | ,, | ,, | ,, | 21–1–76 |
| 9. | कलवाला | ,, | ,, | ,, | 13–2–76 |
| 10. | लालगढ़ जाटान | ,, | ,, | ,, | 14–11–75 |
| 11. | छापावाली | ,, | ,, | ,, | 2–9–76 |
| 12. | बनवाली | ,, | ,, | ,, | 30–8–76 |
| 13. | जडवालद दलित वर्गीय बहु | | ,, | हनुमानगढ़ | 20–10–75 |
| 14. | पक्का सारना | ,, | ,, | ,, | 13–9–76 |
| 15. | मनिया वाली | ,, | ,, | ,, | 9–9–76 |
| 16. | इन्द्रपुरा वृहत् बहु. | | ,, | संगरिया | 26–8–76 |
| 17. | टी.बी. | ,, | ,, | टी.बी | 21–8–76 |
| 18. | मनहरपुरा | ,, | ,, | नोहर | 29–11–75 |
| 19. | बड बिराना | ,, | ,, | ,, | 16–8–76 |

---

## परिशिष्ट 5

( अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची )

तहसील सिरोही जिला सिरोही के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

1. जावाल
2. कालन्द्री
3. मोहब्बतनगर
4. पाडीव
5. रामपुरा
6. सिरोही
7. मडवाडा
8. गोहली
9. गोल
10. बरलूट
11. मंडवारिया
12. पालडी
13. देलदर
14. बराडा
15. भूतगांव
16. मनोरा
17. तवरी
18. फगनी
19. घड़ग्राल
20. धनगोर
21. डोडुआ
22. खांबल
23. सिन्दरथ
24. मांकरोडा
25. उड
26. जमोतरा

## परिशिष्ट 'बी'

### तहसील शिवगंज जिला सिरोही के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अरठवाडा | 22. | सेजडिया |
| 2. | भेव | 23. | घुवाना |
| 3. | बडगांव | 24. | फतेहपुरा |
| 4. | पांदाना | 25. | मोछाल |
| 5. | पोसालिया | 26. | बुडेरी |
| 6. | पालडी | 27. | लछमावा बडा |
| 7. | शिवगंज | 28. | लछमावा छोटा |
| 8. | जोयला | 29. | रेवाडा |
| 9. | जोगापुरा | 30. | छीबागांव |
| 10. | आलपा | 31. | राडबर |
| 11. | बागसीन | 32. | सुथारों का गुढा |
| 12. | उथमण | 33. | बादला |
| 13. | खन्द्रा | 34. | काना कोलर |
| 14. | अखापुरा खारल | 35. | फाचरिया |
| 15. | रखाडा | 36. | नवांबास |
| 16. | केसरपुरा | 37. | वारेवडा |
| 17. | वेरा रामपुरा | 38. | सगालिया |
| 18. | सुरजपुरा | 39. | वाण |
| 19. | गोडाना | 40. | वाडका |
| 20. | वेरा वीलपुर | 41. | गोला |
| 21. | जैतपुरा | | |

266



APPENDIX 'C'

STATEMENT SHOWING PENDING APPLICATIONS AS ON 15-9-77 IN P.S. SIROHI

| S.No. | Name of locality | Dom. I&F | Dome H&P | Com. | CHP | Ind. | Ag. | W/S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirohi | 76 | 1 | 13 | 1 | 5 | 14 | — |
| 2. | Kalandri | 36 | — | 5 | 1 | 6 | 19 | — |
| 3. | Mohabhat Nagar | 5 | — | — | — | — | 30 | 2 |
| 4. | Ud. | 10 | — | 1 | — | 4 | 7 | — |
| 5. | Rampura | 5 | — | — | — | — | 4 | — |
| 6. | Padiv | 28 | 1 | — | — | — | 4 | 1 |
| 7. | Jawal | 29 | 2 | — | 2 | 2 | 27 | — |
| 8. | Geoli | 9 | — | 1 | — | 1 | 7 | — |
| 9. | Mandwara | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 10. | Gol | 14 | — | — | — | — | 6 | — |
| 11. | Mandwariya | 5 | — | — | — | — | 8 | — |
| 12. | Barloot | 21 | — | — | — | — | 18 | — |
| 13. | Choti Pali | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 14. | Manpura | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. | Deldar | 6 | 1 | — | — | — | 2 | — |
| 16. | Janotara | — | — | — | — | — | 10 | — |
| 17. | Urada | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 18. | Bhut gaon | 3 | 1 | — | — | 1 | 11 | — |
| 19. | Manora | 15 | — | — | 1 | 1 | 18 | — |
| 20. | Angora | — | — | — | — | — | — | — |
| 21. | Dadua | 11 | — | 1 | — | 4 | 12 | 1 |
| 22. | Tawari | — | — | — | — | — | — | — |
| 23. | Fugani | 36 | — | 4 | — | 2 | 13 | — |
| 24. | Chadwal | 24 | — | 4 | — | 1 | — | — |
| 25. | Khambal | 2 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| 26. | Sindarath | 3 | — | — | — | 2 | 6 | — |
| 27. | Makroda | — | — | — | — | — | — | — |
| | Total | 337 | 7 | 30 | 5 | 32 | 221 | 4 |

(267)



APPENDIX 'D'

Statement showing pending applications as on 15-9-77 in Panchayat Samiti Shivganj

PS Shivganj

| S.No. | Locality | Pending application | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ag. | I P | DLF. | Others | Total | Reasons |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Arthwara | 25 | 3 | 7 | 2 | 37 | |
| 2. | Posaliya | 29 | 4 | 12 | 1 | 46 | |
| 3. | Palari | 7 | 4 | 69 | 1 | 81 | |
| 4. | Badgaon | 8 | 3 | 5 | — | 16 | |
| 5. | Joyala | 2 | — | 1 | — | 3 | |
| 6. | Joyapura | 3 | 1 | — | 1 | 5 | |
| 7. | Chandana | 7 | — | — | — | 7 | |
| 8. | Akapura | 8 | — | — | — | 8 | |
| 9. | Bhuv | 7 | — | 34 | 2 | 43 | |
| 10. | Rukhaba | 1 | 1 | 2 | — | 4 | |
| 11. | Bagreha | 30 | 4 | 30 | — | 64 | |
| 12. | Uthamad | 20 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 13. | Khahandra | 3 | 1 | | — | 4 | |
| 14. | Alpa | — | — | 6 | — | 6 | |
| 15. | Kesarpura | 1 | | 21 | — | 28 | |
| 16. | Vera Rampura | 4 | 2 | 14 | 1 | 21 | |
| 17. | Surajapura | 2 | — | — | — | 2 | |
| 18. | Khe ariya | 4 | 5 | 11 | — | 20 | |
| 19. | Verajetpura | 4 | 2 | 14 | 1 | 21 | |
| 20. | Godana | 9 | — | — | — | 9 | |
| 21. | Dhirwara | 2 | — | 8 | 1 | 11 | |
| 22. | Vadka | — | — | — | — | — | |
| 23. | Mochal | 2 | — | 3 | 1 | 6 | |
| 24. | Fathapura | Not potential | | locality | — | — | |
| 25. | Gola | — | — | — | — | 2 | |
| 26. | Buderi | — | — | — | — | — | |
| 27. | Rewada | — | 1 | — | — | 1 | |
| 28. | Lakhanwa Bad | — | 1 | 12 | 1 | 14 | |
| 29. | Lakhamawa choth | 2 | — | 6 | — | 8 | |
| 30. | Sugaliya | 12 | — | — | — | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Wan | 13 | — | — | — | 13 |
| 32. | Borawada | 3 | 1 | 21 | 1 | 26 |
| 33. | Satharon ka Guda | 3 | — | 3 | — | 6 |
| 34. | Chibha Godh | 10 | 3 | 26 | 2 | 41 |
| 35. | Vrera Veelpura | — | — | — | — | — |
| 36. | Radhar | — | 1 | 15 | — | 16 |
| 37. | Kana Kolu | — | 1 | — | — | 1 |
| 38 | Badla | — | — | — | — | Not potential |
| | Total | 224 | 38 | 314 | 15 | 591 |

1. L Form not received
2. Non-potential
3. Under estimate

## परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न 3 की सूचना)

1 जनवरी, 77 तक प्राप्त 'एल' फार्मों की सूची

| क्र. सं. | उपभोक्ता का नाम | ग्राम | 'एल' फार्म प्राप्त होने की तारीख | लाइन खींचे जाने की तारीख | कनेक्शन देने की तारीख | कनेक्शन न दिये जाने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री मोडा मीना पुत्र श्योबक्स मीना | मिर्जापुरा | 2–2–76 | 7–2–76 | 10–2–76 | |
| 2. | श्री गणपतलाल, मूलचन्द, बद्रीनारायण | ,, | 2–2–76 | 7–2–76 | 10–2–76 | |
| 3. | श्री माधोलाल पुत्र बजरंगलाल योगी | रामगढ़ पचवारा | 1–7–76 | 26–7–76 | 2–8–76 | |
| 4. | श्री मोल्या, मोरिया, केसरा, गोविन्दा गूजर | भरनिया कलां | 1–7–76 | 28–7–76 | 31–8–76 | |
| 5. | श्री नारायण सहाय पुत्र बिहारीलाल महाजन | निजामपुरा | 1–7–76 | 14–8–76 | 16–8–76 | |
| 6. | श्री रेवड़, महादेव, गोपाल, बिरदा | निजामपुरा | 1–7–76 | 15–8–76 | 20–8–76 | |
| 7. | श्री मोरिया, गोरिया पुत्र देविया, ग्यारसा | निजामपुरा | 1–7–76 | 15–8–76 | 20–8–76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | श्री कान्या, मींग्या पुत्र भोरिया रामदेव | नेहुरी जसवन्तपुरा | 1–7–76 | 4–8–76 | 20–8–76 | |
| 9. | श्री गोपीलाल, हरिनारायण पुत्र सुवालाल महाजन | ,, | 1–7–76<br>2–9–76 | 25–9–76 | 30–9–76 | |
| 10. | श्री रामकंवार, रामरतन, हजारी पुत्र ईसरा | ,, | 1–7–76 | 4–8–76 | 20–8–76 | |
| 11. | श्री गोरधन पुत्र सुखदेव महाजन | जगनेर | 1–7–76 | 18–8–76 | 21–8–76 | |
| 12. | श्री भोरिया, शंकरिया, हरदेव, कजोड़िया | निजामपुरा | 27–7–76 | 14–8–76 | 20–8–76 | |
| 13. | श्री रेवड़, चन्द्रा, महादेव, गोपाल | निजामपुरा | 27–7–76 | 15–8–76 | 20–8–76 | |
| 14. | श्री जयनारायण, रंगलाल, सुखचन्द | नेहुरी जसवन्तपुरा | 27–7–76 | 6–8–76 | 20–8–76 | |
| 15. | श्री रामधन, बीरवल, कान्या | ,, | 27–7–76 | 6–8–76 | 20–8–76 | |
| 16. | श्री रामेश्वर अग्रवाल पुत्र बद्रीलाल | देहलाल | 27–7–76 | 20–9–76 | 30–9–76 | |
| 17. | श्री रामसहाय, महादेव पुत्र जयनारायण | अरनिया कलां | 29–7–76 | 30–8–76 | 31–8–76 | |
| 18. | श्री गोरीलाल, प्रभुलाल पुत्र जयनारायण | अरनिया कलां | 29–7–76 | 30–8–76 | 31–8–76 | |
| 19. | श्री रामराय, हजारी पुत्र जयनारायण | अरनिया कलां | 29–7–76 | 30–8–76 | 31–8–76 | |
| 20. | श्री रामस्वरूप, सीताराम, रामगोपाल, कल्याण | ,, | 29–7–76 | 30–8–76 | 31–8–76 | |
| 21. | श्री चन्द्रा, भोरिया, औंकार, खेड़िया | निजामपुरा | 29–7–76 | 15–8–76 | 20–8–76 | |
| 22. | श्री गणपतलाल, रामनाथ, मूलचंद, भूंया | देहलाल | 31–7–76 | 22–9–76 | 30–9–76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | ठाकुर जसवन्तसिंह पुत्र रामसिंह | देहलाल | 31–7–76 | 22–9–76 | 30–9–76 | |
| 24. | श्री भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह | देहलाल | 31–7–76 | 22–9–76 | 30–9–76 | |
| 25. | श्री शिवनारायण, प्रभुलाल पुत्र जमनालाल | देहलाल | 31–7–76 | 22–9–76 | 30–9–76 | |
| 26. | श्री मांगीलाल, छाजू, छीतर, डुंडा पुत्र पेजाराम | मिर्जापुरा | 31–7–76 | .. | .. | फिटिंग कम्प्लीट न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया गया है। फिटिंग कम्प्लीट होने की सूचना मिलते ही कनेक्शन दे दिया जायगा। |
| 27. | श्री मूलसिंह, केसरसिंह, हवान सिंह | भरनियाकलां | 2–8–76 | 30–8–76 | 6–9–76 | |
| 28. | श्री छाजू, कल्याण पुत्र घीस्यापुरी | भरनियाकलां | 2–8–76 | 3–2–77 | 11–2–77 | |
| 29. | श्री मोतीलाल शर्मा पुत्र नारायण शर्मा | सलेमपुरा | 21–8–76 | 24–9–76 | 30–9–76 | |
| 30. | श्री राधेश्याम, हरिप्रसाद शर्मा | सलेमपुरा | 21–8–76 | 30–9–76 | 22–10–76 | |
| 31. | श्री मूलचन्द, मांगीलाल पुत्र मानजी | सलेमपुरा | 21–8–76 | 30–9–76 | 22–10–76 | |
| 32. | श्री चुन्यो पुन्यो, गोरयो, हरिराम, नारायण लाल | सलेमपुरा | 21–8–76 | 24–9–76 | 30–9–76 | |
| 33. | बालुराम, सोन्या, जन्सी पुत्र नानगा मीना | अमराबाद | 9–9–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 34. | श्री मूल्या, श्योनारायण, रामगोपाल, रामचरण | ,, | 9–9–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 35 | देव्या, मूल्या, पन्या मीना | ,, | 10–9–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 36. | श्री रामपाल, भूदरथा, गोपाल मीना | ,, | 10–9–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 37. | श्री देवीलाल, गंगाराम पुत्र भौंरीलाल शर्मा | देहलाल | 21–9–76 | 24–9–76 | 8–10–76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | श्री रामकरण, कल्याण, प्रभुलाल पुत्र बालूराम | देहलाल | 21–9–76 | 24–9–76 | 8–10–76 | |
| 39. | श्री बक्सीलाल पुत्र गोपाल मीना | ,, | 21–9–76 | 25–9–76 | 18–11–76 | |
| 40. | श्री कालू, लोहड्या, रामकरण, गोविन्दा | अमराबाद | 21–9–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 41. | श्री मूलचन्द, दामोदर, रामराय, रामगोपाल | नांगल अभयपुरा | 21–9–76 | 14–3–77 | 31–3–77 | |
| 42. | श्री नन्दकिशोर मायाराम पुत्र हीरालाल | ,, | 21–9–76<br>30–4–77 | 18–7–77 | 31–7–77 | |
| 43. | श्री बद्रीलाल, रेबडमल पुत्र ताराचन्द | ,, | 21–9–76 | 29–8–77 | 31–8–77 | |
| 44. | श्री जगन्नाथ, राधेश्याम पुत्र भौंरीलाल | सलेमपुरा | 23–9–76 | 30–9–76 | 22–10–76 | |
| 45. | श्री नानगा, कालू, मूलचन्द, ग्यारसा | सलेमपुरा | 23–9–76 | 30–9–76 | 22–10–76 | |
| 46. | श्री मूलचन्द, किशनलाल, रामरंजन, गेंदालाल | सलेमपुरा | 23–9–76 | 30–9–76 | 22–10–76 | |
| 47. | श्री रूपनारायण, जगदीश प्रसाद गौतम | मिर्जापुरा | 23–9–76 | – | – | साधारण प्राथमिकता के प्रार्थियों को डिमान्ड नोट दे दिये गये थे लेकिन मण्डल के दिनांक 8–9–75 के आदेशानुसार उच्च प्राथमिकता अनुसूचित जन जाति व स्माल/मारजिनल को दी जा रही है । अनुसूचित जाति एवं जन जाति के |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | श्री हुरजी, नारायण, बैरवा पुत्र गैंदा | सलेमपुर | 25–9–76 | 20–10–76 | 22–10–76 | प्रार्थियों के कनेक्शन हो जाने के बाद ही प्रार्थी को कनेक्शन देने पर विचार किया जा सकेगा। |
| 49. | श्री ग्यारसीलाल पुत्र भौंरीलाल शर्मा | ,, | 25–9–76 | 3–11–76 | 17–11–76 | |
| 50. | श्री बालूराम, मूलचन्द शर्मा | ,, | 25–9–76 | 2–11–76 | 17–11–76 | |
| 51. | श्री सोन्यो, रामसहाय पुत्र भैरया मीना | ,, | 14–10–76 | 3–11–76 | 17–11–76 | |
| 52. | श्री सूरया, भौरया, रामपाल पुत्र भूरा | ,, | 14–10–76 | 2–11–76 | 17–11–76 | |
| 53. | श्री हरसहाय, घासीलाल शर्मा | ,, | 14–10–76 | 20–10–76 | 17–11–76 | |
| 54. | श्री भौंरीलाल, श्रानारायण, काना मीना | ,, | 14–10–76 | 1–11–76 | 17–11–76 | |
| 55. | श्री नारायण पुत्र नानगा मीना | ,, | 14–10–76 | 5–11–76 | 17–11–76 | |
| 56. | श्री हरिनारायण चौधरी पुत्र मयुरालाल चौधरी | सालगरामपुरा | 14–10–76 | 6–1–77 | 22–1–77 | |
| 57. | श्री तुलया लक्ष्मीनारायण, लाल, गोपी अहीर | थलोज | 14–10–76 | 18–7–77 | 31–8–77 | |
| 58. | श्री लखाराम, मूलचन्द यादव | ,, | 14–10–76 | 31–7–77 | 31–8–77 | |
| 59. | श्री गंगाराम, कन्हैयालाल, हरफूल | सीतारामपुरा | 14–10–76 | 6–12–76 | 30–12–76 | |
| 60. | श्री केसरा, रामचन्द्र मीना पुत्र नारायण मीना | ,, | 14–11–76 | 6–12–76 | 30–12–76 | |
| 61. | श्री मूलचन्द पुत्र घन्नालाल शर्मा | सनक्या | 14–10–76 | 13–11–76 | 30–11–76 | |
| 62. | श्री हरिशंकर, राधेश्याम, जगन्नाथ सुवालाल | जगनेर | 28–10–76 | 14–12–76 | 29–12–76 | |
| 63. | श्री हरिनारायण पुत्र रामपाल मीना | ,, | 28–10–76 | 13–12–76 | 29–12–76 | |
| 64. | श्री रामचन्द्र, कल्याण पुत्र हरदेव, कुवरीराम | ,, | 28–10–76 | 13–12–76 | 29–12–76 | |
| 65. | श्री हरचन्वा, रामसहाय, मांगा पुत्र ग्यारस्या | जगनेर | 28–10–76 | 14–12–76 | 29–12–76 | |
| 66. | श्री लालूराम रामनिवास, अहीर | थलोज | 28–10–76 | 29–7–77 | 31–8–77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | श्री भौंरीलाल, रामगोपाल शर्मा | भगवतपुरा | 20–11–76 | 16–1–77 | 22–1–77 | |
| 68. | श्री कल्याण प्रसाद पटाक पुत्र नारायण प्रसाद पटाक | बाढ़ता नारसिंह | 23–11–76 | 6–1–77 | 22–1–77 | |
| 69. | श्री रामचन्द्र, गोपी पुत्र नारायण, रामनाथ मीना | सीतारामपुरा- | 23–11–76 | 7–12–76 | 30–12–76 | |
| 70. | श्री हरिशंकर तिवाड़ी पुत्र छाजूलाल तिवाडी | सालगरामपुरा | 30–11–76 | 6–1–77 | 22–1–77 | |
| 71. | श्री मोतीलाल महाजन, नाथू गूजर | सलेमपुरा | 16–12–76 | 25–12–77 | 30–12–76 | |
| 72. | श्री भूरया, महादेव, भोरया, श्रवण, पन्नाबल्या | ग्रमराबाद | 16–12–76 | 23–12–76 | 31–12–76 | |
| 73. | श्री शंकर, भौंरीलाल, मोहन मीना | मिर्जापुरा | 18–12–76 | – | – | फिटिंग कम्प्लीट न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया गया है फिटिंग कम्प्लीट होने की सूचना मिलते ही कनेक्शन दे दिया जायगा । |
| 74. | श्री ग्रानन्दा, रामसहाय, श्रवण ग्रहीर | थलोज | 18–12–76 | 20–7–77 | 31–8–77 | |
| 75. | श्री भूरा, लाल्या, पांचू, रामसहाय मीना | जगनेर | 28–12–76 | 31–12–76 | 4–1–77 | |
| 76. | श्री रामसहाय, जगनारायण, शंकर, रामकिशोर | थलोज | 28–12–76 | — | — | प्रार्थी नं. 77 ने खसरा नं. 24 में कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। उसी ग्राधार पर एस्टीमेट बनाकर प्रार्थी को |
| 77. | श्री खेमा, रामकिशोर, जयनारायण ग्रहीर | थलोज | " | — | — | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | श्री नानगराम, श्री नन्दीलाल यादव | थलोज | 28-12-76 | — | — | डिमाण्ड नोटिस दे दिया गया। प्रार्थी द्वारा नोटिस के पैसे जमा कराने व एल फार्म देने पर लाइन खींचने जब पार्टी गई तब प्रार्थी ने खसरा नं. 24 पर कनेक्शन लेने को मना कर दिया तथा खसरा नं. 25 में कुए का कनेक्शन देने को कहा। खसरा नं. 25 प्रार्थी के नाम में रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं है। मंडल के आदेशानुसार दूसरे खसरे व कुए पर कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इस कनेक्शन पर प्रार्थी नं. 76 व प्रार्थी नं. 78 निर्भर है। जब तक प्रार्थी नं. 77 की लाइन नहीं खींची जाती इन प्रार्थियों को भी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता हैं। इन तीनों प्रार्थियों को उपरोक्त सूचना भेजी जा चुकी है। |
| 79. | श्री रूपा मीना पुत्र सुखला मीना | जगनेर | 30-12-77 | 3-3-77 | 26-3-77 | |

परशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची जिनके चुनाव हो चुके हैं :–

| | | | | चुनाव पूर्ण होने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | केसे का ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | | | 1-1-77 |
| 2. | साकड | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 3. | करौली | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 4. | बाचला | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 5. | टापी | ,, | ,, | 1-1-75 |
| 6. | भरतपुर | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 7. | गुन्डाऊ | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 8. | खारा | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 9. | देवका | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 10. | श्यामला | ,, | ,, | 1-1-75 |
| 11. | भोजपुरा | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 12. | दाता | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 13. | सरनाऊ | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 14. | सांचौर | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 15. | रणोद | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 16. | लाछीवाड | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 17. | बुर | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 18. | रूपनडी | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 19. | अरनाव | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 20. | चौरा | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 21. | डागरा | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 22. | मालपाडा | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 23. | कोड | ,, | ,, | 1-1-77 |
| 24. | बोरोज | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 25. | बरगवा | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 26. | जानवी | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 27. | निम्बाऊ | ,, | ,, | 1-1-76 |
| 28. | दूठवा | ,, | ,, | 1-1-76 |

| | | | | चुनाव पूर्ण होने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 29. | डूंगरी | ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | | 1-1-77 |
| 30. | चितलवाना | " | " | 1-1-76 |
| 31. | डोडेवा | " | " | 1-1-76 |
| 32. | गोलासन | " | " | 1-1-76 |
| 33. | बिजरोल | " | " | 1-1-76 |
| 34. | लखाना | " | " | 1-1-76 |

(278)



परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची)

निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. की ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार पर जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों की सूची

| क्र. सं. | नाम व्यक्ति | पद | राशि जिसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हीरा नाथ योगी | डिपो मैनेजर, छोटी सादड़ी | 4020.80 |
| 2. | श्री मीठा लाल धूत | डिपो मैनेजर, बड़ी सादड़ी | 12469.67 |
| 3. | श्री निजामुद्दीन | भूतपूर्व खाद सुपरवाईजर | 5304.63 |
| 4. | श्री कन्हैया लाल बाहेती | भूतपूर्व अकाउन्टेंट | 2245.00 |
| 5. | श्री किशन लाल धूत | भूतपूर्व व्यवस्थापक | 65397.29 |
| 6. | श्री किशन लाल धूत एवं श्री कन्हैया लाल बाहेती | भूतपूर्व व्यवस्थापक भूतपूर्व अकाउन्टेन्ट | 4580.13 |
| 7. | श्री किशन लाल धूत एवं श्री निजामुद्दीन | भूतपूर्व व्यवस्थापक खाद सुपरवाईजर | 3774.90 |
| 8. | श्री किशन लाल धूत एवं श्री चुन्नी भाई पटेल | भूतपूर्व व्यवस्थापक भूतपूर्व अकाउन्टेंट | 86690.32 |

# परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

## रसायनशाला उदयपुर में निर्माण होने वाली औषधियों की तालिका

1. अर्शकुठार रस
2. आनन्द भैरव रस
3. अश्वकंचुकी रस
4. कर्पूर रस
5. चन्द्रामृता रस
6. मल्लसिंदूर
7. रस माणिक्य
8. लक्ष्मीविलास रस
9. श्वांस कुठार रस
10. अमर सुन्दरी वटी
11. चित्रकादि वटी
12. चन्द्रप्रभा वटी
13. रजप्रवर्तनी वटी
14. रसोनादिवटी
15. लवंगादिवटी
16. पुनर्नवामण्डूर
17. गोजियादि क्वाथ
18. जन्मघुटी
19. दशमूल क्वाथ
20. रासनादि क्वाथ
21. अशोकारिष्ट
22. विशुचिकान्तक अर्क
23. दद्रुदावानल
24. जात्यादि तेल
25. पंचगुण तेल
26. चन्द्रोदय वटी
27. नेत्र बिन्दु
28. कृष्ण मरहम
29. वेदनानाशक